खण्ड ६—अंक २७
२३ अगस्त, १९५६ (गुरुवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(XIII Session)

(खण्ड ६ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

पच्चीस नये पैसे (देश में) १ शिलिंग (विदेश में)

219 L. S. D./56

विषयसूचि

(भाग १—खंड ६—अंक २१ से ४०—१३ अगस्त से ८ सितम्बर, १९५६)

पृष्ठ

अंक २१—सोमवार, १३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९४ से १००४, १००६ से १००८, १०१० से १०१२ १०१५, १०१६, १०१८, १०१९, १०२१, १०२२, १०२५ और १०२६ . . . . . ६०१–२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १००५, १००९, १०१३, १०१४, १०१७, १०२०, १०२३, १०२४, १०२७ से १०२९ और १०३१ से १०४९ ९२३–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०४ से ६११ और ६१३ से ६५२ . . ९३४–४९

दैनिक संक्षेपिका ९५०–५३

अंक २२—मंगलवार, १४ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५०, १०५१, १०५३, १०५४, १०५६ से १०५८, १०६०, १०६१, १०६४, १०६५, १०६७, १०६८, १०७१ से १०७५ १०७७ से १०७९ और १०८१ . . . . ९५५–७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५२, १०५५, १०५९, १०६२, १०६३, १०६६, १०६९, १०७०, १०७६, १०८०, १०८२ से १११३ और ७७७ . . . . . ९७५–९१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५३ से ६७९ . . . ९९१–१००

प्रश्नों के उत्तरों की शुद्धि १०००

दैनिक संक्षेपिका १००१–०४

अंक २३—गुरूवार, १६ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११४, १११६ से ११२० ११२२ से ११२८, ११३२ से ११३८, ११४०, ११४२ से ११४४ और ११४७ . . १००५–२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११५, ११२१, ११२७, ११२९, से ११३१, ११३९ ११४१, ११४५, ११४६ और ११४८ से ११६१ . . १०२५–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७३० . . . . १०३४–६०

दैनिक संक्षेपिका १०६१–६४

पृष्ठ

अंक २४—शुक्रवार, १७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६३ से ११६९, ११७१, ११७२ और ११७४ से ११८४ . . . . . १०६५–८६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ और १० . . . . १०८६–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६२, ११७०, ११७३, ११८५ से ११९१ और ११९३ से १२०३ . . . . . १०८८–९४

अतारांकित प्रश्न संख्या ७३१ से ७३९ और ७४१ से ७६९ . . १०९५–११०६

दैनिक संक्षेपिका ११०७–०९

अंक २५—सोमवार, २० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०८, १२११, १२१४, १२१६, १२१७, १२१९, १२२४, १२२५, १२२८ से १२३४, १२३७ से १२४० और १२४४ . ११११–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०४ से १२०७, १२०९, १२१०, १२१२, १२१३ १२१५, १२१८, १२२० से १२२३, १२२६, १२४२, १२४३ और १२४५ से १२५३ . . . . . ११३२–४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७० से ८०५ और ८०७ . . ११४०–५३

दैनिक संक्षेपिका ११५४–५७

अंक २६—बुधवार, २२ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५४ से १२५६, १२५८ से १२६०, १२६२, १२६३ १२६५, १२६७, १२६९ से १२७२, १२७४, १२७५ और १२७८ से १२८० . . . . . ११५९–७९

अल्प सूचना प्रश्नसंख्या ११ . . . . ११८०–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७, १२६१, १२६४, १२६६, १२६८, १२७३, १२७६, १२७७, १२८१ से १२९१, १२९३ से १३०० और ११९२ . . . . . ११८२–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०८ से ८२० और ८२२ से ८५५ . ११९०–१२०४

दैनिक संक्षेपिका १२०५–०७

पृष्ठ

अंक २७—गुरूवार, २३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१ से १३०५, १३०७, १३११, १३१२, १३१६, १३१३, १३१९, १३२२ से १३२५, १३२७, १३४० और १३२९ से १३३२ . . . . . १२०९–२८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . १२२९–३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०६, १३०९, १३१०, १३१४, १३१५, १३१७ १३१८, १३२०, १३२१, १३२६, १३२८, १३३३, से १३३८, १३४१ और १३४२ . . . . . १२३१–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८५६ से ८८४ . . १२३७–४९

दैनिक संक्षेपिका १२५०–५२

अंक २८—शुक्रवार, २४ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४३ से १३४८, १३५० से १३५२, १३५५, १३५७, १३६०, १३६१, १३६४, १३६५, १३६८, से १३७२ और १३७४ से १३७७ . . . . . १२५३–७५

कुछ आपत्तिजनक बातों के बारे में अध्यक्ष के विचार . १२७५–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४९, १३५३, १३५४, १३५६, १३५८, १३५९ १३६२, १३६३, १३६६, १३६७, १३७३ और १३७८ से १३९७ . १२७७–८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ८८९ और ८९१ से ९३३ . . १२८६–१३०३

दैनिक संक्षेपिका १३०४–०७

अंक २९—शनिवार, २५ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९८, १४००, १४०१, १४२८, १४०२ से १४०५ १४०७, १४०९ से १४१२, १४१५, १४१८ और १४१९ १३०९–२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९९, १४०६, १४०८, १४१३, १४१४, १४१६ १४१७, १४२० से १४२७ और १४२९ से १४४९ . १३२८–३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३४ से १०१२ . . . १३३९–७०

दैनिक संक्षेपिका १३७१–७५

पृष्ठ

अंक ३०—सोमवार, २७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५२, १४५४ से १४५९, १४६१ से १४६५, १४७०, १४७१, १४७३, १४७५ से १४७७, १४७९ और १४८० . १३७७–९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ और १४ . . १३९९–१४०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५०, १४५१, १४५३, १४६०, १४६६ से १४६९ १४७२, १४७४, १४७८ और १४८१ से १४८९ . . . १४०३–१०

अतारांकित प्रश्न संख्या १०१३ से १०३३ और १०३५ से १०६१ . १४१०–२७

दैनिक संक्षेपिका १४२८–३०

अंक ३१—मंगलवार, २८ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४९०, १४९२, १४९१, १४९३, १४९४, १४९६ से १५००, १५०२, १५०७ से १५०९, १५१२ और १५१३ . . १४३१–५१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५ . . . . . १४५१–५३

अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गये विवरण के बारे में १४५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४९५, १५०१, १५०३ से १५०६, १५१०, १५११ १५१४ से १५२० और १५२२ से १५३२ . १४५३–६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६२, १०६३, १०६५ से १०६९, १०७१ से १०७३ और १०७५, से १०८५ . . . . १४६२–६९

दैनिक संक्षेपिका १४७०–७३

अंक ३२—गुरुवार, ३० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३४, १५३६, १५३७, १५३९ से १५४५, १५५२ १५५३, १५५८ से १५६१, १५६३, १५६४ और १५६६ से १५६८ १४७५–९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३३ १५३५, १५३८, १५४६ से १५५१, १५५४ से १५५७, १५६५, १५६९ से १५८१ और १५८३ से १५८५ . १४९७–१५०७

अतारांकित प्रश्न संख्या १०८६ से ११७४ . . . १५०७–३९

दैनिक संक्षेपिका १५४०–४५

पृष्ठ

अंक ३३—शुक्रवार, ३१ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५८६ से १५९२, १५९४ से १६०१, १६०३, १६०४, १६०६ १६०८, १६०९ और १६१२ . . . १५४७–६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ . . . . १५६९–७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५९३, १६०२, १६०५, १६०७, १६१०, १६११ और १६१३ से १६२९ . . . . १५७१–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या ११७५ से १२११ . . . १५७९–९३

दैनिक संक्षेपिका १५९५–९७

अंक ३४—शनिवार, १ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६३० से १६३९, १६४३, १६४४, १६४६ से १६४८ १६५०, १६५३, १६५४, १६५६, १६५७ और १६६०से १६६२ १५९९–१६२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६४० से १६४२, १६४५, १६४९, १६५१, १६५२ १६५५, १६५८, १६५९ और १६६३ से १६८१ . . १६२१–३०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ . . . . १६३०–३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१२ से १२५० . . . १६३१–४३

दैनिक संक्षेपिका— १६४४–४६

अंक ३५—सोमवार, ३ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८२ से १६८७, १६८९ से १६९४, १६९६, १६९८ से १७०१ और १७०३ से १७०७ . . . १६४७–६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ और १९ . . . . १६६९–७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८८, १६९५, १६९७, १७०२, १७०८ से १७२१ १६७३–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या १२५१ से १२८७ . . . १६ ८–९

दैनिक संक्षेपिका १६९४–९६

पृष्ठ

अंक ३६ —मंगलवार, ४ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७२२ से १७३०, १७५२, १७३३ से १७३५, १७३७ से १७४० और १७४२ से १७४४ . . . १६९७–१७२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७३२, १७३६, १६४१, १७४५ से १७४७, १७४९ से १७५१, १७५३ से १७६१ और १७६३ से १७६८ . . १७२०–२९

अतारांकित प्रश्न संख्या १२८८ से १३२९ . . . १७२९–४१

दैनिक संक्षेपिका १७४२–४५

अंक ३७—बुधवार, ५ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७६९ से १७७८, १७८० से १७८३, १७८५, १७८६ और १७८८ से १७९१ . . . १७४७–६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७७९, १७८४, १७८७, १७९२ से १७९७ और १७९९ से १८१४ . . . . . १७६९–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३३० से १३६७ . . . १७७८–९५

दैनिक संक्षेपिका— १७९६–९९

अंक ३८—गुरुवार, ६ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८१५ से १८२१, १८२५, १८२६, १८२९, १८३० और १८३२ से १८३६ . . . . १८०१–२०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २० . . . . १८२०–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८२२ से १८२४, १८२७, १८२८, १८३१, १८३७ से १८६३ और १८६५ से १८६९ . . . १८२२–३३

अतारांकित प्रश्न संख्या १३६८ से १४१९ . . . १८३३–५२

दैनिक संक्षेपिका १८५३–५६

पृष्ठ

अंक ३९—शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८७०, १८७२ से १८७९, १८८२ से १८८६ और १८८८ से १८९३ . . . १८५७–७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८७१, १८८०, १८८७ और १८९४ से १९०३ . १८७९–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या १४२० से १४४९ . . १८८३–९३

दैनिक संक्षेपिका — . . . १८९४–९६

अंक ४०—शनिवार, ८ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९०४, १९०९ से १९१२, १९१४ १९१६, १९१८ १९१९ १९२१, १९२४ से १९२७ और १९३० से १९३४ . १८९७–१९१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९०५ से १९०८, १९१३, १९१५, १९२०, १९२२ १९२३, १९२८, १९३५ से १९४१, १९४३ और १९४४ . १९१८–२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १४५० से १४७९ और १४८१ से १४८८ . १९२४–३८

दैनिक संक्षेपिका १९३९–४१

भा० स० मु० ना० —वि०३—२४२ लोक सभा ५६—२३-४-५८—१९०

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

गुरुवार, २३ अगस्त, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुऐ]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

गोआ में भारतीय राष्ट्रजन

†*१३०१ **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० जून, १९५६ तक पुर्तगाली प्राधिकारियों द्वारा कितने भारतीय राष्ट्रजनों को गोआ से निकाला गया है;

(ख) कितने अब भी गोआ में हैं; और

(ग) अब तक जो भारतीय राष्ट्रजन निकाले गये हैं क्या उनके द्वारा वहां छोड़ी गई सम्पति का मूल्य निर्धारित किया गया है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) पुर्तगाली प्राधिकारियों ने कितने भारतीय राष्ट्रजनों को गोआ से निकाला है इस बारे में सरकार के पास कोई ठीक-ठीक जानकारी नहीं है । पुर्तगाली प्राधिकारियों द्वारा भारतीयों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के पश्चात् जुलाई, अगस्त १९५४ में लगभग ७,००० भारतीय निकाले गये थे । गोआ से निकाले गये व्यक्तियों में से अधिकतर गोआ की खानों में काम करने वाले श्रमिक ही थे ।

(ख) अनुमान है कि पुर्तगाली बस्तियों में अभी तक २०,००० भारतीय और हैं, ठीक ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि गोआ में भारतीयों के पंजीयन की कोई प्रथा नहीं है ।

(ग) नहीं, और न ही सरकार के लिये ऐसा करना सम्भव है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या निकाले गये भारतीयों में से किसी ने भारत में बसने के लिये सरकार से कोई वित्तीय अथवा अन्य सहायता मांगी है, और यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री सादत अली खां** : सरकार ने कोई सहायता नहीं दी है परन्तु कुछ परोपकारी संस्थाओं ने कुछ सहायता दी है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या सरकार को निकाले गये भारतीय राष्ट्रजनों से कोई दावे प्राप्त हुए ह और यदि हां, तो क्या भारतीय राष्ट्रजनों द्वारा पीछे छोड़ी गई सम्पत्ति का कोई मूल्यांकन किया गया है ?

†**श्री सादत अली खां** : पुर्तगालियों द्वारा निकाले गये भारतीय राष्ट्रजनों की पीछे रही सम्पत्ति के मूल्य का अनुमान लगाना बहुत कठिन है क्योंकि उन्होंने न कोई दावे नहीं दिये हैं, और कोई दावे पंजीबद्ध नहीं कराये गये हैं ।

†मूल अंग्रजी में

1-219 L. S./56

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या सरकार को विदित है कि गोआ से निकाले गये भारतीय राष्ट्रजनों की सम्पत्ति की देखभाल करने के लिये पुर्तगाल की सरकार ने कोई कार्यवाही की है या नहीं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मुझे मालूम नहीं। इनमें से अधिकतर लोग वहां खानों के श्रमिक थे और मुझे आशा नहीं कि उनकी वहाँ कोई सम्पत्ति है। सम्भव है कुछ एक की हो। ऐसा कोई मामला हमारे ध्यान में नहीं लाया गया है।

†**श्री सैं० वें० रामस्वामी** : मिस्त्र के प्रतिनिधि के, जो गोआ में हमारे हितों की देखभाल करता है, कार्य क्षेत्र की सीमा क्या है ? क्या उस कार्य क्षेत्र में यह बात भी आ जाती है कि वह गोआ में भारतीय राष्ट्रजनों की अवस्था के बारे में जानकारी एकत्र करने के साथ-साथ इस कार्य को भी करे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जब कोई देश किसी दूसरे देश का प्रतिनिधित्व करता है तो उसका काम उस देश के राष्ट्रीय हितों की देख भाल करना होता है। वह एक तटस्थ देश की तरह काम करता है। उसका दोनों देशों के मध्य हो रहे झगड़ों से कोई सम्बन्ध नहीं होता ह, परन्तु वह उस देश के राष्ट्रजनों के हितों और उसे सम्बन्ध रखने वाले अन्य मामलों की देख भाल करता है। यह क्षेत्र बहुत सीमित सा होता है क्योंकि वह केवल कुछ सूचनाओं भेजता है, अथवा हमारा सन्देश पहुंचा देता है अथवा हमारे किसी विरोध को दूसरी सरकार पर प्रकट कर देता है।

परन्तु जैसा कि मैंने पहले भी लोक-सभा को बताया था, मिस्त्र के दूतावास का एक प्रतिनिधि कोई एक मास पहले गोआ गया था और उसने विशेष रूप से कारागार मे बन्द भारतीयों की अवस्था के बारे में कुछ सूचनाये भेजी थी, और इस कार्य के लिये हम मिस्त्र की सरकार के बहुत आभारी हैं। उसके पश्चात् वह वहां नहीं गया है, और अब हम इस मामले में कुछ कठिनाई हो रही है। पुर्तगाल की सरकार ने ब्राजील की सरकार के लिये, जो कि पुर्तगाल के हितों को देखती है, बम्बई में ब्राजीलियन वाणिज्य दूतावास स्थापित करने के बारे में कुछ विशेषाधिकारों की मांग की है। अब ब्राजीलियन दूतावास अथवा ब्राजीलियन वाणिज्य दूत भारत में किसी भी जगह जा सकता है और बम्बई भी जा सकता है। परन्तु हमने बम्बई में भूतपूर्व पुर्तगाली वाणिज्य दूतावास को ब्राजील के दूतावास को देना स्वीकार नहीं किया है, और इसी कारण पुर्तगाल सरकार ने हमारे हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले देश को सहयोग नहीं दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई अन्तिम निर्णय किया गया है या कोई अड़चन ही डाली गई हैं परन्तु इन मामलों में सहयोग का अभाव रहा है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : यह कहा गया है कि सात हजार से अधिक श्रमिकों को गोआ से निकाल दिया गया है और अभी वहां २० हजार श्रमिक और हैं, क्या सरकार का कोई ऐसी कार्यवाही करने का विचार है जिससे कि वहां रहने वाले श्रमिक अपने आपको अधिक सुरक्षित समझें और अपने काम पर लगे रहें अथवा जिसके परिणामस्वरूप पुर्तगाल की सरकार को अन्य श्रमिकों को जो अभी भी वहां है वहां से न निकालने से रोका जा सके ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य को उन श्रमिकों के मामलों का जो वहां काम करने गये हैं, अन्तर देखना चाहिये। वे वहां रेलवे और खानों में काम करने के लिये गये थे। इस सम्बन्ध में यह श्रमिकों पर निर्भर करता ह हम उन्हें वहीं रहने या चले आने पर बाध्य नहीं कर सकते और पुर्तगाल की सरकार उनका वहां रहना दूभर कर सकती है। पुर्तगाली सरकार को इसी में लाभ है कि वहां इतने लोग काम कर रहे हैं; अन्यथा उन्हें इतने श्रमिक नहीं मिल सकेंगे। यदि किसी भारतीय राष्ट्रजन विशेष से बुरा बर्ताव किया गया है हम उस व्यक्तिगत मामले को ले सकते हैं, अन्यथा यह तो श्रमिक और नियोजक द्वारा मिल कर हल किये जाने का मामला है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० स० मूर्ति** : चूंकि यह सिद्ध हो चुका है कि पुर्तुगाल की सरकार उन मिस्री अधिकारियों को जो वहां भारतीयों की हालत का पता लगाने जायंगे, कोई सहायता नहीं देगी तो क्या भारत सरकार गोआ में रहने वाले हमारे राष्ट्रजनों की हालत का ठीक-ठीक पता लगाने के लिये किसी अन्य साधन की खोज कर रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने अभी अभी बताया कि कुछ साधारण सुविधायें नहीं दी गई हैं, और इस मामले के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार हो रहा है । मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य और किन साधनों के बारे में सोच रहे हैं । हमने अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिये एक सरकार को नियुक्त किया था ।

स्विमिंग पूल रिएक्टर

†*१३०२ **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई के स्विमिंग पूल रिएक्टर के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) अब तक इस पर कितना खर्च किया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्तमंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) स्विमिंग पूल रिएक्टर ४ अगस्त, १९५६ को चालू हो गया ।

(ख) ब्रिटेन के अणु शक्ति प्राधिकारियों से किराये पर लिये गये ईंधन तत्व की लागत के अतिरिक्त इस पर लगभग २६ लाख रुपये खर्च हुए ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस रिएक्टर के निर्माण में कनाडा की सरकार ने कोई सहायता दी है । यदि हां, तो कनाडा की सरकार द्वारा दी गई सहायता का अनुमानित मूल्य क्या है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी नहीं, इस रिएक्टर से कनाडा की सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है, उसने एक इस से भी बड़ा रिएक्टर भेंट किया है जिसका निर्माण वहां हो रहा है । वह एक अलग चीज है । वह बहुत ही बड़ा रिएक्टर है जिसका निर्माण बम्बई के निकट भारत और कनाडा के सहयोग से किया जा रहा है ।

†**श्री कासलीवाल** : मेरा विचार है कि शीघ्र ही यह रिएक्टर आइसोटोप्स का उत्पादन आरम्भ कर देगा । इन आइसोटोप्स का प्रयोग किस उद्योग में किया जायेगा ?

† **श्री जवाहरलाल नेहरू** : अभी तक आइसोटोप्स को मुख्यतया चिकित्सकीय कार्यों के लिये काम में लाया जाता यह और कामों में भी प्रयुक्त किया जाता है परन्तु मुख्यत: चिकित्सा कार्यों के लिये इसका प्रयोग किया जाता है ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या मैं जान सकती हूं कि एटामिक रिएक्टर से पैदा होने वाले वेस्ट मैटर (बेकार वस्तुओं) को डम्प करने (फेंकने) के वास्ते सरकार ने कोई ऐसा स्थान नियुक्त किया है जिससे किसी को हानि नहीं पहुंचे ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : शायद यह सवाल हमारे यहां तो अभी उठता नहीं है, या बहुत ही कम उठता है । यह सवाल जहां बड़े पैमाने पर यह बातें हो रही हैं वहां के लिए बहुत आवश्यक है लेकिन हमारे यहां तो केवल आइसोटोप्स वगैरह बनाने का काम होता है और उसमें यह सवाल उठता नहीं है ।

गांधीजी के लोक भाषण और पत्र

†*१३०३. **श्री डाभी** : क्या **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गांधी जी के लेखों, भाषणों और पत्रों का एक पूर्ण संस्करण प्रकाशित करने के लिये जो समिति नियुक्त की गई थी उसने कितनी प्रगति की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: गांधी जी के लेखों और भाषणों का एक सम्पूर्ण संस्करण प्रकाशित करने का काम एक मंत्रणा बोर्ड के मार्ग प्रदर्शन में इसी प्रयोजनार्थ नियुक्त किये गये सम्पाद को द्वारा किया जा रहा है। सम्पादकों ने रचनाओं के पहले कुछ खंडों के लिये भाषणों और पत्रों आदि सामग्री को एकत्र उनका सम्पादन कार्य आरम्भ कर दिया है। योजना की सामान्य रूप रेखा उस प्रेस नोट में दी गई है जो कि लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १**]

†**श्री डाभी**: क्या प्यारेलाल द्वारा लिखे गये जीवन चरित्र का, जिसके प्रत्येक खंड का मूल्य २० रुपये है, एक सस्ता संस्करण प्रकाशित करके उन लोगों को उपलब्ध किया जायेगा जो उसे खरीद सकते हैं ?

†**डा० केसकर** : श्री प्यारेलाल द्वारा लिखा गया जीवन चरित्र सरकार द्वारा प्रकाशित नहीं किया जा रहा ह। सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। यह कार्य अहमदाबाद के नवजीवन ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। यह एक सुन्दर सुझाव है परन्तु इस पर प्रन्यास को विचार करना चाहिये न कि हमें।

†**श्री डाभी** : क्या प्रकाशित की जाने वाली पुस्तकें तुलनात्मक कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जायेंगी ?

†**डा० केसकर** : जी हां। प्रेस नोट में यह नहीं बताया गया है, परन्तु हम दो प्रकार के संस्करण प्रकाशित कर रहे हैं एक पुस्तकालय संस्करण होगा और दूसरा लोक प्रिय संस्करण होगा जिसका मूल्य लागत व्यय के आस पास ही होगा।

सेठ गोविन्द दास : यह जो सारा साहित्य प्रकाशित हो रहा है यह क्या सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित हो रहा है या हिन्दी और अन्य प्रान्तीय भाषाओं में भी होगा ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : उर्दू

डा० केसकर : जो प्रेस नोट सभा की मेज पर रखा गया है उसमें इस बात को तफसील से बताया गया है कि यह तीन भाषाओं में प्रकाशित हो रहा है। गांधी जी ने जो कुछ किसी भी भाषा में लिखा था वह उसी भाषा में प्रकाशित हो रहा है। इसके अलावा उनकी जितनी सारी राइटिंग्स (लेख) हैं वह अंग्रेजी, हिन्दी और गुजराती इन तीन भाषाओं में प्रकाशित होंगी।

† **श्री दी० चं० शर्मा** : विवरण में कहा गया है कि "नई दिल्ली में इस सप्ताह के प्रारम्भ में हुई पहली बैठक में बोर्ड ने कार्य की सामान्य योजना को स्वीकार किया।" क्या मैं जान सकता हूं कि बोर्ड ने जिस सामान्य योजना को स्वीकार किया है वह क्या है ?

†**डा० केसकर** : बोर्ड ने निश्चय किया है कि महात्मा गांधी की कृतियों का संग्रह एक तिथिवार क्रम से ३० या ४० खंडों में, जिसमें प्रत्येक में ४०० पृष्ठ होंगे, प्रकाशित किया जायेगा। प्रथम खंड को १९५७ में प्रकाशित करने का प्रयत्न किया जायेगा। इसे अलग अलग तीन क्रमों में प्रकाशित किया जायेगा : (१) महात्मा गांधी की प्रकाशित और अप्रकाशित रचनायें, (२) महात्मा गांधी के भाषण और (३) महात्मा गांधी के पत्र।

मधु-मक्खी पालन

*१३०४. **श्री भक्त दर्शन**: क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों के विकास के लिये चौदह करोड़ रुपयों की जो धन-राशि स्वीकृत की गयी है, उसमें से एक करोड़ पैंतालीस लाख रुपये मधु-मक्खी पालन के लिये निश्चित किये गये हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस धन-राशि का उपयोग किस प्रकार से किया जायेगा; और

(ग) इस राशि के उपयोग से इस व्यवसाय में कितना विकास हो जाने की आशा की जाती है ?

उत्पादन मंत्री के सभा सचिव (श्री रा० गि० दुबे) : (क) जी हां।

(ख) १ करोड़ ४५ लाख रुपये में से १ करोड़ २८ लाख २९ हजार रुपया खर्च की अलग-अलग मदों के वास्ते है, जैसे कि जरूरी संस्थाओं की स्थापना, शहद की मक्खी पालने वालों को पहिले से अच्छा साजो सामान बांटना, बिक्री, सिखाई तथा अनुसंधान इत्यादि पर खर्च करने के लिये तथा १७ लाख रुपये काम चलाऊ पूंजी के लिये कर्जे के रूप में होंगे।

(ग) आशा की जाती है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय में इस रकम के खर्च होने के फलस्वरूप आगे काम करने के लिये प्रभावशाली संस्था की नींव पड़ने के अलावा ११९.५ लाख पौंड शहद पैदा होगा, जिसका मूल्य २ करोड़ ३९ लाख रुपये होगा, और करीब ८० हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

श्री भक्त दर्शन : अभी बताया गया है कि जो योजना यह चालू की जा रही है उससे करीब ढाई करोड़ रुपये का शहद प्राप्त होगा तो मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिये किन किन बातों को इसम शामिल किया गया है और क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि नये ढंग के छत्तों से जो शहद प्राप्त हो रहा है वह पुराने शहद से बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है ?

श्री रा० गि० दुबे : माननीय सदस्य ने जो उत्पादन मूल्य के बारें में सवाल उठाया है वह अहम है लेकिन उनको यह जानना चाहिये कि गवर्नमेंट की योजना डेवलपमेंट (विकास) नेचर की है और शुरू शुरू में प्राफिट (लाभ) की दृष्टि उसमें नहीं है लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि उस शहद की कीमत २ करोड़ ३९ लाख रुपये होगी और इसमें लाभ की दृष्टि से भी अगर देखा जाय तो यह योजना बुरी नहीं मानी जा सकती।

†**श्री हेडा** : अखिल भारतीय मधु-मक्खी पालक संथा ने शिकायत की है कि साधारणतया धन की स्वीकृति दी जाती ह, आय व्ययक तैयार किये जाते हैं परन्तु धन नहीं व्यय किया जाता है। इस प्रयोजन के लिये गत तीन वर्ष में कितना धन आवंटित किया गया और कितना व्यय किया गया ?

†**श्री रा० गि० दुबे** : मैं यह बतादूं कि सैद्धान्तिक रूप से भारत सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। राज्य सरकारों अथवा राज्य के खादी और ग्राम उद्योग बोडों को इस सम्बन्ध में योजनायें भेजनी चाहियें और जब तक वे योजनायें नहीं भेजते हम अपने आप कोई कार्यवाही नहीं कर सकेंगे। विभिन्न राज्यों की पंजीबद्ध संस्थाओं को हमने गत तीन वर्ष में अनुदानों और ऋणों के रूप में यह राशियां दी हैं :—

वर्ष	अनुदान रुपये	ऋण रुपये
१९५३–५४ . . .	१,१०,८४२	२५,०००
१९५४–५५ . . .	२,०५,९७०	५,०००
१९५५–५६	४,३६,३१६	१,०१,५००

†**श्री हेडा** : खर्च कितना हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

ग्राम चमड़ा उद्योग

†*१३०५. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम चमड़ा उद्योग के विकास के लिये राज्यों को अनुदान तथा ऋण देने के लिये क्या क्या शर्तें रखी गयी हैं और

(ख) क्या १९५५–५६ में आसाम, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के राज्यों को इस प्रयोजन से कोई अनुदान या ऋण दिया गया था ?

†**उत्पादन मंत्री के सभा सचिव (श्री रा० गि० दुबे)** : (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २**]

(ख) १९५५–५६ में आसाम तथा उड़ीसा सरकारों से कोई भी ग्राम चमड़ा उद्योग योजना प्राप्त नहीं हुई थी । पश्चिमी बंगाल की सरकार से एक योजना आयी थी जो कि उस सरकार को पुनरीक्षण के लिये वापिस भेज दी गयी थी, क्योंकि उसमें कई कमियां रह गयीं थीं । उस राज्य सरकार ने वह योजना पुनः नहीं भेजी है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच नहीं है कि कलकत्ता और आगरा में चमड़े के कारखानों का जमाव हो गया है और क्या सरकार इन कारखानों को ओर विशेष ध्यान देगी ?

†**श्री रा० गि० दुबे** : जैसा मैंने अभी बताया है इस प्रकार की योजना यें भेजना मुख्य रूप से राज्य सरकारों का काम है, योजनायें प्राप्त हो जाने पर केन्द्रीय सरकार ने उन्हें सहायता देने में कभी कोताही नहीं की है । कलकत्ता तथा आगरा के सम्बन्ध में यदि योजनायें भेजी जायेंगी तो हम उन पर अवश्य विचार करेंगे । मैं एक और बात भी बता देना चाहता हूं । यद्यपि हमने राज्य सरकारों के माध्यम से कोई राशियां नहीं बांटी हैं तो भी अभिज्ञात संस्थाओं के माध्यम से ये राशियां इन राज्यों में बांटी गई हैं ।

†**श्री तिम्मय्या** : चमड़ा उद्योग के विकास से सम्बन्ध रखने वाली सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता किस प्रकार से दी जाती है, और क्या हरिजनों द्वारा संगठित चमड़ा उद्योग सम्बन्धी सहकारी संस्थाओं को कोई रियायत दी जाती है ?

†**श्री रा० गि० दुबे** : मैं समझता हूं कि कुछ दिन पहले यही प्रश्न पूछा गया था । उन्हें इस प्रकार की कोई विशेष रियायत तो नहीं दी जाती है, परन्तु इस उद्योग के विकास के लिये कई रियायतें हैं, और क्योंकि चमड़ा उद्योग अधिकतर हरिजनों के द्वारा ही चलाया जाता है, इसलिये वे ही इससे अधिकतर लाभ उठाते हैं ।

†**श्री जांगड़े** : क्या चमड़े के बड़े पैमाने और छोटे पैमाने के उद्योगों में कोई सीमा रेखा खीची गयी है और क्या बड़े पैमाने के उद्योगों पर कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है जिससे ग्राम्य कार्यकर्त्ताओं को प्रोत्साहन मिल सके ?

†**श्री रा० गि० दुबे** : खादी बोर्ड ने यह सिफारिश की है कि पंजीकृत यूनिटों की क्षमता १९५४ के स्तर पर ही रखी जाये, और सरकार ने यह शिफारिश स्वीकार कर ली है, और हमने उन्हें उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने की अनुमति अभी तक नहीं दी है ।

†**श्री नि० बि० चौधरी** : बंगाल सरकार ने किसी प्रकार की योजना भेजी थी ?

†**श्री रा० गि० दुबे** : वह हमारे पास नहीं है । वह योजना खादी बोर्ड द्वारा हमें बताये बिना ही पश्चिमी बंगाल सरकार को वापिस भेज दी गयी थी ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या राज्य सरकारों को अपनी योजनायें केन्द्र को भेजनी होंगी तथा वे स्वीकार की जायेंगी ? यदि चमड़ा उद्योग में लगे हुये व्यक्तियों द्वारा भेजी गयी विस्तार योजनाओं के बारे में राज्य सरकार सिफारिश नहीं करतीं, तो उस समय क्या किया जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : मैं इस बात को और अधिक विस्तार पूर्वक समझाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बारे में बड़ी रुचि दिखाई है।

इन उद्योगों को उन्नत करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, हम तो राज्य सरकारों द्वारा भेजी गयी योजनाओं पर विचार करने के लिये और उन्हें वित्तीय सहायता देने के लिये तैयार हैं। हमारे पास इन योजनाओं के ब्यौरे रखने अथवा योजनायें तैयार करने के लिये कोई कार्यपालिका एजेन्सी या प्रशासनीय विभाग नहीं हैं।

अतः माननीय सदस्य इसे अच्छी प्रकार से समझ लें कि केन्द्रीय सरकार को किन सीमाओं के अन्दर काम करना पड़ता है। जहां तक केन्द्रीय सरकार और बोर्डों का सम्बन्ध है, हम राज्य सरकारों द्वारा इस सम्बन्ध में भेजी गयी अधिक से अधिक योजनाओं पर विचार करने के लिये तथा उन्हें अधिकतम वित्तीय सहायता देने के लिये तैयार हैं।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाला मैं एक यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार को ग्राम्य चमड़ा कर्मकारों की संकट में सहायता करने के विषय में प्रेरित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : हम निरन्तर राज्य सरकारों के सम्पर्क में रहते हैं। हाल ही में जून के महीने में हमने राज्य सरकारों के मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया था, और हमने इस प्रश्न पर अच्छी प्रकार विचार किया था। हमने योजनायें बनाने, योजनाओं को कार्यान्वित करने, वित्तीय सहायता रूप, से कितने क्रमों में वह मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिये आदि के सम्बन्ध में कई निर्णय कर लिये हैं। और इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिये हम अधिक से अधिक प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री कासलीवाल** : एकाफ़े (एशिया तथा सुदूरपूर्व के लिये आर्थिक आयोग) पिछले सत्र में यह निर्णय किया गया था कि उक्त आयोग का एक कार्यकारी दल इस देश में ग्राम चमड़ा उद्योग का अध्ययन करेगा। क्या सरकार को इस बारे में कोई जानकारी है कि क्या उस दल ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है या नहीं ?

†**श्री रा० गि० दुबे** : मैं समझता हूं कि इस मामले का निर्देश वाणिज्य और उद्योग मंत्री को किया जाये।

नमक के उपोत्पाद

†*१३०७. **श्री झूलन सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी फैक्टरियों में तथा गैर-सरकारी निर्माताओं द्वारा नमक के उपोत्पादों की कुल कितनी मात्रा तैयार की गई है; और

(ख) उन्हें किस काम में लाया जाता है और उनके संरक्षण सम्बन्धी है ?

उत्पादन मंत्री के सभा सचिव (श्री रा० गि० दुबे) : (क) १९५५–५६ के नमक निर्माण मौसम में उत्पादित उपोत्पादों की मात्रा बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३**]

(ख) उपोत्पादों को विभिन्न उद्योगों, जैसे कपड़ा, सीमेन्ट, रसायन, कागज तथा उर्वरकों के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है।

यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य का 'इन उपोत्पादों के संरक्षण' से क्या तात्पर्य है।

†**श्री झूलन सिंह** : क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तरदायी तथा सक्षम व्यक्तियों ने यह राय दी है कि सरकारी क्षेत्र में इन उपोत्पादों का अधिकांश भाग व्यर्थ चला जाता है और केवल गैर-सरकारी क्षेत्रों में ही इन्हें औद्योगिक कार्यों के लिये काम में लाया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रा० गि० दुबे:** सरकार को उस बारे में ज्ञात है, और इसीलिये सरकार ने सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में उपोत्पादों के विकास तथा उनके संरक्षण के लिये कई कार्यवाहियां की ह ।

विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में छोटे पैमाने के तथा कुटीर उद्योग

†*१३११. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्थापित व्यक्तियों के विभिन्न नगरों तथा बस्तियों में छोटे पैमाने के उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों को स्थापित करने के सम्बन्ध में सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार की योजना है; और

(ग) वह योजना कब कार्यान्वित की जायेगी ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (ग). यह निर्णय किया गया है कि विस्थापित व्यक्तियों को लाभकारी काम काज दिलाने के लिये विस्थापित नगरों/बस्तियों में छोटे/कुटीर उद्योग स्थापित किये जायें । इस प्रयोजन के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३७२ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है । इस प्रकार के मामलों में दी जाने वाली वित्तीय सहायता के रूप को शीघ्र ही निश्चित कर दिया जायेगा । इस दौरान में पश्चिमी क्षेत्र के लिये चार योजनायें स्वीकार की गयी है और पूर्वी क्षेत्र के लिये एक दर्जन योजनायें स्वीकार की गयी हैं ।

†**श्री गिडवानी** : वे उद्योग कौन कौन से हैं और वें कहां स्थापित हैं ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : जहां तक पश्चिमी क्षेत्र में स्वीकृत उद्योगों का सम्बन्ध है उनमें से तीन हस्तिनापुर में हैं, और एक पूना के निकट पिम्परी में है । पूर्वी क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल के लिये दस और आसाम के लिये एक स्वीकार किया गया है ।

†**श्री गिडवानी** : अन्य कैम्पों में उद्योग कब प्रारम्भ किये जायेंगे ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैंने कहा है २ हम जिस रूप का अनुकरण करना चाहते हैं उसका निर्णय किया जा रहा है । जब योजनायें प्राप्त होंगी तो उन पर अच्छी प्रकार से विचार किया जाता है ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड

†*१३१२. **श्री म० रं० कृष्ण** : **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखपटनम् में हिन्दुस्तान शिपयार्ड के प्रबन्ध में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ कर दिया गया है;

(ख) उस केन्द्र में कितने विद्यार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं; और

(ग) क्या उसके विस्तार की कोई योजना है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) से (ग). हिन्दुस्तान शिपयार्ड (गैर-सरकारी) लिमिटेड, विशाखपटनम के प्रबन्ध के अधीन इस प्रकार का कोई भी प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है । इसने वेल्डरों और ड्राफ्टमैनों को प्रशिक्षण देने के लिये केवल कुछ एक सुविधायें दे रखी है, और वह विभिन्न व्यापारों के प्रशिक्षणार्थियों के लिये सायं भाषण भी संघटित करता है । उस शिपयार्ड ने एक और योजना भी तैयार की है जिसके अनुसार वर्तमान नावांगण की तत्कालिक आवश्यकताओं तथा स्थापित किये जाने वाले दूसरे नावांगण की भी कुछ एक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये प्रवीण कर्मकारों को प्रशिक्षित करने के लिये एक प्राविधिक स्कूल खोला जायेगा । आशा है कि यह योजना इसी वर्ष के दिसम्बर मास में अपना कार्य प्रारम्भ कर देगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दुस्तान शिपायार्ड

*१३१६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिन्दुस्तान शिपयार्ड को बढ़ाने की किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस योजना पर कितना व्यय करना चाहती है ?

उत्पादन मंत्री के सभा सचिव (श्री रा० गि० दुबे) : (क) तथा (ख). सरकार ने हिन्दुस्तान शिपयार्ड के विकास के लिये पहिले से ही अनुमानत: १९६ लाख रुपये की रकम मंजूर कर दी है, जिस पर इस समय अमल भी हो रहा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर इस प्रोग्राम के दूसरे भाग के लिये १०० लाख रु० की रकम रक्खी गई है और इसके अलावा सरकार ने विशाखापटनम् में लगभग २१५ लाख रु० के खर्चे से एक ड्राय-डौक बनवाने को भी सिद्धान्त रूप में मान लिया है।

†**श्री म० रं० कृष्ण** : क्या इस संस्था में पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम सामान्य प्रकार का होगा, अथवा उसका सम्बन्ध केवल जहाज निर्माण उद्योग से ही होगा ? क्या मैं यह भी पूछ सकता हूं कि क्या यह केन्द्र सीधा ही उत्पादन मंत्रालय के अधीन होगा अथवा राज्य शिक्षा विभाग के अधीन होगा ?

†**श्री० क० च० रेड्डी** : प्रस्थापित प्रशिक्षण केन्द्र केवल उन्हीं लोगों को प्रशिक्षण देगा जो कि केवल जहाज निर्माण उद्योगों में ही नौकरी करना चाहेंगे। यह एक सामान्य प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है।

दूसरी बात यह है कि यह प्रशिक्षण स्कूल हिन्दुस्तान शिपयार्ड (गैर-सरकारी) लिमिटेड के नियंत्रण के अधीन है, जो कि उत्पादन मंत्रालय के अधीन है।

अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में काफी की खेती

†*१३१३. **श्री मादिया गौडा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने एक विशेष कार्य अधिकारी तथा गवेषणा विभाग के एक अधिकारी को अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह में काफी की खेती की सम्भावनाओं की छानबीन करने के सम्बन्ध में भेजने का फैसला किया है;

(ख) यदि ऐसा है तो इन अधिकारियों के क्या नाम हैं तथा काफी की खेती में उन्हें कितना विशेष ज्ञान प्राप्त है;

(ग) वे अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर सकेंगे; और

(घ) इस शिष्ट मंडल पर कितना व्यय होगा ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) (१) श्री एस० सन्दरम जो गत दो वर्षों से काफ़ी विकास के बारे विशेषकार्य अधिकारी चले आ रहे हैं, उन्हें पौदों की कई किस्मों को उगाने तथा कृषि विज्ञान का २० वर्ष का अनुभव है जिसमें से वह विशेषत: काफी पर पांच वर्ष रहे जब कि वह काफी बोर्ड के काफी गवेषणा केन्द्र में अधीक्षक तथा कृषि वैज्ञानिक थे।

(२) डा० एन० जी० धेकन्ना, जो काफी बोर्ड के अधीन काफी गवेषणा केन्द्र, बालेहोन्नर में रसायन विभाग में मुख्य अधिकारी हैं। वह काफी में विगत १९ वर्षों से काम कर रहे हैं

(ग) दिसम्बर, १९५६ के अन्त तक।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) लगभग ४,००० रुपये ।

†**श्री मादिया गौडा** : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने किन कार्यों कारणों से अंदमान तथा निकोबार में काफी की खेती की सम्भावनाओं की खोज करने का फैसला किया ?

†**श्री म० म० शाह** : ये दो अधिकारी वहां जायेंगे, खाद्य और कृषि मंत्रालय ने भी एक विशेष कार्य अधिकारी को नियुक्त किया है जो वहां जाकर यह पर्यवेक्षण करेंगे कि कितनी भूमि में काफी की खेती हो सकती है ।

†**श्री मादिया गौडा** : मैं यह पूछ रहा था कि सरकार को ऐसा करने की इच्छा क्यों हुई ?

†**श्री म० म० शाह**: क्योंकि उक्त द्वीपसमूह इस देश का भाग है तथा हम यथासम्भव प्रत्येक भाग का विकास करना चाहते हैं ।

†**श्री वेलायुधन**: ये दो अधिकारी वहां क्या करेंगे ? क्या वे वहां कोई खेत तैयार करने का काम शुरू करेंगे ?

†**श्री म० म० शाह** : वह वही कार्य करेंगे जो प्रत्येक विशेषज्ञ करता है । वहां जाकर वह इस बात का पर्यवेक्षण करेंगे कि मिट्टी का प्रकार क्या है अथवा क्या यह काफी की खेती के लिये उपयुक्त है या नहीं, उत्पादन पर लागत कितनी आयेगी तथा कितनी मात्रा उत्पादित की जा सकती है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सत्य नहीं है कि अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में काफी अपने आप बहुत मात्रा में उगती है ?

†**श्री म० म० शाह** : जी नहीं, यह अपने आप उगने वाला पौदा नहीं है । हो सकता है कि इसी प्रकार के कुछ पौदे अपने आप कहीं उग आते हों ।

†**श्री हेडा** : इस तथ्य के विचार से कि मालनाद तथा त्रावणकोर-कोचीन जैसे कुछ भाग ऐसे हैं जिनमें काफी की खेती बहुतायत से हो सकती है, क्या सरकार ने यह महसूस किया है कि दूसरे क्षेत्रों में, जहां काफी के उत्पादन की इतनी अधिक सम्भावना नहीं है, जाने से पहले उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अधिक छानबीन की जा चुकी है ?

†**श्री म० म० शाह** : माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में काफी के विकास सम्बन्धी योजना बहुत विस्तृत प्रकार की है । हमारा इरादा है लगभग ३ करोड़ रुपये के व्यय से २३,७०० नये एकड़ों में काफी की खेती करने का है । मालनाद तथा त्रावणकोर-कोचीन, मैसूर और कुर्ग की १,४०,००० एकड़ भूमि में काफी की गहन खेती का भी विचार है । इस विशेष उद्योग के विकास के लिये ये सब कुछ तथा इससे भी अधिक किया जायेगा ।

लिनोलियम का निर्यात

†*१३१९. **श्री कासलीवाल** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा सरकार ने लिनोलियम के सम्भरण के लिए भारत का टेन्डर अस्वीकार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां ।

(ख) यह समझा जाता है कि उन्हें भारतीय उत्पाद की किस्म अस्वीकार्य थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कासलीवाल** : क्या बर्मा सरकार ने किस्म सम्बन्धी विशेष वर्णन दिया था, और भारत का टेन्डर सबसे नीचा था ।

†**श्री करमरकर** : मेरे पास विशिष्ट टेन्डर का कोई ब्यौरा नहीं है । परन्तु साधारणतया जहां तक हमारे लिनोलियम का सम्बन्ध है, इसकी किस्म सन्तोषजनक है परन्तु बर्मा सरकार ने उसे असन्तोषजनक समझा । इसे स्वीकार न करने का उन्हें अधिकार था ।

†**श्री कासलीवाल** : क्या सरकार को कोई ऐसी सूचना है कि बर्मा को किस देश से लिनोलियम का निर्यात हो रहा है ?

†**श्री कासलीवाल** : कुछ अन्य देशों से । देशों के नाम बताने के लिए मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या लिनोलियम हमारे हिन्दुस्तान में नहीं बनता ?

†**श्री करमरकर** : जी हां, हिन्दुस्तान में पैदा भी होता है, खर्च भी होता है और ठीक भी होता है ।

नदी घाटी परियोजनाओं के लिए मशीनों का प्रमापीकरण

†*१३२२. **श्री ल० ना० मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा विनिश्चय किया गया है कि सारी नदी घाटी परियोजनाओं में केवल प्रमापीकृत मशीनों का ही प्रयोग किया जायेगा;

(ख) सरकार की इस नीति को कैसे अभिकरण लागू करेगा ; और

(ग) क्या सारी राज्य सरकारें और सम्बद्ध नदी घाटी परियोजनायें इस प्रस्ताव से सहमत है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ग). नदी घाटी परियोजनाओं में प्रयोग के लिये प्रमापिकृत होने वाले सामान और मशीन के निर्माताओं सम्बन्धी स्थायी समिति की सिफारिशें अनुसमर्थन के लिये मंत्री समन्वय बोर्ड के सदस्यों के पास भेज दी गई हैं ।

(ख) अन्तिम विनिश्चय को राज्य सरकारें/प्राधिकारें, जो परियोजना की कार्यान्विति के लिये प्रभारी हैं, कार्यान्वित करेंगी ।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : क्या यह सच है कि संयत्रों का प्रमापीकरण न होने का एक कारण बड़ी मात्रा में क्रम न करना भी है ? यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन प्रयोजनों के लिए वार्षिक अनुदान देने का है ?

†**श्री हाथी** : वस्तुतः चाय के लिये अनुदान देना राज्य सरकारों और सम्बद्ध परियोजना प्राधिकारों का काम है । परन्तु स्वभावतः सरकार बड़ी मात्रा में क्रम करने के पक्ष में है ।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : क्या निर्माण तथा संयंत्र और मशीन समिति ने यह सिफारिश की है कि बहु-पाली कार्य प्रणाली अपनाई जाय तथा क्या इस पर कोई अनुकूल विनिश्चय किया गया है । यदि हां तो क्या परियोजना कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा ?

†**श्री हाथी** : यह एक सिफारिश है जो विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

चाय

†*१३२३. **श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज कल चाय पर लगे विभिन्न करों का प्रति पौण्ड करापात क्या है, और इस भार में भारत में राज्यवार क्या विभिन्नता है;

(ख) इस करापात में और लंका के करापात में कितना अन्तर है; और

(ग) क्या भारत में चाय पर विभिन्न करों को मिलाकर एक कर करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४**]

(ग) नहीं, श्रीमान ।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या कराधान भार का प्रभाव साकान्य चाय पैकिंग पर पड़ा है, और यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार की कोई योजना है ?

†**श्री म० म० शाह** : सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि लंका में कुछ समय पूर्व विद्यमान मूल्य के आधार पर विसृप अनुमाप बनाया जाय ?

†**श्री म० म० शाह** : वस्तुतः वर्तमान निर्यात शुल्क पहिले ही विसृप-अनुमाप पर है । सदस्य महोदय की जानकारी के लिये, मैं यह बता दूं कि जो चाय २–८–० रु० प्रति पौंड से कम मूल्य पर बिकती है उस पर यह ४ आने प्रति पौ० है, जो चाय २–८–० रु० से ४–०–० तक बिकती है उस पर यह ६ आने प्रति पौंड है; जो चाय ४ रु० और ४–१२–० रु० के बीच बिकती है, उस पर यह १० आने प्रति पौंड है; और जिस चाय का मूल्य ४–१२–० से अधिक है, उस पर यह १२ आने प्रति पौ० है ।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या यह सच है कि सामान्य चाय मूल्य १–१२–० रु० से कम है और अब वे वर्तमान मूल्य पर ला दिये गये हैं । जिसका अनुमाप अधिक मूल्य वाली चाय का है और इसलिये सामान्य चाय में हानि हो रही है ? यदि ऐसा है तो, क्या सरकार सामान्य चाय के लिये अपेक्षाकृत निम्न कसौटी रखने पर विचार कर रही है ?

†**श्री म० म० शाह** : इस निम्न खंड में सामान्य चाय और चाय का चूरा सम्मिलित है । ऐसा विचार करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता कि माननीय सदस्यों ने जिन आशंकाओं का उल्लेख किया है, वे तथ्य युक्त हैं ।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या यह सच है कि भारत की सामान्य चाय का प्रतियोगी प्रति पौंड मूल्य पर प्रादेशिक करों का बहुत प्रभाव पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन सब करों को मिला कर एक करने की बात पर विचार कर रही है ताकि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न चायों की प्रतियोगी क्षमता समान हो सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री म० म० शाह** : विवरण में, जो पहले ही दिया जा चुका है, प्रतियोगी ढांचा दिया गया है और कुल करों का भी उल्लेख है। दो कर हाल में ही लगाये गये थे। एक पश्चिमी बंगाल की सरकार ने और दूसरा आसाम की सरकार ने लगाया था। भारत सरकार से यह अभ्यावेदन किया गया था कि सम्भवतः इसका प्रभाव चाय के मूल्य पर पड़ सकता है। इसी कारण मंत्रालय ने पहिले ही पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री को लिख दिया है। मैं प्रसन्नतापूर्वक सभा को सुचित करता हूं कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि कभी भी इस एक आना प्रति पौंड के कराधान का चाय उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, तो वे स्थिति पर पुनः विचार करेंगे। आसाम सरकार से ऐसी ही आश्वासन प्राप्त हुआ है।

जहाजों के लिए इंजन और बायलर

†*१३२४. **श्री मात्तन** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में सरकार का विचार जहाजों के लिए इंजन और बायलर बनाने का है;

(ख) क्या इंजनों और बायलरों के निर्माण पर विचार करने के लिये विजगापटम में मार्च १९४८ में कोई कान्फ्रेंस हुई थी और तब से इस सम्बन्ध में क्या किया गया है; और

(ग) क्या इंगलैण्ड, जर्मनी, जापान आदि विदेशी जहाज बनाने के कारखाने भारत के लिये इंजनों और बायलरों का भी निर्माण कर रहे हैं।

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इंजन बनाने का एक कारखाना स्थापित करने की योजना पर विचार कर रही है।

(ख) ख्याल यह है कि १९४८ में मेंसर्स सिन्दियास ने, जो विज़ग स्थित जहाज के कारखाने के भूतपूर्व मालिक हैं, सर अलेक्जेन्डर गिब एण्ड पार्टनर्स के प्रतिनिधियों के साथ भारत में इंजनों और बायलरों के निर्माण के सम्बन्ध में एक कांफ्रेंस की थी।

(ग) जी नहीं। आज कल "हिन्दुस्तान शिपयार्ड" प्रत्यक्ष निर्माताओं से आवश्यक इंजनों और बायलरों का आयात करता है, तथा उन जहाज बनाने वाले उन विदेशी कारखानों से आयात नहीं करता जो प्रायः लाइसेन्स के अन्तर्गत एकस्वाधिकारी निर्माताओं के लिये इंजनों और बायलरों के निर्माण का काम करते हैं।

†**श्री मात्तन** : क्या उन्होंने इंजनों के साथ जहाज चलाने वाली मशीनों का निर्माण भी सम्मिलित कर लिया है ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : मुझे खेद है कि मैं अभी इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं। मुझे प्रस्तावित योजना देखनी होगी। परन्तु जहाजों के इंजनों के अतिरिक्त, संभूची योजना को मितव्ययी बनाने की दृष्टि से कुछ अन्य डिजिल इंजनों के निर्माण करने का प्रस्ताव है।

†**श्री मात्तन** : क्या उन्हें इंजनों के अतिरिक्त जहाज चलाने वाली मशीनें बनाने का कोई ज्ञान है ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : मैं इसका उत्तर पहिले ही दे चुका हूं कि मैं यह नहीं बता सकता कि यह सम्मिलित है या नहीं।

†**श्री वेलायुधन** : भारत में जहाजों के निर्माण के लिए मुख्यतः किन इंजनों और मशीनों की आवश्यकता है तथा क्या उनका निर्माण करने वाला हमारा कोई कारखाना है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री क० च० रेड्डी** : जहाजों के इंजनों के निर्माण का हमारा कोई कारखाना नहीं है। यह उत्तर दिया गया है। अन्य वस्तुओं के बारे में एक जहाज को पूरा करने के लिये लगभग १०० वस्तुओं की आवश्यकता होती है यदि माननीय सदस्य किसी विशिष्ट प्रश्न की पूर्व सूचना दें, तो मैं उत्तर दे सकूंगा।

†**श्री मात्तन** : माननीय मंत्री को डिजिल इंजनों के निर्माण की इस योजना के वस्तुत: कब तक इस दृष्टि से कार्यान्वित होने की आशा है कि "हिन्दुस्तान शिपयार्ड" उनका प्रयोग जहाजों के निर्माण में कर सके ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : मुझे खेद है कि मैं इन विस्तृत बातों सम्बन्धी सूचना अभी नहीं दे सकता। सारा मामला योजनाधीन है और अभी हमने कोई दृढ़ विनिश्चय नहीं किया है। अत: अभी उत्तर देने में बहुत समय लगेगा।

बर्मो की कोयले की खानें

†***१३२५. श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मो की कोयले की खानों में मजदूरों के लिये जल का पर्याप्त सम्भरण सुनिश्चित करने के लिये १९५५–५६ में क्या कार्यवाही की गई; और

(ख) आज कल प्रतिदिन कितना जल सम्भरण होता है ?

†**उत्पादन मंत्री के सभा सचिव (श्री रा० गि० दुबे)**: (क) बर्मो की कोयले की खानों सहित सरकारी कोयले की खानों में मजदूरों के लिये पर्याप्त जल के सम्भरण की व्यवस्था करने की दृष्टि से एक व्यापक योजना बनाने के लिये कार्यवाही की गई है। इस कार्य के लिये बम्बई नगर-पालिका से एक अनुभवी जल-सम्भरण इंजीनियर की सेवायें प्राप्त की जा रही हैं।

जहां तक बर्मो की कोयले की खानों का सम्बन्ध है, प्राप्य जल के छानने और शुद्ध करने का प्रबन्ध कर दिया गया है।

(ख) लगभग २० लाख गैलन प्रति दिन।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : चालू वर्ष में अनुमानत: कितना व्यय होने की सम्भावना है तथा क्या इस प्रयोजन के लिये कोयला खदान श्रम कल्याण निधि से कोई धनराशि ली जा रही है ?

†**श्री रा० गि० दुबे** : जी हां। व्यय के बारे में मैं कुछ बताऊंगा। विभिन्न स्थानों पर जल सम्भरण योजनायें आरम्भ करने का विचार है और उनका अनुमानित व्यय १७,१२,१७२ रु० है। १९५५–५६ तक २,०८,००० रु० और १९५६–५७ में ३,५०,००० रु० इसी प्रकार व्यय होंगे।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या सरकार जल-सम्भरण में वृद्धि की योजनायें बनाने के साथ खानों के विकास तथा उसके परिणामस्वरूप मजदूरों की संख्या में वृद्धि पर विचार कर रही है ?

†**श्री रा० गि० दुबे** : श्रीमान्, मैं प्रश्न नहीं समझ सका।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खानों का विकास और जल-सम्भरण की व्यवस्था.....

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : खानों के विकास से मजदूरों की संख्या में वृद्धि होगी। अत: मैं जानना चाहता हूं कि क्या वहां जल-सम्भरण की वृद्धि के लिए इस बढ़ी हुई संख्या का ध्यान रखा जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रा० गि० दुबे** : मेरा ख्याल है कि क्योंकि विशेषज्ञ इंजीनियरों की सेवायें प्राप्त की जा रही है, प्रश्न के इस पहलू की भी जांच की जायेगी ।

अम्बर चरखा

†*१३२७. **श्री ब० स० मूर्ति** : क्या **उत्पादन** मंत्री ९ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अम्बर चरखा और शक्ति द्वारा चालित करघे को साथ-साथ प्रोत्साहन देने में असंगति को दूर करने के लिये, जैसा कि श्री विनोबा जी ने कहा है, क्या कार्यवाही की गई है ।

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : सरकार नहीं समझती कि अम्बर चरखा और शक्ति द्वारा चालित करघे को साथ-साथ प्रोत्साहन देने में कोई असंगति ह । यह बात बहुत सी अन्य बातों पर निर्भर होगी । सरकार हथकरघा से बुने और, विशेषकर, अम्बर चरखा से कते हुए सूत को हर प्रकार का प्रोत्साहन दे रही है । फिर भी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कपड़े की बहुत अधिक अनुमानित मांग की दृष्टि से अभाव का खतरा दूर करने के लिए अन्य प्रबन्ध करना भी आवश्यक है । केवल सीमित संख्या में शक्ति द्वारा चालित चरखों पर सहमति प्राप्त हुई है । कदाचित् इनमें से कोई भी विद्यमान हथकरघों में का स्थान न ले सकेगा ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या शक्ति द्वारा चालित चरखों को लाइसेन्स देने से पहिले खादी बोर्ड से परामर्श लिया गया था ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : जी हां । हम खादी और विशेष कर अम्बर चरखा सम्बन्धी कार्यक्रम के विकास के बारे में खादी बोर्ड से निरंन्तर परामर्श कर रहे हैं ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : मेरा प्रश्न यह है कि....

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि क्या शक्ति द्वारा चालित करघों की स्थापना करने में खादी बोर्ड का परामर्श लिया गया था ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : लाईसेन्स देने से पहिले ।

†**श्री क० च० रेड्डी** : खादी बोर्ड का सम्बन्ध खादी के निर्माण और हथकरघों से है । शक्ति द्वारा चालित चरखों के बारे में मैं नहीं जानता कि उनसे परामर्श लिया गया है या नहीं ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या इस आरोप में कोई सच्चाई है कि राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार पर जो दबाव डाला है उसके कारण प्रायः इन शक्ति द्वारा चालित करघों को लाइसेन्स दिये जाते हैं ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : देश में शक्ति द्वारा चालित करघों के चलाने की मुझे बहुत गहरी जानकारी नहीं है क्योंकि यह विषय मेरे माननीय मित्र, वाणिज्य और उद्योग मंत्री के क्षेत्राधिकार में है । जहां तक मुझे विदित है ऐसा दबाव नहीं है जिसका उल्लेख मेरे माननीय मित्र ने किया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि आस्ट्रेलिया में १० दिन की पूर्व सूचना दिये बिना ही माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं और उनके लिये मंत्री को तैयार रहना चाहिये क्योंकि वह उस विषय सम्बन्धी सारा कार्य करता है । मैं चाहता हूं कि प्रश्न-काल में यथासम्भव सारे माननीय मंत्री यहां उपस्थित हों और उन मामलों सम्बन्धी उत्तर देने का प्रयत्न करें जिनका उत्तर एक माननीय मंत्री न दे सके । शक्ति द्वारा चालित करघे का हथकरघा से घनिष्ट सम्बन्ध है । यदि एक को बिगाड़कर दूसरे में सुधार किया जाता है, तो कुछ अन्तर अवश्य होना चाहिये । माननीय सदस्य किसी अन्य मन्त्री से जाकर नहीं पूछ सकते । अतः मैं प्रत्येक माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह यथासम्भव प्रश्न-काल में यहां उपस्थित रहें तथा उन्हें जो भी जानकारी हो बता दें, चाहे इस विशिष्ट प्रश्न का उनसे सम्बन्ध न हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : क्रम-पत्र में इस मामले पर एक प्रश्न रखा हुआ है, तथा मेरा विचार था कि ये सारे प्रश्न उस समय उठेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : उस प्रश्न की संख्या क्या है ?

†**श्री म० म० शाह** : वस्त्र नीति पर एक प्रश्न है। प्रश्न की संख्या १३४० है।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : हो सकता है कि इसकी बारी न आये।

†**अध्यक्ष महोदय** : कुछ भी हो, माननीय मंत्री उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।

वस्त्र जांच समिति

†*१३४०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री १६ फरवरी, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वस्त्र जांच समिति के प्रतिवेदन पर कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनकी किन सिफारिशों को स्वीकार किया है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) तथा (ख). लोक-सभा में २० जुलाई, १९५६ को दिये गये नीति वक्तव्य की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें बताया गया है कि, वस्त्र जांच समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर भी विचार करने के बाद, सरकार ने क्या निर्णय किये हैं।

†**श्री डाभी** : क्या अम्बर चर्खा से तैयार की गई खादी तथा कपड़े की अन्य किस्मों के दामों को बराबर करने के लिए सरकार का कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : यह सरकार द्वारा विचार करने के लिये एक सुझाव है।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या खादी बोर्ड ने विद्युत् करघों को लाइसस देने के सम्बन्ध में अपना अनुमोदन प्रकट किया है और, यदि हां, तो उनकी टिप्पणियों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री म० म० शाह** : खादी बोर्ड के विचार सरकार को पहल ही मालूम है और यह सच है कि उन्होंने इसका अनुमोदन किया है। परन्तु सरकार, आन्तरिक उपभोग तथा निर्यात, दोनों के लिए राष्ट्रीय आवश्यकताओं के बृहद् हितों में उस निर्णय पर पहुंची है जिसकी वस्त्र नीति में घोषणा की गई है, जिसे हाल ही में लोक-सभा के समक्ष रखा गया था, उसके अनुसार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देश की आवश्यकतायें ८४,००० लाख गज की होंगी जिसमें से १०,००० लाख गज के निर्यात के लिये है और ७४,००० लाख गज आन्तरिक उपभोग के लिये है। इस ८४,००० लाख गज में से वर्तमान निर्देशों के अनुसार जो अतिरेक उत्पादन अपेक्षित है वह १७,००० लाख गज है। अर्थात्, सभी तीनों क्षेत्रों से वर्तमान उत्पादन ६७,००० लाख गज है इस अतिरेक १७,००० लाख गज को विभाजित किया गया है और १०,००० लाख गज हथकरघों को बंटित किय गय ह जिसमें से ७,००० लाख गज का उत्पादन हथकरघों पर मिल के सूत द्वारा होगा और ३०,००० लाख गज उत्पादन हथकरघों पर अम्बर चर्खे के सूत द्वारा होगा। इस प्रकार खादी बोर्ड द्वारा दृष्टिपात की गई अम्बर चर्खे के सूत की पूर्ण आवश्यकतायों पर नई वस्त्र नीति में ध्यान रखा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पनबिजली संसाधनों का सर्वेक्षण

†*१३२९. **श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ९ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने उत्तर प्रदेश में पनबिजली संसाधनों का सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो आयोग ने जिन जिलों का सर्वेक्षण किया था उनके नाम क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां । केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने उत्तर प्रदेश में नदियों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया है ।

(ख) उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का सर्वेक्षण किया गया है ।

†**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या टेहरी-गढ़वाल का सर्वेक्षण भी किया गया था ?

†**श्री हाथी** : मैं बता चुका हूं कि जहां कहीं भी प्रमुख नदियां हैं उन सभी ज़िलों का सर्वेक्षण किया गया है ।

†**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : टेहरी-गढ़वाल में दो प्रमुख नदियां, गंगा तथा यमुना है। टेहरी-गढ़वाल की इन दो नदियों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन क्या है ?

†**श्री हाथी** : इसमें गंगा, यमुना, सोन तथा बेतवा नदियां सम्मिलित हैं ।

†**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : टेहरी-गढ़वाल के सम्बन्ध में क्या हमें प्रतिवेदन दिया जा सकेगा ?

†**श्री हाथी** : जहां कहीं कोई प्रमुख नदी या बड़ी नदी विभिन्न जिलों में से बहती है, वहां पर बहने वाली नदी के जल से विद्युत् क्षमता आंकी जाती है । हो सकता है यह किसी विशिष्ट जिले तक ही सीमित न हो, सम्पूर्ण नदी के लिये हो ।

†**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : टेहरी-गढ़वाल में विशिष्ट स्थान के सम्बन्ध में क्या मुझे प्रतिवेदन दिया जा सकता है कि क्या जहां यह अत्यधिक लाभदायक है इन स्थानों का सर्वेक्षण किया गया है ?

†**श्री हाथी** : माननीय सदस्य इस मामले में जो कुछ भी जानकारी चाहती है मैं उन्हें दे सकता हूं ।

भारत की उत्तरी सीमा

*१३३०. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की उत्तरी सीमा के कुछ अंश, जो चीन के तिब्बत प्रदेश से मिले हुये हैं, अभी तक निर्धारित नहीं किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन अंशों को स्पष्ट एवं अंतिम रूप से निर्धारित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) तथा (ख). भारत और तिब्बत के बीच की सीमा ठीक ठीक तै और ठीक ठीक समझी हुई है, और हमारे नकशों में साफ साफ दिखलाई गई है । जाहिर है कि पहाड़ों की ऊंचाई बराबर बनी रहने वाली बरफ, रास्तों और दूसरी सुविधाओं की कमी की वजह से, कुछ जगहों पर हदबंदी करना नामुमकिन है । आखिरी सीमा तक जांच की चौकियां बनाने और सीमाई इलाकों में रहने वालों तक हुकूमत के फायदे पहुंचाने के लिए कदम उठाये जा चुके हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित नक्शों में हिमालय की सीमा के बहुत से अंश अभी तक अनिश्चित दिखाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि वह खास खास कौन से हिस्से हैं जिनका अभी पूरी तरह से डिमार्केशन नहीं हुआ है ?

श्री सादत अली खां : यह मैं अभी नहीं बतला सकता कि वह कौन से हिस्से हैं जिनका डिमार्केशन नहीं हुआ है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आयी है कि कुछ हिस्सों का डिमार्केशन नहीं किया गया है इस वजह से तिब्बत के अधिकारी हमारे उन भारतीय नागरिकों को अपनी प्रजा समझते चले आ रहे हैं और उनसे टैक्स वसूल करते हैं, जिसकी वजह से कई तरह की दिक्कतें पैदा हो रही हैं ?

श्री सादत अली खां : ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं आयी है ।

†**श्री कामत** : क्या चीन सरकार ने पूर्णतः, अन्ततः तथा बिना किसी निर्बन्ध के मैक माइन लाईन को उत्तरी सीमांकन रेखा स्वीकार कर लिया है, और क्या उस सरकार ने उन कुछ मानचित्रों को परिचालन से हटा लिया है जो लगभग दो वर्ष हुए चीन में परिचालित थे और जिनमें भारत के भागों को चीन में सम्मिलित किया गया दिखाया गया था ?

†**श्री सादत अली खां** : हमारे सीमा प्रदेश के सम्बन्ध में चीन द्वारा केवल बड़ाहोती के लिए औपचारिक दावा किया गया है । पिछले दिन जब इस प्रश्न पर चर्चा की गई थी माननीय सदस्य उस समय उपस्थित नहीं थे । इस सीमा का कोई भी प्रदेश चीनी अधिकार में नहीं है । लोगों द्वारा सीमा पार कर चले आने की घटनायें समय समय पर हुई हैं । परन्तु इसके अतिरिक्त चीनियों का कोई केन्द्रण नहीं हुआ है ।

†**श्री कामत** : लगभग दो वर्ष हुए चीन में कुछ मानचित्र परिचालित थे जिनमें भारत के कुछ भागों को चीन में सम्मिलित हुए दिखाया गया था । क्या उन्हें वापिस ले लिया गया है या नहीं ?

†**श्री सादत अली खां** : मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है । मैं मालूम करूंगा कि क्या इन मान चित्रों को वापिस लिया गया है या नहीं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के सामने यह बात आयी है कि बड़ाहोती के अलावा भी कुछ इलाके ऐसे हैं, जैसे कि टिहरी-गढ़वाल में नीलंग का इलाका है, जिनको तिब्बत के अधिकारी अभी तक अपनी सीमा के अन्तर्गत मानते आये हैं और क्या भारत सरकार इस सम्बन्ध में चीन की सरकार से बातचीत करके आखिरी तौर से फैसला करने का विचार कर रही है ?

†**श्री सादत अली खां** : अभी मैंने अर्ज किया कि बड़ाहोती के मुताल्लिक एक फार्मल क्लेम किया गया है और दूसरी जगहों के मुताल्लिक कोई ऐसा मतलबा नहीं किया गया है ।

विज्ञापन एजेन्सियां

†*१३३१. **श्री झूलन सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इन्डियन एडवरटायिजिंग एजेन्सीस द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें अपनी एजेन्सियों के विकास के लिये सहायता तथा प्रोत्साहन देने के लिये कहा गया था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है या करने का प्रस्ताव है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस विषय पर ४ मई, १९५६ को राज्य-सभा द्वारा पारित संकल्प में जो सिफारिशें की गई थीं क्या सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है और, जहां कहीं आवश्यक था, उन सिफारिशों को लागू करने के लिये कार्यवाहियां की जा चुकी हैं।

†**श्री झूलन सिंह** : इन एजेन्सियों की किस रूप में सहायता की जायेगी ?

†**डा० केसकर** : विज्ञापन एजेन्सियां, सार्थ नहीं हैं जिन्हें सरकार द्वारा अनुदान दिये जाते हैं। जैसे कि प्रत्येक अन्य व्यापार में सरकार विभिन्न वाणिज्यिक संस्थाओं को कारबार देती है उसी प्रकार इस मामले में भी विज्ञापन एजेन्सियों को कारबार दिया जायेगा। कार्य तथा सम्बन्धित सार्थों के अनुभव को ध्यान में रखा जायेगा। इन सभी बातों पर विचार किया जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा था विज्ञापन एजेन्सियों ने मुख्य प्रश्न यह उठाया था कि हमें विदेशी एजेन्सियों को नहीं बल्कि भारतीय एजेन्सियों को अधिमान देना चाहिये और यही हम करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या कोई परिगणन किया गया है कि विदेशी एजेन्सियों तथा भारतीय एजेन्सियों को किस सीमा तक भारतीय विज्ञापन दिये जाते हैं ?

†**डा० केसकर** : इस प्रकार का निर्धारण कई बार किया जा चुका है, और इस समय अधिकतम मात्रा में विज्ञापन विदेशी एजेन्सियों के हाथों में हैं।

†**श्री श्रीनारायण दास** : विदेशी एजेन्सियों की अपेक्षा भारतीय एजेन्सियों को अधिक-विज्ञापन देने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाहियां करने का निर्णय किया है ?

†**डा० केसकर** : मैंने जो कुछ कहा था वह भारत में विज्ञापन सम्बन्धी कारोबार के सम्बन्ध में कहा था, सरकार द्वारा दिये जाने वाले विज्ञापन के सम्बन्ध में नहीं, जहां तक कार्यवाहियां करने का सम्बन्ध है क्रमशः तथा, वास्तव में तेजी से हमारे विज्ञापन अधिकाधिक भारतीय एजेन्सियों को दिये जा रहे हैं।

†**श्री वेलायुधन** : क्या मैं जान सकता हूं कि जब सरकार इन एजेन्सियों को विज्ञापन देती है तो इन विज्ञापन एजेन्सियों के लिये क्या कमीशन या लाभ की कोई नियत प्रतिशतता भी होती है ?

†**डा० केसकर** : कसौटी यह होती है कि एजेन्सी स्थायी होनी चाहिये और विज्ञापन के कारबार में पर्याप्त दक्ष होनी चाहियें। यदि कोई भी व्यक्ति किसी चीज को कायम करके उसे विज्ञापन एजेन्सी कहने लगे तो वह इतने से ही सरकार से यह आशा नहीं कर सकता है कि वह उसे कुछ कारोबार देगी। हमें यह देखना होता है कि वह एक अच्छा काम करने वाली एजेन्सी है और यही मुख्य कसौटी है।

†**श्री वेलायुधन** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या नियत कमीशन अभिज्ञात एजेन्सियों को दिया जाता है और अनभिज्ञात या छोटी-मोटी एजेन्सियों को नहीं दिया जाता है ?

†**डा० केसकर** : मैं प्रश्न नहीं समझ सका हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : जो विज्ञापन, विज्ञापन एजेन्सियों द्वारा दिये जाते हैं क्या उन्हें उन पर कोई नियत कमीशन दिया जाता है ?

†**डा० केसकर** : विज्ञापन एजेन्सियों को सरकार जो कमीशन देती है उसका निर्णय विज्ञापन एजेन्सियों की संस्था की सलाह से और करार द्वारा किया जाता है। जो ठीक कमीशन दिया जाता है, उसे मैं अपनी फाइलों को देखे बिना नहीं बता सकूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षाविज्ञों का मंडल

†*१३३२. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के शिक्षा सम्बन्धी मण्डल ने त्रावनकोर-कोचीन और मद्रास राज्यों में प्रचलित बुनियादी तथा प्रारम्भिक शिक्षा के ढांचे का परिनिरीक्षण किया है ।

(ख) यदि हां, तो उसने शिक्षा के किस ढांचे की सिफारिश की है ।

(ग) क्या उन्होंने किसी अन्य ढांचे पर भी विचार किया था ।

(घ) यदि हां, तो वे क्या हैं; और

(ड़) अन्तिम निर्णय क्या किया गया है और क्या सिफारिश की गई है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र)** : (क) इन ढांचों पर संक्षेप में विचार किया गया था किन्तु विस्तृत रूप से इनका परिनिरीक्षण नहीं किया गया था ।

(ख) कोई निश्चित सिफारिश नहीं की गई थी ।

(ग) जी, हां ।

(घ) बम्बई के नमूने पर भी विचार किया गया था ।

(ड़) कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया था ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच नहीं है कि पारुलेकर समिति द्वारा मद्रास की प्रारम्भिक शिक्षा की संपरिवर्तित पद्धति का पर्यवेक्षण किया गया था और यदि हां, तो क्या उनकी सिफारिशों पर भी विचार किया गया था ?

†**श्री श्या० न० मिश्र** : पारुलेकर समिति ने वास्तव में ही मद्रास की योजना का पर्यवेक्षण किया था, परन्तु अन्ततः योजना त्याग दी गई थी ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चुकी है और हम द्वितीय योजना प्रारम्भ कर रहे हैं । तो राज्य सरकारों से किस आधार पर शिक्षा की बुनियादी पद्धति का अनुसरण करने के लिये कहा गया है ?

†**श्री श्या० न० मिश्र** : इस प्रश्न का मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है । इसका सम्बन्ध बुनियादी पद्धति से है, पारी पद्धति से नहीं है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : मेरा कहना यह है कि सरकार ने प्रारम्भिक शिक्षा की बुनियादी पद्धति का अभी तक निबटारा नहीं किया है । क्योंकि राज्य सरकारें प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की इच्छुक हैं, इसलिये क्या मै जान सकता हूं कि इसका निबटारा कब किया जायगा ?

†**श्री श्या० न० मिश्र** : यह प्रश्न समुचित रूप से शिक्षा मंत्री को सम्बोधित किया जाना चाहिये और मेरे विचार में पहले ऐसे कई अवसर आ चुके हैं जब कि इस विषय पर वाद-विवाद किया गया था ।

†**श्री स० चं० सामन्त**: क्या योजना आयोग शीघ्र ही निर्णय करेगा ताकि शिक्षा मंत्रालय मामले पर शीघ्र ही कार्यवाही कर सके ।

†**श्री श्या० न० मिश्र** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग की विस्तृत सिफारिश की हुई हैं और मेरे विचार में माननीय सदस्य उसे पढ़ने का कष्ट करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर

कोसी परियोजना

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२. श्री ल० ना० मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ३१ जुलाई, १९५६ के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में कोसी परियोजना के बारे में प्रकाशित समाचार और उस परियोजना के मजबूत न होने के बारे में सर क्लाड इंग्लिस द्वारा व्यक्त किये गये विचारों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त ब्रिटिश विशेषज्ञ ने योजना के विरुद्ध कौन-कौन सी मुख्य बात कही हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा योजना के अनुमोदित किये जाने से पूर्व भारतीय और विदेशी इंजीनियरों के किसी बोर्ड ने कोसी के नियंत्रण की वर्तमान योजना का परीक्षण किया था;

(घ) यदि हां, तो वे कौन कौन थे और इस योजना के बारे में उन्होंने क्या राय दी है; और

(ङ) क्या सर क्लाड इंग्लिस के विचारों को ध्यान में रखते हुए सरकार का योजना को बदलने का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : यदि आप चाहें, तो मैं आवश्यक जानकारी देने वाला विवरण पढ़ सकता हूं। वह केवल डेढ़ पृष्ठ का एक विवरण है।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है। आप पढ़ सकते हैं।

†**श्री हाथी** : (क) जी हां।

(ख) सर क्लाड इंग्लिस ने निम्न बातों की ओर ध्यान दिलाया है :

(१) कोसी में मिट्टी नियंत्रण की विशेष समस्या;

(२) ऊपर बहाव के बांध पर ऊंचे जलाशय के स्तर का प्रभाव और निरन्तर निरीक्षण तथा जलाशय का स्तर धीरे धीरे ऊंचा करने की आवश्यकता।

(३) मिट्टी के नियंत्रण के लिये सहायक नदियों पर बांध बनाना।

ये सभी बातें सरकार को पहले ही मालूम थीं और वर्तमान कोसी योजना तैयार करने में उन पर विचार किया गया था।

(ग) ६ प्रसिद्ध इंजीनियरों और नदी नियंत्रण का काफी अनुभव रखने वाले एक वैज्ञानिक की तदर्थ समिति ने केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा तैयार की गयी १९५३ परियोजना प्रतिवेदन का परीक्षण किया था। बाद में सर क्लाड इंग्लिस के अतिरिक्त, तीन अमेरिकी और एक चीनी विशेषज्ञों ने समय समय पर इस योजना का परीक्षण किया था।

(घ) १. मंत्रणा समिति में निम्न सदस्य थे :

(१) स्वर्गीय श्री एस० सी० मजूमदार जो पश्चिमी बंगाल सरकार के सलाहकार इंजीनियर थे।
(२) श्री एम० पी० मथरानी, मुख्य इंजीनियर, गंडक घाटी, बिहार सरकार।
(३) श्री एल० वेन्कट कृष्ण ऐय्यर, विशेष मुख्य इंजीनियर, आन्ध्र सरकार।
(४) श्री ए० सी० मित्र, मुख्य इंजीनियर, सिंचाई, उत्तर प्रदेश सरकार।
(५) श्री एन० पी० गुर्जर, सेवानिवृत्त मुख्य इंजीनियर, बम्बई।
(६) श्री कुंवर सैन, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग।
(७) डा० एन० के० बोस, निर्देशक, नदी गवेषणा संस्था, पश्चिमी बंगाल।

---

†मूल अंग्रेजी में

राय : इस मंत्रणा समिति की राय का सारांश यह है :

"समति के सदस्यों की यह राय है कि परियोजना प्रतिवेदन (१९५३) की प्रस्थापनाओं से उचित अवधि तक बाढ़ द्वारा क्षति से बचाव होगा। फिर भी यह आवश्यक है कि नदि द्वारा लायी जाने वाली मिट्टी का उद्गम और परिमाण ढूंढने के लिये, और उसे कम करने के लिये आवश्यक उपाय, जैसे कोल्हाज पर रोक के बांध, बांध क्षेत्र में भूमि संरक्षण के उपाय, अथवा मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों पर उपयुक्त संग्रह बांध द्वारा उपाय ढूंढ़ने के अग्रेतर अनुसंधान जारी रखे जायं।"

२. श्री वांग-हचू-चेंग, मुख्य इंजीनियर, हुआई, चीन ने जिन्होंने जनवरी, १९५५ में कोसी का दौरा किया था, यह राय दी है :

"मुझे यह योजना (१९५३) बहुत ठोस मालूम होती है यदि आपके पास गाद पर नियंत्रण करने के उपाय हों।"

३. श्री एल० बी० लिओपोल्ड, हाइड्रालिक इंजीनियर (गवेषणा), अमेरिकी भूतत्वीय सर्वेक्षण और डा० थामस मडुोक, हाइड्रालिक इंजीनियर (परियोजना आयोजन), अमेरिकी कृष्यकरण ब्यूरो, जिहोंने अप्रैल, १९५५ में कोसी का दौरा किया था, योजना पर निम्न राय दी है :

"स्वीकृत योजना सक्षम इंजीनियरों के सावधानी पूर्ण अध्ययन के बाद बनायी गयी है और अनेक विकल्पों में से जिनमें से प्रत्येक में कुछ दोष हैं, यह योजना सर्वोत्कृष्ट मालूम होती है। भविष्य में किसी समय एग्रेडेशन के कारण बांधों को बनाये रखना कठिन हो जायेगा। उस समय उपाय करने पड़ेंगे"।

४. श्री एच० ई० वेलर (टी० सी० एम० विशेषज्ञ) ने, जिन्होंने जुलई १९५५ में कोसी का दौरा किया था, परियोजना के आयोजन के विषय में कोई राय प्रकट नहीं की थी। उन्होंने केवल बांध को सुरक्षित रखने के आवश्यक उपायों का विवेचन किया था।

(घ) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अनेक इंजीनियरों ने योजना को अच्छा बताया है, जैसा कि विवरण में उल्लेख है, क्या योजना कार्यान्वित करने का कार्यक्रम निर्धारित प्रकार से चलाया जायगा या परियोजना कार्यान्वित करने में विलम्ब किया जायेगा ?

†**श्री हाथी** : परियोजना कार्यान्वित करने में विलम्ब करने का कोई प्रयत्न नहीं किया जायेगा। वह कार्यक्रम के अनुसार ही चलाया जायेगा। किन्तु गवेषणा आदि के लिये कुछ अनुपूरक कार्यवाही जरूरी होगी। कार्यक्रम जारी रहेगा और कोई विलंब नहीं होगा।

†**श्री श्रीनारायण दास** : अनेक विशेषज्ञों ने इतने बार परियोजना का परीक्षण किया है। फिर सर क्लाड इंग्लिस को किस बात पर और क्यों राय देने के लिये कहा गया ?

†**श्री हाथी** : यह एक कठिन समस्या है जितने भी हल निकाले जा सकते थे उनमें से सर्वोत्कृष्ट हल हमने स्वीकार किया है। एक विशेषज्ञ का सुझाव था कि और आगे गवेषणा करना आवश्यक है और इसलिये यह निरन्तर जारी रहता है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : उनसे कौन सी विशिष्ट बात पूछी गयी थी ?

†**श्री हाथी** : गाद नियंत्रण।

†**श्री कासलीवाल** : कार्यक्रम की लागत क्या होगी ? माननीय मंत्री ने अभी अभी बताया है कि कार्यक्रम कार्यान्वित किया जायेगा और उसमें विलम्ब न होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी** : अतिरिक्त कार्यक्रम की लागत अनुसंधानों के परिणाम पर निर्भर होगी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि कोसी समस्या एक बहुत कठिन समस्या है । मंत्रालय के सामने क्या कठिनाई है और इसे किस प्रकार दूर करने का विचार है ?

†**श्री हाथी** : कठिनाई गाद नियंत्रण की समस्याओं से उत्पन्न होती है । जिन समस्याओं का विवेचन करना है वे ये हैं : बालू का परिमाण, वह किस प्रकार जमा होती है और किस प्रकार उसे रोका जा सकता है, क्या नदी अपनी दिशा बदलेगी, और क्या कार्यवाही की जानी चाहिये ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कम्प्रेसर और रेफ्रीजरेटर के कारखाने

†*१३०६. **श्री रामकृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में कम्प्रेसर और रेफ्रीजरेटर बनाने के कारखाने स्थापित करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो अब क्या स्थिति है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० भ० शाह)** : (क) और (ख). अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि सरकार रेफ्रीजरेटर और छोटे तथा मध्यम आकार के कम्प्रेसर बनाने का काम शुरू करे । देश में कुछ कारखाने रेफ्रीजरेटर बना रहे हैं और छोटे तथा मध्यम आकार के कम्प्रेसर बनाने के लिये कुछ थोड़े से कारखानों को अनुज्ञप्तियां दी गई हैं । बड़े आकार के कम्प्रेसरों के सम्बन्ध में, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम विचार कर रहा है ।

प्रलेखीय चलचित्र

†*१३०९. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "मित्रता की यात्रा", "ईस्टर्न जर्नी" और "भारत दर्शन" इन प्रलेखीय चलचित्रों के निर्माण पर कितना खर्च हुआ ; और

(ख) उनसे अब तक कितनी आय हुई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) प्रलेखीय चलचित्र बनाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं और नियमित लागत लेखे रखने के अभाव में यह बताना कठिन होगा कि किसी प्रलेखीय चलचित्र पर ठीक ठीक कुल कितना खर्च हुआ है । फिर भी यह बताया जा सकता है कि "मित्रता की यात्रा" और 'ईस्टर्न जर्नी" प्रलेखीय चलचित्र मुख्यत: उस सामग्री में से बनाये गये थे जो पहले समाचार-रील के रूप में वाणिज्यिक सर्किट पर अलग से प्रदर्शित की गयी थी ।

(ख) १,८५,७६० रुपये १ आना ।

यमुना के पानी का अन्तर्राज्यिक वितरण

†*१३१०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना नदी के जल का पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में वितरण के बारे में अभी हाल में दिल्ली में पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों के प्रतिनिधियों का एक त्रिदलीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) उसमें मुख्य किन किन बातों पर चर्चा की गयी थी;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या कोई विनिश्चय किये गये थे; और

(घ) यदि हां, तो वे क्या थे ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (घ). आवश्यक जानकारी देने-वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५**]

आणविक परीक्षण

†***१३१४. श्री च० रा० नरसिंहन्** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वनस्पति पर रेडियो धर्मिता का प्रभाव मालूम करने के लिये भारत में कोई गवेषणा या अध्ययन किया जा रहा है या करने का विचार है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : आणविक शक्ति संस्थापन ने इस देश में उपयोग की जाने वाली सब्जियों, दूध और अन्य खाद्य पदार्थों में पाई जाने वाली रेडियो धर्मिता की प्रकृति, उद्भव और परिमाण के नियमित अध्ययन की सुविधाओं और कर्मचारियों का संगठन तथा योजना तैयार करने का काम शुरू कर दिया है । इस प्रकार के विस्तृत अध्ययन के बिना केवल रेडियोधर्मिता का पता लगाने से कोई अधिक लाभ नहीं होगा ।

बिजली के भारी सामान का कारखाना, भोपाल

†***१३१५. श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल में स्थापित किये जाने वाले बिजली के भारी सामान के कारखाने में कब तक उत्पादन शुरू हो जायेगा;

(ख) गत पांच वर्षों में कुल कितनी धनराशि का बिजली का भारी सामान (वर्षवार) आयात किया गया;

(ग) भोपाल के कारखाने में पूरा उत्पादन प्रारंभ हो जाने के बाद विदेशी विनिमय की कितनी बचत होगी; और

(घ) कारखाना चलाने के लिये विशिष्टीकृत प्रशिक्षण प्राप्त करने के हेतु कितने कर्मचारियों को विदेश भेजा गया है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) आशा है कि १९६१ तक उत्पादन प्रारंभ हो जायगा । पूरा उत्पादन ७–८ वर्षों के बाद होने लगेगा ।

(ख)

१९५१–५२.	१९.७७ करोड़ रुपये ।
१९५२–५३.	१९.९८ करोड़ रुपये ।
१९५३–५४.	२१.०४ करोड़ रुपये ।
१९५४–५५.	१७.९८ करोड़ रुपये ।
१९५५–५६.	२२.७५ करोड़ रुपये ।

(ग) १९६१ में उत्पादन प्रारंभ होने के बाद से जब तक कि पूरा-पूरा उत्पादन नहीं होता तब तक वह प्रतिवर्ष बदलता रहेगा । विदेशी विनिमय की बचत का ठीक ठीक अनुमान अभी बताना कठिन है । फिर भी केवल यही बताया जा सकता है कि एक अनुमान के अनुसार, बचत ५ करोड़ रुपये वार्षिक के करीब होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) अभी तक कोई नहीं। चुने गये ५ व्यक्तियों की पहली टोली का प्रशिक्षण ब्रिटेन में शीघ्र ही प्रारंभ होगा। प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजी जाने वाली लगभग ४० व्यक्तियों की दूसरी टोली में भर्ती की जा रही है।

बाढ़ नियंत्रण बोर्ड

†*१३१७. **श्री संगण्णा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री उड़ीसा में बाढ़ के बारे में २९ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २६२५ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महानदी के नदियों के समूह के लिये बाढ़ नियंत्रण बोर्ड बनाने की प्रस्थापना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम हुआ है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख) . माननीय सदस्य का निर्देश संभवत: उड़ीसा सरकार द्वारा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड बनाये जाने की ओर है। मार्च, १९५५ में राज्य सरकार ने बोर्ड स्थापित कर दिया था।

आणविक परीक्षण

†*१३१८. **श्री सें० वे० रामस्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** २७ जुलाई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राष्ट्रों का यह कहना है कि बिना इन विस्फोट-परीक्षणों के आणविक शक्ति के शांतिपूर्ण उपायों की दिशा में कोई प्रगति नहीं की जा सकती;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का कैसे सामना किया जाता है ;

(ग) क्या कुछ राष्ट्रों ने जो नियन्त्रण सुझाये हैं, वे विस्फोटों की संख्या और उद्जन बमों के आकार दोनों के बारे में हैं; और

(घ) क्या जुलाई में नि:शस्त्रीकरण समिति के समक्ष श्री कृष्ण मेनन के भाषण का पाठ मुद्रित और प्रकाशित किया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). यह सच है कि कुछ सरकारों का यह कहना हैं कि वैज्ञानिक ढंग के प्रयोगात्मक प्रयोजनों के लिये एक सीमित संख्या में विस्फोट-परीक्षण आवश्यक हैं। संयुक्त राष्ट्र नि:शस्त्रीकरण आयोग और उसकी उपसमिति नि:शस्त्रीकरण के संपूर्ण प्रश्न के इस पहलु और अन्य पहलुओं पर विचार कर रही है।

(ग) ब्रिटेन और फ्रांस ने जो नियन्त्रण सुझाये हैं वे निश्चय ही विस्फोटों की संख्या के सम्बन्ध में हैं और यह स्पष्ट नहीं है कि उस के क्षेत्र में बमों का आकार भी शामिल है या नहीं।

(घ) संयुक्त राष्ट्र नि:शस्त्रीकरण आयोग के समक्ष दिया गया श्री कृष्ण मेनन का भाषण भारत सरकार द्वारा मुद्रित किया जा रहा है।

बिजली के बल्ब

†*१३२०. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने कारखाने बिजली के बल्ब बना रहे हैं;

(ख) वे किन किन जगहों पर हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या ये कारखाने देश की आवश्यकता पूरी करने के लिये पर्याप्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या देशी उद्योग के संरक्षण के लिये विदेश से बल्बों के आयात पर कोई प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) १४।

(ख) कलकत्ता, बम्बई, पटना, बंगलौर, कानपुर, शिकोहाबाद और फरीदाबाद ।

(ग) जी हां, ५०० वाट तक के जी० एल० एस० लैम्पों के अतिरिक्त अन्य लैम्पों और ट्रेन लाइटिंग लैम्पों को छोड़कर ।

(घ) ५०० वाट तक जी० एल० एस० लैम्पों और ट्रेन लाइटिंग लैम्पों के आयात पर पूरी रोक है । अन्य प्रकार के लैम्प जैसे ५०० वाट के ऊपर के जी० एल० एस० लैम्प, रंगीन लैम्प और टार्च बल्ब का आयात कुछ सीमा तक किया जा सकता है ।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

† *१३२१. **श्री दशरथ देव** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये क्या व्यवस्था है; और

(ख) जो विस्थापित व्यक्ति १९५४–५५ के बाद पूर्वी पाकिस्तान से आये हैं क्या उनके पुनर्वास के लिये व्यवस्था की गई है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों की पुनर्वास योजनाओं के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुल ६,६८० लाख रुपये की व्यवस्था है । विभिन्न राज्य सरकारों को वार्षिक आवंटन पुनर्वास चाहने वाले विस्थापित व्यक्तियों की संख्या और भूमि आदि के उपलब्ध साधनों के ध्यान में रखते हुए पुनर्वास कार्यक्रम के आधार पर किये जाते हैं । १९५६–५७ में त्रिपुरा के लिये १०८.३२ लाख रुपये आवंटित किये गये हैं । बाद के वर्षों के लिये आवंटन उपर्युक्त बातों को ध्यान में रख कर प्रति वर्ष किया जायेगा ।

(ख) जी हां ।

रुई का वायदा-बाजार

*१३२६. **श्री राधेलाल व्यास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २१ सितम्बर, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या २०२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य भारत में रुई का वायदा-बाजार स्थापित करने के बारे में क्या स्थिति है; और

(ख) यह कब से कार्य आरम्भ कर देगा ?

व्यापार मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). अब एक नयी असोसिअेशन स्थापित हो गयी है, जिसे व्यापारी वर्ग का विश्वास प्राप्त है । इस नव निर्मित असोसियेशन ने जिसका नाम दि सेन्ट्रल इण्डिया काटन एसोसिअेशन लि० है, वायदा बाजार कमीशन के पास अपना प्रार्थना-पत्र भेजा है । जैसे ही प्रारम्भिक व्यवस्थाएं कर दी जायंगी जिनसे कि कमीशन संतुष्ट हो सके और असोसियेशन को आवश्यक मान्यता दे दी जायगी, वैसे ही वायदा बाजार कार्य आरम्भ कर देगा ।

भारत-पाक व्यापार करार

*१३२८. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाक व्यापार करार किस तारीख को समाप्त हो रहा है; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) व्यापार करार को फिर से नया करने की दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

व्यापार मंत्री (श्री करमरकर) : (क) ३१ अगस्त, १९५६।

(ख) इस मामले पर हमारे हाई कमिश्नर तथा पाकिस्तान सरकार के बीच बातचीत चल रही है।

नंगल भारी पानी परियोजना

†*१३३३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नंगल भारी पानी परियोजना झील के लिये परामर्शदाता मैसर्स कॉस्टेन जॉन ब्राउन ने परियोजना के लिये विस्तृत योजना प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो यह किस प्रकार की है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जिन तीन फर्मों को नंगल उर्वरक भारी पानी परियोजना की प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये कहा गया था, उनमें से एक फर्म मेसर्स कास्टेन जान ब्राउन ने हाल में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की है।

(ख) उस रिपोर्ट में परियोजना के केवल भारी पानी के भाग का उल्लेख है और इसमें बहुत से विकल्पों पर विचार किये जाने के बाद भारी पानी तैयार करने की एक विशेष प्रक्रिया की सिफारिश की गई है।

इंटरनेशनल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड

†*१३३४. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी, लिमिटेड लन्दन को अब तक कुल कितनी रकम दी गई है; और

(ख) दिल्ली में उनके कितने प्रतिनिधि नियुक्त हैं ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी)** : (क) १६७,००० पौंड।

(ख) इस समय एक है।

बर्मा के साथ व्यापार

†*१३३५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में कितने मूल्य का और कितने टन वाणिज्यिक माल बर्मा को निर्यात किया गया और बर्मा से आयात किया गया; और

(ख) इस व्यापार में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) १९५५-५६ में भारत का बर्मा को निर्यात और बर्मा से भारत को आयात क्रमशः १२ करोड़ ४० लाख और ९ करोड़ ५८ लाख रुपयों का था। माल कुल कितने टन था इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ६]**

†मूल अंग्रेजी में।

सड़क कूटने का इंजन

†*१३३६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आशा के अनुसार, हमारे देश में डीजल का सड़क कूटने का इंजन बना लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी कुल लागत कितनी है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) अभी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कार्टून फिल्में

†*१३३७. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कार्टून फिल्में बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) और (ख). हां श्रीमान् । फिल्म्स डिवीजन में एक कार्टून फिल्म यूनिट बनाया जा रहा है । भारतीय प्रविधिज्ञों को प्रशिक्षण देने के लिये, भारत-अमेरिकी प्रविधिक सहायता कार्यक्रम के अधीन एक विदेशी विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त की गई हैं । एक कार्टून फिल्म बनाने का प्रारम्भिक प्रबन्ध भी किया गया है और वह यूनिट निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर देगा ।

पटसन का सामान

†*१३३८. **श्री ल० ना० मिश्र** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच ह कि हाल में हमारे पटसन के सामान की मांग बहुत बढ़ गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं और इस सामान को लेने में कौन से देशों ने अधिक दिलचस्पी ली है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जनशक्ति निदेशालय

†*१३४१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक जनशक्ति निदेशालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस निदेशालय का कृत्य क्या होगा ?

† **भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) और (ख). इस प्रश्न पर और सम्बन्धित प्रश्नों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है । अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला-आयुक्त के कार्यालय का कलकत्ता से स्थानांतरण

†*१३४२. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित कोयला आयुक्त कार्यालय के कर्मचारियों को स्थानान्तरण का विकल्प दिया गया था; और

(ख) इस मंत्रालय के कलकत्ता स्थित अन्य किन कार्यालयों का स्थानान्तरण किया जायेगा ?

†**उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री रा० गि० दुबे)** : (क) संभवतः माननीय सदस्य का निर्देश कोयला उत्पादन और विकास आयुक्त के कार्यालय के कर्मचारियों का कलकत्ते से रांची में स्थानान्तरण करने से है। सरकार को उपलब्ध जानकारी के अनुसार, तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को कोई विकल्प देने की जरूरत न थी क्योंकि बहुत से कर्मचारियों ने अपनी इच्छा से रांची जाना पसन्द किया है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को कोई विकल्प नहीं दिया गया क्योंकि उनके लिये यह निश्चित किया गया है कि उनमें जो वरिष्ठ हों वे रांची जायें।

(ख) इस मंत्रालय के अन्य किसी कार्यालय को कलकत्ते से स्थानान्तरित करने का विचार नहीं है।

बाढ़ की रोकथाम का कार्यक्रम

†८५६. **श्री रामकृष्ण** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के लिये तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का क्या ब्यौरा है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख).

चालू वर्ष

१९५६–५७

१९५५–५६ में जो योजनायें चल रही थीं और जो समाप्त नहीं हुई हैं, उनके अतिरिक्त किन्हीं नई योजनाओं के कार्यक्रम को अंतिम रूप नहीं दिया गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

द्वितीय योजना के अधीन योजनाओं के विस्तृत कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। राज्य सरकारों से ब्यौरे की प्रतीक्षा की जा रही है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

†८५७. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों को दिल्ली में और उसके बाहर कुल कितने क्वार्टर दिये गये हैं;

(ख) प्रत्येक डिवीजन के अनुसार, वे किस प्रकार आवण्टित किये गये हैं; और

(ग) प्रत्येक मोहल्ले, नगरक्षेत्र अथवा नगर में वे किस प्रकार आवण्टित किये गये हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) क्रमशः १६६८ और ३४३ ।

(ख) और (ग). दिल्ली और दिल्ली से बाहर के स्थानों के सम्बन्ध में मांगी गई जानकारी के चार विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ७**]

हाथ के बने हुए कागज का उद्योग

†८५८. **श्री कर्णीसिंहजी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, हाथ के बने हुए कागज के उद्योग के विकास के लिये राजस्थान सरकार को १ अप्रैल १९५२ से ३१ मार्च १९५६ तक वर्ष वार कितनी रकम दी गई है;

(ख) प्रत्येक वर्ष कितने टन कागज बनाया गया; और

(ग) क्या उक्त समय में बनाये जाने वाले कागज के लिये कोई लक्ष्य निश्चित किया गया था ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) राजस्थान सरकार ने बोर्ड अथवा केन्द्रीय सरकार के पास हाथ के बने हुए कागज के उद्योग के विकास के लिये कोई योजना नहीं भेजी।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

राजस्थान में विस्थापित व्यक्ति

†८५९. **श्री कर्णीसिंहजी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च १९५६ तक राजस्थान में विस्थापित व्यक्तियों के लिये कितने रिहाइशी मकान और दुकानें बनाई गई हैं; और

(ख) इस योजना के अधीन कितने मकान और दुकानें अभी बनाई जानी हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री ज० कृ० भोंसले)** : (क)

	मकान	९७७
	छोटे मकान .	१६९२
	दुकानें . . .	१००३
	स्टाल .	५६४
(ख)	मकान	६४०
	छोटे मकान .	३५०
	दुकानें . . .	४२४

जस्ता और सीसा

†८६०. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१, १९५२, १९५३, १९५४ और १९५५ में राजस्थान की जवेर खानों में कितना सीसे और जस्ता का अयस्क तैयार किया गया;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन वर्षों में उनसे कितनी धातु बनाई गई; और

(ग) उनका क्या मूल्य है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी)** : (क) औद्योगिक सांख्यिकी अधिनियम, १९४२ के अधीन, सरकार अलग अलग फर्मों के उत्पादन के आंकड़े नहीं दे सकती। तथापि हाल के वर्षों में भारत में सीसे और जस्ते के अयस्क का उत्पादन इस प्रकार है :

	सीसा अयस्क टनों में	जस्ता अयस्क टनों में
१९५३	२७४१	४५०२.५
१९५४ . . .	२८४८	३९७४.२५
१९५५	३०६२	४८६५

१९५१ और १९५२ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग). हाल के वर्षों में भारत में तैयार किये गये सीसे का परिमाण और मुल्य इस प्रकार है :

	तैयार किया गया सीसा टनों में	मूल्य (अनुमानतः) रुपयों में
१९५१	८५९.२	१६,९९,६९५
१९५२ . .	११३१.६	१७,८६,७६०
१९५३ . . .	१६९४.४	१७,९८,३२७
१९५४ . .	१७८८.०	२२,८१,९६६
१९५५	२२३४.४	३०,८७,७१५

देश में अभी जस्ता धातु तैयार नहीं की जाती।

भाखड़ा बांध परियोजना

†८६१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा बांध परियोजना पर अब तक कितना व्यय हुआ है; और

(ख) भविष्य में इस परियोजना पर कितना व्यय करने का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) मई १९५६ के अंत तक ११३४५ लाख रुपये।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड के विचाराधीन जो संशोधित परियोजना प्राक्कलन है और जिसके अनुसार लेफ्ट बैंक पावर हाउस में केवल ५ यूनिटों की व्यवस्था की गई है, उसके आधार पर मई १९५६ के बाद भविष्य में इस परियोजना पर अनुमानतया ६००० लाख रुपये खर्च होने की संभावना है ।

पिछड़े क्षेत्रों का विकास

८६२. **श्री भक्त दर्शन**: क्या **योजना** मंत्री २३ अप्रैल, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग ने देश के विभिन्न भागों के पिछड़े क्षेत्रों में विकास-कार्य की प्रगति के बारे में तथ्य एकत्र करने का जो कार्य आरम्भ किया था क्या वह पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसका विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो अब तक उस कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के स्तर तथा उसमें समय समय पर होने वाले परिवर्तनों के बारे में तथ्य एकत्र करने में काफी समय की जरूरत पड़ती है । योजना आयोग ने इस दिशा में शुरूआत कर दी है ।

(ख) और (ग). अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर प्रामाणिक विवरण तैयार करना अभी सम्भव नहीं । उपलब्ध साधनों से जो तथ्य एकत्रित हो सकते हैं उनसे अध्ययन की एक स्कीम तैयार करने का विचार है ।

रेडियो सेट

†८६३. **श्री झूलन सिंह**: क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में भारत में कुल कितने रेडियो सेट बनाये गये; और

(ख) क्या प्रामाणिक किस्म के रेडियो सेटों के मूल्य में कोई कमी हुई है ?

†वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी) : (क) १०१,८६८

(ख) हां श्रीमान्, उनकी बनावट और किस्म के अनुसार ।

सिलाई की मशीनों के कारखाने

†८६४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान सिलाई की मशीनों के कारखानों के अतिरिक्त, निकट भविष्य में भारत में ऐसे कितने कारखाने खोले जाने की आशा है ?

†वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी): संगठित क्षेत्र में २–१ पंजाब (फरीदाबाद) में और १ उत्तर प्रदेश (रामपुर) में । जहां तक छोटे पैमाने के उद्योगों के क्षेत्र का सम्बन्ध है, यह कहना संभव नहीं है कि निकट भविष्य में कितने कारखाने खोले जायेंगे ।

बन्दू में यूरेनियम्

†८६५. **श्री जयपाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि रांची जिले में बन्दू में यूरेनियम् पाया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : रांची जिले के बन्दू क्षेत्र में आरा नदी की रेत में पाये जाने वाले मोनाजाइट खनिज में कुछ अंश यूरेनियम का पाया गया है ।

मोटर उद्योग

†८६६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५५ में भारत में मोटर गाड़ियां बनाने वाले कारखानों में पूरी क्षमता के अनुसार काम हुआ था ;

(ख) ३१ दिसम्बर १९५५ को मोटर गाड़ियां बनाने वाले कितने कारखाने थे; और

(ग) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में मांग पूरी करने के लिये नये कारखाने खोलने का विचार है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी)** : (क) नहीं श्रीमान् । समय समय पर जितनी मांग होती है उतना उत्पादन किया जाता है ।

(ख) छः ।

(ग) प्रशुल्क आयोग द्वारा मोटर गाड़ी उद्योग की वर्तमान जांच के बाद, उसका प्रतिवेदन प्राप्त होने और उस पर विचार किये जाने के बाद सरकार इस मामले पर विचार करेगी ।

प्रचार सामग्री प्रतियोगिता

†८६७. **श्री मादिया गौडा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रचार सामग्री तैयार करने के लिये एक प्रतियोगिता आरम्भ की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय हुआ था;

(ग) कितने लोगों ने प्रतियोगिता में भाग लिया था;

(घ) कितने चुने गये थे और कितने पुरस्कार दिये गये थे; और

(ङ) पुरस्कार विजेताओं के नाम क्या हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) हां; नवम्बर १९५५ में सर्वोत्तम मुद्रण और डिजाइन बनाने के लिए सरकारी पुरस्कार देने के लिये एक वार्षिक प्रतियोगिता प्रारम्भ की गई थी जिसका एक बड़ा भाग प्रचार सामग्री था ।

(ख) लगभग ९,००० रुपये ।

(ग) ३,०२३ ।

(घ) १०४ (५७ प्रकाशक अथवा डिजाइन बनाने वाले और ४७ मुद्रक) ।

(ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ८**]

कपड़े की मिलें

†८६८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५५ में कपड़ा मिलों में करघों की संख्या में कोई वृद्धि हुई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो वृद्धि कितनी हुई है तथा इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी)** : (क) जी, हां।

(ख) १–१–१९५६ को भारत में स्थापित करघों की कुल संख्या २०२,९०१ थी और १–१–५५ को इनकी संख्या २०२,७१४ थी। करघों की संख्या में १८७ की वृद्धि हुई है।

करघों की संख्या में वृद्धि होने के कई कारण हैं जैसे पुराने करघों के स्थान पर नये करघों का लगाया जाना और अन्तर्ग्रस्त करघों की रीडस्पेस में अन्तर।

काफी का उत्पादन

†८६९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय भारत में काफी का जो उत्पादन है वह संसार के काफी के उत्पादन का कितना प्रतिशत है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी)** : ऐसा बताया जाता है कि १९५५–५६ के मौसम में भारत में काफी का उत्पादन संसार के काफी के उत्पादन का १.२२ प्रतिशत है।

रूस को निर्यात

†८७०. **श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५–५६ में रूस को निर्यात की गई वस्तुओं में से किस वस्तु द्वारा सबसे अधिक विदेशी विनिमय प्राप्त हुआ और इस वस्तु का अनुमानित मूल्य क्या है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी)**: मसाले जिनका मूल्य १६२ लाख रुपये है।

मनीपुर में विस्थापित व्यक्तियों के लिये कृषि भूमि

†८७१. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में शरणार्थियों को बसाने के लिये उपलब्ध कृषि भूमि कुल कितनी है तथा शरणार्थियों को पहले कितनी कृषि भूमि दी जा चुकी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में उनके लिये मंजूर किये गये और आवंटित किये गये कृषि और गैर-कृषि ऋणों की कुल राशि क्या है;

(ग) अब तक कितने बेघरबार लोगों और शरणार्थी परिवारों को फिर से बसाया गया है; और

(घ) मनीपुर के नगरीय क्षेत्रों में अब तक कितने व्यापारी और व्यवसायिक शरणार्थी परिवारों को फिर से बसाया गया है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (घ). यह जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रखी जायेगी।

गांधीजी के जीवन से सम्बन्धित घटनायें

†८७२. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० जून, १९५६ को गांधीजी के जीवन से सम्बन्धित घटनाओं के प्रसारण कार्यक्रम में जिन व्यक्तियों ने भाग लिया था, उनके नाम क्या है;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) क्या ३० जनवरी, १९५६ के बाद एकत्र की गयी घटनाओं को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें कब प्रकाशित किया जायगा ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ९**]

(ख) जी नहीं।

(ग) जिन घटनाओं को अब तक प्रकाशित नहीं किया गया है, उन्हें प्रकाशित करने के बारे में कार्यवाही इस प्रकार के और प्रसारण आयोजित करने के बाद की जायेगी।

खादी और ग्रामोद्योग

†८७३. **श्री मादिया गौडा** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसूर सरकार को १९५२–५३ से १९५५–५६ तक (१) खादी, और (२) ग्रामोद्योग के विकास के लिये कितना ऋण और वित्तीय सहायता दी गयी है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : मैसूर सरकार को खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिये दिये गये ऋणों और अनुदानों की राशि इस प्रकार है:—

(१) खादी—कुछ नहीं।

(२) ग्रामोद्योग—५६४५५ रुपये के अनुदान और ७९१४ रुपये के ऋण, १९५५–५६ में।

१९५५–५६ तक मैसूर सरकार को खादी के विकास के लिये किसी ऋण अथवा अनुदान की मंजूरी नहीं दी गई, किन्तु अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने मैसूर की पंजीबद्ध संस्थाओं और सहकारी संस्थाओं के जरिये ६२ लाख रुपये ऋण के रूप में और २.१४ लाख रुपये अनुदान के रूप में सीधे वितरित किये हैं। ग्रामोद्योग के लिये राज्य सरकार को १९५५–५६ में ५६,४५५ रुपये के अनुदान और ७,९१४ रुपये के ऋण दिये गये थे। मैसूर राज्य में उक्त संस्थाओं के जरिये १९५३–५४ और १९५५–५६ में ग्रामोद्योग के लिये १.३ लाख रुपये अनुदान के रूप में और ८७,९४० रुपये ऋण के रूप में वितरित किये गये थे।

संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का योगदान

†८७४. **श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच वर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन में भारत ने प्रतिवर्ष कितना योगदान दिया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**:

वर्ष	योगदान
१९५१	१,३८९,६१५ अमरीकी डालर
१९५२	१,४५३,७६० ,,
१९५३	१,४४६,८७८ ,,
१९५४	१,३३२,१७८ ,,
१९५५	१,२२६,०९८ ,,

†मूल अंग्रेजी में।

चाणक्यपुरी

†८७५. { सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चाणक्यपुरी के विकास के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री के सभा सचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : चाणक्यपुरी का क्षेत्रफल ९०० एकड़ ह जिसमें से लगभग २१६ एकड़ जमीन पर पार्क और सड़कें हैं। ९२ एकड़ के पथरीले क्षेत्र को छोड़ कर शेष ६८४ एकड़ क्षेत्र को साफ कर लिया गया है और उसमें सड़कों, छने हुए और अनछने हुए पानी के सम्भरण, जल-निस्सारण, और नालियों सम्बन्धी इंजीनियरिंग सेवाओं और उद्यानों और वृक्ष संवर्धन की व्यवस्था की गयी है। सड़कों पर बत्तियां लगाने का कार्य भी नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी द्वारा किया जा रहा है।

चाणवयपुरी के सम्पूर्ण क्षेत्र में २६३ प्लाट हैं। विभिन्न प्लाटों की अद्यतन स्थिति इस प्रकार है :

संख्या	प्लाटों की कुल संख्या	बिके हुए प्लाटों की कुल संख्या	उन प्लाटों की संख्या जहां निर्माण कार्य सम्पन्न हो चुका है अथवा जारी है	उन प्लाटों की संख्या जो बिक चुके हैं किन्तु जिन पर भवन निर्माण नहीं हुआ है
१. राज्य सरकार . .	१२	६	३	३
२. राज दूतावास . .	४३	३२	८	२४
३. नरेश . .	६	३	२	१
४. गैर-सरकारी व्यक्ति .	१८९	१८३	१२८	५५
५. फर्म . . .	१२	३	२	१
६. होटल . .	१	१	१	
योग . . .	२६३	२२८	१४४	८४

राजधानी के ४६ राजनयिक मिशनों में से अब तक निम्न मिशनों ने चाणक्यपुरी में भूमि खरीदी है :—

१. अफगान राजदूतावास ।

†मूल अंग्रेजी में ।

२. एपोस्टोलिक उपधर्मदूत का कार्यालय ।
३. आस्ट्रेलिया का उच्च आयोग ।
४. बेल्जियम राजदूतावास ।
५. बर्मी राजदूतावास ।
६. श्रीलंका उच्च आयोग ।
७. चीनी राजदूतावास ।
८. फिनलेंड का राजदूतावास ।
९. जर्मन राजदूतावास ।
१०. इन्डोनेशिया का राजदूतावास
११. जापानी राजदूतावास ।
१२. नार्वेजियन राजदूतावास।
१३. पाकिस्तान उच्च आयोग ।
१४. पुर्तगाली राजदूतावास ।
१५. स्वीडिश राजदूतावास
१६. थाई राजदूतावास ।
१७. ब्रिटिश उच्च आयोग ।
१८. अमरीकी राजदूतावास ।
१९. रूसी राजदूतावास ।
२०. इटैलियन राजदूतावास ।

उक्त मिशनों में से, एपोस्टोलिक उपधर्मदूत के कार्यालय ने निर्माण कार्य समाप्त कर लिया है और आस्ट्रेलियन उच्च आयोग तथा इन्डोनेशिया के, जापानी और थाई राजदूतावासों ने कुछ भवन बना लिये हैं । ब्रिटिश उच्च आयोग और अमरीकी राजदूतावास ने निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया है । आशा की जाती है कि जर्मन राजदूतावास निकट भविष्य में निर्माण कार्य आरम्भ करेगा ।

इसके अतिरिक्त, प्रतिरक्षा मंत्रालय की नौ सेना शाखा के लिये कुछ क्षेत्र रक्षित है जिसमें नौ सेना के अफसरों के लिये २४ फलैट तथा नाविकों के लिये एक शयनागार और अफसरों के रहने के लिये २२० डी१ और ६० डी२ किस्म के फ्लैट बनाये गये हैं और डी२ किस्म के ५६ फ्लैटों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है ।

आकाशवाणी, जालंधर

†८७६. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी, जालंधर में नाटक निर्माताओं की नियुक्ति के लिये कोई समिति स्थापित की गई है?

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों के नाम क्या है;

(ग) उक्त पदों के लिये कितने उम्मीदवारों का इन्टरव्यू किया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(घ) नाटक निर्माताओं के लिये क्या योग्यताएं रखी गई हैं?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) और (ख). नाटक निर्मताओं का चुनाव आकाशवाणी दिल्ली के प्रधान कार्यालय में विभागीय समितियों द्वारा किया जाता है।

(ग) ये समितियां प्रख्यात व्यक्तियों के बारे में विचार करती हैं। आवेदन पत्र नहीं मांगे जाते और समिति उन व्यक्तियों के बारे में विचार करने के लिये स्वतन्त्र हैं जिन्होंने अपने आपको पारंगत किया है।

(घ) नाटक निर्माता के लिये सामान्य योग्यता यह है कि वह एक प्रख्यात नाटककार और/या नाटक निर्माता हो।

कुटीर उद्योग

†८७७. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और पेप्सू में १९५५–५६ में कुटीर उद्योग के विकास के लिये निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत कितनी राशि व्यय की गई है :

(१) चमड़ा, (२) चमड़ा कमाना, (३) जूते बनाना, (४) हथकरघे, और (५) खादी;

(ख) १९५६–५७ में अनुदान, ऋण और वित्तीय सहायता के रूप में कितनी राशि व्यय करने का विचार है;

(ग) जिन योजनाओं के लिये यह राशि व्यय की गई है अथवा करने का विचार है उनके नाम क्या हैं; और

(घ) इस मामले में क्या प्रगति हुई है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) से (ग). हथकरघों के अलावा अन्य उद्योगों के सम्बन्ध में दो विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १०**]

(घ) वर्ष १९५५–५६ में राज्य सरकारों को जो राशियां दी गईं थीं उन्हें वह काम में नहीं ला सकीं। खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा पंजीबद्ध/अभिज्ञात संस्थाओं को दी गई राशियों के बड़े भाग का उन्होंने उपयोग किया है।

फीरोजपुर जिले के लिये बाढ की रोकथाम की योजना

†८७८. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने फीरोजपुर जिले में बाढ़ नियंत्रण क सम्बन्ध एक योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो उसका कुल व्यय कितना है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस योजना को मंजूर किया है; और

(घ) यदि हां, तो योजना का कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (घ). पंजाब सरकार ने केवल एक सूची प्रस्तुत की है जिसमें फीरोजपुर जिले में बनाये जाने वाले बाढ़ नियंत्रण कार्यों के नाम दिये गये हैं:—

(१) फाजलिका के सामने मौजम माइनर के सिकन्द्री सबमाइनर के पास लोहे की ठोकरें बनाना, अनुमानित व्यय—८.०० लाख रुपये ।

(२) तालवन्डी नई पालन नाली, अनुमानित व्यय—५.१० लाख रुपये ।

(३) पूर्वी नहर क्षेत्र में जल निस्सारण योजना, अनुमानित व्यय १६.९६ लाख रुपये ।

पहली दो योजनाओं को, जिनका प्रत्येक का अनुमानित व्यय १० लाख रुपये से कम है, केन्द्रीय ऋण सहायता देने के लिये मंजूर किया गया है । आशा की जाती है कि काम के अगले मौसम में दोनों योजनाओं का कार्यारम्भ होगा ।

तीसरी योजना का अनुमानित व्यय १० लाख रुपये से अधिक है और केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, केन्द्रीय ऋण सहायता के लिये योजना की मंजूरी देने से पूर्व, योजना के व्यय के ब्यौरों की प्रविधिक तथा वित्तीय जांच की जानी है । राज्य सरकार से ये विस्तृत प्राक्कलन अपेक्षित हैं ।

कोयला

†८७९. **मुल्ला अब्दुल्ला भाई** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ और १९५६ में जनवरी से जून तक प्रत्येक राज्य को कोयले का कितना आवंटन और संभरण किया गया ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध सख्या ११**]

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में काम क लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारी

†८८०. **श्री भीखा भाई** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कुल कितने कर्मचारी ह; और

(ख) क्या यह सच है कि उन्हें रविवार और छुट्टियों का वेतन नहीं दिया जाता ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभा सचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) १२,७५२ ।

(ख) जी, नहीं । उन्हें सभी रविवारों और वर्ष में १० छुट्टियों के लिये वेतन दिया जाता है ।

पूर्वी खण्ड में विस्थापित व्यक्तियों क लिये सहायता कैम्प

†८८१. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों के लिये पूर्वी खंड में इस समय कितने सहायता कैम्प हैं;

(ख) उन कैम्पों में कितने विस्थापित व्यक्ति रह रहे हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ग) उन कैम्पों पर प्रतिदिन अनुमानतया कितना धन व्यय किया जाता है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) १५ जुलाई, १९५६ को कैम्पो की संख्या १५७ थी ।

(ख) १५ जुलाई, १९५६ को विस्थापित व्यक्तियों की संख्या २,५४,६९० थी ।

(ग) प्रतिदिन लगभग २ लाख रुपये ।

बोकारो कोयला की खानें

†८८२. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में बोकारो कोयला खानों के मजदूरों के लिये कितने क्वार्टर बनाने की आशा है;

(ख) अब तक कितने मजदूरों को क्वार्टर नहीं दिये गये हैं; और

(ग) कोयला खान कल्याण निधि श्रम संगठन का कितने क्वार्टर बनाने का विचार है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय लोक सभा पटल पर रखी जायेगी ।

बाइसिकल के टायर और ट्यूब

†८८३. **श्री केलाप्पन** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में भारत में बाइसिकल के कितने टायरों और ट्यूबों का आयात किया गया तथा उनका मूल्य कितना है;

(ख) आयात करने वाले फर्मों के नाम क्या हैं और उन्होंने किन देशों से आयात किया है; और

(ग) पिछले दो वर्षों में भारत में टायर व ट्यूब का कितना उत्पादन किया गया ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी)**: (क) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १२**]

(ख) १९५४–५५ और १९५५–५६ के लिये आयात वार आंकड़े नहीं रखे गये ।

चम्बल-घाटी परियोजना

८८४. **श्री राधेलाल व्यास** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चम्बल-घाटी परियोजना के अन्तर्गत सिंचाई के लिये नहर खोदने तथा बिजली का उत्पादन करने से सम्बन्धित निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) गांधी सागर पर बनने वाले बिजली घर से ट्रांसमिशन लाइन किन-किन मार्गों से कहां-कहां तक जायेगी; और

(ग) इस परियोजना के अन्तर्गत सिंचाई के लिये पानी और उपभोग के लिये बिजली मिलनी कब तक आरम्भ हो जायेगी ?

---

†मूल अंग्रजी में ।

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) नहरें : जुलाई सन् १९५६ के अन्त तक प्रगति इस प्रकार थी :—

कार्य	राजस्थान के भाग में कुल काम के हिसाब से प्रति सैकड़ा प्रगति	मध्य भारत के भाग में कुल काम के हिसाब से प्रति सैकड़ा प्रगति
मिट्टी का काम	२२.४५	५.५६
चट्टानों की कटाई	५१.१०	१३.६६
ईंट पत्थर तथा कंकरीट बिछाने का काम . . .	२४.४०	०.१९

(२) बिजली :—गांधी सागर पावर स्टेशन में तीन उत्पादन ऐकिक (जेनरेटिंग यूनिट) के प्रारम्भिक प्रतिष्ठापन के लिये जल चक्की (टरबाइन) जेनरेटर, मध्यम वोल्टेज स्विचगियर और ११ के० वी० स्विचगियर मंगाने का प्रबन्ध किया जा चुका है। स्टेप-अप ट्रान्सफोर्मर, कंट्रोल बोर्ड इत्यादि मंगाने का शीघ्र ही प्रबन्ध किया जायेगा। पावर स्टेशन के विस्तृत अभिकल्प (डिजाइन) और नक्शे केन्द्रीय जल तथा बिजली कमीशन में बनाये जा रहे हैं।

(ख) जिन मार्गों से होकर ट्रांसमिशन लाइनें जायेंगी वे इस प्रकार हैं:—

राजस्थान में (१) गांधी सागर बांध से कोटा :
(२) कोटा से जयपुर लखेरी तथा सवाई माधोपुर से होकर :
(३) कोटा से अजमेर :
(४) कोटा से भीलवाड़ा :
(५) मन्डावरी से गंगापुर :
(६) गंगापुर से करौली :
(७) अजमेर से किशनगढ़ :
(८) सवाई माधोपुर से नेवाई :

मध्य भारत में (१) गांधी सागर बांध से उज्जैन :
(२) उज्जैन से इन्दौर :
(३) उज्जैन से भोपाल देवास तथा सेहोर होकर और
(४) उज्जैन से नागदा होकर रतलाम।

(ग) सिंचाई के लिये पानी तथा जल विद्युत १९५९–६० तक मिलने की आशा है।

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, २३ अगस्त, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१२०९–३१
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३०१	गोआ में भारतीय राष्ट्रजन	१२०९–११
१३०२	'स्विमिंग पूल रियेक्टर' .	१२११
१३०३	गांधी जी के लेख, भाषण और पत्र	१२११–१२
१३०४	मधु-मक्खी पालन . . .	१२१२–१३
१३०५	ग्राम चमड़ा उद्योग	१२१४–१५
१३०७	नमक के उपोत्पाद	१२१५–१६
१३११	विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में छोटे पैमाने के तथा कुटीर उद्योग	१२१६
१३१२	हिन्दुस्तान शिपयार्ड	१२१६
१३१६	हिन्दुस्तान शिपयार्ड . . .	१२१७
१३१३	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में काफी की खेती .	१२१७–१८
१३१९	लिनोलियम का निर्यात . . .	१२१८–१९
१३२२	नदी घाटी परियोजनाओं के लिये मशीनों का प्रमापीकरण	१२१९
१३२३	चाय . . .	१२२०–२१
१३२४	जहाजों के लिये इंजन और बायलर	१२२१–२२
१३२५	बर्मा की कोयले की खानें .	१२२२–२३
१३२७	अम्बर चर्खा	१२२३–२४
१३४०	वस्त्र जांच समिति . .	१२२४
१३२९	पन-बिजली संसाधनों का सर्वेक्षण.	१२२५
१३३०	भारत की उत्तरी सीमा.	१२२५–२६
१३३१	विज्ञापन एजेंसियां .	१२२६–२७
१३३२	शिक्षाविज्ञों की तालिका	१२२८
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
१२	कोसी परियोजना	१२२९–३१
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१२३१–४९
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३०६	कम्प्रैसर और रेफ्रिजेटर के कारखाने	१२३१
१३०९	प्रलेखीय चलचित्र . .	१२३१
१३१०	यमुना के पानी का अन्तर्राज्यिक वितरण	१२३१–३२
१३१४	आणविक परीक्षण	१२३२

[दैनिक संक्षेपिका]

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश:	विषय	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३१५	बिजली के भारी सामान का कारखाना, भोपाल	१२३२–३३
१३१७	बाढ़ नियंत्रण बोर्ड	१२३३
१३१८	आणविक परीक्षण	१२३३
१३२०	बिजली के बल्ब	१२३३–३४
१३२१	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तिओं का पुनर्वास	१२३४
१३२६	रुई का वायदा बाजार	१२३४
१३२८	भारत-पाक व्यापार करार	१२३४–३५
१३३३	नंगल भारी पानी परियोजना	१२३५
१३३४	इन्टरनेशनल कंसट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	१२३५
१३३५	बर्मा के साथ व्यापार	१२३५
१३३६	सड़क कूटने का इंजीन	१२३६
१३३७	कार्टून फिल्में	१२३६
१३३८	पटसन का सामान	१२३६
१३४१	जनशक्ति निदेशालम	१२३६
१३४२	कोयला आयुक्त के कार्यालय का कलकत्ता से स्थानान्तरण	१२३७
अतारांकित प्रश्न संख्या		
८५६	बाढ़ की रोकथाम का कार्यक्रम	१२३७
८५७	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	१२३७–३८
८५८	हाथ से बने कागज का उद्योग	१२३८
८५९	राजस्थान में विस्थापित व्यक्ति	१२३८
८६०	जस्ता और सीसा	१२३८–३९
८६१	भाखड़ा बांध परियोजना	१२३९–४०
८६२	पिछड़े क्षेत्रों का विकास	१२४०
८६३	रेडियो सेट	१२४०
८६४	सिलाई की मशीनों के कारखाने	१२४०
८६५	बन्दू में यूरेनियम	१२४०–४१
८६६	मोटर उद्योग	१२४१
८६७	प्रचार सामग्री प्रतियोगिता	१२४१
८६८	कपड़े की मिलें	१२४१–४२
८६९	काफी का उत्पादन	१२४२
८७०	रूस को निर्यात	१२४२
८७१	मनीपुर में विस्थापित व्यक्तियों के लिये कृषि भूमि	१२४२
८७२	गांधीजी के जीवन से सम्बन्धित घटनायें	१२४२–४३
८७३	खादी और ग्रामोद्योग	१२४३

[दैनिक संक्षेपिका]

प्रश्नों क लिखित उत्तर---क्रमश: अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
८७४	संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का योगदान .	१२४३
८७५	चाणक्यपुरी	१२४४–४५
८७५	आकाशवाणी, जालंधर . .	१२४५–४६
८७७	कुटीर उद्योग	१२४६
८७८	फिरोजपुर जिले के लिये बाढ़ की रोकथाम की योजना	१२४६–४७
८७९	कोयला	१२४७
८८०	केन्द्रीय लोक दिर्माण विभाग में काम के लिये स्थायी रुपसे रखे गये कर्मचारी	१२४७
८८१	पूर्वी खंड में विस्थापित व्यक्तियों के लिये सहायता कैम्प	१२४७–४८
८८२	बोकारो कोयला की खानें . . .	१२४८
८८३	बाइसिकलों के टायर और ट्यूब .	१२४८
८८४	चम्बल घाटी परियोजना . .	१२४८–४९

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ७, १९५६

(६ से २५ अगस्त, १९५६)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Parliament Library

तेरहवां सत्र १९५६

(खण्ड ७ में अंक १६ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

231 L. S./57

विषय-सूची

[भाग २—वाद-विवाद दिनांक, ६ से २५ अगस्त, १९५६]

अंक १६, सोमवार, ६ अगस्त, १९५६	पृष्ठ
स्वेज नहर के मामले पर वक्तव्य के सम्बन्ध में .	६९५–९६
स्थगन प्रस्ताव——	
त्रिपुरा में बाढ़े .	६९६–९८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र .	६९८–९९
राज्य सभा से सन्देश . . .	६९९
उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) विधेयक .	७००
राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	७००–३९
खंड २ से १५	७००–०२
खंड १६ से ४९ और अनुसूचि १ से ३	७०२–१९
खंड ५० से ७० . . .	७१९–३२
खंड ७१ से ११४ और अनुसूची ४ से ६	७३२–३९
दैनिक संक्षेपिका	७४०–४१

अंक १७, मंगलवार, ७ अगस्त, १९५६	
प्राक्कलन समिति—	
कार्यवाही का सारांश (१९५५–५६) खंड ५, अंक ४ और ५	७४३
बिहार तथा पश्चिमी बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक	७४३
राष्ट्रीय राजपथ विधेयक	७४३
राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . .	७४४–८६
खंड २ से १५	७४४–६३
खण्ड ७१ से ११४ और अनुसूची ४ से ६ . .	७६३–६६
खण्ड ११५ से १३१ . . .	७६६–८६
दैनिक संक्षेपिका . .	७८७

अंक १८, बुधवार, ८ अगस्त, १९५६	
डा० ह० कु० मुकर्जी का निधन .	७८९–९०
स्वेज नहर के प्रश्न के बारे में वक्तव्य . . .	७९०–९५
दैनिक संक्षेपिका .	७९६

अंक १९ गुरुवार, ९ अगस्त, १९५६ **पृष्ठ**

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ७९७–९८

राज्य सभा से सन्देश ७९८

सभा का कार्य ७९८

स्थगन प्रस्तावों के संबंध में ७९९

राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . . ७९९–८५२

खण्ड २ से १३१, अनुसूची १ से ६ और खण्ड १ . . . . ७९९–८५०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८५१

नदी बोंड विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में— ८५२–६३

विचार करने का प्रस्ताव ८५२

दैनिक संक्षेपिका . . ८६४–६५

अंक २०, शुक्रवार, १० अगस्त, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

अहमदाबाद की स्थिति . . ८६७–६८

कार्य-मंत्रणा समिति—

उनतालीसवां प्रतिवेदन . . ८६८

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही का सारांश (१९५५–५६) खण्ड ५ संख्या ६ . ८६८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नेकोवाल दुर्घटना के संबंध में पाकिस्तान द्वारा क्षतिपूर्ति . ८६८–६९

नदी बोर्ड विदेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ८६९–७४

राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ८७४–९८

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८९४

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ८७–ख का हटाया जाना) . ८९८

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का संशोधन)—

विचार करने का प्रस्ताव . . . ८९८–९११

बेकारी सहायता विधेयक—

परिचालित करने का प्रस्ताव . . ९११

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ९१८

पृष्ठ

मोटरों के पेट्रोल पर उत्पादन शुल्क के बारे में आधे घंटे की चर्चा ९१९–२४

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक ९२४–२५

दैनिक संक्षेपिका . . ९२६–२७

अंक २१, शनिवार, ११ अगस्त, १९५६

राज्य-सभा से सन्देश ९२९

सभा का कार्य ९२९–३०

नदी बोर्ड विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में— ९३०–४१

खण्ड २ से २९ और १ . . . . . ९३०–४०

पारित करने का प्रस्ताव ९४०

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन ९४४

अन्तर्राज्यिक जल विवाद विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव . . . ९४१–४४, ९४५–५४

खण्ड २ से १३ और १ . . . ९५३–५४

पारित करने का प्रस्ताव . . . ९५४

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . ९५४–७४

दैनिक संक्षेपिका . . . ९७५

अंक २२, सोमवार, १३ अगस्त, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में सूखा . . . ९७७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ९७७–७८

राज्य सभा से सन्देश ९७८

अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन)

विधेयक के बारे में याचिका . ९७८

आधीनस्थ विधान संबंधी समिति—

पांचवां प्रतिवेदन . . . ९७९

वाद-विवाद से अंश निकाले जाने के बारे में .

कार्य मंत्रणा समिति—

उन्तालीसवां प्रतिवेदन ९७९–८०

पृष्ठ

तोल और माप मानदण्ड विधेयक . . ९८०

राष्ट्रीय राज पथ विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . ९८०–१०२४

खण्ड २ से १०, अनुसूची और खण्ड १ . १०१५–२४

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . १०२४

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियमों के बारे में प्रस्ताव . १०२४–३७

दैनिक संक्षेपिका १०३८–३९

अंक २३, मंगलवार, १४ अगस्त, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०४१

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६–५७ . १०४२

अतिरेक अनुदानों की मांगें, १९५१–५२ . . . १०४२

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६–५७ (त्रावनकोर-कोचीन) १०४२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

अट्ठावनवां प्रतिवेदन . १०४२

विद्युत (सम्भरण) संशोधन विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . १०४२–६८

बहु-एकक सहकारी संस्थाएं (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०७५–८०

खण्ड १ और २ . १०८०–८१

पारित करने का प्रस्ताव . १०८०

भारतीय खाल उपकर (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०८१–९०

खण्ड १ से ५ . १०९०

पारित करने का प्रस्ताव . . १०९०

भारतीय कपास उपकर (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . १०९०–९२

अगरतला में बाढ़ पीड़ित विस्थापित व्यक्तियों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . १०९३–९७

दैनिक संक्षेपिका . १०९८–९९

अंक २४, गुरुवार, १६ अगस्त, १९५६

श्री शिवदयाल उपाध्याय का निधन ११०१

सदस्य का बन्दीकरण ११०१

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११०१–०२

नियम समिति—

पांचवां प्रतिवेदन ११०२

लोक-लेखा समिति—

अट्ठारहवां प्रतिवेदन ११०२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में फसलों पर सूखे का प्रभाव ११०३–०४

बिहार तथा पश्चिमी बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ११०४–५२

विचार करने का प्रस्ताव . ११०४

खण्ड २ से ४ और नया खण्ड ४ क ११४६–४८

दैनिक संक्षेपिका ११५३

अंक २५, शुक्रवार, १७ अगस्त, १९५६

पटल पर रखे गये पत्र . . . ११५५

राज्य सभा से सन्देश ११५५

भारतीय रेलवे अधिनियम तथा उसके अधीन नियमों के बारे में याचिका . ११५६

सभा का कार्य ११५६,१२०६

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) विधेयक . ११५६–८८

खण्ड ३ से ५१, अनुसूची तथा खण्ड १ . ११७७–८६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . ११८६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

अठावनवां प्रतिवेदन ११८८

चलचित्रों के उत्पादन तथा प्रदर्शन के नियंत्रण और विनियमन के बारे में प्रस्ताव . ११८८–१२०५

राज्य नीति के निदेशक तत्वों की कार्यान्विति संबंधी समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प १२०५

दैनिक संक्षेपिका . १२०७–०८

अंक २६, सोमवार, २० अगस्त, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

अहमदाबाद की स्थिति १२०९–१०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १२१०

	पृष्ठ
राज्यसभा से सन्देश . . .	१२१०
समाचार-पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक .	१२११
सदस्यों का नन्दीकरण .	१२११
सदस्य द्वारा पदत्याग . .	१२११
भारतीय रुई उपकर (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	१२११–१५
खण्ड २ से ५ और १ . . .	१२१५
पारित करने का प्रस्ताव	१२१५
भारतीय नारियल समिति (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१२१५–२४
खण्ड २ से ४ और १ . . .	१२२३
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव .	१२२३
उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	१२२४–३४
खण्ड १ और २ . . .	१२३४
पारित करने का प्रस्ताव	१२३४
जम्मू तथा काश्मीर (विधियों का विस्तार) विधेयक—	
विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव . . .	१२३५
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	१२३५–३९
खण्ड १ से ३ .	१२३९
पारित करने का प्रस्ताव . . .	१२३९
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६–५७ .	१२४०–५६
सभा का कार्य .	१२३९
दैनिक संक्षेपिका .	१२५७–५८

अंक २७, बुधवार, २२ अगस्त, १९५६

नियम समिति—	
बैठक की कार्यवाही का सारांश . . .	१२५९
सभा पटल पर रखा गया पत्र	१२६०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
उनसठवां प्रतिवेदन	१२६०

पृष्ठ

मोटर गाड़ी अधिनियम के बारे में याचिका १२६०

सदस्य का निरोध १२५९
१२६०–६२

अतिरिक्त अनुदानों की मांगे, १९५१–५२ . . . . १२६२–७३

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम के बारे में प्रस्ताव .१२७३–१३०३

सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में १३०३–१५

विचार करने का प्रस्ताव १३०३

दैनिक संक्षेपिका १३१६–१७

अंक २८, गुरुवार, २३ अगस्त, १९५६

सभा पटल पर रखा गया पत्र १३१९

विनियोग (संख्या ३) विधेयक १३१९

विनियोग (संख्या ४) विधेयक १३२०

सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव १३२०–६०

खण्ड २ से ६, और खण्ड १ . . . . . १३५७–६०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १३६०

नागा पहाड़ियों की स्थिति के बारे में प्रस्ताव १३६०–७८

दैनिक संक्षेपिका १३७९

अंक २९, शुक्रवार, २४ अगस्त, १९५६

सभा पटल पर रखा गया पत्र. १३८१

विनियोग (संख्या ३) विधेयक १३८१–८२

विनियोग (संख्या ४) विधेयक १३८२

सभा का कार्य १३८२–८३

सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक . . . १३८३–९८

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १३८३

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक . . .१३९८–१४०५

विचार करने का प्रस्ताव . . १३९८

पृष्ठ

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . १४०५–१५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनसठवां प्रतिवेदन १४१५–१६

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी (अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना में सम्मिलित होने का विकल्प) विधेयक १४१६

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक— १४१६-२०,

विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . १४२७–२८

संविधान (छठी अनुसूची का संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १४२०–२२

दण्ड विधि संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १४२२–३४

दैनिक संक्षेपिका . . १४३५–३६

अंक ३०, शनिवार, २५ अगस्त, १९५६

सभा का कार्य १४३७–३८

राज्य सभा से सन्देश १४३८

भारतीय चिकित्सा परिषद् विधेयक १४३८

कार्य मंत्रणा समिति—

चालीसवां प्रतिवेदन १४३८

सदस्य द्वारा त्याग-पत्र १४३९

स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिकरण दमन विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . १४३९–४०

बाल विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में—

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . १४४०–४१

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक १४४१

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में . १४४१–५३

खण्ड २ और १ . . . . . १४५२–५३

पारित करने का प्रस्ताव १४५३

भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था (खड़गपुर) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १४५३–८१

खण्ड २ से ३१ और १ . . . . . १४७५–८०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १४८०

ेल और माप मापदण्ड विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . १४८१–८२
निक संक्षेपिका १४८३–८४

भा०स०मु०ना०—वि०३—२३१ लोक सभा/५६—२८–३–५८—१६०.

लोक-सभा वाद-विवाद

भाग २--- प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही

लोक-सभा

गुरुवार, २३ अगस्त, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२.०७ म. ब.

पटल पर रखा गया पत्र

मद्रास और त्रावनकोर-कोचीन में बाढ़ की स्थिति के सम्बंध में एक वक्तव्य

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : मैं मद्रास और त्रावनकोर-कोचीन में बाढ़ की स्थिति तथा उसके सम्बन्ध में अद्यतन सूचना प्राप्त करने के लिये किये गये प्रबन्धों के सम्बन्ध में वक्तव्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबंध संख्या १३**]

विनियोग (संख्या ३) विधेयक*

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में व्यय के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में व्यय के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री० म० च० शाह** : मैं विधेयक** पुरःस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

*भारत के असाधारण गजट में दिनांक २३-८-५६ को प्रकाशित हुआ। पृष्ठ.....

**राष्ट्रपति की अनुमति से पुरःस्थापित किया गया।

1—229 L. S. 56

विनियोग (संख्या ४) विधेयक

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)**: मैं प्रस्ताव करता हूं "कि ३१ मार्च, १९५२ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में कुछ सेवाओं पर व्यय की गई कुछ रशियों को पूरा करने के लिए उक्त सेवाओं के लिये उस वर्ष में अनुदत्त राशियों से अधिक राशियों के भारत की संचित निधि में से विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि ३१ मार्च, १९५२ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में कुछ सेवाओं पर व्यय की गई कुछ राशियों को पूरा करने के लिये उक्त सेवाओं के लिए उस वर्ष में अनुदत्त राशियों से अधिक राशियों के भारत की संचित निधि में से विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री म० च० शाह** : मैं विधेयक** पुर:स्थापित करता हूं ।

सरकारी भूगृहादि निष्कासन संशोधन विधेयक---(जारी)

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा सरदार स्वर्ण सिंह द्वारा २२ अगस्त, १९५६ को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर और आगे विचार करेगी :

"कि सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) अधिनियम १९५० में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

†**श्री म० कु० मैत्र** (कलकत्ता-उत्तर पश्चिम) : कल मैंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में से कुछ ऐसे सिद्धान्त बताये थे जो कि सरकार ने गन्दी बस्तियों का अर्जन करने तथा सुधार करने के लिये बनाये हैं । उसमें एक यह सिद्धांत भी था कि ऐसे कार्य में कम से कम लोगों को विस्थापित किया जायेगा तथा इस प्रकार से विस्थापित लोगों को उनकी बस्तियों के आसपास कहीं नजदीक ही बसाया जायेगा ताकि उनके रोजगार पर कोई प्रभाव न पड़े । मगर इस विधेयक में इस सिद्धान्त का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है । बल्कि इसमें यह कहा गया है कि उनको दूर के स्थानों पर भी भेजा जा सकता है । और केवल इतना ही नहीं, उनको उजाड़ने के लिये स्थानीय सरकार को भी अधिकार दे दिये गये हैं । जब इन लोगों को शहर की हदों से बाहर खदेड़ा जा रहा है, तब यह कहना कैसे न्यायसंगत है कि सरकार इनकी भलाई के लिये ही गंदी बस्तियों का सुधार कर रही है ?

इस सम्बन्ध में प्रवर समिति ने कई संस्थाओं के बयान लिये हैं, उसने यह भी विचार किया था कि इस प्रकार के साक्ष्यों को सविस्तार सभा में प्रस्तुत किया जायेगा । किन्तु अपने प्रतिवेदन के पृष्ठ १९ पर उन्होंने सहसा इस निश्चय को बदल दिया और यह निश्चय कर लिया कि इन साक्ष्यों को सभा के सामने प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है । मुझे समझ नहीं आता है कि उन्होंने यह निश्चय क्यों किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

*भारत के असाधारण गजट दिनांक २३-८-५६ को प्रकाशित हुआ । पृष्ठ....

**राष्ट्रपति की अनुमति से पुर:स्थापित किया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह निश्चय प्रवर समिति द्वारा किया गया है ?

†**श्री म० कु० मैत्र** : जा, हा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगर माननीय सदस्य ने मुझे पहले लिखा होता तो मैं इस विषय पर विचार कर लेता । कोई भी माननीय सदस्य यह कह सकता है कि वह उन साक्ष्यों को देखना चाहता है । मैं निश्चय ही इस प्रश्न पर विचार करता कि क्या वाद-विवाद में दिलचस्पी लाने के लिये उन साक्ष्यों का छपवाना जरूरी था अथवा नहीं ।

†**श्री म० कु० मैत्र** : यदि ये साक्ष्य सभा में रख दिये जाते तो सदस्यों को वस्तुस्थिति का ठीक ठीक पता चल जाता कि जिन लोगों पर इस विधेयक का प्रभाव होगा उनका इसके बारे में क्या विचार है ।

इस विधेयक का क्षेत्र भी बढ़ा दिया गया है । पहले केवल सरकार ही इन स्थानों का अर्जन कर सकती थी । अब दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं को भी यह अधिकार दे दिया गया है । इससे गरीब निवासियों को और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा ।

यह कहा गया है कि लोगों को निकालने से पहले उनको वैकल्पिक स्थान दिये जायंगे । किन्तु यह नहीं बताया गया है कि यह स्थान कहां पर दिये जायेंगे ? शहरों के बाहर अथवा शहरों के बीच में ही पहले स्थानों के कहीं नजदीक ही । फिर यह एक आश्वासन मात्र ही है । पहले भी ऐसे आश्वासन दिये जाते रहे हैं और तोड़े जाते रहे हैं । अतः उन गरीबों को ऐसे आश्वासनों से कोई सन्तोष नहीं हो सकता है ।

यह भी कहा गया है कि मंत्री महोदय एक परामर्शदाता समिति बनायेंगे । वह दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट आदि स्थानी निकायों की नीतियों का नियंत्रण करेगी । किन्तु इसका ही क्या विश्वास है कि दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट इस समिति की बैठक बुलायेगा ही ? और जब वह इस समिति की बैठक नहीं बुलायेगा तो यह समिति कभी भी कार्य नहीं कर सकेगी । फिर यह भी पता नहीं कि इस समिति के निश्चय माने भी जायेंगे कि नहीं । यदि सरकार यह समिति बनाना ही चाहती है तो उसे इस के ठीक कार्य करने के लिये तथा इसके निश्चयों को मनवाने के लिये इस विधेयक में एक पृथक खंड जोड़ना चाहिये ।

अन्त में मैं सरकार से अपील करूंगा कि उसे एक ऐसा विधेयक लाना चाहिये जो पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप हो और जिससे अधिकतम लोगों को वास्तव में लाभ हो सके ।

श्री राधा रमण (दिल्ली नगर): मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस बिल पर अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया । इस बिल में जो धारा अब जोड़ी जा रही है उसके अनुसार बहुत सारी जमीनें जो कि दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (दिल्ली सुधार न्यास) के अधीन हैं उनको खाली कराने का भी अधिकार सरकार को दिया जा रहा है ।

इस सम्बन्ध में कई बार सदन के सामने सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं और यह भी आप भली भांति जानते हैं कि इस विधेयक को इस सदन के सामने रखने के बाद दिल्ली के प्रतिनिधियों और अन्य वक्ताओं ने इससे उठने वाली बहुत सी दिक्कतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है और उसके परिणामस्वरूप यह विधेयक ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) को भेजा गया और अब यह वहां से होकर वापिस आया है । इसमें विशेष कोई संशोधन नहीं हुआ है और जैसे का तैसा यह सदन के सामने आया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री राधा रमण]

मैं इससे पहले कि इस विधेयक की स्वीकृति सदन के सदस्यों को देने की सलाह दूं मैं कुछ बातों की ओर सदन के सदस्यों का और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। दिल्ली शुरू में जब कि बादशाह शाहजहां ने इसको बसाया था तो ६० हजार आदमियों के लिए बसायी गयी थी और यह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ कर अब करीब करीब २० लाख के मनुष्यों की एक नगरी हो गई है। जब ६० हजार आदमी इस दिल्ली में बसते थे तो इसकी खूबसूरती दुनिया में बहुत ही मशहूर थी, यहां तक कि जो लोग बाहर से आते थे उन लोगों ने भी इसकी बहुत तारीफ की। इसकी सुन्दरता की तारीफ की और इसमें रहने वालों के रहन-सहन के ढंग की भी बहुत तारीफ की, लेकिन जहां दिल्ली की आबादी लगातार बढ़ती गई वहां इस बात का सही इंतजाम न पहले की सरकार ने और न अब की सरकार ने किया कि जो दिल्ली की आबादी रोजबरोज बढ़ती जा रही है उसे हम किस तरीके से बसायें। जिस प्रकार जिस हिस्से ने बढ़ना चाहा उस तरह उसको बढ़ने की इजाजत मिलती रही और नतीजा यह हुआ कि अगर १८९१ में इस दिल्ली नगर की आबादी २ लाख थी, तो १९०१ में वह २ लाख, ६ हजार हुई, १९११ में २ लाख और २५ हजार हुई, १९२१ में २ लाख, ४८ हजार, सन् १९३१ में ३ लाख, ४८ हजार, १९४१ में ५ लाख, २२ हजार, सन् ५१ में ९ लाख, १५ हजार और अब जो सन् १९६१ आने वाला है उसमें उसकी आबादी का अंदाजा कम से कम २५ लाख का लगाया जा रहा है। आज हम सन् १९५६ में जब कि वह आधे से ज्यादा बीत चुका है यह बात कर रहे ह और आज उसकी आबादी करीब करीब २० या २१ लाख की है। जरा आप अंदाजा लगायें कि एक शहर जिसको कि ६० हजार के लिए बसाया गया हो और शुरू के सालों में उसकी जनसंख्या हजारों के हिसाब से बढ़ी हो और पिछले १०, १२ सालों के अन्दर उस संख्या में तिगुनी, चौगुनी और पांचगुनी बढ़होत्री हुई हो, उस बढ़ते हुए शहर को किस तरीके से आबाद करना चाहिए, यह हमारे देखने की बात है। आज सूरत यह है कि दिल्ली के आप किसी गिर्दोनवा में चले जाइये, आपको आम लोग इस तरह बसे हुए नजर आयेंगे जिस तरह की कीड़े मकोड़े बसते हैं। हम स्लम क्लिएरेंस (गंदी बस्ती हटाने) की बात करते हैं, हम अपने देश के सुधार की बात करते हैं, मगर दिल्ली में जो कि सारे देश भर की राजधानी है और जहां कि सारे देश की क्रीम बैठकर महत्वपूर्ण मामलों पर फैसला करती है, उस दिल्ली नगर की कैसी खराब अवस्था है और वहां आम लोग किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

मैं जरा आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस वक्त दिल्ली में करीब करीब ९०० कटरे हैं जिनको कि हम स्लम्स (गंदी बस्तियां) कहते हैं और उनके अंदर ६०० से लेकर १२०० तक फी एकड़ के अंदर आबादी है जब कि तमाम दुनिया के सभ्य देशों में एक एकड़ में २०० आदमी बस्त हैं और हम भी इसे कबूल करते हैं कि एक एकड़ में ज्यादा से ज्यादा २०० आदमियों को बसने की इजाजत दी जानी चाहिए। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि जरा यह तो सोचिये कि जहां २०० आदमियों को आबाद होना चाहिये वहां पर ९०० और ११०० आदमी बसते हैं और उसमें भी १ एकड़ के अंदर जब हम प्रति एकड़ ९०० व्यक्तियों का विचार करते हैं तो उनमें वह जमीनें भी शामिल हैं जो छोटे-छोटे बागीचे हैं, छोटे मदरसे हैं या छोटे शफाखाने हैं और उनको लेकर ९०० और ११०० के करीब उसकी आबादी है। अगर इन जगहों को निकाल दिया जाय तो वहां पर आबादी करीब १५०० और १६०० फी एकड़ हो जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि एक एकड़ जमीन में जहां २०० की इजाजत सारे सभ्य देशों में हो, देश की राजधानी में अगर एक एकड़ के अन्दर १५०० या १४०० आदमी रहते हों तो आप स्वयं अंदाजा कर सकते हैं कि उनका रहन सहन कैसा होगा। दिल्ली में ऐसे अनेकों जमींदोज मकान मौजूद हैं जहां पर २४ घंटे अंधेरा रहता है और रोशनी और हवा का वहां नाम नहीं है। दिल्ली में ऐसी भी जगहें हैं जहां कि मुश्किल से २, ३ आदमी अपने पैर पसार सकते हैं वहां पर ५, ५ और ६, ६ आदमियों की एक फैम्ली रह रही है और उनके सिर पर छत नहीं है, कोई दीवारें नहीं हैं और लोग झोपड़ियां डाल कर अपने दिन काट रहे हैं। हालत यह है कि जब बरसात होती है तो ऐसे सैकड़ों मकान ढह जाते हैं और टूट कर गिर पड़ते हैं और मकानों के गिर पडने से हर साल दिल्ली में २, ४ आदमियों की जानें भी जाती हैं। शायद अखबारों में आपने पढा होगा कि अभी चन्द दिन हुए शहर के बिलकुल मध्य में स्थित बाजार सीताराम की बंदूक

वाली गली में एक मकान टूट कर गिर पड़ा और उसके गिरने से कई लोगों को चोटें आई और उससे एक बच्चा मर भी गया। उसके १० दिन बाद ही उसके नजदीक का एक दूसरा मकान गिरा और उसके गिरने से भी कई लोगों को चोटें आईं। रात, दिन बरसात के दिनों में जहां मकान गिरते हैं लोग किसी तरह से सिर ढांके पड़े हैं और किसी परह अपनी जिन्दगी गुजार रहे हैं और मकान के गिर जाने पर बच्चे, मर्द और औरतें मलबे पर अपनी जिन्दगी गुजार रहे हैं। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (सुधार न्यास) भी मौजूद है, हमारी सरकार भी मौजूद है, मैं उनकी नीयत पर कोई हमला नहीं कर रहा हूं और न ही मैं उनकी कोई शिकायत करना चाहता हूं मगर मैं यह जरूर समझता हूं कि इस का कोई हल निकालना बहुत जरूरी है। और इसका हल आज और अभी निकालना जरूरी है। जब बड़े बड़े मसलों को हमारी सरकार हल करती है, उनके लिये ऐसे सुझाव और रास्ते निकालती है जिनसे वह दुःख दर्द दूर होते हैं, तो कोई वजह मेरी समझ में नहीं आती कि हमारी इतनी बड़ी सरकार होते हुए भी और इतना उसका नाम होते हुए भी, राजधानी जैसी जगह में इस बात का फैसला करने में कई कई बरस लग जाते हैं कि किस तरह से स्लम हटाये जायेंगे, वहां के लोगों को किस तरह से सर छिपाने के लिये जगह दी जाये। आज सूरत यह है कि दिल्ली के गिर्दा-नवा में कोई ऐसी जमीन नहीं है, जिसको, मामूली या गरीब आदमी तो छोड़िये, एक छोटे दर्जे का इन्सान भी किसी सूरत से उसे ले सके, क्या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीनें, क्या केन्द्रीय सरकार की जमीनें और क्या उन लोगों की जमीनें जिनके पास बहुत सम्पत्ति है और जो कि लिमिटेड कंसर्न्स (लिमिटिड समवाय) रखते हैं, जिन्होंन जमीनें हासिल कर ली है और कालोनाइजर्स (बस्ती बसाने वाले) बन कर थोड़े दामों में जमीनें लेते हैं और उन लोगों को देते हैं जो कि पूरा मुआवजा दे सकते हैं और करारी कीमत अदा कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यह सरकार जो समाजवादी ढांचे की बातें करती है, जो कदम उठा रही है कि जो डिस्पैरिटी (असमानता) है, अमीर और गरीब का जो फर्क है उसे पूरा करे, जो जनता को खुशहाली की मंजिल पर ले जाना चाहती है, वह इन ९०० कटरों के रहने वालों के लिये क्या कर रही है जिन में बसने वालों की तादाद तीन लाख है, जिनके लिये हमारे भाई ने कहा कि उनमें बहुत से रिफ्यूजीज हैं, हां, उनमें काफी संख्या में रिफ्यूजीज (शरणार्थी) हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जो बीस बीस, तीस तीस, चालिस चालिस, साल से वहां बसते हैं और बमुश्किल तमाम दिन भर मेहनतकशी करके थोड़ा सा पैसा कमाते हैं और उससे अपना और अपने बच्चों का पेट भरते हैं।

मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई, और मैं धन्यवाद करता हूं अपने प्रधान मंत्री का जिन्होंने इस ओर ध्यान दिया और इस सिलसिले में कुछ अर्सा हुआ कई मीटिंगें भी बुलाई जिसके नतीजे के तौरपर दिल्ली में कुछ हरकत हुई। कुछ ऐसे कटरे दुरुस्त हुए जो बहुत ही खराब ओर खस्ता हालत में थे, जिनकी रिहाइश को इन्सानी रिहाइश कहना मुनासिब नहीं माना जा सकता, उन कटरों का कुछ सुधार हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो सुधार हुआ है, उसको भी हमारे मेम्बरान जाकर देखें कि क्या सुधार नानआफिशल एजेंसी यानी भारत सेवक समाज के जरिये हुआ है और क्या म्यूनिसिपल कमेटी के जरिये हुआ है क्या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के जरिये हुआ है? इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक ऐसी जमात है, जिससे हर शख्स, जो दिल्ली में बसता है, बड़ी बड़ी तवक्को रखता है, और शहर की बड़ी आवश्यकतायें पूरी हो सकती हैं, लेकिन मुश्किल यह है, बदकिस्मती यह है कि हम यह देखते हैं कि जब कि एक एक कटरे की बेहतरी के लिये हुकूमत ने पांच हजार रु० खर्च किया है, अगर उस कटरे का मुकाबला उस कटरे से किया जाय जिसका सुधार नान आफिशल एजेन्सी (गैर सरकारीं अभिकरण) ने तीन हजार रु० में किया है, तो जमीन आस्मान का अन्तर मालूम पड़ता है। इन सारी चीजों को देखकर हमको बहुत तकलीफ होती है। यह रुपया जो सरकार ने खर्च किया है या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने खर्च किया है वह इस तरह से किया है कि जो इन्सान आज आसानी की जिन्दगी बसर नहीं कर रहे हैं, किसी तरह से सर छिपा कर पड़े हैं, उनको पूरा फायदा पहुंचे। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को चाहिये तो यह था कि जो कटरे भारत सेवक समाज ने तीन हजार रुपये में ठीक किये, उनको वह ढाई हजार रुपये में ठीक करता। जिन ७० कटरों का इन्तजाम ट्रस्ट ने अपने हाथ में लिया था उनका काम ज्यादा अच्छा होना चाहिये था, लेकिन वह नहीं हुआ। अभी मैं कह रहा था कि गरीब या मामूली आदमी की बात तो छोड़िये, कोई छोटे दर्जे का आदमी जो

[श्री राधा रमण]

कि थोड़ा बहुत पैसा दे सकता है, आज दिल्ली में जमीन नहीं ले सकता है। वजह यह है कि चारों तरफ ट्रस्ट ने जमीन पर काबू कर लिया है, कंट्रोल कर रखा दिया है, या तो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीन है, या सरकार की है, या लड डेवेलपमेंट आफिसर (भूमि विकास पदाधिकारी) की है या वह जमीन उन कालोनाइजर्स की है जिनको मकसद गरीब आदमी के साथ कोई रवादारी नहीं है, या उनको सहायता पहुंचाना नहीं है बल्कि वह जमीन जो खरीदते हैं, उसके अन्दर कड़ा मुनाफा कमाना उनका काम है। आज उन लोगों की हालत क्या है जो तीन लाख की तादाद में ऐसे कटरों में रहते हैं? आज आप को ऐसे कटरे देखने को मिलेंगे जहां पर बरसात के दिनों में सांप निकलते हैं और वहां के रहने वाले बच्चे और सांप आपस में खेलते हैं, अगर कहीं उसका जहर किसी बच्चे के ऊपर असर कर जाये तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। रातों वह लोग बैठ कर गुजारते हैं कि कोई सांप निकल कर कहीं किसी को डस न ले। इस तरह की जिन्दगी उनकी बरसात में होती है।

हमारा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या सरकार इस विधेयक द्वारा पुराने बिल में नई धारा शामिल करने जा रही है। इसका नतीजा क्या होगा कि आप ट्रस्ट को यह इजाजत देंगे कि जगह जगह से लोगों को उठाया जा सके। यह ठीक है कि इम्प्रवमेंट ट्रस्ट की तरफ से, और हमारे वजीर हेल्थ (स्वास्थ्य मंत्री) की तरफ से यह आश्वासन हमको दिलाया गया है, और हम यह भी मानते हैं कि उन्होंने इस पर कड़ी निगाह रक्खी है और पहले से हालत बेहतर हुई है, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारा यह यकीन है, और हम इसको रात दिन देख रहे हैं, शहर में ही रहते हैं, कि बावजूद इन ऐश्योरेन्सेज (आश्वासनों) के, जो लोग इन कटरों में बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं उनको रातों नींद नहीं आती है क्योंकि करीब करीब हर महीने उनके नोटिस पहुंच जाते हैं, एक बार उनको बुला कर जरूर कहा जाता है कि तुमको यहां से हटना है, और वह रात दिन इसी ख्याल में रहते हैं कि उनको आज नहीं तो कल यहां से हटना है। आप यह कहते भी हैं कि आपने यह फैसला किया है कि उनको तब तक नहीं हटायेंगे जब तक उनके लिये कोई दूसरी जगह मयस्सर नहीं करेंगे, लेकिन आप इन तीन लाख आदमियों को, या उनमें से पचास हजार आदमियों को ही, उठा कर किस तरह से बहतर तरीके पर बसा सकते हैं और वह जिन्दगी दे सकते हैं जो उन्हें मिलनी चाहिये। आप एक तरफ इस तरह का कानन पास करते हैं और दूसरी तरफ यकीन दिलाते हैं। नोटिस दिला कर आप एक तरफ तो हाकिमों से कहते हैं कि इस पर अमल करो और दूसरी तरफ आप लोगों से कहते हैं कि आपको तकलीफ न होगी। दोनों को आप मुश्किल में डालते हैं।

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की तरफ से उन लोगों को निकाल कर जहां जहां बसाया है वहां की हालत मैंने देखी है। आपने कहा कि अन्धा मुगल ने हमारी अजमेरी गेट स्कीम के लोगों के लिये बना इसलिये हम अजमेरी गेट से लोगों को उठा कर वहां ले गये। हम लाजपतनगर में छोटे-छोटे टेनमेंट्स बना रहे हैं, झिलमिल ताहरपुर में छोटे छोटे मकान बन रहे हैं, जहां पर उनको ले जायंगे। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप खुद जाकर इस बात का मुआयना करें, इस सदन के हमारे मेम्बरान वहां जाकर मुआयना करें, तो देखेंगे कि किस तरह से उनकी जिन्दगी खराब की जा रही है, किस तरह से उनको और ज्यादा मुसीबत में डाला जा रहा है, अगर छः छः मील, सात सात मील पर ले जाकर उनको रक्खा गया और यह उम्मीद दिलाई गई कि वहां पर उनको कुछ काम करने का या रोजी कमाने के लिये धन्धा मिलेगा, लेकिन ऐसा होना सम्भव नहीं है और उनकी जिन्दगी बद से बदतर होने का इमकान है।

मैं यह कह रहा था कि मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि इस तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की तवज्जह हुई, हमारे होम मिनिस्टर (गृहमंत्री) साहब की तवज्जह हुई, हमारे हाउसिंग और सप्लाई मिनिस्टर साहब की तवज्जह हुई और कुछ हमने हरकत की और हमारा कदम इस तरफ बढ़ा। हम इसका कोई मुकम्मिल सोल्यूशन या सुझाव चाहते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि बावजूद इस सबके, आज जो रफ्तार हमारी है, जिस तरीके पर हम चल रहे हैं, उस तरीके से शायद मेरी अपनी जिन्दगी में तो वह दिन नहीं आता मालूम होता कि जिस दिन

यह तीन लाख की आबादी, जिसको आपको बसाना है, इन्सानी जिन्दगी हासिल कर सके। जैसी इन्सानी जिन्दगी को आप और हम इस आजाद हिन्दुस्तान में कायम करने की ख्वाहिश करते हैं और कहते हैं कि इस हिन्दुस्तान में एक भी इन्सान ऐसा न रहे जिसके पास सर छिपाने के लिये जगह न हो। मुझे यह जान कर बड़ी खुशी हुई कि जनाब ने चन्द दिन हुए जमुना बाजार को जाकर देखा कि वहां के लोगों की क्या हालत है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि जनाब ने इस बात की ख्वाहिश जाहिर की कि पार्लियामेन्ट के मेम्बरान काफी तादाद में जाकर जमुना बाजार के दर्दनाक मंजर को देखें। मैं यह जानता हूं कि इस सबका नतीजा अच्छा होने वाला है। मैं जानता हूं कि इससे कुछ हमारे कदम और भी तेज होंगे और आगे बढ़ेंगे और हम उस मंजिल की तरफ जिस तरफ हम जाना चाहते हैं और ज्यादा तेजी से जा सकेंगे। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिस वक्त यह बिल हमारे सामने आया तो हमने इस चीज का इजहार किया कि इस बिल को आप वापस ले लें क्योंकि जो पावर्ज (शक्तियां) आप के पास हैं, उन पावर्ज के इस्तेमाल से आप बहुत ज्यादा मकान जो केन्द्रीय सरकार के हैं, वे जमीनें जो केन्द्रीय सरकार की है, और जिन पर नाजायज कब्जा है खाली करा सकते हैं। लेकिन चारों तरफ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का जाल बिछा हुआ है और कोई भी जमीन ऐसी नहीं है कि जिसको किसी गरीब आदमी को सर छिपाने के लिये दिया जा सके। न आप उनको कोई जमीन एक्वायर (अर्जित) करके देना चाहते हैं तो क्यों इस बात की जरूरत महसूस होती है कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीनों को यह धारा बढ़ा कर खाली कराने की मजीद ताकत आप उसे दें। मुझे डर है कि इसका दुरुपयोग होगा। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि मुझे अपने वजीरों की नियत पर कोई शक नहीं है, कोई सन्देह नहीं है। लेकिन मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि जो रास्ता वह आज अख्तियार कर रहे हैं उससे लोगों की तकलीफों में इजाफा ही होगा उनमें कोई कमी नहीं आयेगी। यह बात मैं पूरे यकीन से और विश्वास से कह सकता हूं। मैं यह नही कहता कि इस बिल का मकसद खराब है। मैं तसलीम करता हू कि जब यह धारा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीनों पर लागू नहीं होती थी तब भी चन्द लोगों ने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीनों पर कब्जा करके उनसे नाजायज फायदा उठाया है और हजारों रुपया बतौर रैंट वसूल किया है और कर रहे हैं। तो एक तरफ वे गरीब आदमी हैं जो कि मुसीबतें में है, जो कि दुखी हैं लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे मौकों पर फायदा उटाते हैं मगर उनकी तायदाद सैकड़ों से ज्यादा नहीं है। इसके मुकाबले में गरीबों की तायदाद बहुत अधिक है। इसलिये जहां इस धारा से ट्रस्ट को ऐसे नाजायज काम करने वालो को रोकना है वहा इन लाखों गरीबों की हालत सुधारना है न कि उन्हें तकलीफ पहुंचाना है। जिन आदमियों ने ट्रस्ट जमीनों पर कब्जा कर रखा है और जो अपने आपको उनका मालिक मान बैठे हैं, सैकड़ों की तादाद में किरायदार रखे हुए हैं और हजारों रुपया उनसे वसूल कर रहे हैं। उन्हें जरूर बेदखल करना वाजिब है। लेकिन दूसरों को नहीं। हम अपने वजीरों को किसी तरह से भी ब्लेम न करते हुए और उनकी नियत पर पूरा-पूरा भरोसा रखते हुए यह अपना फर्ज समझते हैं और समझते हैं कि यह हमारा हक भी है कि जो मुश्किलात पैदा होती हैं या हो सकती है उनको उनके सामने रखें। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं यह अपना फर्ज समझता हूं कि आपको मैं यह बताऊं कि यह धारा जो कि आप बढ़ाने जा रहे हैं, इसको आप न बढ़ायें तो अच्छा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे नुकसान होगा और लोगों की तकलीफात बढ़ेंगी। इसलिये मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि बावजूद इसके कि हमारी यह इच्छा होती है कि हम इस विधेयक की इस धारा को जो बढ़ाई जा रही है, नामंजूर करें और हम यह साफ साफ कह देना चाहते हैं कि इससे तकलीफ बढ़ती ही दिखाई देती है और उन तीन लाख इन्सा ों की जो कि हैवानों की सी जिन्दगी बसर कर रहे हैं और जिनकी हालत को सुधारना हमारा फर्ज है, हालत और भी खराब हो जाने का डर है। कोशिश तो हमें यह करनी चाहिये कि इनको हम अच्छी तरह से बसायें और कोई ऐसा काम न करें जिससे इन्हें अपने रोजगार से हाथ धोना पड़े, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि इस विधेयक से उनकी दशा और भी दयनीय होने वाली है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको झील क्लुंजा की हालत बताना चाहता हूं। झील क्लुंजां इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का एक हिस्सा है और यहां पर कोई १०,००० की आबादी है। परसों जब हम वहां गये तो हमने पाया कि वहां मकानों में पानी भरा था और वहां बच्चे, मर्द, औरतें, बूढ़े सबके सब अपने हाथों में बाल्टी या तसला लिये हुए थे और पानी निकाल रहे थे। वहां पर सरकार के दो एंजिन

[श्री राधा रमण]

भी खड़े हुए थे लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा था। जब तमाम सरकारी मशीनरी को हिलाया गया तब जाकर कहीं एंजिन काम करने लगे और वहां से पानी निकाला गया। मेरा ख्याल है कि इस कारण कई लोगों ने दिन भर खाना भी न खाया वहां पर पानी भरा हुआ था। तिस पर भी हमारे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की तरफ से उन लोगों के पास नोटिस पहुंचे रहे हैं कि आप को ये मकान खाली करने होंगे। अब आप ही बताइये कि ऐसी हालत में कोई भी शख्स जिसके दिल में गरीबों के लिए कुछ थोड़ी सी भी हमदर्दी है, क्या सोचेगा। आपकी नियत चाहे ठीक हो लेकिन आपके नीचे जो काम करने वाले हैं वे कोई और ही अर्थ निकाल लेते हैं और फिर जो नताइज निकलते हैं वे हमारे सामने आ जाते हैं। तो मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि यह विधेयक जो कि इस वक्त इस सदन के सामने आया है इसमें मुझे कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आती जिससे मुझे किसी किस्म का विरोध हो फिर भी मैं समझता हूं इसके अम्ल में आने से उन लोगों के ऊपर तकलीफें आने वाली हैं जो कि ऐसी बस्तियों में रह रहे हैं, या ऐसे कटरों में रह रहे हैं। चन्द महीने हुए कि हमारे सामने जो हाई पावर कमिटी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिठाई थी उसके अन्दर कई फैसले किये गये थे। कुछ पर अमल हुआ था और कुछ पर अभी अमल होना बाकी है। नतीजा यह है कि जो मालिक मकान हैं वे यह समझने लग गये हैं कि उनकी जमीनें उनसे छीनी जायेंगी और उनके कटरों को खत्म कर दिया जायगा इसलिए उन्होंने किरायेदारों को नोटिस देकर तंग करना शुरू कर दिया है और अदालतों में जा रहे हैं। हमने अपने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने यह बात रखी थी और अपने मंत्री जी के सामने भी इस बात को रखा था कि वह बहुत जल्दी एक ऐसा कानून लागू करें जिससे इन किरायेदारों की यह तकलीफें खत्म हों और उनको मालिक मकान तंग न कर सकें। उस वक्त यह विचार हुआ था कि आर्डिनेंस के जरिये मालिक मकान को ऐसा करने से रोका जाय परन्तु बाद में शायद यह महसूस किया गया कि आर्डिनेंस (अध्यादेश) से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है इसलिए इस अध्यादेश के आइडिया (ख्याल) को त्याग दिया गया और यह फैसला किया गया कि एक विधेयक लाया जाय। आज हम उस विधेयक के लिये इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास हर रोज सैकड़ों लोग आते हैं और हमसे इसके बारे में पूछते हैं और अपनी तकलीफों का जिक्र करते हैं। वक्त बीतता जा रहा है लेकिन कोई विधेयक पेश नहीं किया जा रहा है। पार्लियामेंट (संसद) को अपने काम से फुरसत नहीं मिलती और हमारे माननीय मंत्री जी को उस विधेयक को लाने की गुंजाइश नजर नहीं आती। इसका नतीजा यह हो रहा है कि महीनों पर महीने गुजरते चले जा रहे हैं और बेदखलियां होती जा रही हैं। जहां पर एक तरफ हम गन्दी बस्तियों का सुधार करना चाहते हैं वहां पर हम यह भी देखते हैं कि नई गन्दी बस्तियां बनती जाती हैं और उन गरीबों की तकलीफ बढ़ती ही जाती है जिने हम बसाना चाहते हैं, जिनको हम ऊंचा उठाने चाहते हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, में बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि इस विधेयक को पास करने से पहले हमारे वजीर साहिबान को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिये कि क्या वे करने जा रहे हैं और क्या उसके नताइज निकलने वाले हैं।

मैं प्रार्थना करता हूं कि कम से कम दो काम तो आप अवश्य कीजिये। एक काम तो आपको यह करना चाहिये कि आप उस कानून को जो आप लाना चाहते थे उसे आप जल्दी से जल्दी लायें और दूसरे कम से कम एक एलान के जरिये आप यह कह दें कि किसी गरीब आदमी को नोटिस नहीं दिया जायगा और अगर नोटिस दिया जायगा तो वह बिल्कुल वे मानी होगा और उसका कोई अमल नहीं होगा और कोई उनको उठा नहीं सकेगा। अगर आपने ऐसा किया तो वे लोग जो आज वहां रह रहे हैं वे आराम की नींद सो सकेंगे और कम से कम यह महसूस कर सकेंगे कि आज हिन्दुस्तान में एक आजाद हकूमत है और इस हकूमत की तरफ से किसी किस्म की तकलीफ पहुंचाय जाने की आशा नहीं की जा सकती। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि हमारे वजीर साहिबान जो इस बिल से ताल्लुक रखते हैं वे इन बातों को सोचें और कोई ऐसा हल निकालें जिससे कि इन लोगों को तकलीफात में इजाफा न होने पाये और इन लोगों को यह कहने का मौका न मिले कि हमारे साथ बेइंसाफी हो रही है।

आखिर में मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह बात मेरे से पहले वक्ता ने भी कही है। जब हमने विधेयक को प्रवर समिति में स्वीकार किया था उस वक्त एक बात साफ कर दी गई थी और उसे हमारे वजीर साहब ने भी मंजूर कर लिया था। कि पार्लियामेंट के मेम्बरों की एक सलाहकार कमेटी बनाई जायगी और उस कमेटी की सलाह और इजाजत के बिना किसी भी इलाके में लोगों को हटाने के लिये कोई कदम नहीं उठेगा। आज विधेयक हमारे सामने मोजूद है, लेकिन इसमें इस तरह का कोई प्राविजन (उपबन्ध) नहीं है।

मैं सरकार और वजीरों से अर्ज करना चाहता हूं कि अगर वे चाहते हैं कि लोगों को इत्मिनान हो, लोग समझें कि हमारी जिन्दगी अब बेहतर बनने वाली है और हम एक आजाद मुल्क के आजाद इन्सानों की तरह रह सकते हैं, तो कम से कम इस बात को, जो कि उस वक्त मन्जूर की गई थी, उन्हें जरूर इस विधेयक में शामिल कर देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पुरजोर अलफाज में दरख्वास्त करूंगा कि आप सरकार को कम से कम इस बात के लिए मजबूर करें कि वह पार्लियामेंट के मेम्बरों की एक सलाहकार कमेटी--मशावरती कमेटी--कायम करे, जो कि सिर्फ सलाह के लिए ही काम न आये, बल्कि यह फैसला कर दिया जाय कि खास तौर से इस काम के लिये--दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीनों से लोगों को हटाने के बारे में उसकी मरजी के बगैर कोई कार्यवाही न की जायें। यह तय हो जाना चाहिए कि सलाहकार कमेटी की आज्ञा या इच्छा के बगैर किसी को न हटाया जायें। अगर हमारे वजीर साहबान कम से कम इतना ही कर देंगे, तो मेरे ख्याल में वह तकलीफ जिसका कि मैंने अभी जिक्र किया कम हो जायगी और लोगों को कुछ इत्मिनान हो जायेगा और वे महसूस करेंगे कि हकूमत हमारी खराब हालत को, हमारे दुःख और तकलीफ को, दूर करने में हमारे काम आ रही है। मुझे इस बिल के मकसद पर कोई एतराज नहीं है, बल्कि मुझे उससे इत्तिफाक है और मैं इस बिल को स्वीकार करने की ख्वाहिश जाहिर करता हूं।

†**श्री फीरोज गांधी** (प्रतापगढ़ जिला, पश्चिम व रायबरेली जिला-पूर्व): मंत्री कब उत्तर देंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं २-३० पर मंत्री को उत्तर देने के लिए कहूंगा। तब तक सब बोल चुकेंगे।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह (जिला गढ़वाल-पश्चिम व जिला टिहरी गढ़वाल व जिला विजतोर उत्तर): आपने इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने के लिये मुझे तीन मिनट का समय दिया है, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मेरे भाई ने अभी जो यहां के कटरों की बुरी अवस्था का वर्णन किया है, कौन ऐसा मनुष्य है, जो कि उस को सुनकर प्रभावित और दुखी न हुआ होगा। मेरा निवेदन है कि उन गरीबों को उनके स्थानों से न हटाया जाय। सरकार उनको वहीं पर घर बना दे और वहीं पर रहने दे। अध्यक्ष महोदय, आपको भी इस बात का पूर्ण रूप से ज्ञान है कि अगर उन लोगों को उनके वर्तमान घरों से दूर जाकर बसाया गया, तो वे बेचारे अपने रोजगार से वंचित हो जायेंगे और उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बड़े जोरदार शब्दों में सरकार से मेरा निवेदन है कि उन लोगों को वहां ही रहने दिया जाय और उन कटरों को सुधारने के काम को प्रायटी दी जाय। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं पर इतना धन खर्च हो रहा है। उनकी अन्य बातों को थोड़ा पीछे रख कर पहले इन कटरों को सुधारना चाहिए और इस कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

जहां तक खाली कराने का सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में धारा इसमें बिलकुल नहीं होनी चाहिए। स्थान खाली कराने का अधिकार केवल सरकार को होना चाहिए। उन लोगों को अपने घरों से दूर तो किसी भी हालत में नहीं भेजा जाना चाहिये। जब वहां पर सुधार और नये मकान बनाने का कार्य चल रहा हो तो उन लोगों के लिये कुछ दूर मैदान मिल गया तो अस्थायी प्रबन्ध में स्वयं कर लेंगे। उनको दूरस्थ स्थानों पर भेज कर उनको आजीविका के साधनों से वंचित न किया जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री गिडवानी** (थाना) : इस विधेयक के विरुद्ध जो मुख्य आपत्ति उठाई गई है वह यह है कि जिन्हें बेदखल किया जा रहा है अथवा वर्तमान स्थानों से हटाया जा रहा है उन्हें और आवास दिया जाना चाहिये । मुझे इस सम्बन्ध में निज का अनुभव प्राप्त है ।

आरम्भ में जब दिल्ली में लोगों को यहां से हटाया गया था तो यह कहा गया था कि उन्हें रोजगार के सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं होगी । परन्तु अनुभव यह है कि वे अपनी जीविका नहीं कमा सके । मेरा विनम्र सुझाव है कि एक विस्तृत योजना होनी चाहिये कि दिल्ली में कितनी जगहों खाली हैं, कितने मकान बनाये जा रहे हैं और रोजगार के लिये क्या सुविधाएं दी जायंगी । इसके बिना विधेयक के लिये मत नहीं दिया जा सकता ।

इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में प्रश्न उठता है कि निम्न अधिकारियों का उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है । निस्संदेह उन्हें नीति का पालन करना पड़ता है । कुछ स्थानों पर लोग युगों से व्यवसाय चला रहे हैं और अब उन्हें ६ या ७ मील दूर भेजा जा रहा है । उन्हें कैसे रोजगार मिलेगा ? इस विधेयक को स्थगित कर देना चाहिये क्योंकि अधिकतर सदस्य इसके विरुद्ध हैं । श्री राधा रमणने जो दिल्ली के पुराने निवासी है एक हृदय विदीर्ण करने वाला चित्र प्रस्तुत किया है जो न केवल कुछ लाख शरणार्थियों के बारे में है वरन् यहां के निवासियों के सम्बन्ध में भी है ।

मंत्रणाकार परिषद के प्रश्न का निबटारा भी अभी हो जाना चाहिये और हमें पता होना चाहिये कि उस के सदस्य कौन होंगे और उसके कृत्य क्या होंगे । आप जानते हैं कि संविहित मंत्राणाकार बोर्ड की सिफारिशों को किस प्रकार स्वीकार अथवा रद किया जाता था । वही बात दोहरायी नहीं जानी चाहिये । सभी सुविधाओं का पता लगना चाहिये । हमें अच्छे घर और खुली जगहें चाहिये और पूर्ण योजना होनी चाहिये ।

जब शरणार्थियों को काल्का जी और लाजपतनगर भेजा जा रहा था तो मैं कहा करता था कि दिल्ली के पास ही मकान क्यों नहीं बनाते । परन्तु उत्तर मिलता था कि वहां जगह है । लाल किले से हार्डिंग ब्रिज तक खुली जगह है और वहां समाचारपत्रों और आम कर पदाधिकारी के कार्यालयों की बजाय कई मंजिलों वाले मकान बनाये जा सकते हैं । उन कार्यालयों को चार पांच मील दूर ले जा सकते थे । इससे लाखों लोगों को अर्द्ध-रोजगार और भुखमरी से बचाया जा सकता था हम केवल योजना और नक्शे को देख रहे हैं हमें मानवीय बातों पर भी विचार करना चाहिये । इस लोगों की सामाजिक स्थिति नहीं सुधारी जा सकती । उनके पेट भरने, उनकी प्रगति और शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं आदि सब का ध्यान रखना चाहिये ।

मैं उस इतिहास को नहीं सुनाना चाहता कि किस प्रकार पण्डित ठाकुर दास भार्गव प्रवर समिति के सभापति बने और किस प्रकार उन्होंने पद त्याग किया । मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि हमें जल्दी में ऐसा विधान नहीं बनाना चाहिये जो कि हजारों लोगों को सहायता देने की बजाय उनके लिये मुसीबत खड़ी कर दें । यदि हम आवास का प्रबन्द करना चाहते हैं, गंदी बस्तियां हटाना चाहते हैं और लोगों की प्रगति के लिए कार्य करना चाहते हैं तो हमारे सामने एक स्पष्ट चित्र होना चाहिये । जो आपत्तियां उठाई गई हैं वे केवल काल्पनिक नहीं हैं । श्री राधा रमण जैसे आप ही के दल के लोग को अपने की बातें कह रहे हैं उन पर तो विश्वास कीजिये । आपको ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिये जिसमें बताई गई विपत्तियों का भय न रहे ।

इससे विधेयक को सभी लोगों का समर्थन प्राप्त होगा । अन्यथा सैद्धान्तिक दृष्टि से तो ऐसे विधान का विरोध कोई भी नहीं करेगा जिसमें गंदी बस्तियों को दूर करने का उपबन्ध हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातिया): यह विधेयक सरकारी जमीन और सरकारी इमारतें खाली कराने से सम्बन्ध रखता है। यह बिल संशोधित रूप में हमारे सामने पेश है। मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने इसके सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा है। परन्तु दो तीन बातें अभी तक सदन के सामने नहीं आयी हैं। उनके ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं।

सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा अधिकारी वर्ग उन बातों और आश्वासनों की अधिक परवाह नहीं करता जो बातें कि इस सदन में की जाती हैं या जो आश्वासन कि इस सदन में दिये जाते हैं। वे ज्यादा तवज्जह उन शब्दों पर देते हैं जो कि विधेयक के अन्दर होते हैं जो कि बाद में अधिनियम बन जाता है। जो उन शब्दों से मतलब निकलता है उसके अनुसार ही वे कार्य करते हैं। जो शब्द विधेयक में दिये हुए हैं, अगर हम उनको देखें तो मालूम होगा कि उनसे आम जनता को कोई लाभ होने वाला नहीं है। खास तौर से जो गरीब लोग हैं, जो बेसरोसामान बैठे हुए हैं और बुरी अवस्था में बैठे हुए हैं, उनका इस विधेयक से कोई लाभ होने वाला नहीं है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

यह ठीक है कि जिन जगहों में वे बैठे हुए हैं उनको सरकार इस विधेयक के कानून बन जाने पर खाली करा सकेगी और उन जमीन को उसी तरह से बेच सकेगी जैसा कि उसने झंडेवालान में किया। झंडेवालान में शरणार्थी भाई रहते थे, उनको हटाया गया, और उस जमीन को आज ४० और ५० रुपये गज के हिसाब से बेचा जा रहा है। इतना ही नहीं, जो लोग इन जमीनों को खरीदते हैं उनको उसकी कीमत पर ढाई रुपया प्रति सैकड़े के हिसाब से प्रति छमाही या प्रति वर्ष देना होगा। इस तरह से एक बड़ी रकम उनको हर साल देनी पड़ेगी। ऐसी अवस्था में वे आदमी जोकि इन गन्दी बस्तियों में रहते हैं वे कैसे इतने मूल्य पर इस जमीन को खरीद सकते हैं। इन लोगों की अवस्था यह है कि ये दिन भर काम करके शाम को आटा साग लाते हैं और खा लेते है और दूसरे दिन के लिये दूसरे दिन फिर मेहनत करते हैं। ये लोग ४० या ५० रुपये वर्ग गज के हिसाब के जमीन कैसे खरीद सकते हैं? और मान लीजिये कि किसी के पास कुछ जुड़ा हुआ पैसा हो और वह इस जमीन को खरीद भी ले, तो वह उसकी कीमत का ढाई प्रतिशत हर साल कैसे चुका सकेगा। मुझे मालूम है कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (सुधार न्यास) ने करोल बाग आदि स्थानों में ६ आना प्रति वर्ग गज के हिसाब से जमीनें दी थीं। उन जमीनों पर आज भी वह लोग रहते हैं। मैं पूछता हूं कि जब पहले इतनी सरल किश्तों पर जमीन दी जा सकती थी तो आज क्यों नहीं दी जा सकती। मैंने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि उनको सात आठ रुपया प्रति गज के हिसाब से डेवेलपमेंट (विकास) के लिए खर्च करना होता है। मान लीजिये कि यह ठीक है, तो भी सात आठ रुपये गज के स्थान पर इस जमीन की कीमत नौ या दस रुपये प्रति वर्ग गज रखी जा सकती है, लेकिन ४० और ५० रुपये गज तो किसी तरह भी नहीं रखी जानी चाहियें। इसके लिए कहा जाता है कि और लोग भी तो इसी भाव से जमीन बेचते हैं। लेकिन यह तो कोई दलील नहीं हुई। हम कहते हैं कि हम यहां समाजवादी समाज व्यवस्था लाना चाहते हैं, बड़े और छोटे के फर्क को कम करना चाहते हैं। फिर ऐसी अवस्था में इस तरह की बात कहना ठीक नहीं है। केवल इतना ही नहीं है कि इस जमीन की कीमत इतनी ज्यादा है। एक शर्त और भी है। वह यह कि अगर वह आदमी किसी वक्त तंगी की वजह से अपना मकान बेचना चाहे तो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट उसकी कीमत आंकेगा। और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अनुसार जो कुछ मुनाफा उसको होगा, उसका ५० परसेंट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को मिलेगा। चाहे वह आदमी अपने मकान को घाटे में भी बेचे, फिर भी उसकी कीमतका अनुमान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट करेगा, और इस बात की परवाह नहीं करेगा कि वह आदमी उसको कितनी कीमत में बेच रहा है। तो यह इस तरह की बातें हैं, उनको हमें देखना है और समझना है।

[श्री नवल प्रभाकर]

जहां तक कटरों का ताल्लुक है श्री राधा रमण ने बड़े विस्तार से उनकी बाबत हाउस का ध्यान दिलाया और यह बतलाया कि उनमें लोग कितनी बुरी अवस्था म अपने दिन गुजार रहे हैं।

अजमेरी गेट का बहुत पुराना मसला है और वहां के लोग बहुत ही बुरी हालत में हैं और वह न तो ठीक बसने के ढंग पर हैं और न ही उनके लिए कोई माकल इंतजाम किया गया है। कभी उनको उठाने की बात कही जाती है तो कभी बसाने की बात कही जाती है। अभी पिछले दिनों उठाने की बात कही गई उसके बाद फिर कहा गया कि नहीं यहां पर मकान बनाये जायेंगे और उनको बसाया जायेगा किन्तु आज इस विधेयक को देख कर वहां के लोग घबराये हुए हैं और वहां के बहुत से प्रतिनिधि मुझसे आकर मिले। उन्होंने मुझे बतलाया कि फिर हमारे दिल में घबराहट हो रही है कि पता नहीं हमारा क्या बनेगा, हमारे लिये क्या होगा और क्या नहीं होगा और हमारी क्या हालत बनेगी। हमें आप कम से कम इस हाउस में कहिये कि हम जिस अवस्था में पड़े हैं उसी में हमको रहने दिया जायेगा। उन्होंने बड़े ही मार्मिक शब्दों में कहा कि आदमी जहां पर पैदा होता है वहां की मिट्टी से और उसके कण-कण से उसे प्रेम हो जाता है, तो कम से कम हम सैकड़ों वर्षों से जहां रहते चले आये ह, उस भूमि को जहां हमारे बाप, दादे रहते थे, जहां पर हम खेले कूदे और इतने बड़े हुए, उस जगह से हमें हटा कर दूर ले जाया जा रहा है तो वह एकदम से तो नहीं हो सकता और वहां पर बसने में हमें समय लगेगा और वहां पर हमारी रोजी का खाने पीने का क्या इंतजाम होगा, इसका कुछ पता नहीं है। इस सम्बन्ध में मेरी सरकार से यह विनती है कि हमें लोगों के सामने इस तरह के आकर्षक सुझाव रखने चाहिये ताकि लोग उसकी तरफ बढ़ें। पिछली बार हमारे पुनर्वास विभाग ने तिलकनगर के पास कुछ जमीन ले ली और वहां पर उसने १००, १०० गज के प्लाट्स बनाये और उसने विस्थापित भाइयों से कहा कि जो हमारे शरणार्थी भाई उस जगह पर बसना चाहेंगे उनको हम १००, १०० गज जमीन देंगे और ५०० रुपया मकान बनाने लिये देंगे। उसके पश्चात आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। मैं समझता हूं कि ठीक उसी तरीके की यदि कोई आकर्षक योजना हो, कोई इस तरीके की बात वहां रक्खी जाय, यदि हम यह कहें कि हम अजमेरी गेट वालों को उठा करके झीलकुरंजा या शहादरा ले जाकर बसायंगे तो उनको नागवार मालूम पडता है लेकिन यदि हम उसके साथ ही उनको यह कहें कि हम अमुक स्थान पर इतने गज जमीन देते हैं और उसके साथ में इतना हम लोन देना चाहते हैं, इतनी सहायता देना चाहते हैं तो यह संभव हो सकता है कि लोग उधर आयें। लोगों को हम बतलायें कि यह शर्तें हैं, इन शर्त्तों पर आप वहां आइये, बिलकुल आसान किश्तों में हम आपको वहां बसने के लिये लोन देंगे तो मैं समझता हूं कि काफी लोग खुशी खुशी उधर जाकर बस जायंगे और इतने पर भी अगर कुछ लोग वहां पर नहीं जाते और पुरानी जगह पर पड़े रहते हैं तो उनको वहां पर बसाइये और उनके रहने के वास्ते दो मंजिले और तीन मंजिले मकान तैयार करवाइये और वहां पर उनको रखिये।

मेरी इस सरकार से विनम्र प्रार्थना है कि इसमें जो भाषा सम्बन्धी बात है और जहां आप एक ऐडवायजरी कमेटी (मंत्रणाकार समिति) बनाने का आश्वासन देते हैं, वहां यह चीज साफ नहीं है कि ऐडवाइजरी बोर्ड की जो सलाह होगी वह कहां तक मानी जायगी। मुझे इस बात का अच्छी तरह से ज्ञान है कि कई बार कई बातों के लिए कहा जाता है और प्रार्थनाएं की जाती हैं किन्तु फिर उसमें वही कानूनी अड़चनें आ जाती हैं और वह काम नहीं हो पाता और हमको यह जवाब दे दिया जाता है कि बिल में ऐसा लिखा हुआ है, हम इसलिये कुछ नहीं कर सकते। मैं फिर सरकार से यह प्रार्थना करूंगा और मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर ध्यानपूर्वक विचार करें और विचार करके कोई ऐसी समुचित व्यवस्था करें क्योंकि यह कोई पूंजीपति लोगों का मामला तो है नहीं, यह तो बिलकुल साधारण गरीब लोगों का मामला है और उसको सहानुभूतिपूर्वक ही सुलझाया जा सकता है और ऐसा करने से हमारी सरकार यश की भागी होगी और मेरी सरकार से अपील है कि वह इन गरीब आदमियों की तरफ खास तौर से ध्यान दे।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (होशियारपुर) : मैं आज अधिकारियों से अपील करने आया हूं कि वे इस प्रश्न के सब पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करें। इस विधेयक के खंड ४ में बताया गया है कि इस विधेयक की कार्यान्विति में कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उनकी गणना मात्र से ही हृदय में सन्देह होने लगता है। केन्द्रीय सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, स्थानीक संस्थाएं और अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किये गये अधिकारी सब इसकी देखभाल करेंगे। क्या अधिकारियों की इस प्रकार की भरमार का नाम ही प्रजातन्त्र है ? प्रजातन्त्र का कदापि यह अर्थ नहीं कि अधिकारियों का इस प्रकार से शाखाओं प्रशाखाओं में अपव्यय किया जाये। म मानता हूं कि प्रजातन्त्र में विकेन्द्रीकरण स्वाभाविक है। मगर हम इस प्रकार का विकेन्द्रीकरण नहीं चाहते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि अधिकारियों की इस भरमार को समाप्त कर देना चाहिये। इस विधेयक की यह सबसे बड़ी त्रुटि है। वरना यह विधेयक कभी भी सफल नहीं होगा। इन सब छोटे तथा बड़े अधिकारियों के स्थान पर हमें एक ही शक्तिशाली तथा सक्षम अधिकारी को नियुक्त करना चाहिये।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आपने "सरकारी भू-गृहादि" के स्थान पर "लोक भू-गृहादि" शब्द कर दिये हैं। यह 'लोक भू-गृहादि' शब्द बड़े अस्पष्ट तथा अनिश्चित हैं। इसकी परिभाषा और स्पष्टीकरण की विशेष आवश्यकता है। क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उनका इस शब्द से क्या तात्पर्य है ? क्योंकि मुझे यह एक बड़ा भारी जाल दिखता है। और यह एक ऐसा जाल है जिसमें केवल छोटी मछलियां ही फंसाई जायेंगी। । इसमें एक भी बड़ी मछली नही आयेगी। मुझे इस विधि की भूल भुलैयों से; इसके अंजकों से, बड़ा भय लग रहा है।

तीसरी बात यह है। आप दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का नाम बदल दीजिये। मुझे इससे कोई झगड़ा नहीं है; मगर यह संस्था दिल्ली का सुधार न करके कुछ लोगों को अधिक अमीर बना रही है तथा इसका कार्य कुछ लोगों को विस्थापित करना ही है। अतः आप इसे "दिल्ली धनाढ्य ट्रस्ट" अथवा "दिल्ली विस्थापित ट्रस्ट" कहें तो बड़ा अच्छा रहेगा। श्री फीरोजगांधी ने भी कल यहां इस सभा में ऐसी ही बात कही है। यहां कुछ लोग ५ रुपये गज जमीन लेकर ५० रुपये गज में जमीन बेच देते हैं। इस प्रकार दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा लिये गये स्थान ऐसे अनेकों लोगों को बेचे गये हैं और उन्होंने उसमें से बड़ा लाभ उठाया है। मेरा यह निवेदन है कि उनके इस प्रकार के सारे कारोबार पर ठीक ढंग से विनियमन किया जाना चाहिये और उस पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाना चाहिये। संसद सदस्य के नाते मैं यही कह सकता हूं कि दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को लोगों को बर्बाद करने अथवा बनाने के लिये अन्धाधुन्ध अधिकार नहीं दिये जाने चाहियें।

चौथी बात यह है। हम लोग जो पश्चिमी पंजाब तथा पूर्वी बंगाल से आये हैं अच्छी तरह निष्कासन का अर्थ समझते हैं। मगर, वह एक प्रकार का अनिवार्य निष्कासन था। आज आप इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को यह अधिकार देना चाहते हैं। निष्कासन का अर्थ केवल एक निवास स्थान से निकाल दिया जाना ही नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का निवास तीन अर्थ रखता है। वहां उसे रहने के लिये एक छत मिलती है। वहां पर रहकर वह अपना जीवन निर्वाह कर सकता है अथवा आर्थिक कार्य करता है। वहां उसे एक विशेष प्रकार के समाज का लाभ प्राप्त होता है। घर और आर्थिक साधन दोनों साथ-साथ चलते हैं। अतः निष्कासन केवल एक व्यक्ति को स्थान भ्रष्ट करने का ही नाम नहीं है। इससे आप उसे उसके आर्थिक तथा सामाजिक लाभों से भी वंचित करते हैं। आप लोगों को एक स्थान से निकाल कर छः मील अथवा दो मील दूर भी किसी दूसरे स्थान पर पटकना चाहते हैं। क्यों ? ताकि आप दिल्ली में खुली जगह तथा बाग बना सकें। मगर मैं कहता हूं। दिल्ली में खुली जगहों तथा बागों की अपेक्षा अभी प्रत्येक व्यक्ति को सिर छुपाने के लिये एक छत की आवश्यकता है। बाग-वाग बाद में अपने आप आ जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री० दी० चं० शर्मा]

आज वर्षा की ऋतु में भी शाहदरा के लोगों को घरों को खाली करने के नोटिस दिये जा रहे हैं। इधर यमुना म बाढ़ आ रही है। पानी खतरे के बिन्दु से केवल १।। इंच नीचे रह गया है। मगर ऐसी स्थिति में भी उन्हें मकान खाली करने के नोटिस दिये जा रहे हैं। शाहदरा के लोगों में त्राहिमाम मची हुई है। हमें उनकी कठिनाइयों, उनकी मुसीबतों को समझना चाहिये। यह सब चीजें बन्द होनी चाहियें।

मुझे यह बताया गया है कि इस विधेयक को इस रूप में आने में ८ महीने लग गये हैं। यह ६ खंडों का छोटा सा विधेयक है। मैं जानना चाहता हूं आखिर इसमें इतनी देर कैसे लगी? इससे मुझे यह लगता है कि यद्यपि यह विधेयक देखने में बिल्कुल सरल तथा अविवादस्पद लगता है, मगर यह वास्तव में ऐसा नहीं है।

इस विधेयक का लाखों लोगों के भाग्य से सम्बन्ध है। इस पर दिल्ली का भविष्य निर्भर है। क्या दिल्ली लाभ खोरों के लिये स्वर्ग बनने जा रही है? यदि ऐसी बात है तो मुझे इस विधेयक से बड़ी निराशा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब यह विधेयक पारित हो जायेगा तब भी दिल्ली किसी प्रकार से भी अच्छा नगर नहीं बन सकेगी। हो सकता है इससे दिल्ली कुछ लोगों के लिये अच्छा शहर साबित हो, मगर वह सबके लिये अच्छा नहीं हो सकता है।

अत: मेरा यह विनम्र निवेदन है कि इस विधेयक को पुन: समिति को सौंप दिया जाये जो कि इसमें से सभी आपत्तिजनक बातों अथवा शब्दों को निकालकर इसके स्थान पर एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत करे जिसमें कि इस सभा में दिये गये सभी रचनात्मक सुझाव सम्मिलित हों।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव): पेशतर इसके कि मैं इस बिल पर अपने विचार प्रकट करूं, मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं और वह यह है कि चूंकि इस बिल के कंसिड्रेशन (विचार) के दौरान में सिलैक्ट कमिटी (प्रवर समिति) के मेम्बरान ने बहुत सी शहादतें सुनीं, और बहुत से स्थानों को जाकर देखा और बहुत से दूसरे आमूर की तरफ तवज्जह दी और उस दौरान में कई ऐसी चीजें हमारे नोटिस में आई जिनका कि मैं आज जिक्र करूंगा और कोशिश करूंगा कि किसी तरह की तलखी मेरे कहने में न आये लेकिन मुम्किन है कि जो नक्शा मैं खींचू उससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे। इस वास्ते शुरू में ही मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि अगर मैं कोई ऐसी बात कहूं तो मेरा मंशा किसी के खिलाफ जाती तौर पर कुछ कहने का नहीं होगा और न ही मैं किसी को नाराज करने की गरज से ही ऐसा कहूंगा। मैं एक और भी बात कह देना चाहता हूं। इस बिल के इन्चार्ज मेरे दोस्त सरदार साहब है लेकिन यह चीज बिल्कुल भी उनकी नहीं है। मेरे खयाल में यह बिल मेरी मोहतरिमा बहन राजकुमारी अमृत कौर का है। उनकी खिदमत में मैं खास तौर से अर्ज कर देना चाहता हूं कि उनके लिये मेरे दिल में बड़ा प्रेम है, बड़ी श्रद्धा है। यह प्रेम और श्रद्धा इस वास्ते नहीं है कि वह आज मिनिस्टर हैं बल्कि इसलिये है कि वह महात्मा गांधी जी के साथ बहुत अर्से तक एसोसिएटिड (सम्बद्ध) रही हैं और जो भी महात्मा जी के साथ एसोसिएटिड रहा है, उसके लिये ही हमारे दिल में बहुत ज्यादा इज्जत है। उस जमाने में मैं और मेरे बहुत से दोस्त शायद मैम्बर पार्लियामेंट (संसद) भी नहीं थे ताहम वह हमारी इज्जत की मुस्तहिक (अधिकारिणी) हैं।

मेरा खयाल है कि जो कुछ मैं कहूंगा सरदार साहब उसका बुरा नहीं मनायेंगे। मैं यह भी कह देना अपना फर्ज समझता हूं कि शरणार्थियों के मामले को ले कर जब भी मैं उनकी खिदमत में गया या उनके डिपार्टमेंट (विभाग) की खिदमत में पेश हुआ तब उन्होंने हमारी मदद की और उनके डिपार्टमेंट ने हमारी मदद की। इस वास्ते जो कुछ भी मैं कहूं, मैं चाहता हूं कि इसको इमपरसनल तरीके से लिया जाय। सरदार साहब के साथ मेरी और भी तरह से हमदर्दी है। लेकिन फिलवाकया मैंने एक कहानी सुनी है कि जो कुक् (कोयल) होती है वह अपने अंडे किसी दूसरे के घोंसले में जाकर रख देती है.....

प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : कोयल के घोंसले में रखती है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जो भी हो, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह मामला इस मिनिस्टरी का नहीं है और इसका इससे कोई वास्ता नहीं ह। यह मामला गाडगिल साहब के वक्त का है और जब मैं गाडगिल साहब का नाम लेता हूं तो मुझे गलगल एश्योरेंसज (आश्वासन) की याद आ जाती है। ताहम इस मिनिस्टरी का उससे कोई वास्ता नहीं है। इस मिनिस्टरी ने जितनी चाही, मदद भी की। लेकिन फिर भी जितनी मदद होनी चाहिये थी उतनी नहीं की। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि यह बेहतर होता है कि यह सारा मामला हाउसिंग मिनिस्टरी (आवास मंत्रालय) के पास जाता और हमारी बहन के हाथ में हीलिंग बाम एप्लाई करने वाले ही महकमे रहते। जो मेडिकल साइंसिस हैं और जो हीलिंग चीज है येही उनके महकमे में रहत और वह हमे बतातीं कि हमने मलेरिया को हिन्दुस्तान से दूर कर दिया है। लेकिन उनके मातहत कई एक महकमे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मैं इसके मुतैइन (संतुष्ट) नहीं हूं। मैं चाहता हूं—जैसा कि अभी हमारे दोस्त शर्मा साहब ने फरमाया—कि दर अस्ल यह महकमा चन्द महकमों का मजमूआ नहीं होना चाहिये, बल्कि यह एक अलाहिदा महकमा होना चाहिये था। अगर उसके लिए एक अलाहिदा बिल लाया जाता और अलाहिदा दफात होतीं और एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाता, तो हम इस पर गौर करते। मुझे यह कहने में जरा भी ताम्मुल (आपत्ति) नहीं है कि मैं इस अश्योरेसंस के मामले को प्रैजुडिस से देखता हूं और वह इसलिए इसकी जो पिछली हिस्ट्री है, जिस तरह यह मामला आया, जिस तरह इन एक्ट्स पर अमल हुआ, उन को हम भूल नहीं सकते हैं। उस सारे आधार को हम नजर अन्दाज नहीं कर सकते है, जब कि हम इस बिल पर गौर कर रहे हैं। खसूसन क्योंकि मैं खुद इन अश्योरेसंस का पक्षी था। गरीबनवाज, यह बिल कोई अपनी किस्म का पहला बिल नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: मुझे संदेह है कि लोकतन्त्रात्मक संसद में अध्यक्ष को गरीबनिवाज नहीं कहा जा सकता।

श्री घुलेकर (जिला झांसी-दक्षिण) : अदालत की याद आ गई है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: नहीं, अदालत की याद नहीं आई है। जनाब, मैं यह लफ्ज सोच-विचार कर इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर मैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को गरीबनवाजन न कहूं, तो किसको कहूं?

उपाध्यक्ष महोदय: यह कचहरी तो नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह कचहरी नहीं, लेकिन यह जगह तो उससे भी बड़ी है। अगर गरीबों का कोई मुहाफिज (रक्षक) है, तो वह यह पार्लियामेन्ट है और इस पार्लियामेंट का कोई मुहाफिज है, तो वह स्पीकर (अध्यक्ष) और डिप्टी स्पीकर (उपाध्यक्ष) है।

उपाध्यक्ष महोदय : खैर, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता हूं।

पंडित ठकुर दास भार्गव : जनाब, मैंने सिर्फ एक बार गरीबनवाज कहा है। मैं तो उस लफ्ज को दो बार कहना चाहता हूं—गरीबनवाज स्क्वायर कहना चाहता हूं। जनाब, क्यों हमारे स्पीकर साहब जमना बाजार गये? उससे उनका क्या वास्ता था? वहां तो कोई पार्लियामेंट नहीं हो रही थी। और, जनाब, आप भी जब कोई दुख महसूस करते हैं, तो आप भी स्पीच देते हैं। डिप्टी स्पीकर तो कम बोलते हैं। जैसा कि मैंने अर्ज किया है, फिलवाके पार्लियामेंट से बड़ा गरीबों, का मुहाफिज कोई नहीं है और पार्लियामेंट में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से कोई बड़ा मुहाफिज आवाम और पार्लियामेंट का नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[पंडित ठाकुदास भार्गव]

जनाब, जहां तक इस सवाल का ताल्लुक है, कि यह बिल किस तरह आया, यह एक बड़ा मौजूं सवाल है। १९४७ में आठ लाख शरणार्थी अपने घ रों को छोड़ कर, बेसरो-सामान होकर यहां आये। इन शरणार्थी भाइयो की, जिनकी कबरों पर हिन्दुस्तान को स्वराज्य हासिल हुआ है, उस वक्त की हालत का जरा अन्दाजा लगाइये। उस वक्त दिल्ली की कुल आबादी पांच लाख के करीब थी जैसा कि अभी मेरे भाई ने बताया है। दिल्ली की जमीन और मकान उस वक्त इतने महदूद थे कि इतनी बड़ी आबादी को जगह नहीं दी जा सकती थी। लेकिन हमारी वैल फेयर स्टेट (कल्याणकारी राज्य) ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर और सरदार पटेल ने उनके लिये इस कद्र कोशिश की, उनके साथ इस कद्र हमदर्दी जाहिर की, जो कि उन्हीं का हिस्सा थी। उस वक्त पचास लाख आदमी इधर से उधर गये और पचास लाख उधर से इधर आये। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उस वक्त एक करोड़ आदमियों का इधर से उधर और उधर से इधर लाना ले जाना कोई खाला जी का घर न था। लेकिन उस वक्त स्टेट के सारे रीसोर्सिज (संसाधन) इस काम पर लगा दिये गये, ताकि हमारे भाइयों को यहां आने में सहूलियत हो और यहां पर भी उनको सहूलियत हो। उन दिनों मैं एक मुकाम पर गया और वहां पर शरणार्थियों से मिला। उन्होंने मुझे कहा कि पंडित नेहरू ने हमको जीवन दान दिया है--हमको दोबारा जिन्दगी दी है और अगर वह हमारी मदद न करते और हम खत्म हो जाते। एक साल के बाद मैं फिर उसी मुकाम पर गया और लोगों ने मुझे कहा कि पंडित नेहरू हमको यहां पर ले तो आये, लेकिन क्या उन्होंने ऐसा हमको एक एक इंच जबहा करने के लिये--तिल तिल कर मरने देने के लिए किया? लखनऊ के इमामबाड़े के एक मुजावर का यह कहना मुझे याद आता है कि परमात्मा ने हमको आबे-हयात (अमृत) बख्शी है, हम इतने गरीब हैं, लेकिन परमात्मा हमको मौत नहीं देता। यह उनके मांगने का तरीका था।

जिस वक्त यहां पर आठ लाख शरणार्थी आये, उस वक्त दिल्ली में और उसके आस-पास जमीनों की क्या हालत थी? आज तो हमको वहां पर महल दिखाई देते हैं, लेकिन उस वक्त वह जगह एक किस्म की ओपन लैट्रिन थी और कई किस्म के दरिन्दे और कुत्ते-बिल्लियां वहां पर फिरती थीं। उन आठ लाख आदमियों में से कुछ ने अपनी औरतों के जेवर बेचे, अपने हाथों से मिट्टी खोदी और गारा बनाया और अपने रहने के लिये मकान खड़े किये। उन्होंने सैल्फ-हैल्प के जरिये मकानात बनाने शुरू किये और यह नहीं देखा कि वह जगह किस की है। वे जमीनें इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की भी थीं म्यूनिसिपल कमेटियां (नगर पालिकाओं) की भी थीं और प्राइवेट आदमियों की भी थीं। लेकिन सवाल यह है कि ये लोग क्या करते? मैंने पहले भी एक मौके पर इस बात का जवाब दिया था कि इंडियन पीनल कोड (भारतीय दण्ड संहिता) का दफा १०५ मुझको इस सवाल का जवाब देती है और वह यह है कि जिस वक्त किसी इन्सान पर आफत पड़े और उसकी मौत का सवाल हो, तो उसको अख्तियार है कि वह दूसरे की मौत वाकया कर दे। आत्मरक्षा प्रकृति का प्राचीनतम नियम है।

वे लोग यहां पर आये और उन्होंने यहां पर कुछ मकान बनाये इसके बाद सब-इंस्पैक्टर साहबान और म्यूनिसिपल कमेटियों ने वहां झगड़ा शुरू किया और कहा कि ये लोग कैसे दूसरों की जमीन पर बगैर इजाजत के मकान बनाते हैं? इस पर डिप्टी कमिश्नर (उप-आयुक्त) ने हुक्म दिया कि इन मकानों को कायम रहने दिया जाय और इनको गिराया न जाय। श्री मोहनलाल सक्सेना ने भी हुक्म दिया कि मकानों को रहने दिया जाय और तीन बरस तक ये मकान रहेंगे मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कमेटियों की कनाईवेंस (मर्जी), एक्वीसेंस (स्वीकृति) और कनसेन्ट (अनुमति) और आगे चल कर सैंक्शन और एक्टिव एवेटमेंट से वे मकानात बने। बनने के बाद लोगों को कुछ दिक्कत पेश आई, तो सवाल उठा कि इस बारे में क्या किया जाय। अभी श्री डी० सी० शर्मा ने एक बात की तरफ हाउस की तवज्जह दिलाई है और वह यह है कि उन्होंने एविक्शन (बेदखली) के मायने उसके असली मायनों से ज्यादा बसी लिए। एविक्शन से पहली हालत थी रीहैबिलिटेशन (पुनर्वास) की। रेफयूजी को पहले तो गेनफुल एम्पलायमेंट चाहिए। मकान का सवाल तो बाद में आता है। दिल्ली एक ऐसी जगह है, जहां पर लाहौर और दूसरे बड़े-बड़े शहरों

के लोग आकर बसे और यहां पर उनको गेनफुल एम्पलायमेंट (लाभदायक नौकरी) मिली। उन्होंने मकानों की परवाह नहीं की। इसीलिये यहां पर सड़कों के किनारे खराब और निकम्मे मकानात खड़े हो गये। बाद में मकानात का सवाल उठा और झगड़ा शुरू हुआ। ऐसे हालात में, गरीबनवाज, आप मुझे माँफ करेंगे, जनाब, मैं यह लफ्ज दोबारा अर्ज कर रहा हूं---१९४७ का पहला एक्ट अधिनियम) आया। उसमें गवर्नमेंट ने बेट नहीं दी, लेकिन हमारे लिये वह वेट दी थी। उस वक्त कहा गया कि शरणार्थियों को हाउस (आवास देने) करने के लिये हमने लोगों के मकान रेक्विजीशन (अधिग्रहण) करने हैं और इसके लिये हम तैयार थे। मैं तो समझता हूं कि अगर उनके लिये कुछ और भी जरूरत होती तो मुझे पूरा यकीन है कि यह सदन उसकी इजाजत दे देता। इसके साथ ही मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि ये सब बिल, जो कि आज ला आफ दि लैंड हैं, जो आर्डिनरी ला आफ दी लैंड है, उसमें एक्सेप्शन हैं। यह इमरजेंसी लेजिस्लेशन (आपात कालीन विधान) है, जो कि सिर्फ इमरजेंसी के लिए होता है। १९४७ का एक्ट सिर्फ दो बरस के लिये पास किया गया था और इस बात की इजाजत दी गई थी कि अगर और जरूरत हुई तो एक बरस के लिये और उसको बढ़ाया जा सकता है। आज यह समझा जाता है कि यह गवर्नमेंट का हक है कि वह इस सदन से इस किस्म का कानून पास करा ले। खैर, १९५० में उस एक्ट को अमेंड (संशोधित) करने की एटेम्प्ट हुई और सरदार बलदेव सिंह एक एक्ट लाये, जिसमें आम तौर पर मिलिटरी एक्सीजेंसीस (सैनिक आवश्यकताएं) जरूरियात---का ज्यादा प्राविजन था। वह एक्ट भी पास हो गया। उसके बाद तीसरा एक्ट आया, जो कि १९५१ का ५९ नम्बर का एक्ट था। इस बिल पर अपनी स्पीच के दौरान में जैसे सरदार साहब ने फरमाया था कि यह बहुत छोटा सा बिल है, और यह बिल कंटेंशस नहीं है। इसी तरह से उस बिल के बारे में गाडगिल साहब ने कहा था कि यह बिल बहुत छोटा है और आज ही खत्म हो जायेगा। वह बिल था भी छोटा सा। लेकिन उस बिल में और इस बिल में इस कदर यकसानियत (समानता) है कि मुझे यह कहने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं कि ये दोनों बिल निहायत कम्पलीकेटेड (जटिल) और दूर जाने वाले हैं। जब वह बिल हाउस में आया तो उस पर तीन दिन तक बहस होती रही, यानी २९ और ३० नवम्बर को और १ दिसम्बर को। वह बिल इतना कंटेंशस (विवादास्पद) था कि अगर वह आज भी हाउस में आता तो उसकी उतनी ही मुखालिफत होती जितनी कि उस वक्त हुई थी और शायद वह आज पास भी न होता। वह बिल सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया और मैं ही वह बदकिस्मत शख्स था जिसकी तहरीक पर वह सिलेक्ट कमेटी मुकर्रर हुई बदकिस्मत इसलिये की आश्वासन जो हमने कबूल किये उन पर अमल नहीं हुआ उस सिलेक्ट कमेटी ने आठ दस महीने तक उस पर गौर किया। उस सिलेक्ट कमेटी में आनरेबल मिनिस्टर साहब, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (सुधार न्यास) के नुमाइन्दे, डिप्टी कमिश्नर साहब वगैरह ने हिस्सा लिया था, और हमने उस में कुछ इस तरह के चेंज किये कि जिनकी वजह से उसमें जितनी खराबियां थीं वे हमारे खयाल से दूर हो जायें। उसके बाद हमने उसको मंजूर कर लिया। वह बिल बहुत ड्रास्टिक था। किसी लेजिस्लेचर (विधान मंडल) को इतना ड्रास्टिक बिल (क्रांतिकारी विधेयक) पास नहीं करना चाहिये जब तक कि उसकी खास जरूरत ही लाहक न हो।

मैं यहां पर एक बात और साफ कर देना चाहता हूं। वह यह कि मैं आबस्ट्रक्शनिस्ट (बाधा पैदा करने वाला) नहीं हूं। आप कितना ही ड्रास्टिक बिल लायें, लेकिन अगर मुझे यह तसल्ली हो जाये कि यह देश के भले के लिए है तो मैं उसका स्वाद करने को तैयार हूं। इस भवन में हमने ऐसे कानून पास किये हैं जिसके मुताबिक निहत्थे लोगों पर आसमान से गोले गिराये जायं, तो भी वाजिब है लेकिन अगर वह देश के भले के लिये हो तो हमने मंजूर किया और अब भी करेंगे। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर इस तरह के कानून की जरूरत न हो तो मैं नहीं चाहता कि वह पास किया जाये। मैं अपने देश के डिमोक्रेटिक सेट अप को इतना अच्छा देखना चाहता हूं जितना अच्छा कि दुनिया में कहीं न हो। तो हमने उस बिल को पास किया, लेकिन जो हमको इश्योरेंसेज दिये गये थे उनकी बिना पर हमने उस बिटर पिल को हज्म किया।

इस बिल के अन्दर दो चीजें आती हैं। एक तो एश्योरेंसेज का जिक्र आता है और एक स्लम एरिया का जिक्र आता है। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि जो एश्योरेंस हमको दिये गये थे उनको हमने कबूल किया। मैं उनको यहां पढ़कर नहीं सुनाना चाहता क्योंकि मुझे बहुत सी बातें

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

कहनी हैं, और सुनाने में वक्त लगेगा मैं जनाब की तवज्जह २९ सितम्बर सन् १९५१ की प्रोसीडिंग्स की तरफ दिलाना चाहता हूं। उस एश्योरेंसेज के बाद वह बिल साढ़े ६ बजे के करीब पास कर दिया गया। उह सिलसिले में मूवर आफ दी बिल ने एक छोटी सी स्पीच दी जो कि फैक्चुअल थी, और मैंने उसका छोटा सा जवाब दिया। लाला अचित राम जी ने भी कुछ कहा, और फिर उसे उसी वक्त पास कर दिया। लेकिन उस वक्त जो थोड़ी सी बातें कही गयी थीं वे जनाब की खास तवज्जह की मुस्तहक हैं। मैं उन बातों को पढ़कर नहीं सुनाना चाहता। मैं मुख्तसिर में उनको कहे देता हूं। उस वक्त हमने गाडगिल साहब से यह कहा था कि इन दस महीनों में इधर तो आप हमसे बातें करते रहे और उधर आपके हाकिम लोगों के मकान गिराते रहे। यह नामुनासिब था कि एक तरफ तो राजीनामे की बात की जाती रहे और दूसरी तरफ लोगों के मकान गिराये जायें। उस वक्त मैंने अर्ज किया था कि सात दिन के अन्दर आप इसको इफेक्टिव (लागू) कर देता कि जो तीन चार हजार मकान आप बचाना चाहते हैं उनको रेगुलराइज (नियमित) कर दिया जाये जिनके वास्ते गवर्नमेंट को ३० लाख रुपया भी मिल जाता। उस वक्त मैंने यह अर्ज किया था कि इलेक्शन (निर्वाचन) नजदीक आ रहे हैं, जैसा कि इस वक्त भी होने वाला है, आप इलेक्शन में मसरूफ़ हो जायेंगे और वक्त नहीं रहेगा, और जो हाकिम लोग हैं वह पीछे ठीक काम नहीं करेंगे। उस वक्त मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं अपने लफ्ज देता हूं कि मेरे जितने हाकिम लोग हैं वे उसी स्पिरिट से काम करेंगे जैसे कि मैं करता हूं। जनाब वाला, इस एश्योरेंस के बाद वह बिल दो मिनट में पास हो गया। मुझे अफसोस होता है कि उस वक्त हमने यह बेवकूफी क्यों की। हमने उस वक्त नहीं सोचा कि मिनिस्टर को हम जानते हैं, उसके अल्फाज पर हम यकीन कर सकते हैं, लेकिन हाकिमों पर तो हमारा कोई काबू नहीं है। आज सरदार साहब भी कहते हैं कि वह एडवाइजरी बोर्ड बनायेंगे। मुझे यकीन है कि वह बनायेंगे। हमारी बहिन ने हमको यकीन दिलाया है कि वे ठीक ही करेंगी, और मैं मानता हूं कि वे बेशक ठीक करेंगी। लेकिन बिल के अन्दर यह क्यों नहीं दे दिया जाता। मैं जानता हूं कि मिनिस्टरी सेंट्रल (केन्द्रीय मंत्रालय) के अन्दर करप्शन नहीं है लेकिन हम इस बात को दरगुजर नहीं कर सकते कि देश के अन्दर खूब करप्शन (भ्रष्टाचार) चल रहा है, और हमारे मिनिस्टर साहबना यहां बैठकर उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हमने देखा कि कितने खूबसूरत एश्योरेंसेज हमको दिये गये थे, लेकिन बाद को उनकी किस तरह से धज्जियां उड़ा दी गयीं। अगर उस कहानी को हाउस के अन्दर बयान किया जाय तो उसे सुनकर हाउस को बहुत रंज होगा। मैं उनकी डिटेल्स (ब्यौरे) में नहीं जाना चाहता। हम सरदार साहब की खिदमत में गये, उनके सेक्रेटरी साहब की खिदमत में गये। उन्होंने हमारे साथ हमदर्दी जाहिर की। उन्होंने अहकाम भी जारी किये लेकिन उनमें से एक की भी तामील नहीं हुई। हम श्री अजित प्रसाद साहब की खिदमत में गये। उन्होंने कहा कि ठीक है हम यह काम करेंगे। उन्होंने भी कोशिश की लेकिन कोई कामयाबी नहीं हुई। आज शर्मा साहब ने अर्ज किया कि न जाने इसमें कितनी आथारिटीज हैं। बमूजिब उनके कहने के चार आथारिटीज (प्राधिकारी) थे जो कि मकान गिराने के पीछे थीं, इविक्त करने के पीछे थीं, और एक आथारिटी थी लोगों को आल्टर-नेटिव वैकल्पिक एकोमोडेशन (आवास) देने के लिए रिफ्यूजीज का तो कहना ही क्या, हम लोगों तक को जो कि उनकी मदद करना चाहते थे यह पता नहीं चला कि हम किस जगह जायें अपनी रेमेडी के लिए। हमको पता नहीं था कि हम किस जगह रोने पीटने जायें। यह आखिरी दिन तक पता नहीं चल पाया कि कौन इन एश्योरेंस के मुताबिक कार्रवाई करेगा क्योंकि मिनिस्ट्रीज तक को पता नहीं था कि किसने एश्योरेंस दिये हैं और क्या दिये हैं। कितने ताज्जुब की बात है कि गवर्नमेंट ने ही एश्योरेंस दिये हैं और गवर्नमेंट के दफ्तर वालों को ही पता नहीं कि यह एश्योरेंस क्या बला है। मैं यह बात अपने तजर्बे की ही नहीं कह रहा हूं। मैं आपको रिटिन एवीडेंस दिखला सकता हूं कि इन एश्योरेंसेज की यह सूरत बनी।

एक दफा पहले हमारी बहिन ने यहां कहा था कि दिल्ली एम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का जहां तक ताल्लुक है उसने कोई मकान नहीं गिराये और मैं समझता हूं कि अब भी उनके जहन में यह बात है कि मकान गिराने में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (सुधार न्यास) का कोई हाथ नहीं था। लेकिन मैं रिकार्ड से और मिनिस्ट्री

के खुद के स्टेटमेंट्स (विवरण) से दिखला सकता हूं कि कम से कम ६०० मकान उनके मार्फत गिराये गये। जो तकलीफ हमको इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने दी है उसके मुताल्लिक एक दफा पहले भी हमने यहां कहा था कि दिल्ली में अगर कोई कर्स है तो वह दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है और मैं इसको फिर दुहराता हूं ख्वाह किसी के दिल को इससे ठेस लगे। क्या किया इस इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने। मैं आपको दो किस्से सुनाता हूं। एक जगह यहां पर है झंडावाला ई० जिसको हमने सन् १९४८–४९ और ५० में जाकर देखा जिसका जिक्र डा० टेकचन्द साहब की स्पीच में भी है। उसमें लिखा है और मेरा नाम भी उसमें लिखा हुआ है। हमने वहां पर जाकर देखा और पक्के मकान बने हुए देखे। वहां सब कुछ देखा और ऐसे पक्के अच्छे मकान वहां पर बने हुए थे जो कि गवर्नमेंट के बनाये हुए मकानों से भी अच्छे थे। श्री टेकचन्द ने डिस्क्रिप्शन (विवरण) दिया है कि उन मकानों के अन्दर शरणार्थी लोग रहते थे और हमने उन मकानों को जाकर देखा। जिस मुसीबत से उन्होंने उनको बनाया था वह उन्होंने हमसे बयान किया। उनको मिनिस्टर साहबान ने भी जाकर देखा।

एक एश्योरेंस यह था कि हम किसी मकान को गिरने नहीं देंगे जब तक कि दो शर्तें पूरी न हों, एक तो सेक्टर वाइज प्लान (खण्डानुसार योजना) बना हो और दूसरे उसका गिराना बिलकुल लाजिमी हो जाय। अब उसका मकान गिरा देने के लिए कितना मुआविजा दिया जाय, यह तो मामूली बात हुई और इसको छोड़ दीजिये कि उसको क्या मिलेगा, मैं उसकी पर्वाह नहीं करता लेकिन जिस चीज की मुझे सख्त शिकायत है वह यह है कि वह जमीन आज वैसे ही खाली पडी हुई है। जिसके कि ऊपर पक्के मकानात बने हुए थे वह जमीन खाली पड़ी हुई है और आज तक उस जमीन को इन शरणार्थियों को नहीं दिया गया। म इसके खिलाफ शिकायत इसलिए करता हूं कि वहां जितने मकानात बने थे, उन मकानों की एक एक ईंट उन ऐश्योरेंसेज से पवित्र और मजबूत बन गई थी लेकिन यह बहाना करके कि यहां पर हम अच्छे महल बनायेंगे और उनमें लोगों को बसायेंगे, वह जमीन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने पुनर्वास मंत्रालय को दे दी। हमारे मकानात गिरवाये गये ताकि उन लोगों की कब्रों पर महल बनाये जायें और उनके अंदर लोग बसाये जायें। अगर कोई उनको बसाने की स्कीम या तजवीज थी तो उसको अमल में लाना चाहिए था और अगर ऐसा होता तो मेरी समझ में उनका यह गिरवाना आ सकता था। लेकिन उन पक्के और कच्चे मकानों को गिरा कर वहां की आधी जमीन पुनर्वास मंत्रालय को दी जाय कि वह मकान बनवा कर लोगों से किराया वसूल करे या इतने रुपये में उन मकानों को उनके हाथ बेच डाले, तो इस तरह की दुर्गति हमारे शरणार्थी भाइयों की बनाई गई है। मेरी अदब से शिकायत यह है कि हमारे गरीब भाइयों के जो सैकड़ों कच्चे मकान सारे दिल्ली में बने हुए थे, उन कच्चे मकानों की कोई वक्त नहीं की गई और गाजर मूली की तरह सरकार ने उनको ट्रीट किया। मैंने उस समय कहा था और हमारे गाडगिल साहब रोज कहते हैं कि हम कैप्टिलिज्म (पूंजीवाद) को जीरो (समाप्त) कर देंगे। गाडगिल साहब ने फरमाया था कि हम अमीर आदमियों को नहीं देखना चाहते। मैंने उनसे अर्ज किया था कि अगर यह दुरुस्त है तो गरीब आदमियों के कच्चे मकान जिनको कि उन्होंने बहुत मुसीबत उठा करके बनाया है और जो कि उन गरीबों को जान से प्यारे हैं उन कच्चे मकानों को बचायें लेकिन हमने देखा कि गरीब आदमियों की कोई पर्वाह नहीं की गई और इसका कोई अहसास नहीं किया गया कि गरीब आदमियों को यह कच्चे मकान कितने अजीज हैं, ४३५ मकान बिला वजह गिरा दिये गये। मैं इसलिए शिकायत नहीं करता कि उन्होंने इस वजह से उनको गिरा दिया कि हमारे भाइयों को तकलीफ हो, शायद नेकनीयती से उन्होंने उन मकानों को गिराया हो या यह समझ कर गिरा दिया हो कि इन स्लम्स (गंदी बस्तियां) को साफ करके यहां पर अच्छे और पक्के मकान सरकार बनवाये, उनके वास्ते अच्छे और बड़े मकान बनवा दे, यह खयाल दुरुस्त है या गलत है मैं इसमें नहीं पड़ना चाहता लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मेरे नुक्तेनिगाह से जो हमने ऐश्योरेंस दिया था उसका यह रवैया सख्त खिलाफ था और यह निहायत ही नावाजिब बात थी कि उन मकानों को बिला उनकी मर्जी के गिराया जाता जो कि उनके मालिकान थे लेकिन वह गिरा दिये गये।

मैं आगे बढ़ कर आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से हमारे मरहूम स्पीकर साहब जिनके कि दिल में शरणार्थियों के लिए बड़ा दर्द था, उन्होंने शरणार्थियों के वास्ते एक कमेटी बनाई जिसका कि नाम ऐश्योरेंस कमेटी (आश्वासन समिति) था। इस पर मैं पीछे जिक्र करूंगा कि

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

उस ऐश्योरेंस कमेटी ने क्या काम किया लेकिन एक बात जनाब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि उस एश्योरेंस कमेटी ने सारे मामले में जाकर यह फैसला किया कि ऐश्योरेंसज की खिलाफवर्जी की गई है और उनको तोड़ा गया है। कमेटी की एक सिफारिश यह थी कि यह जो आपके पास झंडेवालान के पास मकानात को गिरा कर जो जमीन खाली पड़ी हुई है वह उन लोगों को नो प्राफिट नो लौस बेसिस पर दे दी जाय जिनके कि मकान गिराये गये हैं लेकिन मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि वह ऐश्योरेंस कमेटी जो कि इस हाउस की रिप्रेजेंटेटिव (प्रतिनिधि) कमेटी है उसने जो सिफारिश की थी उसको आज तक किसी ने उठा कर नहीं देखा कि ऐश्योरेंस कमेटी ने क्या लिखा था। वह जमीन वहां पड़ी है और वह पड़ी रहेगी। मेरे भाई श्री नवल प्रभाकर फरमाते थे कि शायद उसको ४०, ५० रुपये पर यार्ड पर बेचने का याल किया जा रहा है। इसके सिवाय मैं आपको बतलाऊं कि एक वक्त में मुझे इस बिल की सेलेक्ट कमेटी का चेयरमैन होने का फक्र हासिल हुआ और हमारे सामने चार, पांच रेफयूजीज असोसिएशंस (शरणार्थी संस्था) के नुमायन्दे आये और हमारी कमेटी ने उनकी तमाम बातों को बहुत ध्यान से सुना और उस मौके पर तकरीबन हर डिपार्टमेंट (विभाग) के नुमाइन्दे मौजूद थे और हमारे सरदार साहब और हमारी बहन भी गालिबन मौजूद थीं। उस सेलेक्ट कमेटी में आखिर में सबकी रजामंदी से हमने एक सुझाव दिया। हमने कहा कि जो होना था सो हो चुका। मैं उनकी नीयत पर शुबहा नहीं करता जिन्होंने कि उन मकानात को गिरा दिया ताहम अब यह वक्त है कि आप कम से कम इतना तो करें कि उन आदमियों को जो वहां पर थे उनसे कीमत लेकर उनको जमीन दे दें। जो कुछ मैंने अर्ज किया था वह बहैसियत कमेटी के चेयरमैन के किया था और उस पर कोई तवज्जह नहीं दी गई, इसकी मुझे शिकायत है। मुझे इस बात की शिकायत है कि जब हमने ऐश्योरेंस कमेटी के टूटने के बाद उनको मरम्मत करने की सालवैज करने की कोशिश की और उसको दुरुस्त करने के वास्ते कुछ सुझाव भी दिये लेकिन मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि उन सुझावों की तरफ किसी किस्म की तवज्जह गवर्नमेंट ने नहीं दी। मैं आज इस हाउस में फिर अपील करना चाहता हूं कि अगर आप उन दिलों पर जिनको कि आपने अपने फल से जक्ख्मी किया है फिर मरहम लगाना चाहते हैं और उनको इस तरीके से नहीं देखना चाहते कि वह किसी गर मुल्क से आये हुए ह बल्कि अपने ही भाई लोग हैं तो आपके लिये कम से कम यह वाजिब है कि आप उस जमीन से पैसा मत पैदा करने की कोशिश कीजिये और उसके टक मत उठाइये। इस वेलफेयर स्टेट और स कांग्रेस हुकूमत जिसको कि हम सब पूजते हैं और इज्जत करते हैं और जिसको कि हम कायम रखना चाहते ह, उसकी शान का तकाजा है कि आप वह जमीन उन्हीं लोगों को वापिस कर दें जिनके कि घर आपके हुक्काम न गलती से गो नेकनीयती से उजाड़े थे और उन लोगों को फिर वहीं पर बस दें और अगर आप ऐसा करेंगे तो यह एक लडमार्क साबित होगा और सुबह का भला हुआ अगर शाम को घर वापिस आ जाय तो भूला हुआ नहीं कहलाता। अब जहां तक यह सवाल है कि यह किसकी तरफ से किया गया तो उस कमेटी के रिपोर्ट (प्रतिवेदन) में यह लिखा हुआ है कि दिल्ली इम्प्रवमेंट ट्रस्ट ने ऐसा किया और उसके वास्ते खुद मिनिस्टर साहब जिम्मेदार ह। एक वाकया तो म आपकी खिदमत म अर्ज कर चुका। इसके अलावा मैं आपको बतलाऊँ कि फैजरोड के इलाके में मैं सरदार साहब को ले गया और हमारी हमदर्दी की वजह से उन्होंन खुद जाकर वह जगहें देखीं और उन्होंने हमको सलाह दी कि भाई तुम लोग इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में जाकर मकानों का नकशा दाखिल करो और लोगों ने उनके कहे मुताबिक ५ हजार और १० हजार रुपय सर्फ करके नकशे दाखिल कर दिये। म्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने कहा कि सब अपन अपने नकशे दाखिल कर दो हम उनको रेगुलराइज (विनियमित) करेंगे और लोगों ने काफी रुपये खर्च करके अपने मकानों के नकशे दाखिल किये ताकि उनको रेगुलराइज किया जाय। लेकिन वह सबके सब नक्शे कहां हैं? आज उनको कहीं किसी रेकार्ड रूम में, इम्प्रूवमट ट्रस्ट के, दीमक चाट रही है या चाट चुकी होगी, कोई परवाह उनकी नहीं की गई। खयाल था कि जब एक मामला गवर्नमेंट ने तय कर दिया था और इस हाउस की मोहर उस पर लग चकी थी, जो कि एक सावरेन बाडी है, तो मकानात को रेगुलराइज कर दिया जायगा। लेकिन वह तो तब होता जब उनकी नियत होती। गाडगिल साहब का जमाना गया, सरदार साहब उनकी

जगह तशरीफ लाये, गाडगिल साहब के जाने की जब खबर हुई तो मुझे रंज हुआ क्योंकि पता नहीं था कि क्या होगा, शायद ऐसा सिम्पैथेटिक (सहानुभूतिशील) न आदमी मिले। लेकिन सरदार साहब के आने से मझे थोड़ी तसल्ल दिल में हुई। मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने कहा कि वह कमेटी थी उसको बुला कर ऐश्योरेन्सेज को ठीक किजिये। लेकिन बदकिस्मत कि उससे पहले यह मामला दिल्ली स्टेट को ट्रांस्फर हो चुका था या इन दि कोर्स आफ ट्रांस्फर (हस्तान्तरण के समय) था। वहां पर दिल्ली स्टेट के मिनिस्टर साहब तशरीफ लाये और हमें यह यकीन दिलाया कि जो सरकार का हुक्म होगा वह उसे करेंगे। यकीन तो दिला दिया, नोट भी स्टेट्समैन में निकला, दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने नक्शे भी मंगवाये, जहां तक सब कुछ बड़ा तसल्लीबख्श था। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वह ऐसी ददनाक कहानी है कि उसको बयान करते हुए मेरा दिल तड़पता है। गरीब नवाज, रात के ११ बजे पुलिस की लारी लेकर, पुलिस के सिपाही लेकर, पूरी स्वैवड लेकर, लोगों के घरों को पहुंच गये, उनको निकाल दिया गया और यहां से सात, आठ मील दूर खुले जंगल में छोड़ आया गया। यह हमको अल्टर्नेटिव ऐकोमोडेशन (वैकल्पि आवास) दी गई। यह मामला ऐसा नहीं है जो कि मैं सुना सुनाया कह रहा हूं, मैंने खुद वह जगह जाकर देखी है, वहां एक सिर्फ खेमा लगा हुआ था। यह अल्टर्नेटिव ऐकोमोडेशन दी गई है। जिस समय अल्टनटिव ऐकोमोडेशन की बात रक्खी गई तो यह ऐश्योरेन्स दिया गया कि हम अल्टर्नेटिव ऐश्योरेन्स तब कहेंगे जब जिसको निकालना हो उसको पहले वहां बैठा दिया जाय और इतनी जमीन दी जाय कि वह मकान बनाले, उसके बाद उसको अपने घर से हटाया जायगा। यह अल्टर्नेटिव ऐकोमोडेशन की तारीफ में दर्ज है एश्योरेंसस में।

जनाबवाला एक मकान ४०,००० रु० कीमत का था, उसके मालिक ने १५ दिन की मोहलत मांगी, अभी ७ या ८ दिन ही हुए थे कि उसके यहां पुलिस के आदमी जा पहुंचे और मकान को गिराना शुरू कर दिया और ४०,००० रु० के मकान को तहस-नहस कर दिया। फिर उसे दिया क्या गया? जवाब यह दिया गया कि उसने अल्टनटिव ऐकोमोडेशन मांगी नहीं। यह है हमारी अल्टर्नेटिव ऐकोमोडेशन का हाल। भला हो हमारे पंडित नेहरू का जिन्होंने अल्टर्नेटिव ऐकोमोडेशन की चीज ब्रेन वेव की तरह से अपने दिमाग से निकाली जिससे लाखों आदमियों को राहत पहुंची। लेकन उनके दिमाग में यह नहीं था, अल्टर्नेटिव ऐकोमोडेशन के यह माने नहीं थे जो हमारे अहकाम ने दिये। सरकार ने इसकी तारीफ को भी लिख दिया। क्या चीज है अल्टर्नेटिव ऐकोमोडेशन हुक्काम ने ताबीर की, यानी ५०० रु० नकद और १०० गज जमीन। लेकिन उसकी भी परवाह नहीं की गई। झेंडे वाले पर ३ लाख ९५ हजार रु० की मालियट का मकान गिरा दिये गये, दूसरी जगह दो गिराये गये। एक लैंड डेवेलपमेंट आफिस (भूमि विकास कार्यालय) है, पता नहीं कौन सी मिनिस्ट्री का है।

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : उनसे पूछा गया, जब यह ऐश्योरेन्स कमेटी बैठी, कि आपका क्या खयाल है कि कितने मलकियत के मकान गिराये गये। उन्होंने कहा कि "हमें पता नहीं, हमने नक्शे मंगाये ही नहीं, क्योंकि हमको तो मकान गिराना था, हमें क्या जरूरत थी कि हम इसका हिसाब रक्खें कि कितने मकान गिराये गये, हमें किसी को कुछ देना तो था ही नहीं।" उनका यह जवाब रेकार्ड में मौजूद है। इस तरह से हजारों मकान गिराये गये, एक ही नहीं गिराया गया, लेकिन मैं उन सबकी तफसील में नहीं जाना चाहता। कमेटी आफ ऐश्योरेन्सेज (आश्वासन समिति) की रिपोर्ट के सफहा ५ पर उनकी तफसील दर्ज है, जहां पर लिखा हुआ है कि १५ अगस्त, १९५० से पहले १३,४०१ मकान थे।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (चित्तौड़) : १३,४०१ !

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जी, हां, १३,४०१ जिनमें से ५२२९ मकान गिरा दिये गये इसके अलावा हमने जो पास किया था ऐश्योरेन्सेज कमेटी के अन्दर उसके अन्दर अख्त्यार दिया था कि मकान गिराये जा सकते हैं, अगर गवर्नमेंट सेक्टरवाइज एक प्लान बनावे, एक कमेटी मुकर्रर कर दे जिसमें कम से कम दो मेम्बर इस हाउस के होने चाहिये थे। फिर अगर वह मकान ऐसा हो जिसका बचाया जाना मुमकिन हो, तो हमने लिखा कि अगर वह म्यूनिसिपल लाज के बर्खिलाफ हो, तो उसको ठीक करा दें और अगर वह इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्कीम के बर्खिलाफ हो तो उस स्कीम को माडिफाई कर दें, लेकिन जहां तक मुमकिन हो सके, मकान को न गिरायें।

जनाबवाला को मालूम है और सरदार साहब भी बखूबी जानते हैं कि पंजाब हाई कोर्ट (उच्च न्यायालय) ने १,००० के मकानों का सब्स्टैन्शल (साखान) करार दिया पब्लिक यूटिलिटी और नैशनल लाज के हिसाब से, यहां पर आज लोगों ने नक्शे पेश किये हैं इस की हमारे पास एविडेंस आई है कि १५,००० तक के मकान एकदम जमीन के बराबर कर दिये गये। हमन कभी किसी मुल्क की हिस्ट्री में, सिवा उन जगहों के जहां इनसरेक्शन हुआ हो, यह नहीं देखाकि किसी कांस्टिट्यूशनल अथारिटी (सांविधानिक प्राधिकारी) ने इस तरह से मकान गिराये हों सिवा इस बदकिस्मत देश के। इसलिये हमने एश्योरेन्सेस में लिखा कि इन मकानात को ठीक करा दो, लेकिन क्या म्युनिसिपैलिटी ने कोशिश की ? कहीं नोटिस दिया कि इस मकान को ठीक कर दो। इस तरह से किसी स्कीम को गवर्नमेंट ने तबदील नहीं किया। जैसा एश्योरेसंस में कहा था, हुक्म था कि जिसका मकान गिराये उसको नजदीक से नजदीक जगह दो और बने मकान की आल्टर्नेटिव अकमोडेशन दो। गवर्नमेंट ने कहां लोगों को भेजा रमेश नगर। लेकिन कहते हैं कि हमने पूरी कोशिश की मैं इसका क्या जवाब दूं जब तक नक्शा न हो कि कितनी जगह पास दी और कितनी जगह नहीं। मगर १५ मेम्बरों की कमेटी ने खूब छानबीन की और मैं इस ऐश्योरेन्सेज कमेटी को अपना हम्बल ट्रिब्यूट देना चाहता हूं कि वह इस नतीजे पर पहुंची कि यह जो क्लेम है कि हमने डेवेलप्ड लैंड दी वह दुरुस्त नहीं है। यह भी दुरस्त नहीं है कि उन्होने हर एक को अल्टर्नेटिव ऐकोमोडेशन दी। अगर आप इस कमेटी को फाइंडिंग्स को देखें तो बहुत साफ अल्फाज में लिखा हुआ है, सच्चे और शुद्ध अल्फाज में लिखा हुआ है। मुझे अगर किसी कमेटी में बिठा दिया जाय तो मैं हर्गिज अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं कहूंगा, जब तक मैं मजबूर न होऊं कि उसको कंडेम करूं, इस लिये कि गवर्नमेंट के पीछे हमारी ताकत है, हमारी गवर्नमेंट है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि मुझे आपकी तवज्जह इस तरफ दिलानी पड़ रही है कि कमेटी ने क्या लिखा है, उसने लिखा कि समिति अभिलेख में यह रखना चाहती है कि विभिन्न सम्बन्धित मंत्रालयों से अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा है।

सच बात तो यह है कि जैसा मैंने अर्ज किया, सिचुएशन (स्थिति) के साथ हमारी हमदर्दी है, हमने यह ऐश्योरेन्सेज ऐसे आदमी से लिये जो मिनिस्टर तो है हमारी गवर्नमेंट का, लेकिन वह इसके लिये जिम्मेदार नहीं रहा है। इसमें कहा गया था कि जिनके मकान गिराये जायेंगे उनको एक्स्ग्रेशिया पेमेंट (मुफ्त भुगतान) किया जायगा, महज इतना ही नहीं कि अल्टर्नेटिव ऐकोमोडेशन दी जायगी। दोनों चीजें एक दूसरे के साथ वाबस्ता थीं, जिसका जवाब हमें मिलता है, अगर जनाब इजाजत दें, तो म पढ़ कर सुना दुं, दिल्ली स्टेट कहती है कि हमारे पास फंड नहीं है, दूसरी मिनिस्ट्री कहती ह कि हमारे पास फंड नहीं है, ऐप्रोप्रिएशन फंड्स (विनियोग निधि) नहीं हैं। मेरे ख्याल में इसको डिस्प्यूट (विवाद) नहीं किया जायेगा। यह उन्हीं के पेपर्स में है। जब सेलेक्ट कमेटी में मामला पेश हुआ तो कहा गया कि कोई फंड नहीं है, हम रुपया कहां से दें ? वह उसूल डिसाइड (निर्णय) नहीं हुए जिन पर एक्स्ग्रेशिया पेमेंट देना था जब तक कि ऐश्योरेन्स कमेटी नहीं बठी। आज मैंने सुना है कि कुछ उसूल कायम हुए हैं और कुछ रकमें दिये जाने की तजवीज है। लेकिन जब मैं इसके साथ यह देखता हूं कि इधर रकमों की तजवीजें हो रही ह, और इधर यह सोचा जा रहा है कि किस हिसाब से दें क्योंकि देना लाजिमी था, और दूसरी तरफ हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से ऐश्योरेन्स

कमेटी को एक अर्जदाश्त पेश की गई है कि हम तो एक्स्ग्रेशिया पेमेंट दे चुके, अब उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में दर्ज है कि किसी को भी एक पैसा नहीं दिया गया और इस चीज की खिलाफवर्जी हुई है। ऐश्योरेन्स कमेटी ने कहा कि खिलाफवर्जी हुई, लेकिन यहां इस चीज का मरोड़ा जाता है। जिस चीज को अल्टर्नेटिव ऐकोमोडेशन कहा जाता है, उसकी कहानी भी आपको सुनाऊंगा, कहा जाता था कि यही था एक्सग्रेशिया पेमेंट। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपकी यह जो एटेम्पट (प्रयास) है यह व्हाइट वाश (तसल्ली देने) करने की एटेम्पट है। अगर गलती हुई है तो उसको मानने में आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये। उस गलती को दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन इस तरह से एश्योरेंसिस को व्हाइट वाश (समाप्त) किया जाय यह मुनासिब नहीं है। मुझे मालूम नहीं क्या कमिटी ने कहा इस कोशिश के जवाब में। सारे कागजात पड़े हुए हैं। मैंने सब कुछ देखा है और देखने के बाद मैं यही कह सकता हूं कि यह डिफेंस इज टू लेम (यह प्रत्युत्तर सबल नहीं)। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊं। लेकिन आपका यह फर्ज तो था कि जिस तरह से और जो कुछ कमिटी ने कहा था उसके मुताबिक आप अम्ल करते। लेकिन आपने कोई ऐसी बात नहीं की। आपने किसी बात को भी जो आपने कहा पूरा नहीं किया। मैं जानता हूं कि झंडेवाला में रुपये पैसे का मामला था और शायद आपने इसे पसन्द न किया हो और आप इसे पसन्द न करते। यह जायज बात थी, ठीक बात थी। मैं अब भी कहता हूं कि हम एक स्केल मुकर्रर करते और जो हमने एश्योरेंस दिये थे कि किसी मकान से बेदखल नहीं किया जायगा जब तक फलां फलां शरायत पूरा नहीं होंगी और साथ में यह शर्त भी थी कि एक्सग्रेशिया पेमेंट दी जायगी और आल्टरनेटिव एकोमोडेशन दी जायगी। आपने इन एश्योरेंसिस को तोड़ा ही नहीं है बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि बड़े ही नामाकूल तरीके से तोड़ा है। इतना ही नहीं मैं तो यह भी कहूंगा कि आपने इस पार्लियामेंट की और गवर्नमेंट की बे-इज्जती की है और मिनिस्टरी की बे-इज्जती की है। लोगों के अन्दर इससे यह भावना फैली है कि गवर्नमेंट की दी हुई एश्योरेंस कोई मानी नहीं रखती है और इसको कभी भी तोड़ा जा सकता है। इससे ज्यादा खतरनाक और क्या चीज हो सकती है। आप जो एश्योरेंस दें उस पर आपको लोहे की तरह से कायम रहना चाहिए। और यह नहीं कहना चाहिए कि यों ही आपने कह दिया होगा। यह चीज मुझे पसन्द नहीं है। मैं इस पर ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। इसलिये मैंने इस पर मुख्तसिर तौर पर आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया है। इसी तरह से और भी एश्योरेंसिस थी जिनको आपने निभाया नहीं है। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि एक भी एश्योरेंस ऐसा नहीं है जिस पर आपने अम्ल किया हो। मेरा खयाल है कि सरदार साहब जब जवाब देंगें तब वह जरूर उन सब बातों की तरफ हमारी तवज्जह दिलायेंगे जो अब फिर दुबारा एश्योरेंसिस कमिटी के सामने आई हैं। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं एंटिसिपेट (प्रत्याशा) करके जवाब दूं। इसलिए मैं इसको छोड़ता हूं। मैं समझता हूं कि सरदार साहब कोई भी ऐसी बात नहीं कहेंगे जो कि गैर-मुनासिब हो। अब मैं दूसरी तरफ आता हूं।

मैंने अर्ज किया है कि यह तीसरा बिल है। पहला बिल सन् १९५१ का था। इसके बाद एक और बिल आया १९५२ में जिसको हमारे दोस्त मरहूम बुरगोहिन साहब ने पेश किया था और जिसके अन्दर यह जो पहला एक्ट था यह रिपील कर दिया गया था और उसके अन्दर एक दफा २५ रखी गई और चन्द एक उसूल कायम किये गये और अब यह आखिरी एटेम्पट है जो कि उन चन्द उसूलों को इस बिल के अन्दर लाने की की जा रही है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी में जो आम उसूल हुआ करता है वह यह है कि जो सिविल राइट हुआ करते हैं उनको हम कोर्ट से डिटरमिन (निश्चय) कराते हैं। सिविल राइटस को हम एग्जेक्टिव (कार्यपालिका) की मर्जी पर, उसकी बैगेरी पर नहीं छोड़ने और इस चीज को आप सब मुल्कों के अन्दर जहां पर कि ब्रिटिश टाइप आफ डेमोक्रेसी है, पायंगे। चुनाचे आज हमारे मुल्क में एक मामूली मुकदमे में सरकार मुदई है और दूसरे मुकदमे में प्राइवेट आदमी मुदई है और सरकार मुदालया है और उसमें उसी तरह से वकील पेश होते हैं जिस तरह से कि सिविल प्रोसीजर (व्यवहार प्रक्रिया) के मातहत होते हैं और उसी तरह से केस चलते हैं जिस तरह कि सिविल प्रासीजर के मातहत चलते हैं। अगर सरकार की जमीन पर कोई कब्जा करता है तो उसी तरह से मुकदमा होता है जैसे कि प्लेंटिफ आकर मुकदमा

[पंडित ठाकूर दास भार्गव]

करता है। यह एक उन उसूलों में एक उसूल है जो कि इस नई तरह के लेजिस्लेशन (विधान) आने से पहले इस देश के अन्दर रायज था। जब हमने सन् १९४७ में यह देखा कि सरकार जगह जगह अपने मकान बना रही है और लोग जो उनमें रहने लग गये हैं वे न तो कब्जा देते हैं और न ही पैसे देते हैं तो उस एमरजेंसी का सामना करने के लिये और आठ लाख आदमियों की आसाइश (आराम) के लिए इस कानून को पेश किया गया और इसे यहां पर मंजूर किया गया। लेकिन जो उसूल हमने तय किये थे उन पर हम चले नहीं हैं और न उनको हम ने खैरबाद ही कहा है। मैं समझता हूं कि वह दिन एक सैड दिन होगा उस दिन हम उन उसूलों को खैरबाद कह देंगे जिन पर कि हमने अपनी कांस्टीट्यूशन को खड़ा किया है। लेकिन आज कोई एमरजेंसी (आपात काल) नजर नहीं आती जो आर्डिनरी ला आफ दी लड से डिपार्ट कर इतने बड़े अख्तयारात हम एग्जेक्टिव को दें कि जो मामूली अख्तयारात से मुख्तलिफ हों और जो एक आम शहरी को हासिल हैं। आज देश के अन्दर क्या शक्ल है। अगर एक आदमी को मकान खाली कराना होता है तो उसको कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है और उसको मुकदमा करना पड़ता है जो कि बहुत अर्से तक चलता रहता है। सारा डिफेंस वहां होता है और सब फैसले वहीं होते हैं। किसी थर्ड परसन का भी अगर कोई राइट (अधिकार) होता है तो उसका भी फैसला वहीं होता है। अगर कोई किराये का दावा करता है तो यह देखा जाता है कि टेनेंट (किरायेदार) है या नहीं है या एज इफटेनेंट है या नहीं है जिसको आज सरदार साहब इस एक्ट में अनआथोराइज्ड औक्युपेंट (अनधिकृत अधिकारी) के नाम से मुखातिब करते हैं। जैसा कि कल श्री त्रिवेदी जी ने कहा फिलवाका उसको अनआथोराइज्ड औक्युपेंट कहना ठीक नहीं है। पंजाब के पंजाब टेनेंसी एक्ट में एक दफा है जिसके मुताबिक अगर एक आदमी ने एक जमीन ली और टेनेंसी (किरायेदारी) खत्म हो गई लेकिन वह चल रहा है तो उसको माना जाता है "एज इफ टेनेंट" (किरायेदार जैसा)। उससे उतनी ही रकम वसूल होती है कि जितनी कि उसको औक्युपेंट होने के नाते देनी पड़ती है और डेमेजिस के तौर पर उससे कोई रकम वसूल नहीं होती। इसी तरह से सिविल ला में भी उस शख्स को न ट्रैसपासर कहते हैं और नअन-आथोराइज्ड औक्युपायर ही कहते हैं। आज अगर सरकार का एक मकान किसी के पास है तो उसको वह अनआथोराइज्ड आक्युपेंट (अनधिकृत अधिकारी) नहीं कह सकती है। जिस तरह से अजमेरी गेट के मकान थे और उनमें जो लोग रह रहे थे वे सबके सब अनआथोराइज्ड आक्युपेशन में थे, तो जहां तक सिविल ला का ताल्लुक है वह इस तरह से इसकी तरफ नहीं देखता है। इसके अलावा मुझे इस मामले को एक और तरह से भी आपके सामने रखना है। आज इस बिल के जरिये से इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को कुछ ऐसे अधिकार दिये जाने की कोशिश की जा रही है जिससे बहुत से लोगों को बड़ी शिकायत है और उनको बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि एक कमिटी बिठाई गई थी जिसके मैम्बर साहिबान थे श्री जी० डी० बिरला, श्री देशबन्धु गुप्ता और श्री टेकचन्द। इस इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में जो कुछ लिखा मैं उसे पढ़ कर हाउस का वक्त नहीं लेना चाहता। लेकिन इस हाउस में डा० टेकचन्द साहब ने इस बिल पर जो अपनी स्पीच दी उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं। सन् १९३८ में लोगों के नाम नोटिस जारी किये थे जिसको आज १८ बरस हो गये हैं और कहा था कि तुम्हारे मकानात पर कब्जा किया जायेगा। आठ बरस तक यह इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कुम्भकरण की नींद सोया रहा। सन् १९४६ में फिर नोटिस जारी किये गये और फिर मुआवजे की तजवीज हुई। अब जो मुआवजा होता है वह एक खास कानून के मातहत एसेस होता है और जो आर्डर होता है वह एपीलेबल (अपीलीय) होता है कोर्टस के अफसरान को अख्तयार है कि उसको मुकर्रर कर दें और फिर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का दखल नहीं है। लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि आखिर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (सुधार न्यास) को यह तो अख्तयार था कि शुरू में ही यह तय करता कि मुआवजा सन् १९३८ की जो वैल्यू थी उसकी बिना पर नहीं बल्कि सन् १९४८ की वैल्यू की बिना पर तय किया जाये। दस बरस का अन्तर तो वहां हो गया था। इसके बाद इसे यह भी तो देखना चाहिये था कि जिस कद्र कीमतें बढ़ गई हैं उनका भी लिहाज रखता। इसके बाद जो यह हुआ कि अगर किसी को कोई जमीन मिलेगी तो ४० रुपया फी गज से कम पर नहीं मिलेगी, मैं पूछता हूं कि यह कहां तक ठीक था। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि फिलवाका जो काम डी० आई० टी० ने किया है वह इस किस्म का नहीं जिससे हमको यह

भरोसा हो कि यह ठीक तरह से काम करेगा । बल्कि मैं तो यह कह सकता हूं कि उसके ऐसे कामों को देखकर मेरे दिल पर यह असर हुआ है कि कोई मजीद अख्तयारात इसको न दिये जायें । मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि अगर मेरा अख्तयार होता तो जो अख्तयार इसे हासिल हैं उनको भी मैं इससे छिनवा देता । चुनाचे पिछली बार जब यह बिल आया था उस वक्त मैंने दो एमेंडमेंट्स (संशोधन) भेजी थीं और जिनके जरिये मैंने यह चाहा था कि इसके भी वही अख्तयार होने चाहिएं जो कि कानून ने इसे दिये हुए हैं और कोई ज्यादा अख्तयार इसे नहीं मिलने चाहिएं और अगर ऐसा किया गया तो यह एक खतरनाक बात होगी और इससे अधिकार वापिस लिये जाने चाहिये । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वजह है कि दिल्ली के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को, दिल्ली की म्युनिसिपेलिटी को, दिल्ली की दूसरी लोकल अथारिटी को अजीबोगरीब किस्म के अधिकार क्यों दिये जायें जो कि सारे हिन्दुस्तान में किसी भी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को हासिल नहीं हैं या किसी म्यूनिसिपैलिटी को हासिल नहीं हैं । आखिर ये अख्तियार क्या हैं ? अगर कोई शख्स किसी मकान में बसता है, तो मेरा अख्तियार है कि मैं उससे एक सौ रुपया माहवार डैमेजिज वसूल करूं, हालांकि वह मकान दस रुपये किराये का है । मेरा अख्तियार है कि मैं एक सौ रुपये एसेस (निर्धारित) कर दूं और अपने इंजीनियर और आक्शनीयर (नीलामकर्ता) वगैरह ले जाऊं । मैं खुद ही मुद्दई, मैं ही जज, मैं ही एक्सीक्यूशनर (पालन कर्ता) और मैं ही डिक्रीहोल्डर (आज्ञप्तिधारी) और मैं ही उसका इजरा करने वाला हूं——मैं खुद ही पुलिस, खुद ही जज और खुद ही मुद्दई हूं । मैं नहीं जानता कि इस किस्म के कानून किसी और मुल्क में हैं या नहीं । शायद फ्रांस में एक कानून है, जिसमें अफसरों और आम लोगों में तमीज की जाती है । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि किसी डेमोक्रेटिक मुल्क में ऐसा कानून बिल्कुल कम पाया जायगा कि जिस शख्स को फायदा पहुंचता है, उसको मुकम्मल अख्तियारात हों । वह इमरजेंसी का जमाना था और हमने उस वक्त यह अख्तियार दिया । लेकिन आज तो कोई इमरजेंसी नहीं है । जो बाडी (निकाय) गवर्नमेंट की दी हुई एशोरेंस की परवाह नहीं करती है, जिसकी करप्शन का हाल दिल्ली के एक-एक बाशिन्दे से पूछिये——मुझे उसको यहां पर जाहिर करने की कोई जरूरत नहीं है,——ऐसी बाडी को ये अख्तियार देने के मायने ये हैं कि हम लोगों के सिविल राइट्स (नागरिक अधिकार), फंडामेंटल राइट्स (मूल अधिकार) जिनकी गारंटी हमारे कांस्टीच्यूशन (संविधान) ने दी हुई है, पर पानी फेर रहे हैं । इसलिए जहां तक सिविल इमरजेंसी राइट्स का ताल्लुक है, मैं इस बात की बड़े जोर से मुखालिफत करता हूं कि इम्परूवमेंट ट्रस्ट को यह अख्तियार दिया जाय ।

पेश्तर इसके कि मैं जनाब की तवज्जह स्लम-क्लीयरेंस स्कीम (गंदी बस्ती हटाने की योजना) की तरफ दिलाऊं, मैं जनाब की तवज्जह उन चन्द बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं कि किस तरह इस बिल के मुताल्लिक कार्यवाही हुई । दो तीन आनरेबल मेम्बरों ने ख्वाहिश जाहिर की है कि क्यों इतने दिन तक यह बिल चलता रहा ।

जनाब, यह बिल सिलेक्ट कमेटी के सिपुर्द १६ नवम्बर, १९५४ को किया गया और सिलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) की तकरीबन ग्यारह सिटिंग्ज (बैठकें) हुईं और तकरीबन सात सिटिंग्ज में मैं हाजिर रहा और बतौर चेयरमैन काम किया । मैं आप को पांचवीं और छठी सिटिंग की कार्यवाही पढ़ कर सुनाता हूं । पहले यह होता रहा कि यहां की रेफयूजी एसोसियेशन्ज (शरणार्थी सन्थाएं) और अजमेरी गेट एरिया के रिप्रेजेन्टेटिव्ज (प्रतिनिधियों) की गवाहियां सुनी गईं और इस काम में हमने घंटों सर्फ किये । २२ अप्रैल को यह कार्यवाही हुई, जिस दिन कि कमेटी की पांचवीं सिटिंग हुई——

"समिति ने विधेयक पर खण्डशः विचार किया ।

खण्ड ४ को पहले लिया गया । कुछ चर्चा के पश्चात यह अनुभव किया गया कि समिति कार्यवाही आगे बढ़ाने से पहले अगली बैठक में स्वास्थ्य मंत्री की बात सुने ।"

[पंडित ठाकूर दास भार्गव]

उस दिन मिनिस्टर आफ हैल्थ तशरीफ नहीं लाई, इसलिए हमने क्लाज ४ की कनसिडरेशन को मुल्तवी कर दिया ।

कमेटी की छठी सिटिंग में पार्लियामेंट के १२ मेम्बर साहबान मौजूद थे । वे मेम्बर साहबान ये हैं--श्री राधा रमण, श्री सी० कृष्णन् नायर, सरदार हुक्म सिंह, श्री गिडवानी, सरदार स्वर्ण सिंह, श्री एम० एम गांधी, हमारी बहिन मिनिस्टर आफ हैल्थ, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, श्री जैदी और श्री अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा । इससे बैटर रिप्रेजेन्टेटिव कमेटी किसी के ख्याल में नहीं आ सकती है--जितने मेम्बर मुकर्रर हुए थे, उनमें से ज्यादातर मौजूद थे ।

अगली कार्यवाही यह हुई कि यह फैसला किया गया कि हम और टाइम मांगते हैं । २४ अगस्त को मैं इस्तीफा देने को मजबूर हो गया । चुनांचे २५ अगस्त की मीटिंग में मेरे सक्सेसर (उत्तराधिकारी) श्री रघुरामैया सदर थे । मैं इस मामले में जातियात में नहीं जाना चाहता हूं । मुझे किसी के खिलाफ कोई रंज नहीं है कि उसने यह किया और वह किया । ये सब छोटी बातें हैं । लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जब तक मैं इस कमेटी का चेयरमैन था, हमने यह समझने की कोशिश की कि इनकी स्कीम क्या है और अजमेरी गेट एरिया की स्लम-क्लीरेंस स्कीम यानी बिलू प्रिंट या मास्टर प्लेन की क्या पोजीशन है । हमने यह भी कोशिश की कि हमको पता चले कि वे कहां तक सही उसूलों को मानने के लिये तैयार हैं । हमने इस सिलसिले में दोनों अथारिटीज के बयानात लिए कि वे हमारे सामने कोई चीज रखें और हम इन दोनों बातों में कामयाब हो जायें, लेकिन मुझे अफसोस और रंज के साथ कहना पड़ता है कि इन दोनों बातों में हम कामयाब नहीं हुए और हमको वह नक्शा देखने को नहीं मिला, जिससे हमारी तसल्ली होती कि स्लम-क्लीयरेंस स्कीम इस तरह से चलाई जायगी कि अजमेरी गेट के लोगों को तकलीफ नहीं होगी और आईन्दा वे मकानात नहीं गिराये जायंगे, जिनको कि गिराने की तजवीज थी । जिस वक्त एशोरेंस कमेटी बैठी, उस वक्त हजारों मकान अंडर थ्रेट आफ डिमालिशन (गिराये जाने वाले) थे । हम चाहते थे कि उन लोगों के साथ उन उसूलों के मुताबिक सलूक हो, जो कि इस हाउस ने मन्जूर किये हैं । गवर्नमेंट ने पीछे इस कमेटी के रूबरू भी कहा था कि हम खास तौर पर दो जगहों के मकानों को रेगुलराइज कर देंगे, लेकिन वे रेगुलर नहीं किये गये । वे लोग अब भी भागते फिरते हैं फ्राम पिल्लर टु पोस्ट । फैज रोड और हरध्यान सिंह की गली वालों की किस्मत वैसी की वैसी पड़ी हुई है । जनाबे वाला, हमने कोशिश की कि किसी तरह हमारे सामने स्लम-क्लीयरेंस का नक्शा आ जाय लेकिन हमको कामयाबी हासिल नहीं हुई । यह ठीक है कि यह निहायत ही मुश्किल मसला है और मैं इसकी मुश्किलात को जानता हूं, इस लिए मैं किसी को दोष नहीं देता । मैं खुश हूं कि मेरे इस्तीफे ने उन लोगों के कानशेन्स (आत्मभाव) को जगाया, जिनको कि हम जगाना चाहते थे और अगली मीटिंग में उन्होंने फिर उसको री-ओपन किया । मैं नहीं जानता कि आज वे सब साहबान किधर राय देंगे, जिन्होंने उस दिन यह फैसला किया था कि सिर्फ एक क्लाज के इस बिल को खत्म किया जाय । इस सिलसिले में एक शर्त यह ठहरी कि एक एडवाइजरी बोर्ड मुकरर किया जाय और मैं समझता हूं कि अगर वर्चुअली नहीं तो कम से कम एक सैन्स में इस वायदे के होने में मेरा भी हिस्सा है और अगर मेरे इस्तीफा देने का यह असर हुआ, कि मास्टर प्लेन की तैयारी और एडवाइजरी बोर्ड के काम मे मुझे बड़ी खुशी है । मैं कुछ मीटिंग्ज में मौजूद नहीं था, इस लिये मुझे पता नहीं कि मिनिस्टर साहब ने एडवाइजरी बोर्ड का क्या नक्शा पेश किया । अच्छा होता अगर वह इस बिल पर लिख देते कि उस बोर्ड की क्या पावर्ज होंगी और वह किस तरह कांस्टीच्यूट होगा । क्या वह बोर्ड वैसा तो नहीं होगा, जिसके बारे में खन्ना साहब ने फरमाया कि सत्तर अस्सी परसेंट बातें मानी जायेंगी और बाकी नहीं मानी जायेंगी । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस में शर्म हया की क्या बात है । कई कांस्टीच्यूशन में स्टैचुटरी बोर्डज (संविहित बोर्ड) का फुल कांस्टीच्यूशन दर्ज किया गया है । आखिर यह क्यों नहीं किया गया कि एडवाइजरी बोर्ड को इस बिल का हिस्सा बना लिया जाय ? जनाब वाला, मैंने इस बिल के लिये कोई अमेंडमेंट नहीं भेजा और शायद किसी ने भी नहीं भेजा है । मैं हाउस में एक खास टेंडेंसी देख रहा हूं । एक वक्त था श्री राजगोपालाचारी

के जमाने में कि जब प्रेस ला पास हुआ था। उन्होंने उस ला में बहस के बाद मुझे २५ प्वाइंट्स कंसीड किये। काटजू साहब ने क्रिमिनल प्रोसीड्योर अमेंडमेंट बिल की बहस के दौरान में, जो कि कई दिन रही मुझे कई प्वाइंट्स कंसीड किये। मैं सरदार साहब के लिए तो यह नहीं कहता, लेकिन मैं यह टेंडेंसी देखता हू कि मिनिस्टर साहिबान किसी बिल में एक नुक्ते की भी तबदीली मंजूर करना पसन्द नहीं करते चाहे वह कितनी ही माकूल क्यों न हों। अभी कल ही की बात है कि विस्थापित व्यक्तियों के रूल्स के बारे में आठ मेम्बरों में से ६ या ७ मुखानिफ बोले, सबार्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी (अधीन विधान समिति) की रिपोर्ट भी उसके खिलाफ थी, लेकिन जब वक्त आया तो किसी के मुंह से पूरे तौर पर "नोज" (नहीं) भी नहीं निकला। मैं समझता हूं कि अब हाउस में अमेंडमेंट भेजना और उन पर बहस करना फिजूल हो गया है। जो कुछ बात कहनी हो, जोर के साथ सरकार के सामने रख दी जाये। यह टेंडेंसी अच्छी नहीं है। यह डिक्टेटोरियल टेंडेंसी (तानाशाही वृत्ति) है। यह मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं हाउस में यह टेंडेंसी देखता हूं और उसको डिप्लोर (खेद) करता हूं। अच्छा होता कि इतनी बहस के बाद हमारे मिनिस्टर साहब इस बिल में एडवाइजरी बाडी (मंत्रणाकार निकाय) का कांस्टीट्यूशन और फंक्शन्स रख देते ताकि यह तसल्ली तो हो जाती कि यह होने वाला है। मैं जानता हूं कि यह काम मुश्किल है। हमारी बहिन हमको जितना देना चाहती है अगर उसका आधा भी दे सकें, हमारे मिनिस्टर साहब हमारे लिये जो कुछ करना चाहते हैं, अगर उसका आधा भी कर सकें तो वे काबिले मुबारकबाद होंगे। मै नहीं चाहता कि हमारे मिनिस्टर साहब फिर हमको एश्योरेंस दें और उनकी दुर्गत हो क्योंकि उनके एश्योरेंस देने के बाद भी आथारिटीज चाहेंगी तो उनको इनफ्रक्चुअस बना देंगी। आप क्यों नहीं इस बिल में लिख देते कि इस बाडी के यह फंक्शन होंगे और इसका यह कांस्टीट्यूशन होगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आनरेबल मिनिस्टर साहब इस तरफ तवज्जह दें और जो कि हाउस की तकरीबन यूनानीमस राय है उसको कबूल फरमावें।

मैं स्लम क्लियरेंस के बारे में अर्ज कर रहा था। हमारे सामने अजमेरी गेट एरिया और इसी तरह से दिल्ली के २८ स्लम एरियाज के क्लियरेंस का सवाल है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ ले गये थे और उन्होंने उन मकानात को देखा था। लेकिन उनको तो उन जगहों में जाने का कम मौका मिलता है। मैं ने इस हाउस में दिल्ली के स्लम्स का कई दफा डेस्क्रिप्शन दिया है। मैं समझता हूं कि अगर दुनिया में कहीं हेल मौजूद है तो वह दिल्ली के अन्दर मौजूद है, आप थोड़ी दूर जाकर उसको देख सकते हैं। हमने वहां जाकर देखा है कि वहां पर कोबलर्स, कुम्हार, वेजीटेबिल सेलर्स (सब्जी बेचने वाले) वगैरह वगैरह बहुत ही गरीब आदमी रहते हैं, उनके घर पुश्तों से वहां चले आ रहे हैं। वहां पर रहकर वे अपनी रोजी कमाते हैं और अपना गुजारा करते हैं। आप उनके घरों को लेकर उनको दूसरी जगह रखना चाहते हैं। इस सिलसिले में हमने पैदर पैदर यह मालूम करने की कोशिश की कि इनमें से कितने पर सेंट आदमियों को इन इलाकों में जगह दी जायेगी। मेरी बहिन ने कहा कि यह नामुमकिन है कि स्लम एरिया का क्लियरेंस हो और लोगों को तकलीफ न हो। मैं मानता कि यह ठीक है। लेकिन यह नहीं बतलाया जाता कि इन आदमियों में से, जिनकी जगह आप ले रहे हैं, कितने परसेंट को आप इस इलाके में जगह देंगे। आप इनको १५ रुपये के हिसाब से मुआवजा दे रहे हैं। पर इनसे पांच छः गज के फासले पर जो सड़क है उसमें जमीन की कीमत ७५ से १०० और ३५० रुपये गज तक है। यह जो आपने मेयार मुकर्रर किया है इसके मुताबिक एक भी गरीब आदमी वहां नहीं बस सकेगा और स्लम क्लियरेंस के मानी होंगे इन गरीब आदमियों का जनरल अपरूटिंग (विस्थापित करना)। आज हाउस का कोई मेम्बर यह पसन्द नहीं कर सकता कि इन गरीब आदमियों को इस तरह से अपरूट कर दिया जाये। हो सकता है कि आप इन लोगों को इससे बेहतर जगह रहने के लिये दें, लेकिन उस जगह पर उनको वह आशाइश नहीं हो सकती जो कि यहां पर है। उस जगह पर उनका गुजारा नहीं चल सकता क्योंकि वहां पर वह कंडीशन्स (स्थिति) आप पैदा नहीं कर सकते जो कि अजमेरी गेट पर मौजूद हैं और जिनकी वजह से वे गरीब आदमी अपनी रोजी कमाते हैं। उन जगहों पर जहां आप उनको भेजना चाहते हैं उनका गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए मैंने आपके सामने यह सवाल पेश किया कि आप इन आदमियों में से कितने आदमियों को वहां पर जगह देंगे। हम चाहते थे

[पंडित ठाकूर दास भार्गव]

कि आपकी जो स्कीम है उसका ब्ल्यू प्रिंट हमारे सामने पेश कर दिया जाये ताकि हमको मालम हो जाये कि आप क्या करना चाहते हैं लेकिन वह ब्ल्यू प्रिंट हमारे सामने नहीं आया और उसके न आने की वजह से मेम्बरान ने यह फैसला किया इस बिल को मंजूर न किया जाये। मुझे आप वह ब्ल्यू प्रिंट दिखला दें। पिछली दफा हमारी बहिन सेंट्रल आथारिटी के नाम से एक चीज हाउस के सामने लायी थीं। मैं समझता हूं कि वह इस सवाल का एक थोड़ा सा हल है। लेकिन आप इस इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का क्या करेंगी। यह वोसीदा हो चुका है। इसको तोड़ दीजिये और एक नई आथारिटी लाइये और किसी भले मिनिस्टर को उसका इनचार्ज कीजिये। हमारी बहिन के पास सारे देश की हैल्थ की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उनकी सारी तवज्जह उस तरफ ही लगनी चाहिए। और जो आप दिल्ली का नव निर्माण करना चाहती हैं और जो दिल्ली में आप दुनिया में बहिश्त लाना चाहती हैं उसको उस नई आथारिटी को दीजिये। अगर वह काम आप इस इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को देंगी तो वह काम खराब हो जायेगा। इस इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने ऐसा काम किया है कि लोग कहते हैं कि इसकी वजह से हमको बड़ा भारी नुकसान हुआ है।

हमारी बहिन हमको एक बार अंधा मुगल ले गईं और हमको वे मकान दिखलाये जो कि बजाहिर खूबसूरत मालम होते थे और उन पर व्हाइट वाशिंग किया हुआ था। लेकिन उनसे कोई सौ कदम पर ही हमने देखा कि एक गन्दगी की नहर बह रही ह जो कि बीमारी का घर है। ऐसी हालत में वह जगह तो खुद एक स्लम है। जब तक वह गन्दगी दूर न की जाये वह जगह रहने के काबिल नहीं हो सकती। और फिर आप देखें कि वह जगह शहर से कितने फासले पर है। हमारी बहिन हमको तो मोटर में बिठा कर वहां ले गई लेकिन उन गरीब आदमियों को रोजाना कौन मोटर में ले जायेगा। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि जब तक आप इन लोगों को दूसरी जगह मकान के साथ साथ जीविका भी नहीं देंगी तब तक इनका रिहैबिलिटेशन (पुनर्वास) नहीं हो सकता ख्वाह वह रिफ्यूजी हों या नान-रिफ्यूजी हों। इन मकानों से इनको हटाने में सेंटीमेंट का भी सवाल है। ये लोग सैकड़ों बरस से अपने बीबी बच्चों के साथ इन मकानों में रहते आये हैं, इनके मां बाप यहीं पर मरे और इनको इन मकानों के एक कौने कौने से उंसियत है। इन मकानों के साथ इन लोगों का लगाव है। लेकिन आप इस सेंटीमेंट (भावना) के सवाल को छोड़ दीजिये। आप इनको मैटीरियल चीज तो दीजिये। जब तक आप इनको मैटीरियल (भौतिक) चीजें वहम नहीं पहुंचायेंगे तब तक आप यह नहीं कह सकते कि हमने स्लम क्लियरेंस कर दिया है।

हमारे दोस्त राधा रमण साहब ने चन्द कटरों का जिक्र किया जिनको मैं बहुत मुद्दत से देखता आया हूं और जिनका यहां बहुत मर्तबा जिक्र किया गया है। इनको देखकर यही कहना पड़ता है कि जिस तरह से अंग्रेजी सल्तनत के बारे में कहा जाता था कि "दी सन नेवर सेट्स आन दी ब्रिटिश एम्पायर" उसी तरह से इन कटरों के लिये कहा जा सकता है कि यहां कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। यहां दिल्ली में ऐसी जगहें मौजूद हैं। आप उनका इन्तिजाम कैसे करेंगी। अगर आपके पास करोड़ों रुपया भी हो तो भी आप उनका इन्तिजाम नहीं कर सकेंगी। इसके लिये तो यही जरूरी है कि लोगों के दिलों में यह ख्याल पैदा किया जाये कि उनको खुद इनको ठीक करना है। इस काम में किसी हद तक हमारे हुक्काम की इमदाद भी कारगर हो सकती है और अगर वे लोगों को मदद दें तो इस मासले को हल करने में हम किसी हद तक कामयाब हो सकते हैं।

हमारे सामने लोग आये और उन लोगों ने गवाहियां दीं लेकिन उनको छापा नहीं गया शायद इस ख्याल से कि उनको पढ़कर मेम्बरान को रोशन होगा कि एश्योरेंसेज की किस तरह से बेहुर्मती की गयी है। उनको छापा नहीं गया गोकि पहले छापने का पहले फैसला किया जा चुका था। लेकिन मुझे एक बात याद है कि आखिरी जो उनका स्पोक्समैन था उसने इस बात को कहा था कि इस बिल को बठा कर हमारी तकलीफ को दोबाला न कीजिये और इसी तरह की दूसरे लोगों ने भी शहादत दी थी और उस सारे मैटीरियल को देखकर हम इस नतीजे पर पहुंचे और सेलेक्ट कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि हम इस बिल को पास न करें।

मैं आखिर में अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे इसके बरखिलाफ जो ऐतराजात हैं वह फिलवाकया रडिकल नचर के हैं। एक ऐसे जमाने में जब देश में कहीं इमरजेंसी न हो, इस तरह का इमरजेंट लेजिस्लेशन जायज नहीं है। यह लेजिस्लेशन हमको उसी तरफ ले जाता है और हुक्काम में इस तरह की जहनियत पैदा करता है कि वे बगर किसी जरूरत के ही हमारे आर्डिनैरी ला आफ दी लैंड को सप्रैस कर दें। मैं इसको बढ़ाना नहीं चाहता और न ही इसकी जरूरत देखता हूं। साथ ही मैं यह चाहता हूं कि जो हमारा सिविल ला है और सिविल कोर्टस् का जुरिसडिक्शन (क्षेत्राधिकार) है उसको खत्म न किया जाय। सरकार को यह मालूम ही नहीं होता कि एक लैंडलार्ड को मकान खाली कराने में कितनी दिक्कत उठानी पड़ती है और उसके लिये उसको सिविल कोर्ट में जाकर दावा वगैरह करना पड़ता है। म चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट भी एक लैंडलार्ड (गृहस्वामी) के मुआफिक कोर्ट स में जाय और उसी तरीके से दावा करे और कोर्ट फैसला दे कि उसको कितना डैमेजेज (क्षति) देना होगा और किस तरीके से वसूल होगा और कोर्ट के फैसला हो जाने के बाद ही ऐसा करना जायज होगा वरना यह जायज नहीं होगा।

अब मैं बहुत संक्षेप में इस गवर्नमेंट प्रिमिसेज (इविक्शन) अमेंडमेंट बिल, १९५४ के जो दो तीन छोटे-छोटे प्राविजंस हैं उनकी बाबत कुछ कहना चाहूंगा। एक तो पबलिक प्रिमिसेज के मुताल्लिक है और उस सम्बन्ध में मैं सन् १९५१ में जब यह बिल रेफर हुआ था तो गाडगिल साहब ने जो इसके मुताल्लिक फरमाया था वह मैं इस वक्त जनाब की इजाजत से दुहराना चाहता हूं। उन्होंने तब यह फरमाया था कि "लैंड इनक्लूड्स बिल्डिंग" और पंजाब हाईकोर्ट (उच्च न्यायालय) जिसके कि सामने इस किस्म का एक मुकद्दमा आया था उसन भी यही खयाल जाहिर किया था। अगर यह बात दुरुस्त है कि "लैंड इनक्लूड्स बिल्डिंग" (भूमि में मकान भी है) तब मैं अर्ज करूंगा कि इस बिल को लाने की जरूरत नहीं है। मैं इसके उसल के भी बरखिलाफ हूं और मैं चाहता हूं कि जो पुराना ला है उसको अमेंड कर दिया जाय। लेकिन अगर लैंड के माने बिल्डिंग नहीं हैं जैसा कि सरदार साहब द्वारा इस बिल को यहां पर लाने से मालूम होता है तो मैं अदब से पूछना चाहता हूं कि किस अखित्यार से इन सारे रेफयूजीज के मकानात को गिराया गया और उनको बेदखल किया गया क्योंकि उनके मुताबिक बिल्डिंग्स पर उनको अखित्यार नहीं था। अब आप "कौम्पिटैंट एथारिटी" (सक्षम प्राधिकारी) की जो तारीफ इस बिल में दी हुई है उसको जरा देखें। उसके मातहत म्युनिसिपल कमेटी के किसी आदमी को इस काम के लिये मुकर्रर किया जा सकता है। पहले स्टेट आफिसर की डेफनीशन दी हुई थी, कौम्पिटैंट एथारिटी यहां नहीं था। एक ऐसे शख्स को जो उसी के मातहत है उसको कौम्पिटैंट एथारिटी बनाने का अधिकार दे देना सिविल कोर्ट स के अधिकारों को सल्ब कर देना मेरे खयाल में लोगों की सिविल लिबरटीज (नागरिक स्वतन्त्रता) के साथ खेलना है। इन वजूहात की वजह से मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि मेरी नाकिस राय में इस बिल को इस तरह से पास करना और डी० आई० टी० को यह अधिकार देना जायज नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर सेलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) की इस मामले में सही रिपोर्ट आती तो दो चीजें आतीं। एक तो यह कि इस बिल को नामंजूर कर दिया जाय और जो हमने अप्रैल में फैसला किया था उस सारे को बगैर किसी किस्म की तबदीली और बगैर ऐडवाइजरी बोर्ड के उसको मंजूर करा जाय। वह भी १२ आदमियों की राय थी जो पिछली २४ अप्रैल को दी गई थी। इन वजूहात से मेरी अदब से गुजारिश है कि इस बिल को मंजूर न किया जाय लेकिन अगर सरदार साहब इस पर इसरार करें और ऐसा समझें कि बगैर इस तरह के लेजिस्लेशन के यहां दिल्ली का सारा काम खत्म हो जायगा और ठप्प हो जायगा और यह सब दरहम बरहम हो जायगा हालांकि ऐसा मामला नहीं है और अगर सरदार साहब इस बिल को आज विदड्रा कर लें तो किसी को खांसी भी न आयेगी, लेकिन अगर सरदार साहब इसको लाना ही चाहतें हैं तो कम से कम हमको यह ऐश्योर करें क्योंकि सारे रेफयजीज आपकी तरफ निगाहें लगाये बैठे हैं कि उनके बाकी मकानात का क्या होगा और अगर आप इस तरह से उनको कुचल डालने का अखित्यार देते हैं तो यह मुनासिब बात नहीं होगी। आपको अखित्यार है कि आप उनको कुचल डालें लेकिन क्या ऐसा करना आपको शोभा देगा? वे बेचारे बेजबान हैं और वह कुछ शिकायत नहीं कर सकते और वह बिल्कुल हल्पलस हैं और कुछ नहीं कर सकते और आपको अखित्यार है कि

[पंडित ठाकूर दास भार्गव]

इस हाउस से अपनी मेजारिटी के बल पर इस बिल को इस रूप में पास करा लें लेकिन मैं आपसे अर्ज करूंगा कि इंसाफ का तकाजा है कि जो पहले आपने, हमसे वायदे किये थ, उनको पूरे उन्हीं असली मानों में उनके एक-एक शब्द को आप अमल में लायंगे , इस ऐश्योरेंस के दिये बगैर आप अगर इस बिल को पास करेंगे तो हमको सिर्फ यही नहीं कि हम इसको जस्टिफाइड (न्यायोचित) नहीं समझते हैं, हमको रंज भी होगा कि आपने जो ऐश्योरेंस दिये थे और जिनके कि बारे में सिलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि उन पर ठीक अमल नहीं हुआ, आप उन ऐश्योरेंसेज (आश्वासनों) पर पानी डालना चाहते हैं। अगर आप हमको इस तरह का आज ऐश्योरेंस नहीं देना चाहते तो कम से कम इतना तो कीजिये कि ऐडवाइजरी बोर्ड को स्टैचुटरी ऐडवाइजरी बोर्ड बनाइये और यह बतलाइये कि उसका क्या कांस्टीट्यूशन और क्या फंक्शन होगा। दूसरे इस तरह का ऐश्योरेंस यहां पर दिया जाय कि जो हमसे गलतियां हुई हैं उनका ऐतराफ करते हुए उनको दुरुस्त करन की कोशिश की जायगी। ऐसा अगर किया जाय तब तो कुछ चीज बनेगी और उनको इस बात की तसल्ली होगी कि हालांकि हमारी मर्जी के खिलाफ यह बिल पास किया जा रहा है ताहम जो कदम उन्होंने आगे बढ़ाया है और जो वायदे उन्होंने पहले से हमसे किये हुए हैं उनसे पीछे नहीं हटे ह लकिन अगर यह भी आप नहीं करते तब तो हम यह समझने पर मजबूर होंगे कि आप इन हमारे मुसीबतजदा भाइयों को क्रश करना चाहते हैं।

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : मैं सुधार प्रन्यास पर किये गये आरोपों के सम्बन्ध में ही कुछ कहना चाहती हूं।

इस समय सुधार प्रन्यास को सरकारी भ-गृहादि (निष्कासन) अधिनियम, १९५० के अधीन अधिकार मिले हुए हैं। इस विधेयक से 'भू-गहादि' में वह समान भी लाने चाहते हैं जिनको प्रन्यास न पट्टे पर दे दिया है अथवा प्रन्यास का जिन पर कब्जा है, इस प्रकार हम कुछ अधिक की मांग नहीं कर रहे हैं।

शरणार्थियों के सम्बन्ध में हमारी निर्दयता आदि के बारे में बहुत कुछ कहा गया है तथा यह कहा गया है कि सुधार प्रन्यास ने ऐसे बहुत से काम ।कये हैं जो शरणार्थियों के लिये हानिकारक हैं तथा यह उनको कुचलना चाहता है। जैसा कि मैं इस सभा में कई बार कह चुकी हूं तथा माननीय सदस्यों को निजी रूप में बता चुकी हैं, मेरा यह नम्र निवेदन है कि श्री गाडगिल द्वारा इस सभा में दिये गये आश्वासनों में से सुधार प्रन्यास ने एक का भी उल्लंघन नहीं किया है। मैं यह कहना नहीं चाहती कि सुधार प्रन्यास ने सर्वदा सभी कार्य ठीक किये हैं तथा कभी भी गलती नहीं की है। सभी संस्थायें मानव संस्थायें है तथा हो सकता है कि सुधार प्रन्यास ने भी ऐसा कोई काम किया हों जो हमारी पसन्द का न हो। परन्तु यह चीज सभी लोग भुला बैठे प्रतीत होते हैं कि जिस समिति ने सुधार प्रन्यास की जांच की थी उसको मुख्यत: मने ही स्थापित ,कराया था। इसन बहुत सी सिफारिशें की थी। उस समिति के प्रतिवेदन में मुख्य सिफारिश यह थी कि भवन नि र्माण का एक प्राधिकार होना चाहिये क्योंकि अन्यथा सुधार प्रन्यास उचित रूप से कार्य नहीं करेगा। शरणार्थियों को दी गई २००० एकड़ भूमि के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया तथा इसी के कारण वह पूर्णतया दिवालिया हो गया तथा सरकार को उसे सहायता देनी पड़ी।

कल कुछ बात यमुना बाजार की गन्दी बस्तियों के व्यक्तियों के सम्बन्ध मे कही गयीं। मैं यह कहना चाहती हूं कि श्री राधा रमण भी उस समिति के सदस्य थे जिसने इस क्षेत्र के पुन: भवन निर्माण की स्वीकृति दी थी तथा जिसने निर्णय दिया था कि इसको खुला क्षेत्र रखना चाहिये मेरे माननीय मित्र श्री फीरोज गांधी न कल कुल वक्तव्य दिये तथा मैंने कल सायं तथा आज प्रात: पट्टे पर दी गई भूमि की जांच की और मैं सभा को यह सूचना देना चाहती हूं कि यमुना बाजार के

†मूल अंग्रेजी में।

सम्बन्ध में निर्णय २३ सितम्बर, १९५५ को किया गया था। यह निर्णय किया गया था कि समस्त यमुना बाजार क्षेत्र, खुला क्षत्र रखा जाये। मेरा विचार है कि उस समय, उपाध्यक्ष महोदय श्री राधारमण, श्रीमती सुभद्रा जोशी, आदि को अतिरिक्त लगभग इस सभा के सभी सदस्य उपस्थित थे। जहां तक मुझे याद है, दिल्ली राज्य के विकास मंत्री भी वहां थे। उस तिथि से दिल्ली सुधार प्रन्यास ने न तो कोई प्लाट बेचा ह और न हीं पट्ट पर दिया है।

परन्तु मैं उस तिथि से पूर्व की स्थिति बताती हूं। १९४८ में सुधार प्रन्यास ने दूकान व निवास के २५ प्लाट बेचे थे तथा इन पर तभी निर्माण कर लिया गया। इसके पश्चात १९४८ में एक प्लाट बर्फखाने को पच्चीस वर्ष के पट्टे पर दिया गया तथा इस पर कुछ निर्माण कराया गया। इसके पश्चात बर्मा शैल आदि को अठारह से बीस प्लाट २० वर्ष के पट्टे पर दिये गये थे क्योंकि उस समय यह निर्णय किया गया था कि इस प्लाट पर भवन बनाना चाहिये।

फिर, कुछ समय पूर्व हमने निर्णय किया कि इस क्षेत्र पर भवन नहीं बनाने चाहिये। सत्य यह है कि इस समिति की बैठक से पूर्व ही यह सभी पट्टे समाप्त कर दिये गये थे तथा अस्थाई पट्टे पर दिये गये थे जो कि एक मास की पूर्व सूचना पर समाप्त किये जा सकते थे। कुछ पट्टेदार शीघ्र ही इस क्षेत्र को छोड़ देंगे।

यह सच है कि बाबा बचित्तर सिंह को एक मास की पूर्व सूचना पर समाप्त किये जाने वाले, अस्थाई पट्टे बर्मा शैल के निकट, भांडार कार्य के लिये १२०० वर्ग गज भूमि के दिये गये। यह १६ दिसम्बर १९५४ को हुआ था। उन्होंने इस क्षेत्र को जिंकशीट से घेर कर इसका भांडार के लिये उपयोग करना प्रारम्भ कर दिया।

१९५४ में ही सन्त परमानन्द ब्लाइन्ड रिलीफ मीशन को भी प्लाट दिया गया। दो अन्य प्लाटों पर गीता भवन तथा धर्मसंघ ने भवन बनाये। उनको यह १९४५ में दे दिये गये थे तथा जहां तक मुझे याद है मैंने सभा में यह आश्वासन दिया था कि यह धार्मिक संस्था भवन है इसलिये इन पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाये।

इन सभी प्लाटों में निर्माण कार्य एक विशेष सीमा पर पहुंच चुका है, परन्तु और आगे निर्माण रोक दिया गया है तथा दिल्ली नगरपालिका को पुलिस चौकी आदि बनाने के लिये जो प्लाट दिये गये थे, वह वापस ले लिये गये हैं।

इन पट्टों को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार होगा। मैं यह आश्वासन देना चाहती हूं कि यदि आवश्यक हुआ तो पट्टे पर दी गई यह भूमि वापस लेली जायेगी क्योंकि सुधार प्रन्यास अथवा मेरे मंत्रालय की यह इच्छा नहीं है कि केवल धनी व्यक्तियों को प्लाट दिये जायं तथा गरीबों को न दिये जायें। गरीबों को प्राथमिकता मिलनी चाहिये। मैं सभा के इस विचार से पूर्णतया सहमत हूं कि सुधार प्रन्यास की स्थापना इस प्रकार की है उसे गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये अपेक्षित धन के लिये भूमि को बेचना ही पड़ता है। तथा यही अब समाप्त किया जायेगा।

झील कुरंजा के सम्बन्ध में लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहती हूं कि यह भूमि सुधार प्रन्यास की है तथा विकसित की जा रही हैं। नालियां तथा गन्दे पानी के नाले बनाये जा रहे हैं तथा हम वहां के पानी की जांच कर रहे हैं। मैं यह बता देना चाहती हूं कि सुधार प्रन्यास ने ऐसी किसी भी जगह मकान नहीं बनवाये हैं जहां ठीक नालियां तथा नाले और पीने के पानी का प्रबन्ध भी न किया हो।

दिल्ली के बारे में मुख्य कठिनाई यह है कि इसमें कई भवन निर्माण प्राधिकार हैं और इसीलिये दिल्ली सुधार प्रन्यास जांच समिति की यही मुख्य सिफारिश है कि एक भवन निर्माण प्राधिकार होना चाहिये तथा मैं भी उस रिपोर्ट के मिलने के पश्चात से इसी पर अधिक बल देती रही हूं। अन्त में हम सफल हुए तथा दिल्ली विकास अन्तर्कालीन प्राधिकार बनाया गया जिसमें इस सभा के तीन सदस्य थे तथा इनसे तथा दिल्ली राज्य के विकास मंत्री से हम लगातार परामर्श करते रहे हैं।

[राजकुमारी अमृत कौर]

झंडेवालान में कई मकानों के गिराने के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया। यह सच है। मैंने यह नहीं कहा कि सुधार प्रन्यास ने कभी भी किसी मकान को नहीं गिराया। झंडेवालान में २३० मकान गिराये गये। वह अबड़-खाबड़ भूमि पर, इतनी बुरी तरह से बनाये गये थे कि उस समय की दिल्ली राज्य की स्वास्थ्य मंत्री डा० सुशीला नायर ने मंत्रालय तथा सुधार प्रन्यास से, इसके बारे में कुछ करने को कहा था। इस क्षेत्र की सफाई करनी थी तथा विकास करना था तथा प्रन्यास ने वही किया जो दिल्ली का पुनर्वास मंत्रालय कराना चाहता था तथा कुछ मकानों को हटाकर, विकास कार्य उसने अपने हाथ में ले लिया। अभी पूर्ण विकास नहीं हुआ है, परन्तु जिस भाग का विकास हुआ है, उसमें उनको प्लाट निर्धारित कर दिये गये हैं जो उसमें रह रहे थे तथा जिन्होंने कहा था कि हमें 'अधिकार पर्चियां' दी जायें जिससे जब प्लाट बनाये जायें, हमको मिल सकें? ऐसा किया गया तथा जिन व्यक्तियों के पास ये पर्चियां थी उनको भूमि दी जायगी तथा वे वहां रहेंगे।

साथ ही साथ, यदि कोई सभा का सदस्य मेरे कार्यालय अथवा सुधार प्रन्यास के कार्यालय में आकर देखना चाहे तो वह आकर, सुधार प्रन्यास द्वारा गिराये गये मकानों की सूची देख सकता है क्योंकि इनका पूर्ण रिकार्ड रखा गया है। यह मकान अधिकांशतः ऐसे थे जो सार्वजनिक कार्यों जैसे सड़क बनाना आदि के लिये हटाये गये थे। उन मकानों के सम्बन्ध में जो अनाधिकृत रूप से बना लिये गये थे मैं सभा का ध्यान राज्य प्राधिकारियों की कठिनाइयों की ओर दिलाना चाहती हूं।

सरकार को शांति तथा व्यवस्था रखनी पड़ती है। सरकार को इसका ध्यान रखना है कि राजधानी में गन्दी बस्तियां न बनें। शरणार्थियों के साथ सरकार ने बड़ी उदारता से व्यवहार किया है तथा यदि शरणार्थियों से पूछा जाय तो मेरा विचार है कि उन्हें वह सभी शिकायतें नहीं होंगी जो कि सभा के बहुत से सदस्यों को हैं।

स्थिति उस समय बड़ी कठिन हो जाती है जब सड़कों पर रुकावट कर दी जाती है। हम किसी सड़क को चौड़ा करना चाहते हैं तथा कोई अनधिकृत मकान वहां है। अथवा गन्दी बस्ती की सफाई करना चाहते हैं तथा कोई कहता है कि हम यहां से नहीं हटते। तो आप दोनों काम एक *साथ* नहीं कर सकते हैं। या तो आप गन्दी बस्ती को हटाइये तथा कुछ कठिनाई भुगतिये अथवा *गन्दे* रहिये। मैं यह कहूंगी कि यह राजधानी का दुर्भाग्य है कि यहां गन्दी बस्तियां रहें। इसलिये मेरा विचार है कि शरणार्थियों को कष्ट देने की चीज बताते हुए यह बात वह लोग भूल गये।

मेरा निवेदन है कि हम मंत्री भी शरणार्थियों को सहायता देने के लिये उतने ही उत्सुक हैं जितना इस सभा का कोई अन्य सदस्य है। सभा में दिये गये भाषणों से कोई यही कल्पना करेगा कि हम शरणार्थियों का कोई ध्यान नहीं रखते हैं। कितने सदस्य शरणार्थियों की दशा देखने को नगर में घूमे हैं। क्या सभा के सदस्यों का विचार है कि हमने उनको एकदम भुला दिया है? मेरा विचार है मंत्रियों पर यह बुरी टिप्पणी है। यदि मंत्री ऐसे है तो हमारा त्यागपत्र आपको मांगना चाहिये।

सरकार ने शरणार्थियों की इतनी उदारता से सहायता की है जितनी उसका आर्थिक सामर्थ्य नहीं थी। सुधार प्रन्यास सरकार का ही एक अंग है। संभव है कि कभी कोई ऐसी चीज गिराई गई हो जो नहीं गिरानी चाहिये थी परन्तु मेरा विचार है कि सुधार प्रन्यास शरणार्थियों के लिये बड़ा उदार रहा है तथा बार बार सूचनायें भेजता रहा है, समय बढ़ाता रहा है तथा एक भी मामला ऐसा नहीं है जिसमें उसने दूसरा स्थान नहीं दिया हो। यह संभव नहीं है कि जहां से आप उन्हें हटाना चाहते हैं उसी स्थान पर उनको दूसरा स्थान दें। कभी कभी उनको कुछ दूर भी जाना पड़ता है।

मेरा विचार है कि जो व्यक्ति सरकार के कार्यपालिका कार्यों को नहीं जानते हैं वह सरकार की कठिनाइयों को नहीं जानते हैं और हम शरणार्थियों को कितनी सुविधायें देना चाहते हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारा विश्वास कीजिये कि हम यथा संभव वही करना चाहते हैं जिससे लोगों को कष्ट न हो। मैं स्वयं कष्टों में रही हूं। मेरा मन खिन्न हो जाता है जब मैं वह नहीं कर पाती जो मैं उनके लिये करना चाहती हूं।

मैं फिर इस सभा को आश्वासन देना चाहती हूं कि इस विधेयक के पारित होने के एक मास में एक मंत्रणा समिति बनेगी तथा मैं सर्वदा उनसे सम्पर्क रखूंगी। इसके सांविधानिक रूप से बनने के पूर्व ही मैं उन सदस्यों से जिनको इसमें दिलचस्पी है कहती हूं कि मेरे कार्यालय में प्रतिदिन आयें तथा जितना समय चाहें वहां बैठ कर योजनाओं को सीखें। यह संभव नहीं है कि दिल्ली नगर के विकास की सभी योजनाएं मैं यहां प्रस्तुत करूं। मैं यही बार बार कहने का प्रयत्न कर रही हूं कि कितने ही प्राधिकार हैं। बड़ी शीघ्रता से एक अन्तरिम योजना बनाई गई है तथा संसद् सदस्य इससे जान सकते हैं कि वहां खुले स्थान होंगे तथा शरणार्थी कहां बसाये जायेंगे। आप मेरा विश्वास करें कि कुछ उपनगर है जहां कोई सेवायें नहीं है। प्रत्येक उपनगर के कुछ चमार, कुछ भंगी, कुछ बढ़ई आदि होने चाहिये। इन सभी व्यक्तियों को, उचित आवास, जिसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, का पूर्ण आश्वासन है। कुछ सदस्यों ने कहा कि भारत सेवक समाज द्वारा किया गया कार्य सुधार प्रन्यास द्वारा किये गये कार्य की अपेक्षा सस्ता और अधिक अच्छा है। मैं यही कहना चाहती हूं कि अतः यह कहना कि उन्होंने सुधार प्रन्यास की अपेक्षा अधिक अच्छा कार्य किया है गलत है जो संसद के सदस्यों को बिना समुचित जांच किये कहना शोभा नहीं देता।

जहां तक विधेयक के विधिक पक्ष का सम्बन्ध है, इसका उत्तर देना मैं अपने माननीय सदस्य के ऊपर छोड़ती हूं। मैं एक बात और कहना चाहती हूं। सुधार प्रन्यास ने मोतीनगर, करौलबाग, के मकानों और मोतियाखान के कवाड़ क्षेत्र में बनाई गई दुकानों का नियमित करण कर दिया है। इन क्षेत्रों में 'न लाभ और न हानि' के आधार पर भूमि आवंटित की गई है। सुधार न्यास ने कोई भी ऐसा मकान नहीं गिराया है जिसका कथित मूल्य ४०,००० रुपये बताया गया है। मैं कह चुकी हूं कि कोई व्यक्ति किसी भी दिन मेरे कार्यालय में आकर गिराये गये मकानों अथवा बनाये जाने वाले मकानों की सची देख सकता है। सुधार प्रन्यास पर कई बार ऐसा आरोप लगाया गया है। इसको वास्तव में जोड़ने वाली सड़क बनाने के लिये भूमि और विकास पदाधिकारी द्वारा गिराया गया था।

जो आरोप लगाये गये हैं उनका मैंने जितनी योग्यता मुझ में है उसके अनुसार उत्तर देने का प्रयत्न किया है। मैं एक बात और कहना चाहूंगी। दिल्ली विकास प्रन्यास द्वारा शाहदरा के लोगों पर कोई नोटिस जारी नहीं किये गये हैं। सुधार प्रन्यास अब नोटिस जारी कर भी नहीं सकता।

अन्त में मैं कहना चाहूंगी कि दिल्ली विकास प्राधिकार के बनते ही सुधार न्यास उसी में विलय हो जायगा। मैं इस बात, का पूरी सचाई के साथ समर्थन करती हूं कि यदि इस प्रकार का निकाय बनाया जाता है तो इस विधेयक में उसे जितनी शक्ति देने का प्रयत्न किया गया है, उससे कुछ अधिक शक्ति उसे मिलनी चाहिये।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : शाहदरा के बारे में क्या होगा ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शाहदरा के बारे में माननीय मंत्री उत्तर दे चुकी है।

†**श्री राधा रमण** : मैं यहां पर एक बात का स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं जो अभी मंत्री ने कहा है। पुनर्वास की कोई भी शर्त अभी पूरी नहीं की गई है और उस क्षेत्र के निवासियों को नोटिस के ऊपर नोटिस दिये जा रहे हैं। अतः माननीया मंत्री का यह कहना गलत है कि उस समिति ने ये शर्तें स्वीकार की थीं, समिति के सदस्यों ने इस प्रकार की कोई शर्त स्वीकार नहीं की थी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्रीमती सुभद्रा जोशी** (करनाल) : क्या समिति में यह निश्चय नहीं किया गया था कि जो भवन बेचे जा चुके हैं उन्हें ले लिया जायगा और जो मकान पहले से बनाये जा चुके हैं, गिरा दिये जायेंगे और बाद में क्या यह नहीं बताया गया था कि वित्त मंत्रालय ने यह चीज स्वीकार नहीं की ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : मेरे पास सदस्यों को परिचालित की गई संक्षिप्त सरकारी कार्यवाही है। उसमें यह कहा गया है :

"यह निश्चय किया गया कि यमुना बाजार क्षेत्र की गन्दी बस्तियों को हटाया जाना चाहिये। उसमें रहने वाले लोगों की खराब आर्थिक दशा को देखते हुए इस बात पर विचार किया गया कि वहां से लगभग ४०० परिवार लाजपतनगर के निकटवाली प्रस्तावित बस्ती में स्थानान्तरित किये जा सकते हैं।" जहां उन्हें रोजगार मिल जायेगा।

"अतः यह निश्चय किया गया कि उस क्षेत्र में १,६०० मकान बनवाने के लिये सुधार प्रन्यास द्वारा प्रस्तुत की गई योजना के अनुसार कार्य किया जाय, किन्तु वर्ष के दौरान में पहले केवल ४०० मकान बनवाये जाने चाहिये। निम्न आर्थिक स्थिति के उन लोगों को बसाने के लिये, जिनके मकान गन्दी बस्तियों को हटाने में गिराये गये हैं, शाहदरा की ओर ८०० सस्ते क्वार्टर बनवाये जाने चाहिये। और अधिक गरीब लोगों के लिये शाहदरा की ओर प्लेटफार्म बनाये जाने चाहिये और इसके पश्चात् कोई स्थान आवंटित करने तथा मकान बनाने के लिये कुछ नकद अनुदान देने के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये। स्वास्थ्य मंत्री का विचार यह था कि बड़े नगरों के समीप प्लेटफार्म उपयुक्त नहीं होंगे और जब कभी भी गन्दी बस्तियों को हटाने के परिणामस्वरूप हुये बेदखल गरीब वर्ग के लोगों को रखना हो तो उन्हें उन क्वार्टरों में रखा जाना चाहिये जो एक निश्चित आकार-प्रकार के बने हों। इस प्रयोजन के लिये दिल्ली सुधार प्रन्यास के सभापति को तत्काल एक योजना तैयार करनी चाहिये और अग्रेतर जांच तथा स्वीकृति के लिये उसे समिति के सम्मुख रखना चाहिये।" ये निर्णय लागू किये जा रहे हैं।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस विधान पर कई घंटे चर्चा हुई है और इस कठिन विषय पर माननीय सदस्यों ने उद्वेगपूर्ण विचार प्रकट किये हैं तथा उन लोगों की भावनायें और शिकायतें व्यक्त कर उनकी कठिनाइयां विशद रूप से सभा के समक्ष प्रस्तुत की हैं। मुझे इन भावनाओं और कठिनाइयों के प्रति पूर्ण सहानुभूति है चाहे उन्हें शरणार्थी अनुभव करते हों अथवा गन्दी बस्तियों में रहने वाले; वे वास्तविक हैं और इस समस्या का सामना करने के लिये कुछ किया ही जाना चाहिये।

जहां तक वर्तमान विधेयक का सम्बन्ध है, इसका क्षेत्र सीमित है। किन्तु इस पर जो चर्चा हुई है वह बड़ी लाभदायक सिद्ध हुई है। इस विधेयक के ढांचे, नाम तथा विभिन्न उपबन्धों पर आपत्ति की गई है किन्तु जहां तक संगत उपबन्धों का सम्बन्ध है, प्रवर्ती अंश में दो बातें हैं। वे बातें ये हैं कि सार्वजनिक भूमि और भवनों के बारे में सरकार को तथा नगरपालिका समिति को जो आधिकार प्राप्त है, वह दिल्ली के सुधार प्रन्यास की जो सम्पत्ति है उसे हस्तान्तरित कर दिया जाना चाहिये। दिल्ली सुधार प्रन्यास को केवल भूमि के बारे में अधिकार है जब कि हम चाहते यह हैं कि सुधार प्रन्यास के जो भवन है उनके लिये भी ये ही अधिकार मिल जायें।

यह सच है कि 'सार्वजनिक स्थानों' की परिभाषा की गई है और इसके स्थान पर एक नया उप-खण्ड रखा जा रहा है। मेरे मित्र श्री दीवानचंद शर्मा, जिनका कि मैं बड़ा आदर करता हूं 'सार्वजनिक स्थानों' की परिभाषा करते हुये हमने जो सात-आठ पंक्तियां दी हैं, उनसे कुछ डर गये जब कि हममें से कितनों ने ही उनकी लिखी पाठ्य पुस्तकों के हजारों पृष्ठ पढ़े और फिर भी नहीं डरे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

सरकारी स्थानों को हमने 'सार्वजनिक स्थान' का नया नाम दिया है, क्योंकि अब प्रवर्ती अंश के द्वारा प्रन्यास सुधार के भवन भी इसमें सम्मिलित किये जा रहे हैं। अतः स्पष्टीकरण के लिये मूल शब्द 'सरकारी स्थान' बदल कर अब 'सार्वजनिक स्थान' कर दिया गया है। इसमें कोई पकड़ की बात नहीं है और मैं नहीं समझता कि इससे कोई भ्रम उत्पन्न हो सकता है।'सरकारी स्थान' की मूल परिभाषा भी इतनी ही लम्बी है। उन्हीं प्राधिकारों की पुनरावृत्ति की गई है, केवल सुधार प्रन्यास के भवन और जोड़ दिये गये हैं और स्पष्ट करने के लिये एक शब्द जोड़ने के बजाय सारी चीज को पुनः कह दिया गया ह जिससे और अधिक स्पष्टीकरण हो सके।

दूसरी बात 'अनधिकृत कब्जे' की है। इसके बारे में भी मेरे विद्वान मित्र श्री त्रिवेदी ने, जिनकी विधिक योग्यता का मैं कायल हूं, यह कहा कि इसकी परिभाषा या तो बहुत अच्छी नहीं है अथवा हो सकता ह कि इसके निर्वचन से असंगत परिणाम निकले। मेरा निवेदन है कि उनकी ऐसी आशंका सुविचारित नहीं है।

इस उपखण्ड को बढ़ाने का उद्देश्य बड़ा साधारण है। जैसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूं, बम्बई उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो व्यक्ति मूलरूप से पट्टेदार के रूप में प्रविष्ट हुआ, यदि बाद को उसने पट्टे के उपबन्धों का उल्लंघन किया अथवा कोई ऐसी कोई चीज की जिसके परिणामस्वरूप मूल पट्टा निश्चित हो गया, तो इससे पहले जो उस समय की धारायें थीं उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। बेदखल करने की शक्ति मूल अधिनियम की धारा ३ में है। उसमें दो आकस्मिकतायें दी हुई हैं जिनके द्वारा समक्ष प्राधिकार किसी व्यक्ति को बेदखल कर सकता है। ये संक्षेप में इस प्रकार हैं कि यदि सक्षम प्राधिकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने जिसे सरकारी स्थान पर कब्जा करने का अधिकार प्राप्त है, इस अधिनियम के (क) आरम्भ होने से पूर्व अथवा बाद में केन्द्रीय सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लिये बिना ऐसे सम्पूर्ण सरकारी स्थान अथवा उसके किसी भाग को किराये पर उठा दिया है अथवा अभिव्यक्ति या अभिप्रेत शर्तों का उल्लंघन करने वाला कोई कार्य किया है, जिसके अधीन उसे ऐसे सरकारी स्थान पर कब्जा करने का अधिकार मिला था अथवा (ख) यदि कोई व्यक्ति सरकारी स्थान पर अनधिकृत रूप में कब्जा किये हुये है, तो सक्षम प्राधिकारी....नोटिस देने के पश्चात् उस व्यक्ति को बेदखल कर सकता है।

अतः अनुमति बिना किराये पर उठाना और पट्टे की किसी भी अभिव्यक्त अथवा अभिप्रेत शर्त का उल्लंघन करने वाला कोई कार्य करना पहले किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा बेदखल करने के पर्याप्त कारण माने गये हैं। उस अभियोग में बम्बई उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह मामला जिस पर अन्ततोगत्वा सुलह हो चुकी थी, प्रथम दो उप-खण्डों की परिभाषा के अधीन नहीं आता तथा न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि उस व्यक्ति के हाथ मूल रूप से किराये पर उठाना अधिकृत होने के कारण, बाद वाले कार्य से वह स्वतः ही अनधिकृत नहीं हो जाता। इस साधारण से कारण वह, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कार्यवाही नहीं की जा सकती।

बम्बई उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि सरकार के निर्णय से जो भी परिणाम निकला वह यह कि सरकार व्यवहार न्यायालय में जाने को विवश होगी और यदि वह व्यवहार न्यायालय में जाती है तो प्रतिवादी का कोई अभियोग ही नहीं रह जाता है और उसे बेदखल होना पड़ेगा। अतः अच्छा होगा कि सरकार तीन-चार मास का और समय देना स्वीकार कर ले जिससे वह उस काल के भीतर उसे खाली कर दें। इस स्थिति को स्पष्ट कर देना आवश्यक है जिससे विधान-मण्डल के इरादे के बारे में जो सन्देह है उसे दूर किया जा सके। बात केवल यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी स्थान में मूल रूप से विधिक अधिकार प्राप्त करके प्रवेश करता है किन्तु बाद में उसे किराये पर उठा देता है अथवा काल समाप्त हो जाने अथवा किसी अन्य परिस्थितिवश मूल सम्बन्ध समाप्त हो जाता है, तो उसको बेदखल करने के लिये सरकार को व्यवहार न्यायालय में

[सरदार स्वर्ण सिंह]

जाने के लिये विवश नहीं किया जा सकता; ऐसी दशा में इसमें कोई सन्देह नहीं कि डिग्री होगी किन्तु सरकार इस अधिनियम के अधीन निर्धारित सरल प्रक्रिया को अपना सकती है और धारा ३ के अधीन कार्यवायी की जा सकती है। इस संशोधक विधेयक के द्वारा ये दो ठोस बातें सम्मिलित की गई हैं।

अन्य उपबन्ध तो पूर्णतः आनुषंगिक हैं जिन पर न तो कोई मतभेद है और न किसी भी दशा में रहना चाहिये। क्योंकि अब उन सारी चीजों का स्पष्टीकरण मैंने कर दिया है।

मेरे मित्र, श्री त्रिवेदी ने नोटिस की अपर्याप्तता अथवा नाम मात्र का नोटिस देने और कुछ भी कार्यवाही न करने के बारे में चिन्ता प्रकट की। किन्तु हमने अपने रेकार्डों की जांच की जिनमें कोई भी ऐसा अभियोग नहीं निकला जिसमें उचित समय के अन्दर नोटिस जारी करने अथवा उसके पहुंचने के बारे में कोई कठिनाई उपस्थित हुई हो।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : यदि माननीय मंत्री चाहे तो मैं इसके उदाहरण उनके पास भेज दूंगा।

† **सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरे माननीय मित्र ऐसे जितने भी मामले बतायंगे, मुझे उनकी जांच करने में हर्ष होगा मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यथार्थ में कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जिनमें कठिनाई उत्पन्न हुई हो। उदाहरण के लिये वास्तविक बातें ये हैं कि किसी व्यक्ति के लिये ऐसे स्थान का उपबन्ध किये बिना बेदखल कर दिया गया हो जो उसकी पसन्द का न हो अथवा जिससे उसे आर्थिक दृष्टि से रहने में कठिनाई हो अथवा नये स्थान में आर्थिक साधन अपर्याप्त हों या वह स्थान मध्य क्षेत्र से कुछ दूरी पर हो। ये वास्तविक बातें हैं और नोटिस न जारी करना अथवा नोटिस देने के उपबन्ध की पूर्ति करने आदि का बहाना मैं नहीं करना चाहता। ऐसे कठिनाई के मामलों का सामना उनके गुणावगुणों पर किया जायेगा। किन्तु जहां तक नोटिस देने के पर्याप्त समय में कमी अथवा उसके पहुंचने में किसी प्रकार की त्रुटि का सम्बन्ध है, उसके बारे में मेरी जांच से यह पता लगा है कि इसके कारण कोई कठिनाई नहीं हो सकती और इसके बारे में नियम बड़े स्पष्ट हैं कि पंजीबद्ध नोटिस साधारण प्रकार का होता जिसके अधीन व्यवहार न्यायालयों के आदेशाधीन जारी की गई प्रक्रिया को लागू करते हैं। इस बारे में नियम बनाये गये हैं जिनसे स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है। मुख्य अधिनियम में अपील करने को भी प्रधानता दी गई है। अपील प्रभारी प्रशासकीय मंत्रालय से की जाती है और यह भी आगे का एक परिमाण है क्योंकि यदि कोई कठिनाई उपस्थित हुई तो किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

जिन लोगों ने सरकारी स्थान अथवा सार्वजनिक स्थानों में बसने की दृष्टि से प्रवेश किया हो अथवा जिन लोगों का गन्दी बस्तियों पर कब्जा हो उनके सम्बन्ध में अपना रुख स्पष्ट करते हुये मैं इस सभा को उसका यहां उत्तरदायित्व बताना चाहूंगा कि ऐसी सम्पत्ति के बारे में हम विधि का परिरक्षण करें और सामान्य विधिक तरीकों को लागू करें। मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास ने, जिन्होंने इस बारे में बड़े विस्तारपूर्वक बताया कि यह विधेयक अथवा इसके संगत उपबन्ध विभिन्न चढ़ाव-उतारों में किस प्रकार होकर गुजरे हैं, वास्तव में केन्द्र में सरकार द्वारा, राज्य में अथवा उसके अधीन कार्य करने वाले विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा एक के बाद दूसरे जो विभिन्न कार्य किये गये हैं, उनके बारे में बड़ा निराशापूर्ण चित्र उपस्थित किया है। मैं उन्हें तथा सभा को यह स्मरण कराना चाहता हूं कि जहां तक इसके स्वामित्व का सम्बन्ध है, सार्वजनिक सम्पत्ति का मूल अभिरक्षक यह सभा है। हम उन लोगों के बारे में कार्यवाही कर रहे हैं जो उस सम्पत्ति पर कब्जा किये हुये हैं जिस पर उन्हें करना नहीं चाहिये। मैं इनकी कठिनाइयां कम करके नहीं बताना चाहता, किन्तु उनकी कठिनाइयों पर उचित रूप से ध्यान देते हुए हमें अपने देश के प्रति अपने इस कर्तव्य को भी स्मरण रखना चाहिये कि सम्पूर्ण समुदाय की सम्पत्ति पर अनावश्यक रूप से किसी व्यक्ति

---

†मूल अंग्रेजी में।

का अधिकार नहीं होना चाहिये। इन दोनों के बीच किसी प्रकार का एक सन्तुलन स्थापित करना है और यह एक माननीय सम्पर्क है, जिसके आधार पर इन विभिन्न आश्वासनों का उपबन्ध किया गया है जहां संसद् ने यह स्वीकार किया था कि यद्यपि सम्पत्ति समस्त समुदाय की होती है, किन्तु कुछ कठिनाई विशेष के मामलों में, कुछ विशेष प्रयत्न करना चाहिये। यह वास्तव में सामान्य विधि से अलग बात थी। पंडित ठाकुर दास भार्गव इसे एक आपत्कालीन प्रस्ताव कहते हैं, किन्तु मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार के आश्वासन दिये गये थे वे बहुत अपवादस्वरूप थे। उस बांध का एक बड़ा भाग अलग हो गया जो वास्तव में समस्त समुदाय के लिए था। इस विशिष्ट मामले में सिद्धान्त यह है कि "पहले आने वाले को पहले"। विशेष संरक्षण देने का वास्तविक कारण यही था। ऐसी पृष्ठ भूमि में, सरकार की इतनी तीव्र आलोचना करना उचित नहीं है। जब कि कुछ भलाई के लिये विशेष संरक्षण दिये जाने की अपेक्षा की जा रही है, अर्थात् शरणार्थियों को तथा कठिनाई में पड़े लोगों को सहायता करना, तो उस चीज की व्याख्या उपयुक्त पृष्ठभूमि को तथा उसकी भावना को देखते हुए करनी चाहिये। मैं इस प्रकार का सुझाव कभी नहीं दे सकता कि श्री गाडगिल ने जो आश्वासन दिये थे अब उन्हें पूरा न किया जाय। जैसा स्वयं पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा, वे आश्वासन एक से अधिक मंत्रालयों से सम्बन्धित थे। एक से अधिक प्राधिकारियों से उनका सम्बन्ध था। संवैधानिक परिवर्त्तन आ गये। दिल्ली राज्य भाग 'ग' राज्य बन गया। पुनर्वास का विषय दिल्ली राज्य को हस्तान्तरित कर दिया गया।

मुझे इस अवसर की याद है कि जब पंडित ठाकुरदास भार्गव और श्री टेकचन्द उस बैठक में उपस्थित थे। हमने इसी मामले पर विचार किया था, और सभी इस बात से सहमत थे, कि जो भी संवैधानिक परिवर्तन हुये हैं उनके कारण केन्द्रीय मंत्रालय इस सम्बन्ध में दिये गये आश्वासनों को कार्यान्वित करने के लिये कोई ठोस कार्यवाही करने में असमर्थ रहेगा और इस लिये यह जिम्मेदारी दिल्ली राज्य सरकार को ले लेनी चाहिये। उस समय दिल्ली राज्य सरकार के एक मंत्री भी उपस्थित थे और वह इस जिम्मेदारी को लेने पर तैयार हो गये थे।

मेरे मित्र ने आश्वासन समिति की रिपोर्ट से अनेक उदाहरण दिये। मैं यहां उल्लिखित वास्तविक मामलों पर चर्चा करना नहीं चाहता हूं। यदि वह सब ब्यौरा बताऊं और विभिन्न चीजों को गलत सिद्ध करने का रवैय्या अपनाऊं और उस समिति में किये गये निर्णयों के सम्बन्ध में केन्द्रीय अथवा स्थानीय सरकार अथवा सुधार प्रन्यास या किसी अन्य अधिकार के दृष्टिकोणों को बताऊं, तो मेरा यह कार्य इस लोक सभा के लिये कुछ अनुचित रहेगा। मेरे सहयोगी, संसद्-कार्य मंत्री ने ३ अप्रैल, १९५६ को लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा था जिसमें श्री गाडगिल द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का विस्तारपूर्ण वर्णन था। सदन की आश्वासन समिति ने भी उस वक्तव्य पर विचार किया है और उसमें उल्लिखित कुछ मामलों के स्पष्टीकरण के लिये कहा है। वहां जो कुछ लिखा गया उसका प्रत्येक शब्द तो मैं नहीं बता सकता और न ही मैं आश्वासन समिति में जो कुछ कहा गया था उसका प्रतिवाद ही करने का प्रयत्न कर रहा हूं। परन्तु मैं यह अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले को प्रशासन अथवा सरकार के विरुद्ध सिद्ध हुआ नहीं माना जाना चाहिये। आश्वासन समिति कुछ परीक्षात्मक परिणामों पर पहुंची थी। और इन परिणामों को सभा के समक्ष रख दिया गया था। इन परिणामों पर सरकार के दृष्टिकोण को भी सदन के समक्ष रखा गया था। इस पर एक समिति विचार कर रही है और उसने और स्पष्टीकरण के लिये कहा है। हम उन्हें विश्वास दिलाने का प्रयत्न करेंगे और यदि हमारी गलती होगी तो हम उसे मान लेंगे, और इस तरह गलती को सुधारने का प्रयत्न करेंगे। श्रीमान् जी, जब सरकार का रवैय्या इस प्रकार का है, तो मैं सदन से अथवा आपसे पूछना चाहता हूं कि पंडित ठाकुर दास भार्गव ने अपने भाषण में जो गर्मी दिखाई थी क्या वह न्यायोचित थी।

मेरे सहयोगी स्वास्थ्य मंत्री ने अभी अपने वक्तव्य में कहा है कि उनका मंत्रालय एक सलाहकार समिति को नियुक्त करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा। जो कि महत्वपूर्ण मामलों में जो कि विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों के मन में है, सुधार प्रन्यास (इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट) को परामर्श देने का कार्य

[सरदार स्वर्ण सिंह]

करेगी। गन्दी बस्तियों को साफ करके, उनमें रहने वालों के लिये निवास की स्वथ्या और अच्छी अवस्था में जुटाने के मामले में वह सुधार प्रन्यास को परामर्श देगी। विचार यह था कि कुछ इलाकों को समुचित तौर पर सुधारा जाय और हो सकता है कि किसी को भी न निकाला जाय। यह समिति जिन लोगों को यहां से हटाया जायगा उन्हें पास ही कहीं वैकल्पिक स्थान दिये जाने के सम्बन्ध में परामर्श देगी। अर्थात् वह यह सुझाव देगी कि दिये जाने वाला वैकल्पिक स्थान क्या हो, और इस आश्वासन का पालन करने में किन सिद्धान्तों का अनुसरण किया जाये इत्यादि।

†**श्री फीरोज़ गांधी:** आप 'पास ही' की क्या परिभाषा करते हैं?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं इसकी परिभाषा यह करूंगा कि वह इलाका जो इस स्थान के पास हो जहां से कि लोगों को हटाया जाये—वह स्थान जो सरकार अथवा सुधार प्रन्यास अथवा किसी अन्य प्राधिकार को उपलब्ध हो और वह इस प्रकार के मकान बनाने के लिये उपयुक्त हो—और वह स्थान दिल्ली विकास (अस्थायी) प्राधिकार की उस बड़ी विकास योजना के अन्तर्गत आता हो जिसे कि वह प्रारम्भ करने का प्रयत्न कर रही है अथवा जिनका कि वह अनुमोदन करे।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** तीन मील अथवा दो मील?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह तो कहना कठिन है कि वह स्थान एक मील होगा कि दो मील। कुछ भी हो, समस्या को हल तो करना ही है। और दूसरा विकल्प यह है कि हम कुछ भी न करें।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** बिजली की रेल से बीस मील?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** पंडित जी को याद होगा कि मैंने उनके भाषण के एक एक शब्द को शांति से सुना था, और मैं अनुभव करता हूं कि जब मैं बोल रहा हूं तो वह कम से कम उसका पांच प्रतिशत तो शांति से सुनेंगे ही।

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा परामर्श समिति की स्थापना इस बात का सुनिश्चिय करने के लिये पर्याप्त गारंटी है कि गंदी बस्तियों को साफ करने की जो भी योजना बनाई गयी है, उसे उचित रूप से कार्यान्वित किया जायेगा। उनकी बातों पर सलाहकार समिति अथवा सुधार प्रन्यास द्वारा योजना बनाये जाते समय विचार किया जायगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हम इस विधान में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं कर रहे।

एक छोटी सी बात और है। सुधार प्रन्यास को भूमि के सम्बन्ध में तो पहले से ही अधिकार प्राप्त हैं, अब हम उनका विस्तार इमारतों पर भी कर रहे हैं। भूमि की परिभाषा के सम्बन्ध में कुछ सन्देह प्रकट किये गये थे। पंडित भार्गव ने भी इसके सम्बन्ध में कुछ कहा था। इस विधान में "भूमि" और "इमारतों" का अलग अलग वस्तुओं के रूप में उल्लेख किया गया है। यह अच्छा है कि सुधार प्रन्यास के सम्बन्ध में हम उनका स्पष्टीकरण कर दें। कुछ भी हो, यह कुछ बहुत महत्व का मामला नहीं हैं। वे पूछते हैं कि "आप इमारतों को सम्मिलित करने के बारे में क्यों कह रहे हैं? भूमि में ही इमारतें भी आ जाती हैं।" यदि इमारतें इसी में आ जाती हों तब भी इसका और स्पष्टीकरण करने में कोई हानि नहीं है। इसलिए इस वैधानिक आपत्ति में कुछ सार नहीं है। इन विचारों के साथ मेरी प्रार्थना है कि विधेयक को पारित किया जाय।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) अधिनियम, १९५० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाय।"

---

†मूल अंग्रेजी में।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह:** खंड १ में एक मौखिक संशोधन है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उस खंड पर विचार करते समय उसको ले लिया जायेगा। अब हम खंड २ को लेंगे। प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ३ और ४

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खंड ३ और ४ के सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है, इसलिये हम उन्हें एक ही साथ लेंगे।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : मुझे यह आपत्ति है कि खंड ३ और ४ में 'सार्वजनिक स्थानों' की परिभाषा में परिवर्तन क्यों किया गया है। मूल विधि में जो 'सरकारी भूगृहादि' शब्दावलि थी उसे "सार्वजनिक स्थान" कर दिया गया है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसमें दूसरे स्थान भी सम्मिलित है।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : यही मेरी प्रार्थना है कि 'सरकारी भूगृहादि' से तो आशय उन्हीं स्थानों से था जो कि वास्तव में सरकार के थे। परन्तु 'सार्वजनिक स्थान' में तो वे भी सभी स्थान आ जायंगे जो कि सरकारी न होते हुए भी कई कारणों से सरकार के नियन्त्रण में होंगे। सरकार कानून को अपने पक्ष में लेकर इन स्थानों के किरायेदारों को भी निकाल बाहर कर सकेगी। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि यदि जन साधारण का मामला हो तो वह कानून का इतना शीघ्र लाभ उठा कर किरायेदार को निकाल नहीं सकता है। किरायेदार कई प्रकार के किराया नियन्त्रण अधिनियमों का आश्रय ले सकता है।

†**सरदार स्वर्ण सिंह:** यह एक अपवाद है, यदि सम्पत्ति की मालिक सरकार है तो किराया नियन्त्रण अधिनियम लागू नहीं होता है।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : यही तो मैं भी कह रहा हूं कि यदि सरकार मालिक हो यह लागू नहीं होगा। परन्तु यहां सरकार मालिक नहीं है। यदि सरकार पट्टे पर अथवा अधिग्रहण के द्वारा किसी भूगृहादि को प्राप्त कर लेती है तो सरकार मालिक तो नहीं होती है। इसलिए अच्छा होता यदि इस सम्बन्ध में मूल परिभाषा के शब्द "सरकारी भूगृहादि" ही रखे जाते। परिवर्तन करने का अर्थ यह हुआ कि यदि उस स्थान का वास्तविक मालिक चाहे तो किरायेदार को नहीं निकाल सकता है, क्योंकि किराया नियन्त्रण अधिनियम उसकी रक्षा के लिए है, परन्तु सरकार द्वारा उस सम्पत्ति के ले लिये जाने पर अब जो विधेयक में व्यवस्था की गयी है उसके अनुसार तो वह 'अनधिकृत कब्जे' की परिभाषा में आ जायेगा और उसे निकालना ही पड़ेगा। इसलिए इस प्रकार के स्थानों को 'सरकारी भूगृहादि' नहीं कहा जाना चाहिए, ताकि साधारण नागरिक विधि के सामान्य आश्रय से वंचित न हो जाय। विभिन्न अदालतों ने भी यही निर्णय दिये हैं कि यदि किसी ने कोई स्थान अधिग्रहण के द्वारा अथवा पट्टे पर लिया हो तो वह विधिवत् किरायेदार हो जाता है और उस पर किरायेदारी की सारी शर्तें भी लागू होती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : पट्टे पर ली गयी सम्पत्ति किसी निजी व्यक्ति को क्यों दी जाय ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि पट्टे वाले स्थानों को छोड़ भी दिया जाय तो भी ऐसी सम्पत्तियां हैं जिन्हें सरकारी भूगृहादि नहीं कहा जा सकता है ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : इसलिए तो 'स्थानीय प्राधिकार' शब्द रख कर सुधार प्रन्यास (इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट) को भी सामने लाया गया है । अब तो यदि कोई नगरपालिका भी चाहेगी तो १५ दिन का नोटिस देकर किरायेदारी समाप्त कर देगी । इससे आम किरायेदार को कठिनाई होगी । आज कल सरकार प्रत्येक वस्तु का राष्ट्रीयकरण करती जा रही है, और प्रत्येक क्षेत्र में स्वयं व्यापार कर रही है । सरकार बड़ी बड़ी इमारतें बना कर किराये पर दे रही है, नयी दिल्ली के आधे मार्केट सरकारी है । विभिन्न स्थानों पर नगरपालिकाएं अपने मार्केट बना रही है । एक बार यदि वह 'सार्वजनिक स्थान' बन गये तो सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम तो प्रायः समाप्त ही हो जायगा और प्रत्येक व्यक्ति को निकाला जा सकेगा । एक व्यक्ति सरकार से मकान लेते समय इकरारनामा लिखता है अथवा सरकार को पट्टेदारी लिख कर देता है, परन्तु इसका कोई मूल्य नहीं है । सरकार जिसको चाहे निकाल सकेगी । और भारत के सभी भागों में स्थानीय प्राधिकारियों के नियन्त्रण अधीन इमारतों के मामलों में सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम निरर्थक रहेगा ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : स्थानीय प्राधिकार केवल दिल्ली के लिये है, सारे भारत के लिए नहीं ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : मेरा मतलब भी यही है, अर्थात् दिल्ली नगरपालिका, नई दिल्ली नगरपालिका, और दक्षिणी दिल्ली नगरपालिका और दिल्ली राज्य के अन्य स्थानीय निकाय । इसमें कई ग्राम भी आ जायंगे और सरकार इसी अधिकार को लोगों को निकालने के लिए काम में लायेगी । इसलिए हमें ऐसे अधिकार देनेसे पूर्व कुछ सावधानी से काम लेना चाहिये ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह**: हम इन अधिकारों का सावधानी से प्रयोग करेंगे । मैं माननीय सदस्य द्वारा उठायी गयी आपत्ति का विरोध करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३ और ४ विधेयक का अंग बनें" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३ और ४ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड ५ और धारा ३ इत्यादि का संशोधन

श्री नि० बि० चौधरी (घाटल) : मेरा संशोधन संख्या ३ है । इस संशोधन को प्रस्तुत करते समय मेरे समक्ष द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गन्दी बस्तियों को साफ करने सम्बन्धी सिद्धान्त ही थे । प्रथम सिद्धान्त यह है कि इन गन्दे स्थानों में रहने वालों को कम से कम कष्ट होना चाहिए और साथ ही इस बात का प्रयत्न किया जाना चाहिए कि उन्हें जहां से उठाया जाय उसके पास ही कहीं उन्हें बसाया जाय ताकि वे अपनी रोजी से वंचित न हो जायें । इसलिए स्वयं सरकार ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना में जो व्यवस्थाएं की है, उसके अनुसार यह संशोधन आवश्यक हो जाता है ।

इस दृष्टि से विधि में भी कोई संविहित व्यवस्था होनी चाहिए । दोनों मंत्रियों के भाषणों से हम सन्तुष्ट नहीं हुए कि विधि में ऐसी किसी व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है । परन्तु गन्दी बस्तियों में रहने वाले को वैकल्पिक स्थान दिये जाने का आश्वासन तो मिलना ही चाहिए,

---

†मूल अंग्रेजी में ।

इसके बिना तो सरकार तथा स्थानीय निकायों को लोगों को निष्कासित करने के अधिकार नहीं दिये जा सकते। यदि हमें गन्दी बस्तियों को साफ करने से सम्बन्धित द्वितीय पंच वर्षीय योजना के सिद्धान्त स्वीकार हैं तो मेरा यह संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिए।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : उपयुक्त वैकल्पिक स्थान दिये जाने के सम्बन्ध में मैं कुछ अधिक नहीं कहूंगा क्योंकि इस सम्बन्ध में मेरे सहयोगी स्वास्थ्य मंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। जहां तक वर्तमान संशोधन का सम्बन्ध है, मुझे खेद है, म इसे स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि वैकल्पिक स्थान देने की बात उन लोगों पर लागू नहीं हो सकती जो कि बिना सरकार की आज्ञा के मकानों को फिर से किराये पर उठा देते हैं। या किन्हीं शर्त्तों, स्पष्ट अथवा उपलक्षित, का अतिक्रमण करते हैं। गन्दी बस्तियों से निकाले गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी यही करना आवश्यक है। इसलिए इस काम को उस प्राधिकारी पर ही छोड़ना पड़ेगा जिसे कि यह सफाई करने का काम सौंपा जायगा और उसी को यह निर्णय करना होगा कि क्या किया जाये। वैसे तो इसका मतलब यह होगा कि जिस व्यक्ति को जिस स्थान से निकाला जाय उसको बदले में उसे लगभग वैसा ही तथा उसी किराये के मूल्य का स्थान दिया जाय। यह बहुत कठोर हो जायेगा और यदि मामला अदालत में ले जाया गया तो इसका कहीं अन्त ही नहीं होगा। इस लिये मैं संशोधन का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३ सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड—१ (संक्षिप्त नाम)

संशोधन किया गया

"पृष्ठ १ पंक्ति ४ में,

"1955" ["१९५५"] के स्थान पर "1956" ["१९५६"] रखा जाये।"

—[सरदार स्वर्ण सिंह]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[उपाध्यक्ष महोदय]

अधिनियम सूत्र संशोधन किया गया :

"पृष्ठ १, पंक्ति १ में,

"Sixth Year" ["छठे वर्ष"] शब्दों के स्थान पर, "Seventh Year" ["सातवें वर्ष"] शब्द रखे जायें ।"

—[सरदार स्वर्ण सिंह]

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधयक का अग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियम सूत्र संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** तृतीय वाचन को कल के लिये स्थगित किया जाता है । श्री ले० जो० सिंह ।

नाग पाहाड़ियों की स्थिति के बारे में प्रस्ताव

†**श्री ले० जो० सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आसाम की नागा पहाड़ियों के क्षेत्र की स्थिति पर विचार किया जाये ।"

पहले मैं नागा-आन्दोलन की उत्पत्ति के बारे में कुछ कहूंगा । नागा लोग नागा राष्ट्रीय परिषद के नेता फिजो के नेतृत्व में साइमन कमीशन के दिनों से ही स्वतन्त्रता की मांग करते आ रहे हैं । १९४७ में भारत के स्वतन्त्र होने के बाद भी वे अपनी मांग पर दृढ़ता से कायम रहे हैं । श्री गोपीनाथ बारदोली के मुख्य मंत्रित्व काल में उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि यदि वे स्वतन्त्र रहने की मांग को त्याग कर आदिम जाति परिषदों के लिये कार्य करना स्वीकार करें, तो दस वर्ष के बाद उनको स्वतन्त्रता देने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा । परन्तु केन्द्रीय सरकार ने इन आश्वासनों को ठुकरा दिया था ।

आन्दोलन जारी रहा । नागा राष्ट्रीय परिषद् में दो विचारों के लोग थे । श्री साकरी नागाओं की स्वतन्त्रता के आन्दोलन को अहिंसात्मक ढंग से चलाना चाहते थे, और फिजो हिंसात्मक संघर्ष के पक्ष में थे । बाद में, धोखे से श्री साकरी की हत्या कर दी गई और फिजो ही आन्दोलन का एकमात्र नेता बन गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

लेकिन आसाम सरकार ने उस समय कोई भी कार्यवाही नहीं की। १९५३ में फिजो को ब्रह्मा की सरकार ने गिरफ्तार करके भारत सरकार को सौंप दिया था, लेकिन तब उसे छोड़ दिया गया था। फिजो उसी समय से एक अन्तिम हिंसात्मक संघर्ष की तैयारियां करता रहा है। लेकिन, सरकार ने वहां के आन्तरिक क्षेत्रों के नियंत्रण के लिये कुछ भी नहीं किया। आसाम के प्रशासक आन्तरिक क्षेत्रों की परिस्थिति से अनभिज्ञ थे। उन्होंने शस्त्र भी इकट्ठे नहीं किये, जब कि पड़ोस के मनीपुर राज्य ने विद्रोहियों द्वारा छोड़ी हुई १०,००० बन्दूकें इकट्ठी कर ली थीं। फिजो अपनी हिंसात्मक कार्यवाहियों में लगा रहा; साकरी की हत्या कर दी गई, और ११ जून को परिस्थिति विकटतम बन गई....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य उसका पूरा इतिहास बता रहे हैं। उन्हें समय का ध्यान रखना चाहिये। समय कम है।

†**श्री ले० जो० सिंह** : उस दिन--११ जून को--दीमापुर से कोहिमा जाने वाली मोटरों और गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों के एक दल पर आक्रमण किया गया था। दीमापुर के सैनिक और असैनिक अधिकारियों को उसकी कोई आशंका भी नहीं थी। कोहिमा से दो मील की दूरी पर यह आक्रमण हुआ था। आड़ से इस पर गोलियां चलाई गईं, दो आदमी मारे गये, मुझे आश्चर्य है कि हमारी सेना और असैनिक कर्मचारी आखिर क्या कर रहे थे।

उसी दिन सुबह मनीपुर से कोहिमा को एक तार भी भेजा गया था जिसमें खतरे की सूचना दी गई थी और इम्फाल से यात्रियों को आगे न जाने देने के लिये कहा गया था। लेकिन, कोहिमा में उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी। कोहिमा से दो मील उधर ही हमारी मोटरों पर आक्रमण किया गया और हमारी सारी सम्पत्ति लूट ली गई।

इसके सम्बन्ध में प्रतिरक्षा मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति निकाली थी और सैन्य नायक श्री नागेश ने एक वक्तव्य भी दिया था। उसमें कहा गया था कि चेतावनी दिये जाने के बावजूद यात्रियों का दल कोहिमा से चल पड़ा था। यह बिलकुल झूठ है। मैं चाहता हूं कि प्रतिरक्षा मंत्रालय इस आरोप का उत्तर दे और सरकार इसकी जांच कराये। किसी ने भी यात्रियों को चेतावनी नहीं दी थी। मैं भी उनमें से एक था। यह बात बाद में गढ़ी गई थी।

एक धावे में मनीपुर के चालकों और यात्रियों की हत्या कर दी गई थी। लेकिन अभी तक सरकार ने उनके आश्रितों को प्रतिकर देने का कोई आश्वासन नहीं दिया है। घायल व्यक्तियों की देखभाल कौन करेगा? उसके लिये उत्तरदायी कौन है? इस मामले की उपेक्षा की गई है।

दूसरी बात यह है कि यह क्षेत्र पर्वतों और जंगलों से भरा पड़ा है, फिर भी उसमें पर्याप्त सेना नहीं रखी गई है। उस क्षेत्र की जनता में आत्म विश्वास उत्पन्न करने के लिये आवश्यक है कि वहां पर्याप्त सैन्य शक्ति भेजी जाय। उन दिनों वहां तैनात की गई सेना ने ट्रकों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के अतिरिक्त अन्य कोई भी कार्य नहीं किया। दूसरी ओर, नागा विद्रोही सक्रिय थे और उनकी संख्या बढ़ रही थी। उनकी बैठकें रातों में होती थीं। उनमें विद्यार्थी भी सम्मिलित हैं। लेकिन, हमारी सैन्य शक्ति अपर्याप्त थी।

इस उपद्रव का सबसे अधिक प्रभाव मनीपुर राज्य पर पड़ा है। आसाम पर इसका आर्थिक रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह इसे धीरे-धीरे शान्त करने की नीति पर चल सकता है। लेकिन मनीपुर राज्य के लिये तो दीमापुर--कोहिमा--इम्फाल सड़क--भारत ब्रह्मा सड़क--की रक्षा एक जीवन मृत्यु का प्रश्न है। यह नागा पर्वतों से होती हुई जाती है। ११ जून के बाद से यह सड़क काट दी गई है। इस प्रकार हमारे संचार के साधनों को काट दिया गया है। इससे हमारे यहां दैनिक आवश्यकता की चीजों का मूल्य बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल और मिट्टी का तेल आसानी से नहीं मिलता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री ले० जो० सिंह]

मनीपुर के कृषकों की जीविका का आधार चावल ही है। हम उसे इसी सड़क द्वारा बाहर भजते थे। निर्यात न हो सकने के कारण, चावल का मूल्य भी गिर गया है। उसके बाद बन्द होने का सबसे बुरा प्रभाव इसीलिये खेतिहर श्रमिकों और कृषकों पर पड़ा है। दैनिक आवश्यकता की चीजें हमें बाहर से विमानों द्वारा मंगानी पड़ती हैं। इसीलिये मनीपुर राज्य, और वहां का निवासी होने के नाते मैं नागा आन्दोलन की समस्याओं में इतनी रुचि ले रहा हूं।

हमारी सीमा आसाम से मिली हुई है। नागा पर्वतीय क्षेत्रों में नियुक्त किये गये आसाम के अधिकारियों को विशेष वेतन और भत्ते दिये जाते हैं, लेकिन कोहिमा और दीमापुर में नियुक्त किये गये मनीपुर अधिकारियों को यह नहीं दिये जाते हैं। भारत-ब्रह्मा सड़क पर ट्रकें चलाने वाले चालकों का जीवन भी खतरे में रहता है, इसलिये उन्हें भी उसी तरह के विशेष वेतन और भत्ते तथा रियायतें दी जानी चाहिये।

परिस्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है और संसद् ने अभी इस पर विचार नहीं किया है।

मेरा सुझाव यह है कि हमें अब लोक-सभा में कोई निर्णय करना चाहिये। इसका वहां की जनता पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। आपको इस समस्या पर विचार करना चाहिये। आसाम के सारे नागा पर्वतीय क्षेत्रों में निराशा फैली हुई है। मेरा दृष्टिकोण तो यह है कि ये उपद्रव आगे चलकर उत्तर-पूर्वी भारत के सभी आदिम जाति क्षेत्रों में फैल सकते हैं। इसलिये इस निराशाजनक परिस्थिति के निवारण के लिये, हमें विभिन्न दलों और स्थानों के संसद् सदस्यों का एक आयोग नियुक्त करना चाहिये जो इस समस्या की छानबीन करे और वहीं जाकर प्रशासन की त्रुटियों का पता लगायें और उसके बाद एक प्रतिवेदन यहां प्रस्तुत करे। फिजो के तमाम विश्वास-प्राप्त नागा-नेता भारतीय जेलों में बन्दी हैं। आप उनकी राय भी ले सकते हैं। उनके सामने यह बात तो स्पष्ट तौर पर कह दी जानी चाहिये कि उन्हें भारत से अलग अपनी एक स्वतन्त्र सत्ता नहीं बनाने दी जायेगी। लेकिन उनसे बातें करके, हम भारतीय संविधान की सीमाओं में रहते हुए इसका समाधान ढूंढ़ सकते हैं। वे अपनी एक अलग इकाई तो रख सकते हैं, इसे मंजूर करने में कोई हानि नहीं है। मैं प्रधान मंत्री और गृह-कार्य मंत्री से इसके सम्बन्ध में विचार करने का अनुरोध करता हूं।

यह संसदीय आयोग जेलों में बन्दी नागाओं और उनके अधिकारियों से बातें करके, उन्हें अपना विश्वास पात्र बना सकता है। हमें उनके सुझाव भी तो जानने चाहियें।

इन उपद्रवों और हत्याओं की सबसे अधिक शिकार गरीब जनता ही बन रही है। उसमें आत्म विश्वास उत्पन्न करके ही, हम उसकी स्वतन्त्र राय जान सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में तो सरकार के मित्र भी उसके शत्रु बन जायेंगे। उन्हें इसके लिये विवश किया जाता है। उन्हें दोनों पक्षों से भय लगता है। वह सरकार से भी डरती है और जो कि विद्रोही है उनसे भी भय खाती है।

इस आतंकपूर्ण तरीके से कोई निबटारा नहीं किया जा सकता है। हमने जिस प्रकार अपनी सेना को कोरिया में भेजा था, उसी प्रकार यहां भी भेजना चाहिये। उसकी वर्तमान शक्ति अपर्याप्त है। उसे वहां पुनर्वास के लिये भी कार्य करना पड़ेगा। उसे जनता को अपनी ओर करना पड़ेगा। मैं यह नहीं मानता कि वहां सेना को हथियार अलग रख देने चाहिये। फिजो का कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता है।

यह अत्यावश्यक है कि इसके लिये एक संसदीय आयोग की नियुक्ति की जाये।

दूसरी चीज यह है कि वहां की वर्तमान सरकार बहुत कमजोर है। उसमें कार्य-कुशलता भी नहीं है। इसका दृष्टिकोण भी साम्प्रदायिक है। इस साम्प्रदायिक दृष्टिकोण ने भी वहां की परिस्थिति को बिगाड़ने में बहुत अधिक योग दिया है। इसलिये कोई भी निबटारा होने तक वहां का प्रशासन केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। उसे आसाम से अलग रखा जाये या नहीं, यह तो नागा क्षेत्रों की जनता की राय पर ही निर्भर होगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। समय बहुत कम है, इसलिये माननीय सदस्य संक्षेप में बोलें। श्री रिशांग किशिंग।

†**श्री रिशांग किशिंग** (बाह्य मनीपुर-रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां) : यह बड़े ही खेद की बात है कि नागा समस्या पर इतने विलम्ब के बाद चर्चा की जा रही है जब कि इससे देश को काफी हानि पहुंच चुकी है।

यह नागा समस्या हमारी कई भूलों के कारण जटिलतर बनती गई है। इसलिये हमें बड़े ही संयत ढंग से इसके सम्बन्ध में विचार करना चाहिये। माननीय प्रधान मंत्री और भारत सरकार दोनों ही अभी तक इस समस्या के सम्बन्ध में जो कार्यवाहियां करते रहे हैं, वे एक अधिक शक्तिशाली पक्ष की कार्यवाहियों के रूप में ही की गई हैं और यह समझकर की गई हैं कि यह एक छोटा सा उपद्रव है। इसीलिये उन्होंने कभी भी यहां की जनता के पुराने इतिहास का विश्लेषण करने की आवश्यकता ही नहीं समझी है।

हम अपने देश की स्वतन्त्रता प्राप्त करने के शीघ्र ही बाद इन क्षेत्रों की जनता की सद्भावनाय प्राप्त कर सकते थे। उस समय २२ जून, १९४८ को आसाम के मुख्य मत्री श्री गोपीनाथ बारदोली और नागा राष्ट्रीय परिषद् के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता भी हुआ था। भारत सरकार ने उसे नहीं माना था। यही कारण है यह सारा उपद्रव खड़ा हो गया है। उस समझौते को न मानने से ही इस झगड़े का सूत्रपात हुआ है।

उसके ठुकराये जाने के बाद, नागा लोग, श्री फिजो के नेतृत्व में, अपनी पूर्ण स्वतन्त्रता की मांग पर जोर देते रहे। उसके बाद भी श्री फिजो और प्रधान मंत्री तथा आसाम के मुख्य मंत्री के बीच बठकें हुईं, पर प्रधान मंत्री ने फिजो के विचारों को समझने का प्रयत्न नहीं किया, और वातावरण अधिक विषाक्त बन गया।

१९५३ के आरम्भ मं, जब प्रधान मंत्री कोहिमा गये थे और १५,००० की संख्या में जनता उनके सामने अपने विचार रखने और उनके विचार सुनने आई थी, उस समय एक बार पुनः वार्ता आरम्भ करने का अवसर आया था। लेकिन उस दिन वहां के स्थानीय अधिकारियों ने नागाओं को प्रधान मंत्री के सामने अपना प्रतिनिधान प्रस्तुत करने ही नहीं दिया। इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था। वे लोग अपनी प्रतिष्ठा के प्रति इतने भावुक हैं कि इन्होंने सोचा जब प्रधान मंत्री हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, तो हमें भी उनकी बात नहीं सुननी चाहिये। वे सब लोग बैठक से उठ कर बाहर चले गये।

कोहिमा में प्रधान मंत्री के दौरे के तुरन्त पश्चात नागा राष्टीय परिषद् के महासचिव स्वर्गीय श्री साकरी ने मुझे एक पत्र लिखा था जिसका आशय यह था दिल्ली में प्रधान मंत्री से मिलना अत्यन्त कठिन होता है अतः वे कोहिमा में प्रधान मंत्री से दिल खोल कर बातचीत करना चाहते थे, परन्तु प्रधान मंत्री उनकी बात सुनने को भी तैयार नहीं थे, इसलिये उन्हें बैठक से उठकर चला जाना पड़ा, क्योंकि यह व्यवहार उनके मान और स्वाभिमान को एक प्रकार की चुनौती था। बैठक से उठ जाने के कारण उनके ८० साथियों को भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया था। यह उन्होंने मुझे लिखा था।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री रिशांग किशिंग]

इससे स्पष्ट है कि नागा लोग शान्तिपूर्वक बातचीत करना चाहते थे, परन्तु उनकी यह मांग कभी स्वीकार नहीं की गई और इस घटना के पश्चात आसाम सरकार ने पुलिस कार्यवाही आरंभ कर दी और लोगों के घर तथा फसलें नष्ट कर दी गईं तथा और अनेक अत्याचार किये कये। फिर नागाओं की ओर से १९५५ के मध्य तक कोई आयोजित हिंसात्मक कार्यवाही नहीं की गई। इस बीच उन्होंने भारत सरकार से बातचीत करने के कई बार प्रयत्न किये, परन्तु सरकार ने कोई न कोई शर्त लगा दी। मैं मानता हूं कि उनकी पूर्ण स्वतन्त्रता की मांग स्वीकार्य नहीं है, किन्तु सरकार को भी यह चाहिये था कि वह भेदभाव को दूर करने के लिये नागाओं के साथ बिना शर्त बातचीत करती।

इसका यही परिणाम अवश्यंभावी था कि नागाओं की हिंसात्मक प्रतिक्रिया आरंभ हुई और तत्पश्चात् वहां सैनिक कार्यवाही की गई जिसके फलस्वरूप हजारों मनुष्यों, बच्चों और स्त्रियों को जंगलों में भूखे और प्यासे रहना पड़ रहा है और हमारी सेना ने बहुत से गांवों और मकानों को जला दिया है। सैकड़ों नागाओं को गोली मार दी गई है और अनेक नागाओं को और उनके परिवारों को जेलों में ठूंस दिया गया है। इस युद्ध में बहुत से निर्दोष व्यक्ति और डा० हासलू जैसे वफादार नागाओं को भी मौत के घाट उतार दिया गया है। सेना ने नागाओं की भावनाओं की कोई परवाह नहीं की और उनके मृत शरीरों को नंगा किया और उनको जला दिया, जब कि नागा लोग मृत शरीर को जलाते नहीं हैं। उन पर और भी अनेक अत्याचार किये गये। मैं पूछता हूं कि क्या यह सभ्य सरकार के लिये श्रेय की बात है? क्या सरकार इस विषय में अपराधी नहीं है?

हमारी सेना वहां के शान्ति प्रिय नागाओं की रक्षा करने में सर्वथा असफल रही है। सेना और पुलिस की सलाह पर इम्फाल जाने वाले यात्रियों के दल पर धावा हुआ और उनकी कोई रक्षा नहीं की गई। इसी प्रकार जब सेना के मुख्यालय पर धावा हुआ तब लोगों को संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। इस स्थिति में सरकार की इस घोषणा का क्या महत्व है कि जो लोग अपने आपको सौंप देंगे उनकी रक्षा की जायगी।

यह मामला इतना उलझ गया है कि सैनिक कार्यवाही से हल नहीं होगा। नागा भले ही विशाल सेना के आगे परास्त हो जाये परन्तु उनकी बदले की भावना पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहेगी। यह राजनीतिक समस्या है और इसे इसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिये। सरकार इस मामले में सर्वथा गलती पर है, उसे अपनी नीति बदलनी चाहिये। इस सैनिक कार्यवाही से वह नागा राष्ट्रीय परिषद् का अथवा श्री फिजो का प्रभाव नष्ट नहीं कर सकती।

मैं पूर्ण गंभीरता के साथ ये कुछ सुझाव दूंगा जिनसे यह समस्या हल हो सकती है। पहला सुझाव यह है कि सर्व क्षमा की तुरन्त घोषणा की जाये, दूसरा, नागा परिषद् और अन्य नागा संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की जाये, तीसरा, नागा पहाड़ियों, तुएनसांगा डिवीजन और तिराप सीमान्त प्रदेश की एक कृषक प्रशासी इकाई बनाने के आधार पर वार्ता की जाय, चौथा, उक्त नागा क्षेत्रों से जो भूमि ली गई है वह इस नवीन इकाई को दी जाय, पांचवां, इस इकाई का ढांचा मनीपुर और त्रिपुरा के ढांचे के समान हो, छठा, कुछ समय पश्चात इस इकाई की जनता को संविधान के अन्तर्गत प्रशासन व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्णय करने का अधिकार दिया जाये, सातवां, यथाशीघ्र लोगों में विश्वास और सद्भावना पैदा करने के लिये एक संसदीय शिष्ट मंडल वहां भेजा जाये, और आठवां, मनीपुर, त्रिपुरा, आसाम और नवीन इकाई को मिला कर एक सामूहिक प्रादेशिक संगठन बनाया जाना चाहिये और उसकी व्यवस्था के लिये कार्यवाही की जाये।

सीमित क्षमादान से फिजो आदि नेता हमारे पास नही आयंगे। इसलिये सर्व क्षमादान दिया जाना चाहिये। जिन लोगों को हम शत्रु समझते हैं और जिनको नागा अपना नेता मानते हैं, उनके साथ बातचीत करके सद्भावना का वातावरण पैदा करने के लिये हमें अग्रसर होना चाहिये। इसके लिये हमें श्री फिजो और नागा राष्ट्रीय परिषद् से बातचीत करनी चाहिये।

श्री साकरी और नागा परिषद् के अन्य भूतपूर्व सदस्यों ने समझौते का आधार बनाया था। उस पर विचार किया जाना चाहिये। प्रतिष्ठा का प्रश्न छोड़ कर क्षमा दान देकर और सैनिक कार्यवाही बन्द करके और एक सम्मेलन बुला कर, समझौते और शान्ति के लिये बातचीत आरंभ की जा सकती है। भारत सरकार को चाहिये कि जो लोग बरबाद हो गये हैं उनको पुनः बसाये, और शिक्षा के लिये स्कूल खोलने की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। ऐसे वातावरण में प्रतिवादी लोगों में भी सद्बुद्धि जागृत होगी। हम विदेशों में तो शान्ति पूर्ण समझौते का नारा लगा रहे ह, परन्तु हमें अपने देश में भी इसका प्रयोग करना चाहिये।

मैं नागाओं और उनके नेताओं से भी इस पहलू पर शान्तिपूर्वक विचार करने की अपील करूंगा और आशा करूंगा कि यदि वे अपनी हिंसा की भावना और स्वतन्त्रता की मांग को छोड़ देंगे तो भारत की जनता उनका पूरा साथ देगी।

†**श्रीमती खोंगमन** (स्वायत्तशासी जिले—रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां) : नागा पहाड़ियों की इन सब घटनाओं से मुझे बड़ा दुख होता ह। नागा लोग पूर्णरूपेण भारतीय हैं और हमारे साथी हैं।

जब से नागाओं के कुछ नेताओं द्वारा वहां हिंसात्मक कार्यवाहियां आरम्भ की गईं तभी से मैंने उन से पूर्ण स्वतन्त्रता की व्यर्थ मांग को छोड़ने की प्रार्थना की है, परन्तु मुझे खेद है कि उन्होंने मेरी प्रार्थना पर विचार भी नहीं किया।

आज फिर मैं उनसे इस आन्दोलन को छोड़ने की अपील करती हूं और उनको विश्वास दिलाती हूं कि आदिम जातियों के हित भारत सरकार के हाथों में सुरक्षित हैं। संविधान की छठी अनुसूची के उपबन्धों में स्वायत्त शासन का उपबन्ध ह। अतः मैं उनसे हिंसा को छोड़ने की अपील करती हूं, जिसका परिणाम दुखों और कष्टों के अतिरिक्त कुछ नहीं है और आशा करती हूं कि नागा नेता सीधी बात चीत के द्वारा समझौते की घोषणा करेंगे और भारत सरकार उसे स्वीकार करेगी जिससे कि कोई सर्वमान्य समझौता हो सके।

माननीय मित्र ने आसाम सरकार पर जो आरोप लगाये हैं वे गलत हैं। वास्तव में, आसाम सरकार ने नागाओं को अपनी हिंसात्मक कार्यवाहियां छोड़ने के लिये प्रेरित करने का बहुत प्रयत्न किया है और वहां के मुख्य मंत्री ने श्री फिजो से भी अपील की थी तथा श्री फीजो ने स्वयं अपने बयान में हिंसात्मक कार्यवाहियों के किये जाने से इन्कार किया था।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची-पश्चिम-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं न तो किसी सरकार या सेना की भर्त्सना करूंगा और न ही प्रशंसा करूंगा।

दस वर्ष पहले मैंने श्री फिजो को इस सभा के नेता से मिलाने का प्रयत्न किया था, परन्तु वहां के अधिकारियों ने उसे उनसे मिलने नहीं दिया।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्तमंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं उनसे तीन बार मिल चुका हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री जयपाल सिंह :** यह उसके बाद की बात होगी। श्री फिजो दिल्ली आये, परन्तु इनको प्रधान मंत्री के पास भी फटकने नहीं दिया गया। अकस्मात् वह मुझे मिले, और मेरी प्रार्थना पर प्रधान मंत्री ने उनसे भेंट की। मैंने उन्हें जनरल करियाप्पा से भी मिलाया। तदुपरांत उन्होंने मुझे आन्दोलन छोड़ने का आश्वासन दिया। यह केवल एक मानवीय प्रश्न है। हमें नागाओं और मानभूम आदि के बारे में सोचते समय आदिवासी सभ्यता पर विचार करना चाहिये।

मैं श्री फिजो और उनके साथियों से कहता हूं कि यदि वे भारत से अलग होना चाहते हैं तो हम उनका किंचित भी समर्थन नहीं करेंगे। नागा तो कुछ लाख ही है, परन्तु आदिवासियों की संख्या कई लाख है। हमें मानवता में विश्वास है और एक न एक दिन वे भी हमारी तरह सोचने लगेंगे। यदि श्री फिजो जापानी शस्त्रों या और किसी भी सहायता से हमसे लड़ना चाहते हैं तो मैं उन्हें बता दूं कि यह सब व्यर्थ और निरर्थक होगा। अतः मैं नागा पहाड़ियों के लोगों से अपील करूंगा कि यदि वे भारत के साथ रहने का निश्चय करें, तो लाखों भारतीय उनके साथी बनेंगे।

सामान्य क्षमादान* की घोषणा का सुझाव दिया गया है। मैं नहीं समझता कि ऐसा करना कहां तक ठीक होगा। पहले वहां दो बटालियन थीं और अब दो से अधिक हैं। नागा वीर लोग हैं, उनको इन प्रकार शस्त्रों से नहीं जीता जा सकता है। उन्हें तो प्रेम से ही जीता जा सकता है। यह मूलतः एक मानवीय समस्या है और हमें कुछ चीजें छोड़नी होंगी। मैं नहीं समझता कि संसदीय शिष्टमंडल भेजना ठीक होगा या नहीं। यह कहने से कोई लाभ नहीं कि श्री फिजो नागाओं के नेता नहीं हैं और वह उनकी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

यदि नागा लोग भारत के साथ नहीं रहना चाहते, तब तो मेरे सुझाव व्यर्थ हैं और इस प्रकार सेना द्वारा उनके गांव आदि जलाना भी निरर्थक है। परन्तु मुझे विश्वास है कि वे अन्य आदिम जातियों के समान भारत के साथ रहना चाहते हैं; मैं चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री पुनः उन इलाकों का दौरा करें, क्योंकि वही इस जटिल समस्या को सुलझाने के लिये एकमात्र उपयुक्त व्यक्ति हैं। वह नागाओं को यह अनुभव करा सकते हैं कि यह विशाल देश उनको समाप्त करना नहीं चाहता है। सेना तो केवल हिंसा करने वाले नेताओं को दबाने के लिये भेजी गई है, और हमारी सेना इस कार्य में असफल रही है।

कोई भी सरकार धमकी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। किन्तु वह लोग दूसरे भारतीय नागरिकों से सर्वथा भिन्न है, और हमें उनके साथ एक अन्य प्रकार से ही बर्ताव करना चाहिये। यह समस्या अकेले सदन नेता द्वारा ही हल कि जा सकती है। इसे शान्ति और व्यवस्था का मामला कहना भी गलत है। यह तो मूल रूप से एक मानवीय समस्या है।

अतः मैं नागा जाति से अपील करता हूं और सरकार से भी अपील करता हूं। यदि सरकार यही कहती रहेगी कि जब तक यह आन्दोलन समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वह बात करने को तैयार नही है, तब तो हमारी चर्चा और यह सभी सुझाव व्यर्थ हैं। पुलिस और गोलियों के बिना भी उन तक हमारी ये भावनायें और विचार पहुंच सकते हैं कि हम उनके साथ मित्रता करना चाहते हैं और इस समस्या को हल करना चाहते हैं।

मैं समझता हूं कि इस समस्या और झगड़े का बड़ा कारण द्वैध शासन है। यदि असैनिक प्रशासन इस स्थिति को नहीं संभाल सकता था तो सशस्त्र सेनाएं इसे संभाल सकती थी। परन्तु दुख की बात यह है कि द्वैध शासन होने के कारण यह स्थिति बिगड़ती ही चली गई। यदि असैनिक प्रशासन स्थिति को संभाल सकता है, तब सेनाओं को भेजने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा सारा मामला सशस्त्र सेनाओं को सौंप दिया जाय? मुझे विश्वास है फिर कोई गड़बड़ी नहीं होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

*General amnesty

†**श्री विमला प्रसाद चालिहा** : (शिवसागर-उत्तर लखीमपुर) : नागा पहाड़ियों में जो उपद्रव हो रहे हैं उनका मूल कारण नागा लोगों की सम्पूर्ण स्वतन्त्रता की मांग भी है। प्रधान मंत्री, राज्य सरकार और अन्य गैर-सरकारी व्यक्तियों ने नागा राष्ट्रीय परिषद के नेताओं को इस बात के लिये राजी करने का प्रयत्न किया कि वे कोई अन्य मांग करें और भारत के संविधान में की छटी अनुसूची में कोई सुधार करने का सुझाव दें, परन्तु वे राज़ी नहीं हुए। पूर्ण स्वतन्त्रता की मांग के कारण ही वहां इतनी दुखद घटनायें हुई है।

मुझे नागा नेताओं से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है और उनकी महानता को देखते हुए मुझे विश्वास है कि वे एक दिन अवश्य अनुभव करेंगे कि इस संसद् और भारत के लोगों का विचार ठीक था। भारत सरकार ने उन्हें नाग. रकता के समान अधिकार दिये हैं और सदा उनके साथ अच्छा बर्ताव किया है। परन्तु वहां हिंसात्मक घटनाओं के आरम्भ होने से सरकार की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। पुलिस उन पर काबू न पा सकी और वहां सशस्त्र सेना भेजनी पड़ी। वहां हुई हिंसात्मक घटनाओं से सभी को आश्चर्य हुआ। मेरा विचार था कि नागा लोगों का हिंसा में विश्वास नहीं है, परन्तु वह गलत निकला। विधि और व्यवस्था स्थापित करने का काम सरकार का है और उस पर एक यह भी उत्तरदायित्व है कि वह उन लोगों की सुरक्षा करे जो उन्हें सहयोग दे रहे हैं।

नागा राष्ट्रीय परिषद् ने प्रधान मंत्री से भेंट की थी और वहां भी यही मांग रखी थी इसीलिये उस बातचीत से कोई लाभ नहीं हुआ।

प्रधान मंत्री ने कई बार कहा कि नागा लोग संविधान की छटी अनुसूची में संशोधन किये जाने के सुझाव दे सकते हैं। जब तक नागा नेता इस बात पर विचार नहीं करते तब तक उनसे कोई विचार विमर्श करना अथवा वार्ता करना व्यर्थ होगा। परन्तु फिर भी शान्ति होने पर यदि वे बातचीत करने को कहें तो हमें इस मांग को स्वीकार कर लेना चाहिये।

सम्भव है कि हमारी सरकार अथवा इसके पदाधिकारियों ने कोई गलतियां की हों। हमारे पदाधिकारियों को वहां बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा ह परन्तु जो कुछ कार्यवाही उन्हों ने की है उसे पूर्ण रूप से ठीक नहीं कहा जा सकता। मूल प्रश्न यह है कि उनकी पूर्ण स्वतन्त्रता की मांग की प्रतिक्रिया हम पर क्या है? उनकी मांग को न तो लोक-सभा और न ही जनता उचित समझती है और कोई भी इसे स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है। फिर भी हमारा कर्तव्य है कि नागा लोगों को हम युक्ति और प्रेम से समझायें और मुझे विश्वास है कि एक दिन वे अनुभव करेंगे कि हम उनके शुभ चिन्तक हैं, हम एक ही देश के निवासी हैं और हमें एक साथ रहना है। यह केवल भारत सरकार का ही नहीं बल्कि समस्त भारत निवासियों का कर्तव्य है।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : गत कुछ मास से लोक-सभा हमारी पूर्वी सीमान्त की इस मानवीय, मनोवैज्ञानिक और राजनैतिक समस्या के बारे में काफी चिन्ता प्रकट कर रही है, वहां हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। जब कभी इसे हल करने का प्रयत्न किया जाता है तभी सरकार कह देती है कि जब तक यह हिंसात्मक कार्यवाहियां बन्द नहीं होती तब तक कोई बातचीत नहीं की जायेगी परन्तु मैं श्री रिशांग किशिंग की बात को दोहराता हूं कि क्या यह सब सरकार की गलत कार्यवाहियों और आसाम सरकार की "आसामीकरण" की नीति के कारण नहीं हुआ है?

इस समस्या पर एक सैनिक समस्या के तौर पर कार्यवाही की गई है। गांव नष्ट कर दिये गये हैं। डा० हलालू जैसे देशभक्तों की दिन दहाड़े हत्यायें हुई हैं इस पर भी सरकार यह सोचती है कि विद्रोही नागाओं में सदभावना का समावेश होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री कामत]

सरकार ने रूस से अमरीका तक पंचशील का प्रचार किया है । प्रधान मंत्री ने उस दिन भुज में भाषण देते हुए लोगों को उपदेश दिया कि वे पंचशील के सिद्धान्तों पर चलें, परन्तु मैं कहता हूं कि वे पुलिस और सेना को पंचशील का उपदेश दें, नहीं तो सारे देश की हालत बिगड़ जायगी । अहमदाबाद, पटना, बम्बई और होशियारपुर में पुलिस का व्यवहार देख कर मुझे विश्वास होता है कि श्री रिशांग किशिंग और श्री जोगेश्वर सिंह ने जो आरोप लगाये हैं वे ठीक हैं ।

समय तेजी से बीतता जा रहा है और यदि सरकार चाहती है कि लोग यह न कहें कि वर्तमान सरकार भी अंग्रेजी सरकार की तरह बहुत देर से और बहुत कम कार्यवाही करती है, तो वह इस समस्या पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार करे और उन तरीकों को न अपनायें जो अंग्रेजों ने अपनाये थे और जो ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने केनिया और साइप्रस में माऊ-माऊ आन्दोलन को दबाने के लिये प्रयुक्त किये हैं । साइप्रस में ब्रिटिश सरकार ने विद्रोहियों से कहा है कि वह हथियार डाल दें और बातचीत के लिये उचित वातावरण पैदा करें । हमारी सरकार भी इसी प्रकार कार्य कर रही है । मैं सरकार और प्रधान मंत्री से अपील करता हूं कि वे कोई और तरीके अपनायें और उसी भावना से इस समस्या को हल करें जिस से कि उन्होंने आसाम की निर्वासित और बन्दी की गई रानी गिडोलो के पक्ष का समर्थन ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध करके किया था । उन्हें अपने वर्तमान दृष्टिकोण को, जो कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद और ब्रिटिश नौकर-शाही का दृष्टिकोण है, बदल देना चाहिये । उन्हें मानवीय दृष्टिकोण से इस पर विचार करना चाहिये और यह कार्य व्यवहारिक रूप से किया जाना चाहिये । गृह-कार्य मंत्री ने शिलांग और गोहाटी की यात्रा के पश्चात यह वक्तव्य दिया था कि जब तक वे हिंसा को नहीं छोड़ते तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती । अंग्रेज सरकार भी यही कहा करती थी । परन्तु १९४२ में उसने वर्तमान सत्तारूढ़ दल से बातचीत की और बिना आन्दोलन को वापस लिये बातचीत हुई अन्त में मैं यह अपील करता हूं कि नागा पहाड़ियों में सर्वक्षमा घोषित कर दी जाये और विद्रोही नागा लोग हथियार डाल दें ताकि बातचीत के लिये उपयुक्त वातावरण पैदा हो सके । लोक-सभा यह बात स्पष्ट कर दे कि एक अलग स्वतन्त्र राज्य की मांग स्वीकार नहीं की जायगी तो इससे बहुत अच्छे परिणाम निकलेंगे और नागा लोग भारत के मित्र बन जायेंगे ।

†**श्री क० कु० बसु** (डायमंड हार्बर) : पहले जो माननीय सदस्य बोल चुके हैं उन्होंने सेना के अत्याचारों और नागा लोगों के हिंसात्मक कार्यों का विस्तृत वर्णन किया है । श्री जयपाल सिंह ने कहा कि वे कुछ भिन्न प्रकार के लोग हैं, परन्तु वे भारत का ही अंग है । स्वतन्त्र राज्य की मांग को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा । इस क्षेत्र के प्रशासन की प्रभारी सरकार को पुलिस और सेना का दबाव डालने की बजाये समस्याओं को समझने की प्रयत्न करना चाहिये था । हमारी सरकार को भी श्री कोचर जैसे सैनिक पदाधिकारी को भेजने की बजाये इस मानवीय समस्या को समझने का प्रयत्न करना चाहिये था । आखिर उन्होंने यह स्वतन्त्र राज्य की मांग क्यों की ? सम्भव है कि वे छटी अनुसूची में किये गये उपबन्धों से अथवा आसाम प्रशासन के कर्मचारियों के व्यवहार से सन्तुष्ट न हों । उन्हें भयभीत करने की बजाये सरकार को चाहिये कि उनसे बातचीत करे । माननीय गृह-कार्य मंत्री गोहाटी अथवा शिलांग गये परन्तु उन लोगों से नहीं मिले और उन स्थानों पर नहीं गये जहां यह उपद्रव हो रहा है । हम सरकार से अनुरोध करते है कि वह लोगों से प्रत्यक्ष रूप से बातचीत करे । सम्भव है कि अब भी कुछ लोग अलग राज्य की मांग कर रहे हों और यदि सरकार वहां एक स्वायत्तशासी राज्य स्थापित कर दे और उन्हें छटी अनुसूची में उल्लिखित शक्तियों से अधिक शक्तियां प्रदान करे तो वे इसे स्वीकार कर लेंगे । वहां भाग ग में का एक राज्य बनाया जा सकता है । इसके लिये सरकार को सीधे बातचीत करनी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

कहा जाता है कि नागा लोगों में अर्ह और योग्य व्यक्तियों के होते हुए भी उस क्षेत्र के प्रशासन के लिये बाहर के लोग नियुक्त किये जाते हैं क्योंकि आसाम सरकार उन पर विश्वास नहीं करती है। सरकार को उन्हीं तरीकों को काम में नहीं लाना चाहिये जो अंग्रेज सरकार उत्तर पश्चिमी सीमान्त प्रान्त के लोगों के लिये काम में लाया करती थी।

वे लोग एक स्वतन्त्र राज्य नहीं चाहते हैं। वे केवल एक प्रशासनिक इकाई और स्वायत्त शासी शक्तियां चाहते हैं। दूसरे पक्ष के सदस्य सदा विरोधी विचारों के लिये सहनशीलता का प्रचार करते आये हैं और जब कि यह तीन लाख व्यक्ति, जिनकी समस्यायें विचित्र हैं, अपनी मांग की पूर्ति के लिये हिंसा पर उतर आये हैं तो आप उनके खिलाफ बल प्रयोग कर रहे हैं। यदि आपका व्यवहार ऐसा रहेगा तो अलग होने की प्रवृत्ति बढ़ती जायेगी। आप उनसे हथियार छोड़ने को कहें और सर्वक्षमा की घोषणा करके उनसे बातचीत करें अथवा ऐसे साधन ढूंढ़े जिनसे कि यह समस्या स्थायी तौर पर हल की जा सके और देश के विकास कार्य में उनका सहयोग भी प्राप्त किया जा सके।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने लोक-सभा में नागा पहाड़ियों की स्थिति सम्बन्धी इस वाद-विवाद का स्वागत किया है इसलिये नहीं कि सैनिक दृष्टि से वहां की स्थिति गम्भीर है बल्कि इसलिये कि यह एक ऐसी समस्या है जिसमें लोक-सभा और संसद को अभिरुचि लेनी चाहिये।

यह बात कई बार दोहराई गई कि इसे मानवीय समस्या समझा जायें और कुछ एक ने कहा कि इसे सैनिक समस्या नहीं अपितु एक राजनैतिक समस्या समझ कर कार्यवाही की जाये। यदि हमने इसे एक सैनिक समस्या समझ कर कार्यवाही की होती तो यह परिणाम न हुए होते। क्योंकि हमने इसे पूर्णतः सैनिक समस्या समझ कर इस पर कार्यवाही नहीं की क्योंकि हमने अपनी सेना और अन्य लोगों को कई प्रकार की हिदायतें दीं, प्रतिबन्ध लगाये और कहा कि वे इसे एक सैनिक समस्या समझ कर कार्यवाही न करें इसी लिये सैनिक दृष्टिकोण से इसके सुलझाने में उतनी प्रगति नहीं हुई जितनी की होनी चाहिये थी। मैं जानता हूं कि यदि हम एक सैनिक समस्या के रूप में कार्य-वाही करते और नागा लोगों की सद्भावना और सहयोग प्राप्त न करते हो हम अवश्य ही असफल रहते। यह कभी भी नहीं सोचा जाना चाहिये कि हम ऐसी किसी समस्या को शस्त्र प्रयोग के द्वारा लोगों को दबा कर ही हल कर सकते हैं। हमारा यह दृष्टिकोण नहीं है।

मैं चाहता हूं कि सभा को यह याद रहे कि उन्हें केवल नागा पहाड़ियों में ही नहीं बल्कि उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण और उसके आस पास के क्षेत्रों में हमारी सामान्य नीति को देखते हुए इस समस्या पर विचार करना चाहिये। गत आठ वर्ष में इनमें से बहुत से क्षेत्र पहली ही बार प्रशासन के अधीन लाये गये। जिस प्रकार शान्ति पूर्वक और बिना अधिक घटनाओं के यह प्रशासन पद्धति फैली उसका उदाहरण आपकी और कहीं नहीं मिलेगा। यह इस कारण हुआ कि हमने कड़ी हिदायतें और आदेश दे रखे थे कि हमें लोगों के मन को जीतना है, हमें उनक सहयोग प्राप्त करना है और उनकी सद्भावना के आधार पर आगे बढ़ना है। घटनायें हुई परन्तु बहुत कम।

सभा को स्मरण होगा कि तीन वर्ष से कुछ अधिक समय पहले एक भारी घटना हुई थी। अक्तूबर १९५३ में उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण क्षेत्र के औचिनमूर स्थान में हमारा एक पदा-धिकारी कुछ सैनिकों के साथ गोली चलाने अथवा हत्या करने के लिये नहीं, अपितु साधारण गश्त के लिये जा रहा था। अकस्मात् बिना किसी प्रकार की सूचना के उन पर आक्रमण किया गया। वह बेचारा तम्बू में चाय बना रहा था और दूसरे व्यक्ति तम्बू लगा रहे थे। परिणाम यह

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

हुआ कि ४० मजदूर और ३० सैनिक कर्मचारी--७० व्यक्ति मारे गये। यह संख्या कम नहीं है। इस प्रकार की बातों पर सरकार की बड़ी भीषण प्रतिक्रिया होती है। परन्तु संसार की कोई भी सरकार इस प्रकार के मामले का इस तरीके से निबटारा नहीं करेगी जैसे कि हमने किया। पहले हमने जब यह समाचार सुना तो हम आवेश में आ गये, हमें क्रोध आ गया।

इससे हमारी सेना स्वाभावतः कुछ क्रोधित हो गई। यह युद्ध नहीं था, यह तो सरासर जान बूझ कर हत्या करना था--लोग एकाएकी आ गये और जो लोग शान्ति से बैठे हुए थे उनको घेर लिया और अनेक को मौत के घाट उतार दिया। परन्तु हम इस पहले धक्के से शीघ्र ही सचेत हो गये और हमने अपनी सेनायें वहां भेजने की व्यवस्था की। परन्तु हमने अपनी सेनाओं से कह दिया कि उन्हें यह समझ लेना चाहिये कि यह व्यक्ति कौन हैं। वहां जाकर उनको मौत के घाट उतार देने और उनके गांवों को जला देने में कोई तुक नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि अंग्रेजों के राज्य काल में गांवों को जाकर जला देना एक मामूली सी बात थी। वास्तव में वहां बमबारी से किसी व्यक्ति की जान नहीं जाती हैं क्योंकि वहां वह लोग घनी बस्तियां बसा कर नहीं रहते हैं। इसलिये, यह कहा गया कि जाकर सिर्फ उनके गांवों को जला दें। पर हमने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। यह स्थान देश के बहुत अन्दर की ओर था और उन इलाकों में पहुंचना बहुत कठिन था। वह मैदानी इलाका नहीं था। इसलिये हमने ऐसा नहीं किया। हमने कठिनाइयों का सामना किया, और हफ्तों तक चट्टानों और पत्थरों से सिर टकराने के बाद, हमारी कुछ सेनायें वहां पहुंच सकीं। उस स्थिति का सामना करने में हमें महीनों लग गये। पर हमने स्थिति का सामना किया और यह सामना हमने मुख्यतया शान्तिपूर्ण तरीके से किया और अन्त में हमने उन व्यक्तियों को पकड़ लिया कि जिन के अपराधी होने का सन्देह था, पर हमने उनको आदिम जाति परिषदों को मुकदमा चलाये जाने के लिये सौंप दिया।

मैंने इस घटना का उल्लेख कोई तीन वर्ष पूर्व यह दिखाने के लिये किया था कि हमने ऐसे मामलों में किस प्रकार कार्यवाही की है। इस घटना विशेष का नागाओं की समस्या से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं केवल यह बता रहा हूं कि हम सेनाओं को, असैनिक कर्मचारियों को और अपने सशस्त्र बलों को, स्थिति का शान्तिपूर्ण ढंग से मुकाबला करने के आदेश देते हैं।

गत वर्ष तुएनसांग क्षेत्र में, जो मुख्यतया एक नागा क्षेत्र है, कुछ गड़बड़ी हुई थी। अब श्री कामत और श्री क० कु० बसु के लिये यह कहना शोभा देता है, "कि इसे आप मानवीय ढंग से हल करें। वहां सेना क्यों भेजते हैं?" पर जब दूसरे लोग मार काट पर उतारू हो जायें तो फिर क्या किया जाय? क्या हम उन्हें सद्भावना का सन्देश भेजें, या इस मार काट को रोकने का प्रयत्न करें? उस क्षेत्र के निवासियों से हमारे पास सहायता की अपीलें आ रही हैं। हमें गांव वालों से समाचार प्राप्त हुए, और हमें सरकारी कर्मचारियों, अध्यापकों तथा अन्य व्यक्तियों से यही समाचार मिले कि "हमें बचाओ"। अब हम क्या करें? क्या हम उन्हें अभय दान न दें? यह घटना हुई तुएनसांग क्षेत्र में। हमें चुपचाप, बिना किसी प्रकार का शोर गुल मचाये, रायफिलों से सुसज्जित अपनी कुछ सेनायें वहां भेजनी पड़ी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सैनिक कार्यवाही करके या सैन्य अभियान के द्वारा इस कठिनाई को दूर करना हमारे लिये बहुत आसान था। परन्तु हमने धीरे धीरे कार्यवाही की क्योंकि हमारा उद्देश्य उन्हें केवल कुचल देना ही नहीं अपितु उन्हें अपना मित्र बना लेना था। इसमें सन्देह नहीं कि हमें उनमें से कुछ को गोली से उड़ा भी देना पड़ा क्योंकि उन्होंने हम पर गोली चलाई थी; पर यह एक दूसरी बात है। इस प्रकार तुएनसांग की समस्या कुछ ही महीनों में बिना किसी शोर शराबे के हल हो गई।

जब कि तुएनसांग क्षेत्र में लड़ाई हो रही थी तो नागा पहाड़ियों में तुलनात्मक शान्ति थी। कहने का आशय यह है, कि न कोई बड़ी घटनायें हुई थीं और न कोई हिंसात्मक कार्यवाहियां की गई थीं। हो सकता है कि छोटी मोटी घटनायें होती रही हों। उसी समय फिजो आसाम के राज्यपाल और मुख्य मंत्री से भेंट करने आया था। वास्तव में, उसने वक्तव्य जारी किया था, जिसमें उसने अहिंसा के प्रति अपनी आस्था प्रकट की थी। परन्तु हमें मालूम हुआ कि जब वह अहिंसा का राग अलाप रहा था और वास्तव में इसी आशय के वक्तव्य जारी कर रहा था, दूसरी ओर वह गुप्त रूप से हिंसात्मक कार्यवाहियों का संगठन कर रहा था। इसमें कोई सन्देह नहीं। यह बिल्कुल सच है। वह लोगों को प्रोत्साहन दे रहा था और यह कहता था कि "यह सारा काम मैं कर रहा हूं। यही एक चालाकी है जिससे आपको आगे बढ़ने का एक अधिक अवसर मिलेगा। अतः आओ हम यह खेल खेलें और इस कार्यवाही को जारी रखें।" तो इस प्रकार के काम वे वहां पर कर रहे थे।

अब मैं माननीय सदस्यों को यह बताने का प्रयत्न करूंगा कि नागा लोग वास्तव में हैं कौन। इस सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि नागा लोग कोई नहीं है और न ही आदिम जातियों का कोई ऐसा दल है जो कि पारस्परिक रूप से सम्बद्ध है। मैं कह नहीं सकता कि 'नागा' शब्द कब से प्रयोग में आना प्रारम्भ हुआ। परन्तु मेरा विचार है कि यह एक ब्रिटिश शब्द है अर्थात् ब्रिटिश काल में ही उस शब्द का प्रयोग प्रारम्भ हुआ था। यह विचार ठीक है या गलत इसके बारे में मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। परन्तु उनकी जातियों को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है जैसे अकामा, आओ, तथा अंगामी। ये नाम उनकी प्रमुख जातियों के हैं। वे एक दूसरे को नागा नहीं कहते। इस नाम का तो हम और आप प्रयोग करते हैं। संभवतः यह शब्द अंग्रेजों द्वारा उपहास युक्त घृणा के रूप में प्रयुक्त किया गया था क्योंकि नागा का अर्थ है नंगा। वहां की प्रमुख जातियां है अकामा, आओ तथा अंगामी। उस क्षेत्र में कोई एक सामान्य भाषा, नागा भाषा नहीं है। वहां पर प्रत्येक दो चार मीलों के अन्तर के बाद भाषा बदल जाती है। वहां पर दूर दूर स्थित स्थानों पर एक सामान्य भाषा कदापि न मिल सकेगी।

नागा लोगों में कई ऐसी आदिम जातियां थी, जो संभवतः शासक जातियां कहलाती थीं जो कि अन्य जातियों की अपेक्षा सैनिक दृष्टि से बलवान तथा शक्तिशाली हैं। अतः निश्चय ही कई आदिम जातियां अन्य आदिम जातियों पर प्रभावी रही हैं। वहां पर ऐसी बलवान आदिम जातियां थी जो कि अन्य आदिम जातियों से भेंट आदि लेती रही थीं और जब उन्हें भेंट नहीं दी जाती थी तो वे अन्य आदिम जातियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करती थी और उन्हें श्रद्धांजलि भट करने के लिये बाध्य करती थीं। वहां पर ऐसी स्थिति थी। ऐसी स्थिति में उन क्षेत्रों में हमारा शासन स्थापित हुआ।

जहां तक 'नागा' शब्द का सम्बन्ध है मैं तो उसे एक प्रजातीय रूप में प्रयुक्त करूंगा, क्योंकि हम अपने अभिलेखों में इस शब्द का प्रयोग करते आ रहे हैं। इस समय उस सारे क्षेत्र (केवल नागा क्षेत्र नहीं) की जनसंख्या ५० लाख से कुछ अधिक है। नागा पहाड़ी जिले की जनसंख्या दो लाख से कुछ अधिक है। त्वेन सांग सीमान्त विभाग में भी जनसंख्या दो लाख से कुछ अधिक है। तीरप सीमां विभाग में ५०,००० है और मनीपुर राज्य में ८०,००० है। अतः कुल आबादी ५,००,००० से कुछ अधिक है जो कि अलग अलग स्थानों पर बिखरी हुई है। परन्तु स्वयं नागा पहाड़ी क्षेत्र में केवल दो लाख ही है।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि नागाओं के बारे में मैंने २० या २५ वर्ष पहले ही कुछ सुना था और उनकी ओर मेरी रुचि उसी समय से किसी अंश में है। फिर उस महिला का मामला आया जिसे एक लम्बे समय तक कैद में रखने के बाद कई वर्ष हुए छोड़ा गया था। मुझे हर्ष है कि

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

उसके निवास के लिये निवास स्थान सम्बन्धी सहायता दी गयी और पूर्ववर्ती सरकार के अत्याचारों से उसे जो हानि हुई थी उसकी पूर्ति के लिये हमने पर्याप्त सहायता दी है। यद्यपि नागाओं में मेरी पहले ही रुचि हो गयी थी, परन्तु उनके बारे में मैं अधिक नहीं जानता था।

श्री जयपाल सिंह ने इस बात का उल्लेख किया है कि वे लोग मुझे मिलने के लिये आये थे। उसके बाद मैं उनसे कई बार मिल चुका हूं। श्री फीजो तथा उनके साथी मुझसे यहां पर दो बार मिल चुके हैं। श्री केशिंग ने कोहिमा की घटना का उल्लेख किया है कि वे मुझे मिलने के लिये आये थे और मुझे एक अभिनन्दन पत्र देना चाहते थे, परन्तु उन्हें रोक दिया गया था जिस के कारण वे नाराज होकर वापिस चले गये थे। परन्तु वास्तविक बात यह है कि मैं कोहिमा गया तो था परन्तु वह कोई सामान्य दौरा न था। वहां पर बर्मा के प्रधान मंत्री भी आये हुये थे। सीमान्त को पार करते हुए वे मनीपुर आये और वहीं मेरी उनसे भेंट हुई थी। हम एक या दो दिनों तक बर्मा जाने वाले थे, अतः उस दौरान में हम कोहिमा चले गये और वहां जाकर आराम किया। मैंने वहां के प्राधिकारियों को यह सुझाव दिया कि बर्मा के प्रधान मंत्री का स्वागत किया जाये। वह हमारे अतिथि थे, इसलिये कुछ एक लोग उनके लिये स्वागत कारी शब्द कहने के लिये एकत्रित हुए। अतः वह कोई सामान्य सा अवसर न था। बाद में मुझे जो पता लगा कि वह यह है कि वहां पर उसी समय कुछ एक लोग मुझे एक अभिनन्दन पत्र पढ़कर सुनाना चाहते थे। परन्तु वहां के उपायुक्त ने उन्हें बताया कि "आप यह पत्र उन्हें बाद में दे सकते हैं; मैं आपको यह पढ़ने की अनुमति नहीं दे सकता जब कि यहां पर बर्मा के प्रधान मंत्री तथा अन्य विशिष्ट लोग उपस्थित हैं।" अतः यह कहना ठीक नहीं है कि मैंने उस अभिनन्दन पत्र को लेने से इनकार कर दिया था। वास्तव में लगभग एक वर्ष पूर्व एक अन्य अवसर पर कोहिमा में मैं नागा नेता से मिला था, उनसे इस मामले पर विचार विमर्श किया था और उन्होंने मुझे एक लम्बा चौड़ा लेख्य दिया था। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि उस अभिनन्दन पत्र को लेने से मैंने इनकार कर दिया था, अथवा उपायुक्त ने उस काम में बाधा डाली थी। उसने तो केवल यही कहा था कि वह पत्र पढ़ा न जाये। मुझे तो उस समय कुछ पता ही नहीं था। मुझे इसके बारे में बाद में पता लगा। जब मैं और श्री यू० नू० उस सभा के स्थान पर पहुंचे तो वहां पर उपस्थित कुछ सौ लोग उठ खड़े हुए और वहां से चले गये। उससे मेरा मन बड़ा उदास हुआ, इसलिये नहीं कि मेरा अपमान हुआ था, अपितु इसलिये कि मैं अपने साथ बर्मा के प्रधान मंत्री को ले गया था, जो कि हमारे माननीय अतिथि थे, और उन लोगों ने उनके प्रति जो अनुदारता दिखाई थी उससे मेरा मन बड़ा दुःखी हुआ।

श्री बसु ने सेना द्वारा किये गये अत्याचारों का उल्लेख किया है और श्री कामत ने साइप्रैस और केन्या निवासियों का निर्देश किया है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है वह कहां तक न्यायोचित है। श्री किशिंग ने ग्रामों के जलाये जाने और लोगों को गोली से उड़ा दिये जाने का उल्लेख किया है। निश्चय ही, सैनिक कार्यवाहियां की जाती हैं वे ऐसी नहीं हैं जैसी कि हम किसी कमरे में कोई कार्य कर रहे हैं और न ही हम उन्हें पूर्णरूपेण न्यायोचित ठहरा सकते हैं। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। कभी-कभी कई व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से कई गलतियां हो जाती हैं। मैं मानता हूं कि कई गलतियां हो गयी हैं और उनमें से एक भारी गलती जिस पर हम पछता रहे हैं और बड़े दुःखी हैं, वह है डा० हरालु की हत्या। उनके पुत्र हमारी सरकार के महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं—वे सह राजनीतिक पदाधिकारी हैं और उनकी पुत्री मेरे साथ वैदेशिक कार्य मंत्रालय में काम कर रही है। जब यह दुःखद घटना हुई थी, उस समय मैं यहां पर न था। जब वापिस आने पर मुझे इस घटना का ज्ञान हुआ तो मानो मुझे बहुत भारी धक्का लगा। हम इस बारे में उचित कार्यवाही कर रहे हैं; जांच के न्यायालयों में जांच हो रही है। सैनिक कार्यवाहियां पूर्ण अवश्य होती है परन्तु उनमें देर अवश्य लग जाती है। निःसन्देह, अपराधी लोगों को दण्ड अवश्य दिया जायेगा।

मैं यह नहीं कह रहा कि वहां सैनिक अथवा असैनिक प्राधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप में अथवा सामूहिक रूप में कोई भी गलती नहीं की गयी है। परन्तु मैं लोगों के मन से इस मिथ्या भ्रांति को अवश्य निकाल देना चाहता हूं कि वहां पर हमारी सेना अथवा कोई अन्य व्यक्ति लोगों की जानों से खेल रहा है और उनके ग्रामों को जला रहा है। हमें तो यह जानकारी प्राप्त हुई है कि वहां पर अधिक तर गांव विद्रोही नागाओं ने स्वयं जलाये हैं। सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि वे स्वयं गांव जला रहे हैं। श्री जयपाल सिंह ने यह कहा है कि वहां पर अधिक सेना भेजी गयी है यह सच है कि वहां पर अधिक सेना भेजी जा रही है, परन्तु प्रश्न यह है कि वह सेना किस लिये भेजी जा रही है ? मुख्य रूप से वहां की जनता की रक्षा के लिये है। विद्रोही नागा दस या बीस के दलों में जाते हैं और किसी भी गांव पर आक्रमण कर देते हैं। परन्तु प्रत्येक गांव में सेना भेजना कठिन है। इसलिये नागा पहाड़ियों तथा उसके आस पास के क्षेत्रों में सेना भेजने का हमारा मुख्य उन क्षेत्रों की सुरक्षा का प्रयत्न करना है। मैं मानता हूं कि कई छोटी गलतियां हुई हैं और कई भयंकर गलतियां भी हुई हैं। परन्तु फिर भी हमारी सेनाओं का सामान्य व्यवहार निश्चय ही अपेक्षाकृत अच्छा रहा है। मेरा विश्वास है कि श्री किशिंग श्री फीजो के प्रचार विभाग से प्राप्त होने वाली सूचनाओं से ही प्रभावित हुए हैं क्योंकि वे सूचनायें मेरे पास भी आती हैं और वे अधिकतर मन घड़न्त कहानियां हैं जिनका सत्यता से कोई सम्बन्ध नहीं है। वे समाचार केवल उन्हीं के पास ही नहीं भेजे जाते हैं, कई बार वे अमरीका तथा कई अन्य विदेशों को भी भेज जाते हैं।

जहां तक गांवों के जलाने का सम्बन्ध है, वे तीन प्रकार से जलाये गये हैं। प्रथम यह कि विद्रोही नागा लोग स्वयं ग्रामों को आग लगा देते हैं। परन्तु इस प्रकार के विद्रोही लोग अधिक देर तक अपनी कार्यवाही नहीं चला सकते जब तक कि उन्हें गांवों से धन तथा अन्न की सहायता न मिले। अतः वे गांव गांव से धन और अन्न इकट्ठा करते फिरते हैं।

त्वेन सांग विभाग में वहां के नागा तथा अन्य लोगों ने अपने ग्रामों को विद्रोहियों से बचाने के लिये कम से कम एक सौ प्रतिरक्षा संस्थायें बनाँई हुई हैं और जब भी विद्रोही आते हैं वे लोग उनका सामना करते हैं। हमने उन स्थानीय लोगों को भी कुछ हथियार दिये हैं। इसलिये नागा पहाड़ियों में विद्रोही नागाओं और अन्य नागाओं में एक प्रकार का गृह-युद्ध सा होता रहता है ? और इसी झगड़े में कभी कभी गांव के गांव जला दिये जात हैं। संभव ह कि श्री रिशांग किशिंग द्वारा दिये गये आंकड़े ठीक हों, फरन्तु मैं कहना यह चाहता हूं कि वे गांव अधिकतर विद्रोही नागाओं द्वारा स्वयं जलाये गये हैं। गांव जलने का दूसरा रूप यह है कि जब कभी हमारी सेनाओं और विद्रोही नागाओं में दोनों ओर से गोलियां बरसाई जाती हैं तो घास फूस की उन झोपड़ियों में स्वयं ही आग लग जाती है। मैं समझता हूं कि कुछ मास पूर्व कई बार ऐसा हुआ है कि इस सन्देह में कि किन्हीं विशेष ग्रामों पर विद्रोहियों का अधिकार है, हमारी सेना ने या तो सीधे ही उन गांवों को जला दिया था या गोलियों के द्वारा जला दिया था। परन्तु अब हमने अनुदेश भेज कर इस प्रकार के कार्य को बिल्कुल समाप्त करा दिया है। परन्तु जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने मुझे स्मरण कराया है, नागा लोग बन्दूकों के अतिरिक्त जलते हुए मुखों वाले तीरों का भी प्रयोग करते हैं। और इसलिये घास फस के झोपड़ों को शीघ्रता से आग लग जाती है।

मैं यह नहीं कहता कि वहां पर सैनिक अथवा असैनिक अधिकारियों द्वारा कोई भी गलती नहीं हुई है; गलतियां हुई हैं और कई ऐसी गलतियां हुई हैं जिन पर हमें बहुत दुःख है। परन्तु इतनी अधिक उत्तेजनापूर्ण परिस्थितियां होने पर भी हमने उस समस्या के प्रति जो दृष्टिकोण अपनाया है तथा हमारे सैनिक प्राधिकारियों ने हमारे निदेशों का जैसा अनुसरण किया है— ये दोनों बातें सराहनीय हैं। वहां के विद्रोहियों ने जानबूझ कर हमारी सेना को उत्तेजित किया है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

सड़क पर जाते हुए अथवा किसी और स्थान से गुजरते हुए यदि किसी व्यक्ति पर अचानक ही गोलियां बरसने लगें या बाणों की वर्षा होने लगे तो उस व्यक्ति का उत्तेजित या क्रुद्ध हो जाना स्वाभाविक ही है। तो भी हमने अपने सैनिकों को यही निदेश भेजा है कि वे उत्तेजित तथा क्रोधित न हों, क्योंकि हम उन्हें मारना नहीं चाहते अपितु उनके मन को जीतना चाहते हैं।

इस समय भी हम नागाओं के सहयोग से ही सारा काम चला रहे हैं। नागा प्राधिकारियों के अतिरिक्त बहुत से नागा लोग हमारी सेना में आसाम राइफल्स और नागा रैजीमेन्ट में भी काम कर रहे हैं। उन्हें हमारे ये अनुदेश ह कि वे हर प्रकार से नागाओं से सहयोग प्राप्त करें और विद्रोहियों को अच्छी प्रकार से बता दें कि हम उनका पूरा पूरा मुकाबला कर सकत हैं, हम भी गोली का जवाब गोली से दे सकते हैं।

मैं समझ नहीं सका कि श्री वसु और श्री कामत के इस सुझाव से क्या तात्पर्य है कि हमें इस समस्या को एक मानवीय समस्या समझना चाहिये और वहां से सारी सेना वापिस मंगा लेनी चाहिये मैं तो इस प्रकार के सुझाव से हैरान हूं---इसका अर्थ तो यह हुआ कि हम उन लाखों लोगों को जो कि सुरक्षा आदि के लिये हम पर निर्भर करते हैं, अरक्षित रूप में नष्ट भ्रष्ट होने के लिये छोड़ दिया जाये। यह तो एक बड़ी अद्भुत सी बात होगी जिसके परिणाम बड़े ही भयंकर होंगे। अतः इस प्रकार का सुझाव स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अतः इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है वह लगभग उसी प्रकार का है जैसा कि बहुत से सदस्यों ने सुझाव दिया है। यद्यपि कुछ गलतियां हुई हैं तो भी हम उसी दृष्टिकोण का अनूकरण करना चाहते हैं।

माननीय सदस्य श्री रिशांग किशिंग ने उस करार का उल्लेख किया है क्योंकि ो कि नागा राष्ट्रीय परिषद तथा सर अकबर हैदरी के बीच में हुआ था। मैं उनके इस कथन से सहमत नहीं हूं कि उस करार को अस्वीकृत कर दिया गया है। उस करार पर संविधान सभा में, विशेष कर संविधान सभा की एक विशेष समिति में विचार किया गया था और उस करार को ध्यान में रखकर ही संविधान की छटी अनुसूची तयार की गयी थी। मैं तो उस समिति में न था, अतः मुझे तो कुछ निश्चयपूर्वक .पता नहीं कि वहां क्या हुआ था। परन्तु वास्तव में उसका उद्देश्य यह था कि उन क्षेत्रों को स्वायतता दी जाये और उन्हें अपने ढंग से जीवन व्यतीत करने की अनुमति दी जाये।

अब यह हो सकता है कि कोई व्यक्ति यह कहे कि षष्ठ अनुसूची अन्ततः जिस रूप में पारित हुई थी, अत्यधिक--पर्याप्त संतोषप्रद नहीं थी। मैं इस तक को समझ सकता हूं। तब हमें षष्ठ अनुसूची पर विचार करना चाहिए; हम इसे संशोधित करें या इसके सम्बन्ध में जो कुछ भी करना चाहें, करें। संसद जो कुछ भी चाहे कर सकती है।

इस सारी अवधि में यह प्रश्न निरन्तर उठाया गया है। पिछले आठ या नौ वर्षों में इसे प्रायः उठाया गया है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जो एकदम अब हो गई हो। जैसा कि मैंने कहा था मैं तीन बार श्री फीजो से मिला था और कम से कम एक बार, या हो सकता है दो बार, मैं अन्य नागा नेताओं से, अर्थात् श्री फिजो के साथियों से मिल चुका हूं। कम से कम चार बार, या सम्भवतः पांच बार मैंने उनसे इस मामले पर बातचीत की थी और उन्हें यह बताया था कि इन क्षेत्रों से सम्बन्धित उपबन्ध में संशोधन करने के लिये हम किसी रचनात्मक प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सदैव तैयार हैं, परन्तु स्वतंत्रता के संबंध में मुझ से बात करने कोई भी लाभ नहीं है। निश्चित रूप से मैंने उस बात पर जोर दिया था। स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में मुझसे बात करने का कोई लाभ नहीं है। चीन और बर्मा और भारत के बीच उस छोटे से कोने को---इसका एक भाग बर्मा में है---एक स्वतन्त्र राज्य कहना मैं वतुकी बात समझता हूं।

यह सच है कि बाद में जब वे मुझसे मिलना चाहते थे तो कुछ शर्तें रखी गई थीं। इनमें से एक यह थी कि मैं स्वतन्त्रता पर विचार विमर्श करने के लिये तैयार नहीं हूं। यह पहली शर्त थी। दूसरी यह थी : आपको हिंसा का परित्याग करना होगा। यह इस मुख्य हिंसा तथा अन्य बातों, जब हिंसा की छोटी-छोटी कार्यवाहियां हो रही थीं, से पहले की बात थी। सामान्यतया मैं किसी से भी मिलन के लिय तैयार हूं : इस बात से कुछ अन्तर नहीं पड़ता कि क्या हम सहमत होते ह या असहमत होते हैं। परन्तु मुझे बताया गया कि मैंने उनसे जब भी भेंट की उसके बाद हर बार उन लोगों ने वापिस जाकर उन क्षत्रों में यह कहा कि क्योंकि उन्होंने प्रधान मंत्री से भेंट की है, इसलिए वे स्वतन्त्रता के मार्ग पर अग्रसर हैं। वे स्थानीय सरकार और स्थानीय पदाधिकारियों की उपेक्षा करते हैं और मझसे उन्होंने जो भेंट की थी उसका हवाला देकर सामान्यतया वहां अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयत्न करते हैं। स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में उनके निर्णय ने निश्चित रूप से विघ्न डाला था। यदि वे मुझसे भेंट का इस प्रकार लाभ उठाते हैं तो क्या मुझे उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिये ? फिर भी मैंने उनसे कहा था : आप से भेंट करने में मुझे प्रसन्नता होगी लकिन शर्त यह ह कि आप इस बात को स्पष्ट करें कि आप स्वतन्त्रता की मांग नहीं करते हैं। विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार से चार या पांच बार उनसे भेंट करने के बाद यह स्थिति थी। अन्यथा उनसे भट करने में कठिनाई नहीं होगी।

वास्तव में, मुझसे अतिरिक्त राज्यपाल ने नागा नेताओं से भेंट प्राय: भेट की थी, और आप जानते हैं कि आसाम का राज्यपाल हमारा विशेष प्रतिनिधि है, उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण के सम्बन्ध में भारत सरकार का प्रतिनिधि है और यद्यपि उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण तथा नागा पहाड़ियों की समस्यायें विभिन्न हैं तथापि उनमें कुछ एकरूपता है और इसलिए राज्यपाल इन मामलों में अत्यधिक दिलचस्पी लेते रहे हैं। उन्होंने फिजो से भेंट की थी। पिछले वर्ष मुख्य मंत्री ने भी, मेरे विचार में उनसे एक से अधिक बार भेंट की थी। इसलिए उनसे भेंट करने या उन्हें समझने का प्रयत्न करने या हिंसा से उन्हें रोकने और ऐसी सभी बातों के लिए हमारी ओर से प्रत्येक प्रयत्न किया गया है। मैं यह नहीं कहता कि आसाम सरकार की नीति या हमारी सरकार की नीति या हमने जो भी कार्यवाही की वह पूर्णत: ठीक या सुखद ही थी। नि:सन्देह हमने गलतियां की हैं। ये छोटी छोटी गलतियां हो ही जाती हैं। परन्तु हमारे सामने मुख्यत: उद्देश्य उनके मन तथा हृदय को जीतना था उन्हें भयभीत या आतंकित करना नहीं था। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस नीति के सम्बन्ध में कुछ समय हुआ कहा था—जिसे आसामीकरण कहते हैं—यह सच है कि इस नीति का विचारहीनता से अनुसरण किया गया है। परन्तु इस सारे मामले में ये अपेक्षया गौण बाते हैं और सम्पूर्ण उद्देश्य उनसे सीधे ही व्यवहार करना था, वहां पर ऐसा वातावरण स्थापित करना था जिससे उनकी प्रगति हो और जिसमें वे बिना किसी हस्तक्षेप के स्वयं अपना जीवन व्यतीत कर सकें।

एक बात जिसके सम्बन्ध में मुझे अत्याधिक रुचि थी वह थी मुख्यत: उनके अपने लोगों द्वारा बुनियादी स्कूलों की स्थापना। वास्तव में कई नागा युवक कुछ वर्ष साबरमती में बिताने के लिए गये थ और वे बुनियादी स्कूल के अध्यापकों के रूप में वापिस गये हैं। हम चाहते थे कि वे वहां स्कूल स्थापित करें क्योंकि मैं सोचता था कि इससे उनकी सहायता होगी।

दूसरी बात सामुदायिक परियोजनाओं की थी। मैं सोचता था कि ये दोनों बातें उस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त हैं और बाहिर से थोड़ी सी सहायता लेकर वे स्वयं उन पर कार्य कर सकते हैं। नि:सन्देह फिर संचार, स्कूल आदि जैसी मुख्य योजनाएं भी हैं। इस प्रकार हमारा यह दृष्टिकोण रहा है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

मैंने सैनिक पहलू की चर्चा नहीं की है। इसमें चर्चा किये जाने की बहुत बात भी नहीं है। परन्तु मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जो बातें मैंने अभी कही हैं, सेना को हमारी वही हिदायतें रही हैं कि वे अवश्य ही उसे एक मानवीय समस्या समझें; और सेना किसी राजनीतिक समस्या के सम्बन्ध में कार्य कर भी नहीं सकती है। वैसा हमें करना है और हम उसका समाधान करने के लिये तैयार हैं और हम इसे एक राजनीतिक समस्या तथा एक मानव समस्या समझते हैं, सैनिक समस्या कहीं कम समझते हैं।

फिर कुछ माननीय सदस्यों ने सामान्य राजक्षमा की चर्चा की थी। जी, हां निश्चित रूप से वहां राजक्षमा है। राजक्षमा की उद्घोषणा की जा चुकी है। कुछ माननीय सदस्यों ने सामान्य राजक्षमा की जो मांग की है, उसे मैं नहीं समझ सका हूं। मुझे मालूम नहीं कि इससे उनका क्या अभिप्राय है कि यह एक ही समय में होनी चाहिये जैसे कि जब सामान्य राजक्षमा होती है तो स्वतः ही तथा तुरंत ही प्रत्येक व्यक्ति आत्म समर्पण कर देता है।

†**श्री क० कु० बसु :** हमने यह कह कर प्रस्ताव किया था....

†**श्री कामत :** हम सरकार तथा विद्रोहियों दोनों से एक साथ अपील करते है।

†**श्री क० कु० बसु :** हमें उनसे अपील करनी चाहिये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि जब राजक्षमा की उद्घोषणा की गई थी तब कुछ अपवाद भी थे, मेरे विचार में उन व्यक्तियों के लिए अपवाद थे जिन्होंने हत्या की हो या कुछ और ऐसी बात की हो। मैं वाक्यांश भूल गया हूं; कुछ अपवाद थे....

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० व० पन्त) :** अतिनृशंस अपराध।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** अतिनृशंस अपराध या कुछ ऐसा ही शब्द। जो कोई भी आत्म समर्पण करे उसके लिये अब भी राजक्षमा के सम्बन्ध में वह प्रस्थापना है। यद्यपि समय समय पर अवधि समाप्त हो जाती है तथापि हम उसे बढ़ा देते हैं। वास्तव में जो व्यक्ति भी हथियार डाल देता है, उसके लिये वहां राजक्षमा विद्यमान है। इसलिए इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। हम वहां किसी एक व्यक्ति को या किसी दल को दण्ड नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वे वहां शान्तिपूर्वक बस जायें क्योंकि इस समस्या के सम्बन्ध में कार्यवाही करने से हमें कोई प्रसन्नता नहीं होती है और न ही यह देख कर प्रसन्नता होती है कि वहां पर रहने वाले लोगों की अत्यधिक संख्या असामान्य जीवन व्यतीत कर रही है, क्योंकि स्वाभावतः एक ओर तो उन्हें नागा विद्रोहियों के आने और उनके द्वारा रकम दिये जाने के लिये विवश करने या उनसे अन्यथा वस्तुओं के बलात् आदान का भय रहता है और दूसरी ओर उन्हें आस पास ही होने वाली लड़ाई या कुछ दुर्घटनाओं के होने या उनके गांवों के जलने का भय रहता है—सभी प्रकार की बातें होती हैं और इस प्रकार की बात को कोई भी पसन्द नहीं करता है। जितनी जल्दी यह समाप्त हो उतना ही अच्छा है।

क्या कोई माननीय सदस्य सरकार से यह आशा करता है कि वह नागा राष्ट्रीय परिषद् के नेताओं को आमंत्रित करे और उनसे एक विभिन्न राज्य के नेताओं के रूप में व्यवहार करे और उनसे संधि करे? मुझे समझ में नहीं आता कि इन बातों से वास्तव में अभिप्राय क्या है। हम किसी से भी बात करने के लिये तैयार हैं परन्तु स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में नहीं; यही एक मात्र शर्त है। यदि वे आना चाहें तो आ सकते हैं। परन्तु यदि वे कोई कुछ गलत बात करते हैं तो उन्हें उससे रोकने की अपेक्षा क्या हमें उन्हें प्रोत्साहीत करना चाहिए? बीते दिनों में हमने यही देखा है और यही हमारी कठिनाई है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

यह आत्म सम्मान का प्रश्न नहीं है। अपने गरीब देशवासियों से व्यवहार करने के माग में भारत सरकार के सम्मान के प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसी छोटी छोटी बातों से भारत सरकार के सम्मान को बट्टा नहीं लग सकता, भारत सरकार इन बातों से कहीं ऊपर है।

प्रश्न यह है कि कोई ऐसी कार्यवाही न की जाय कि जिसे गलत समझा जाये, गलत बयान किया जाय और जिसकी नागाओं में हमारे अपने साथी ही, वे सभी जो हमसे सहयोग कर रहे हैं, आलोचना करें। निश्चित रूप से सभा हम से यह आशा नहीं करेगी कि हम उन सभी नागाओं से विश्वासघात करें जिन्होंने कठिनाइयों के होते हुए भी हमारे पदाधिकारियों और हमारे असैनिक व्यक्तियों से सहयोग किया है, जिन्होंने हमसे सहायता तथा सुरक्षा की आशा की है। हम चाहते हैं कि भविष्य में वहां नागाओं से हमारा सहयोग का यह तत्व अधिकाधिक बढ़े।

अब राजनीतिक पहलू के सम्बन्ध में, एक माननीय सदस्य ने कहा था कि नागा पहाड़ी जिले का तुएनसांग डिवीजन एक पृथक राजनीतिक खण्ड बना दिया जाय। मेरे विचार में उन्होंने तिरप सीमा भू-भाग की भी चर्चा की थी। ये राजनीतिक समस्यायें हैं जिन पर हम सोच विचार कर सकते हैं। परन्तु इस विशिष्ट संदर्भ में हम उन पर विचार नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए संविधान में परिवर्तन, संशोधन आदि अपेक्षित होगा, यदि आवश्यक हुआ तो हम संविधान में परिवर्तन कर देंगे और मुझे इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं कि सभा सदन इस परिवर्तन के लिए सहमत होगी लेकिन शर्त यह है कि इस मामले में उचित परिस्थितियां विद्यमान हों, स्वाभावतः हमें आसाम सरकार से परामर्श करना होगा।

हम इसे टाल नहीं सकते हैं क्योंकि मुख्य बात वहां पर रहने वाली जनता की समृद्धि है। चाहे आप एक इकाई बनायें या दो इकाइयां बनायें, यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। उन्हें यह अनुभव करना चाहिए कि वे अपना जीवन स्वयं बिता सकते हैं और उन्हें स्वायत्तता प्राप्त होनी चाहिए और भारत के नागरिक होने पर उन्हें गर्व होना चाहिए।

अब, श्री जयपाल सिंह ने द्वैधराय, वहां असैनिकों तथा सेना के बीच प्राधिकार के विभाजन की चर्चा की है। मैं कह नहीं सकता कि वहां कार्य दक्षता के मार्ग में वर्तमान प्रबन्ध कहां तक बाधक है। हमारी यह इच्छा थी कि सेना से अधिक काम न लिया जाय। इसलिए हमें असैनिक सत्ता की सहायता के लिए अपनी सेना भेजनी पड़ी।

सेना-विधि की घोषणा करना या समस्त क्षेत्र को सेना को सौंपना हमारे लिये काफी आसान था परन्तु, माननीय सदस्यों द्वारा जिस बात पर इतना अधिक जोर दिया गया है, हम सदैव यह सोचते थे कि इसे केवल एक सैनिक समस्या ही न समझें। इसलिए हमने उन्हें असैनिक सत्ता की सहायता के लिए भेजा था। यह वर्तमान स्थिति है। परन्तु, निःसन्देह, वास्तव में वहां असैनिक सत्ता बहुत ही सीमित क्षेत्र में कृत्यकारी है; हो सकता है कुछ केन्द्रों में ही हो, परन्तु उसका क्षेत्र अधिक विस्तृत नहीं है। स्वाभावतः सशस्त्र सेना जिस रूप में कार्यान्वित है, यदि कृत्यकारी हो, और विद्रोही तत्व कृत्यकारी हों तो असैनिक सत्ता की गतिविधियां वास्तव में सीमित होती हैं, परन्तु माननीय सदस्य श्री जयपाल सिंह ने जो कुछ कहा है उस पर विचार किया जाना चाहिए और निश्चित रूप से हम उस पर विचार करेंगे। मुझे अपने साथी गृह-कार्य मंत्री से मालूम हुआ है कि वहां असैनिक सत्ता का प्रमुख कृत्य सहायता तथा पुनर्वास कार्य है। वास्तव में सेना भी निस-न्देह यह कर रही है और यहां मैं यह कहूंगा कि गांवों के निर्माण तथा सहायता देने के सम्बन्ध में सेना तथा असैनिक प्राधिकारियों का कार्य उचित रूप से सराहनीय है। वे जो सहायता दे रहे हैं वह अत्यधिक है और इतनी सहायता कभी नहीं की गई है।

†**श्री जयपाल सिंह** : चाहे पुनर्वास कार्य हो या गांवों या मकानों का निर्माण हो या कुछ भी हो सशस्त्र सेनायें, असैनिक प्रशासन से कई गुना अधिक अच्छा कार्य कर सकती हैं। वे स्थिति का सामना अधिक अच्छी तरह और अधिक योग्यता से कर सकते हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: हो सकता है ऐसा हो। क्या माननीय सदस्य का निर्देश इस सहायता तथा पुनर्वास की ओर है या सभी बातों की ओर ?

†**श्री जयपाल सिंह** : मैं समस्त भारत नहीं बल्कि जिस रूप में हम नागा स्थिति पर विचार कर रहे हैं इन सभी बातों की ओर निर्देश कर रहा हूं। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उसका सम्बन्ध नागा स्थिति से है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत होने के लिये तैयार हूं कि असैनिक प्राधिकार की अपेक्षा सेना द्वारा इस प्रकार का कोई भी कार्य अधिक दक्षता से पूरा किया जा सकता है। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है।

†**श्री शं० शां० मोरे** : परन्तु क्या वे इसे मानवीय रीति से करेंगे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: वे अवश्य करेंगे और मानवोचित रीति से भी करेंगे, मुझे इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है और मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ था कि विधि-क्षेत्र में भी सेना के सेना-न्यायालय हमारे कुछ असैनिक न्यायालयों से कहीं अधिक दक्ष हैं।

†**श्री शं० शां० मोरे** : क्या हमने सभी स्थानों पर दंडप्रक्रिया संहिता निलम्बित कर दी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरे साथी डा० काटजू जो प्रतिरक्षा मंत्री होने के अतिरिक्त एक सुविख्यात वकील भी हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि उन्हें सेना में विधि के उच्च गुण देख कर आश्चर्य हुआ है।

†**श्री शं० शां० मोरे** : अब वह वकील नहीं हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे इस विशिष्ट कार्य के बारे में कोई सन्देह नहीं है परन्तु--- इसमें परन्तु शब्द भी है---अल्पविधि के लिए वह अच्छा है और दीर्घावधि के लिए वह अच्छा नहीं है। यदि लम्बी अवधि के लिये ये क्रियायें सेना को सौंपी जायें तो इसके कुछ परिणाम ऐसे होंगे जो कि अच्छे न होंगे परन्तु वह सेना का दोष नहीं है।

एक बात और, वहां एक संसदीय आयोग भेजने का प्रस्ताव किया गया था।

†**श्री जयपाल सिंह** : जिसके नेता श्री मोरे हों।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैं यह नहीं समझ सका हूं कि संसदीय आयोग क्या करेगा और वह कहां जायगा। जहां कहीं आयोग जायगा वहां हमें उसकी सुरक्षा के लिए एक दस्ता भी भेजना पड़ेगा, परन्तु मुझे आशा है कि बाद में एक ऐसा समय आयेगा जब संसद के कुछ माननीय सदस्य उन क्षेत्रों की यात्रा कर सकेंगे।

इसके पश्चात् लोक-सभा, शुक्रवार, २४ अगस्त, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में।

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, २३ अगस्त, १९५६]

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखा गया पत्र १३१९

मद्रास और त्रावणकोर-कोचीन की खाद्य स्थिति तथा बाढ़ की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिये की गई व्यवस्थाओं के वक्तव्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखी गई ।

विधयक पुरःस्थापित १३१९–२०

विनियोग (संख्या ३) विधेयक और विनियोग (संख्या ४) विधेयक पुरःस्थापित किये गये ।

विधेयक विचाराधीन . . १३२०–६०

सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने के २२ अगस्त, १९५६ को प्रस्तुत प्रस्ताव पर और आगे चर्चा जारी रहीं। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार विचार करने के पश्चात् निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (सरदार स्वर्णसिंह) द्वारा विधेयक को संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

नागा पहाड़ियों की स्थिति के बारे में प्रस्ताव १३६०–७८

श्री ले० जोगेश्वर सिंह ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि नागा पहाड़ियों की स्थिति पर विचार किया जाये। चर्चा के पश्चात् प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।

शुक्रवार, २४ अगस्त, १९५६ के लिये कार्यावलि—

विनियोग (संख्या ३) और (संख्या ४) विधेयक, सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार तथा पारण और राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक, भारतीय रेलें (संशोधन) विधेयक और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार ।